



मार्गदर्शिका

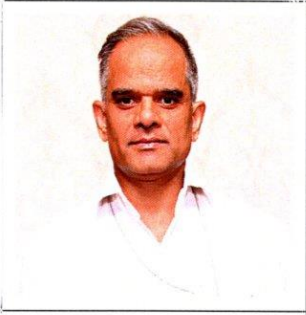
2025



यह मार्गदर्शिका पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित विभिन्न नीतियों और योजनाओं का संकलन है, जो संबंधित प्राधिकरणों से प्राप्त हुई हैं। इस पुस्तक में निहित सभी जानकारी केवल संदर्भ के लिए है और किसी भी उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा उद्धृत नहीं की जानी चाहिए। मूल नीति/योजना दस्तावेज़ों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि का संदर्भ लेने की अनुशंसा की जाती है।

डॉ. नितेन चंद्र, भा.प्र.से.
सचिव

Dr. Niten Chandra, IAS
Secretary



सत्यमेव जयते



भारत सरकार
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
रक्षा मंत्रालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

Government of India
Department of Ex-Servicemen Welfare
Ministry of Defence
South Block, New Delhi-110011

संदेश

पूर्व सैनिकों (ईएसएम) ने भारत की सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है और वे हमारे देश के गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के आह्वान के अनुसरण में केंद्रीय सैनिक बोर्ड एवं पूर्व सैनिक प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सेवानिवृत्ति के बाद उनके कल्याण को सुगम बनाने के अपने मिशन में दृढ़ रहा है और पूर्व सैनिक समुदाय को आवश्यक सहायता और संबल प्रदान करता है। इस विभाग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) 1951 में अपनी स्थापना के बाद से निरंतर सशक्त होता गया है। तेजी से बढ़ती ईएसएम आबादी के कल्याण के लिए अपने अथक प्रयासों में, केएसबी देश के विभिन्न भागों में ईएसएम बिरादरी की बदलती जरूरतों और आवश्यकताओं से संबंधित कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करता रहा है।

केएसबी हमारे लगभग 35 लाख पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके कई आश्रितों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है, साथ ही यह देश भर के 34 राज्य सैनिक बोर्डों और 431 जिला सैनिक बोर्डों के साथ प्रभावी समन्वय भी सुनिश्चित करता है। वर्षों से किए गए इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी पूर्व सैनिक सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ और लाभ प्रदान कर रहे हैं।

इन योजनाओं के लिए एक समेकित संदर्भ दस्तावेज आवश्यक है और मुझे खुशी है कि केएसबी एक मार्गदर्शिका के रूप में एकल रेडी रेकनर प्रकाशित करने की अच्छी परंपरा को जारी रख रहा है, जो पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए अत्यंत सहायक होगा।

मैं इस उत्कृष्ट "मार्गदर्शिका 2025" के निर्माण के लिए सचिव केएसबी और उनकी टीम को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

(डॉ. नितेन चंद्र)

अजय कुमार
AJAY KUMAR
संयुक्त सचिव
Joint Secretary
Tel. : 011-23011804
Fax : 011-23015933



सत्यमेव जयते



भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 011

Government of India
Ministry of Defence
Department of Ex-Servicemen Welfare
South Block, New Delhi - 110 011



19 सितंबर, 2025

संदेश

" मार्गदर्शिका 2025 " सभी पूर्व सैनिक (ईएसएम) और युद्ध विधवाओं के कल्याण और भलाई के लिए प्रदान की जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का एक व्यापक संग्रह है, जिसमें विकलांग सैनिक और पूर्व सैनिक के आश्रित भी शामिल हैं।

मुझे विश्वास है कि यह संस्करण पूर्व सैनिक समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी होगा क्योंकि उन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेना, नौसेना और वायु सेना के पूर्व सैनिक निदेशालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त होगी। सैनिक विश्राम गृहों और सभी स्तरों और स्थानों के महत्वपूर्ण अधिकारियों के संपर्क विवरण संचार और सहयोग को आसान बनाने के लिए उपयोगी होंगे।

मुझे विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य और जिला सैनिक बोर्ड तथा अन्य सभी संबद्ध/संबद्ध संगठनों को भूतपूर्व सैनिकों के साथ जोड़ने तथा कल्याणकारी लाभों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

केएसबी सचिव और केएसबी सचिवालय में उनकी उत्कृष्ट टीम को हार्दिक बधाई।

(अजय कुमार)

संयुक्त सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

ब्रिगेडियर डी एस बसेड़ा, वीएसएम**
सचिव, केएसबी



केंद्रीय सैनिक बोर्ड
नई दिल्ली - 110 066

१९ सितंबर 2025



प्रस्तावना

केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो युद्ध विधवाओं, विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के कल्याण की देखरेख एक समावेशी, सहभागी और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, पूर्व सैनिक समुदाय के लिए विभिन्न सरकारी प्रावधानों और योजनाओं को क्रियान्वित करता है और पूर्व सैनिक समुदाय के सभी वर्गों को उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रक्षा मंत्रालय के डीईएसडब्ल्यू के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में, केएसबी सचिवालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैनिक बोर्डों के साथ तालमेल बनाए रखता है और इसे पूर्व सैनिकों के कल्याण के महान उद्देश्य की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाता है। हमने कल्याण-आधारित हस्तक्षेपों को अपनाया है जो पूर्व सैनिकों/आश्रितों की सम्मानजनक जीवन शैली तक पहुँच में आने वाली संदर्भ-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हैं। हमारी टीम का अनुभव और प्रतिबद्धता हमें यह समझने में सक्षम बनाती है कि कैसे सभी हितधारक इन चुनौतियों की पहचान करते हैं और उनका समाधान करते हैं तथा उनकी बेहतरी के लिए अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

केएसबी मार्गदर्शिका 2025 न केवल ऐसे प्रकाशनों के पिछले संस्करणों का अद्यतन संस्करण है, बल्कि केंद्र/राज्य सरकारों की योजनाओं से संबंधित नीतियों, प्रावधानों और आंकड़ों को आसानी से प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रारूप में पुनः डिज़ाइन किया गया है। मुझे विश्वास है कि संपादकीय टीम द्वारा सूक्ष्म विवरणों को रेखांकित करते हुए सामग्री के सावधानीपूर्वक और परिश्रमपूर्वक संकलन के प्रयास सभी उपयोगकर्ताओं को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन और संदर्भ प्रदान करेंगे। मैं सुधार और हमारे मूल्यवान पूर्व-सैनिक समुदाय की भलाई की रक्षा के लिए रचनात्मक सुझावों की आशा करता हूँ।

दिनेश्वर
मि. बसेड़ा

(डी एस बसेड़ा)
ब्रिगेडियर

संपादक का नोट

यह अत्यंत गर्व की बात है कि हम आपके लिए यह अद्यतन केंद्रीय सैनिक बोर्ड मार्गदर्शिका प्रस्तुत कर रहे हैं। यह केएसबी मार्गदर्शिका 2025, देश में केंद्र और राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न पूर्व सैनिक कल्याण योजनाओं के लिए एक समेकित संदर्भ दस्तावेज़ बनने का प्रयास करती है। हमारी संपादकीय टीम ने पिछले कुछ महीनों में अथक परिश्रम किया है ताकि यह मार्गदर्शिका न केवल विषय-वस्तु में व्यापक हो, बल्कि एक संगठन/प्रशासक और एक आम व्यक्ति दोनों के लिए समझने में आसान भी हो। पाठक को स्पष्टता और दिशा प्रदान करने के लिए इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।

यद्यपि सभी प्रासंगिक नीतियों, योजनाओं और आंकड़ों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, फिर भी संभव है कि बाद में इनमें कुछ बदलाव किए जाएँ। इसलिए, इस मार्गदर्शिका को प्रारंभिक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। हम आपसे इस मार्गदर्शिका की सामग्री को दूसरों के साथ साझा करने का भी आग्रह करते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और अपने विशाल पूर्व-सैनिक समुदाय को कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।

संपादकीय टीम:



कैप्टन (आई एन) शाश्वत पूर्णानंद
मुख्य संपादक



सहायक संपादक – (बाएँ-से-दाएँ)

सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) बी गीता राव (सेवानिवृत्त), सूबेदार मेजर (मानद लेफ्टिनेंट) नरेश कुमार (सेवानिवृत्त)
वारंट अधिकारी अरुण कुमार (सेवानिवृत्त), हवलदार बाबू लाल (सेवानिवृत्त), वेद प्रकाश, पेटी ऑफिसर लॉजिस्टिक्स
(वित्त एवं प्रशासन)

अनुक्रमणिका

अध्याय	अंतर्वस्तु	पृष्ठ
1.	सैनिक बोर्ड संगठन	
	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
	संगठनात्मक संरचना	1
	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी)	2-3
	राज्य और जिला स्तर पर संगठन	3-10
	स्टाफिंग मानदंड और नियुक्तियाँ आरएसबी और जेडएसबी	10-14
	पूर्व सैनिकों की परिभाषा	14-16
	ईएसएम पहचान पत्र	17
	परिशिष्ट 'ए' - केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की संरचना	18-19
	परिशिष्ट 'बी' - 30 जून 2025 तक ईएसएम/विधवाओं की जनगणना के आंकड़े	20
	परिशिष्ट 'सी' - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों में शामिल ZSB की सूची	21-34
2.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि	
	सशस्त्र सेना झंडा दिवस	35
	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF)	35-36
	एएफएफडीएफ में सीएसआर योगदान	37
3.	एएफएफडीएफ के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं	
	व्यक्तियों की वित्तीय सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाएँ	38
	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निर्देश	38-43
	परिशिष्ट 'डी' - गरीबी में जी रहे पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता	44-48
	परिशिष्ट 'ई' - पूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	49-51
	परिशिष्ट 'एफ' - पूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे को वित्तीय सहायता	52-54
	परिशिष्ट 'जी' - पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता	55-58
	परिशिष्ट 'एच' - गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता	59-61
	परिशिष्ट 'जे' - पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता	62-65
	परिशिष्ट 'के' - पूर्व सैनिकों की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	66-67
	परिशिष्ट 'एल' - गैर-पेंशनभोगी ईएसएम (सभी रैंक)/विधवाओं को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता	68-70
	परिशिष्ट 'एम' - विकलांग ईएसएम के लिए गतिशीलता उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	71-73
	परिशिष्ट 'एन' - ईएसएम को गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता	74-76

4.	संस्थागत अनुदान/लाभ	
	किरकी और मोहाली में पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों (पीआरसी) को एएफएफडीएफ से अनुदान	77-78
	एएफएफडीएफ से चेशायर होम्स/राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर को अनुदान	78-79
	रेजिमेंटल केंद्रों पर युद्ध स्मारक छात्रावासों को AFFDF से अनुदान	79-80
	अखिल भारतीय गोरखा ईएसएम एसोसिएशन, देहरादून को एएफएफडीएफ से अनुदान	80-81
	सैनिक विश्राम गृह (एसआरएच)	81
5.	प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस)	
	सामान्य जानकारी	82-84
	आवेदन प्रस्तुत करना	84-86
	पीएमएसएस अनुवर्ती छात्रवृत्ति का नवीनीकरण	86-87
6.	केएसबी के माध्यम से उपलब्ध विविध लाभ	
	युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करना	88-89
	विशेष दृष्टिहीन पेंशन (एओ 318/73 प्रासंगिक)	89
	मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में केंद्रीय पूल से आरक्षित सीटों का आवंटन	90-94
7.	शिकायत निवारण तंत्र	95
8.	भारतीय सेना द्वारा प्रदान किए गए लाभ	96-100
9.	भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान किए गए लाभ	101-105
10.	भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान किए गए लाभ	106-110
11.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कल्याणकारी उपाय और योजनाएँ	
	परिशिष्ट 'पी' - आंध्र प्रदेश	112-117
	परिशिष्ट 'क्यू' - अरुणाचल प्रदेश	118-120
	परिशिष्ट 'आर' - असम	121-128
	परिशिष्ट 'एस' - बिहार	129-134
	परिशिष्ट 'टी' - छत्तीसगढ़	135-139
	परिशिष्ट 'यू' - दिल्ली यूटी)	140-143
	परिशिष्ट 'वी' - गोवा	144-148
	परिशिष्ट 'डब्ल्यू' - गुजरात	149-156
	परिशिष्ट 'एक्स' - हरयाणा	157-166
	परिशिष्ट 'वाई' - हिमाचल प्रदेश	167-172
	परिशिष्ट 'जेड' - झारखंड	173-177
	परिशिष्ट 'एए' - कर्नाटक	178-181
	परिशिष्ट 'एबी' - केरल	182-190
	परिशिष्ट 'एसी' - मध्य प्रदेश	191-199
	परिशिष्ट 'एडी' - महाराष्ट्र	200-210
	परिशिष्ट 'ईई' - मणिपुर	211-212
	परिशिष्ट 'एएफ' - मेघालय	213-215
	परिशिष्ट 'एजी' - मिजोरम	216-218

	परिशिष्ट 'एएच' - नागालैंड	219-221
	परिशिष्ट 'एजे' - ओडिशा	222-226
	परिशिष्ट 'एके' - पंजाब	227-233
	परिशिष्ट 'एएल' - राजस्थान	234-242
	परिशिष्ट 'एएम' - सिक्किम	243-246
	परिशिष्ट 'एएन' - तमिलनाडु	247-255
	परिशिष्ट 'एपी' - तेलंगाना	256-261
	परिशिष्ट 'एक्यू' - त्रिपुरा	262-264
	परिशिष्ट 'एआर' - उत्तराखंड	265-276
	परिशिष्ट 'एएस' - उत्तर प्रदेश	277-291
	परिशिष्ट 'एटी' - पश्चिम बंगाल	292-296
	परिशिष्ट 'एयू' - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	297-298
	परिशिष्ट 'एवी' - चंडीगढ़ (यूटी)	299-302
	परिशिष्ट 'एडब्ल्यू' - जम्मू और कश्मीर (यूटी)	303-307
	परिशिष्ट 'एएक्स' - लद्दाख (यूटी)	308-311
	परिशिष्ट 'एवाई' - पुडुचेरी (यूटी)	312-316

अध्याय 1

सैनिक बोर्ड संगठन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

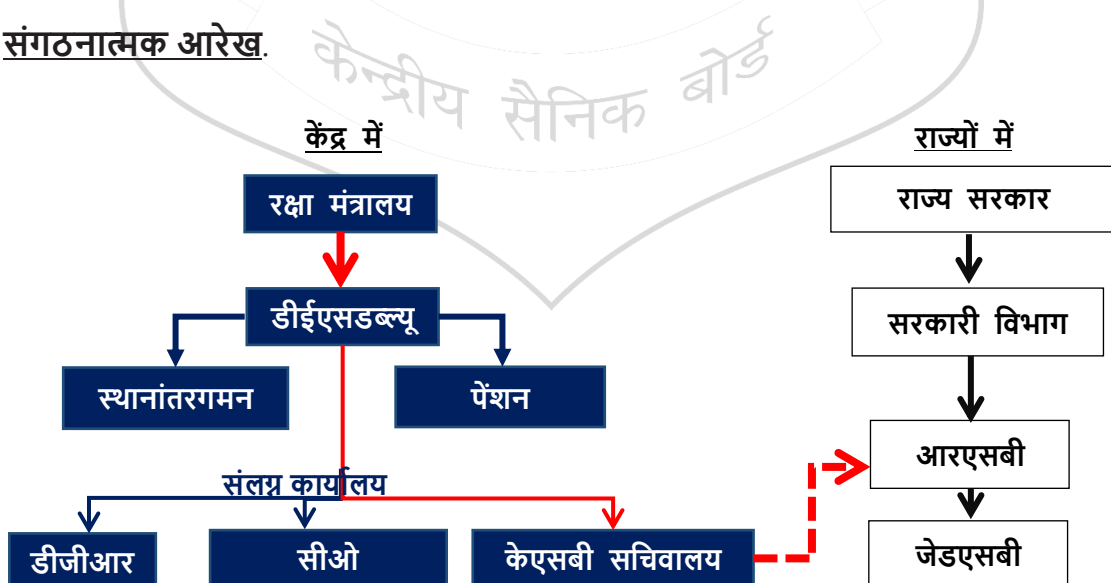
1.1 प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सरकार ने 7 सितम्बर 1919 के अपने संकल्प के तहत भारतीय सैनिकों के लिए जिला सैनिक, नाविक और एयरमैन बोर्ड के एक प्रारूप के रूप में भारतीय सैनिक बोर्ड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के कल्याण से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना था, जैसे पेंशन, प्रश्नों का निपटारा, जंगी इमाम पुरस्कार और सेवारत, सेवामुक्त और दिवंगत भारतीय सैनिकों, गैर-लड़ाकों और उनके आश्रितों के अन्य हित, जिनमें सैनिकों के परिजनों का नामांकन भी शामिल था।

1.2 द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, सेना से विमुख सैनिकों की सहायता के लिए, केंद्रीकृत रोजगार केंद्र स्थापित किए गए। 1947-48 के जम्मू-कश्मीर ऑपरेशन के बाद, युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों, युद्ध में घायल हुए सैनिकों और विधवाओं के पुनर्वास की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप, सेना मुख्यालय स्थित एडजुटेंट जनरल शाखा में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। शुरू में सीमित संख्या के कारण, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में मार्च 1951 में एक भारतीय सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्ड का गठन किया गया। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद, युद्ध-विधवाओं और युद्ध-विकलांगों के पुनर्वास, पुनर्वास और कल्याण की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ी। 1975 में, केंद्र में बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) कर दिया गया।

1.3 केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें पूर्व सैनिक कल्याण के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्र सरकार के स्तर पर कार्य करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि पूर्व सैनिक कल्याण से संबंधित जटिलताएँ मुख्यतः राज्य स्तर पर हैं और अधिकांश समाधान जिला स्तर पर ही होते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए देश भर में आज की तारीख में 34 राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) और 431 जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) स्थापित किए गए हैं। देश में सैनिक बोर्ड संगठन मुख्य रूप से उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) रिपोर्ट, 1984 और रक्षा मंत्रालय उप-समिति रिपोर्ट, 1993 की सिफारिशों पर आधारित है।

संगठनात्मक संरचना

1.4 संगठनात्मक आरेख.



1.5 **केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी)** केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) केन्द्र का शीर्ष निकाय है जो पूर्व-सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए नीतियां तैयार करता है। 46 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय रक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष माननीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। इसके सदस्यों में शामिल हैं:

- (क) 32 राज्य के मुख्यमंत्री
- (ख) संघ/ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल।
- (ग) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
- (घ) तीनों सेवा प्रमुख।
- (ङ) तीन संसद सदस्य।
- (च) सचिव ईएसडब्ल्यू, रक्षा सचिव, सचिव एमएचए।
- (छ) 04 पूर्व सैनिक अधिकारी/जे.सी.ओ.
- (ज) सचिव केएसबी - सदस्य सचिव।

1.5 केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को वर्ष में एक बार बैठक करनी होती है। केएसबी की संरचना भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित की जाती है। संरचना इस प्रकार है: **परिशिष्ट ए'.**

1.6 **केएसबी सचिवालय** केएसबी सचिवालय एकभूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW), रक्षा मंत्रालय (MoD) का संलग्न कार्यालय। भारत सरकार (GoI) की अधिसूचना संख्या 1, संख्या 10(02)/I/D (Res.)/2007 दिनांक 29 जनवरी 2009 इस संबंध में प्रासंगिक है। केएसबी के सचिव, भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना में ब्रिगेडियर/समकक्ष रैंक के सेवारत अधिकारी होते हैं, जो बारी-बारी से नियुक्त होते हैं। सचिवालय में सात अनुभाग हैं, अर्थात् नीति, कल्याण, प्रशासन और समन्वय, लेखा, स्वचालन, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) और शिकायत अनुभाग। इनका नेतृत्व छह सेवारत सशस्त्र बल अधिकारी और एक IDAS अधिकारी करते हैं। केएसबी सचिवालय का पत्राचार पता नीचे दिया गया है:-

केंद्रीय सैनिक बोर्ड
रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
पश्चिम ब्लॉक-IV, विंग-VII
आर.के.पुरम, नई दिल्ली -110066

संपर्क नंबर: 011-26179109
वेबसाइट: www.ksb.gov.in

1.7 **कर्तव्यों का चार्टर** केएसबी सचिवालय के कर्तव्यों का चार्टर इस प्रकार है: -

- (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरएसबी/जेडएसबी के माध्यम से ईएसएम समुदाय को सहायता प्रदान करना।
- (ख) ईएसएम से संबंधित भारत सरकार की प्रासंगिक नीतियों का कार्यान्वयन।
- (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अंतर्गत सैनिक कल्याण विभागों (आरएसबी/जेडएसबी) का समन्वय, सलाह और मार्गदर्शन करना तथा विशेष रूप से ईएसएम से संबंधित भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन के संबंध में उनके कामकाज की निगरानी करना।
- (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आरएसबी/जेडएसबी को बजटीय सहायता प्रदान करना।
- (ङ) केएसबी बैठक (माननीय आरएम की अध्यक्षता में) के संचालन का समन्वय करना।
- (च) सशस्त्र सेना झंडा दिवस (एएफएफडी) से संबंधित कार्यक्रमों का समन्वय करना।

(छ) सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि का प्रबंधन करना, जिसमें शामिल हैं: -

- (i) व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए ईएसएम वित्तीय सहायता योजनाएं लागू करना।
- (ii) एएफएफडी फंड की समन्वय प्रबंधन समिति (एमसी) की बैठक।
- (iii) एएफएफडी फंड की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक का समन्वय करना।
- (iv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मार्ग सहित एएफएफडी फंड में योगदान का समन्वय करना तथा सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन करना।

(ज) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का प्रशासन एवं कार्यान्वयन करना।

(झ) ईएसएम के कल्याण से संबंधित शिकायतों का निवारण।

(ञ) ईएसएम अधिकारियों के उम्मीदवारों के पैनल के निर्माण में समन्वय करना तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरएसबी/जेडएसबी में उनकी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेना।

(ट) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ ईएसएम कल्याण से संबंधित बैठकों में भाग लें जैसे: -

- (i) आरएसबी बैठक.
- (ii) समामेलित निधि की राज्य प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठक।

(ठ) मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में रक्षा कोटा सीटों के आवंटन की योजना को क्रियान्वित करना।

(ड) रेलवे रियायत के लिए युद्ध विधवाओं और वीरता पुरस्कार विजेताओं को पहचान पत्र जारी करना।

(ढ) केन्द्रीय सैनिक विश्राम गृह, नई दिल्ली का प्रशासन करना।

1.8 **सैनिक बोर्डों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता** केएसबी सचिवालय के माध्यम से केन्द्र सरकार सभी आरएसबी/जेडएसबी की स्थापना और संचालन लागत के लिए निम्नानुसार हिस्सा प्रदान करती है: -

(क) **स्थापना लागत का 75%** 12 विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर (UT), लद्दाख (UT), हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा।

(ख) **स्थापना लागत का 60%** शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए।

(ग) **नए सैनिक विश्राम गृह (एसआरएच) के निर्माण की लागत का 50%** किसी भी जिले में।

(घ) **एसआरएच का रखरखाव** 12 विशेष श्रेणी राज्यों में (वर्तमान में 50,000/- रु. प्रति वर्ष)।

राज्य और जिला स्तर पर संगठन

1.9 **राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी)** राज्य सैनिक बोर्ड, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पूर्व सैनिक कल्याण से संबंधित राज्य सरकार की नीतियाँ बनाने हेतु एक निकाय है। इनकी अध्यक्षता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल करते हैं। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव को राज्य में सैनिक कल्याण विभाग/निदेशालय (DSW) का निदेशक भी नियुक्त किया गया है। यह विभाग/निदेशालय किसी मंत्री के प्रभार में राज्य सरकार के विभाग के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के अधीन कार्य करता है। DSW, ZSB/ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारियों (ZSWO) पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है।

1.10 राज्य सैनिक बोर्ड की संरचना.

- (क) अध्यक्ष आरएसबी. राज्यपाल/मुख्यमंत्री.
- (ख) उपाध्यक्ष. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव।
सचिव, ईएसडब्ल्यू विभाग/रक्षा मंत्रालय
- (ग) सदस्य.
 - (i) राज्य प्रभारी मंत्री, सैनिक कल्याण।
 - (ii) जीओसी-इन-सी कमांड।
 - (iii) एफओसी-इन-सी कमांड.
 - (iv) एओसी-इन-सी कमांड.
 - (v) विभागाध्यक्ष.
 - (vi) स्थानीय गठन कमांडर.
 - (vii) निदेशक, पुनर्वास क्षेत्र।
- (घ) गैर-सरकारी सदस्य.
 - (i) चार पूर्व सैनिक.
 - (ii) दो प्रमुख नागरिक.
- (ङ) सदस्य सचिव. सचिव आरएसबी.

टिप्पणी-डीजीआर और सचिव केएसबी बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

1.11 आरएसबी/डीएसडब्ल्यू की जिम्मेदारियां आरएसबी/डीएसडब्ल्यू निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

- (क) सशस्त्र बलों के सेवारत/मृतक कार्मिकों के परिवारों तथा पूर्व सैन्य कर्मियों के कल्याण एवं पुनर्वास के उपायों को बढ़ावा देना।
- (ख) देश में सशस्त्र बलों के संबंध में आम जनता को जानकारी प्रदान करना तथा आम जनता में सशस्त्र बलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नवीन उपाय अपनाना।
- (ग) राज्य में सैनिक कल्याण संगठन के कामकाज की देखरेख करना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नीतियों और नियमों के अनुसार। आरएसबी के तहत जेडएसबी/जेडएसडब्ल्यूओ का नियंत्रण और पर्यवेक्षण।

(घ) आरएसबी/जेडएसबी में रिक्तियों को समय पर भरने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना। स्थापना लागत में केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु आरएसबी/जेडएसबी में रोजगार केवल ईएसएम/आश्रितों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य की सम्मिलित विशेष निधि को बनाए रखना तथा इन निधियों की राज्य प्रबंधन समिति (एसएमसी) के निर्णयों के अनुसार ईएसएम कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना/संस्थापित करना।

(च) कल्याण और पुनर्वास उपायों की समीक्षा और नई नीतियों के निर्माण के लिए राज्यपाल/उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वार्षिक आरएसबी बैठक और समामेलित विशेष निधि की एसएमसी बैठक का समन्वयन करना।

टिप्पणी: - डीएसडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करना है कि सैनिक बोर्ड (आरएसबी/जेडएसबी) और एसएमसी की संरचना पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के आदेश/अधिसूचना सही और अद्यतन हैं।

(छ) सभी मुद्दों पर केएसबी सचिवालय के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखें और समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें: -

- (i) प्रतिक्रिया, रिपोर्ट और डेटा जब भी मांगा जाए, केएसबी सचिवालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- (ii) आरएसबी/जेडएसबी की स्थापना लागत के केंद्रीय हिस्से के अग्रिम और अंतिम दावे।
- (iii) अर्धवार्षिक निष्पादन रिपोर्ट।
- (iv) केएसबी सचिवालय के संबंधित अनुभागों को अन्य रिटर्न।

(ज) राज्य आरएसबी वेबसाइट उपलब्ध कराना, उसका संचालन करना और उसका रखरखाव करना तथा उस पर अद्यतन डेटा उपलब्ध कराना।

(झ) राज्य में आरएसबी/जेडएसबी तथा ईएसएम के लिए अद्यतन आईटी अवसंरचना सुनिश्चित करना तथा आईटी आधारित सेवाएं प्रदान करना।

(ञ) सेवारत रक्षा कर्मियों के ईएसएम, विकलांग ईएसएम, विधवाओं, आश्रितों और परिवारों के आंकड़ों का डिजिटल रूप में अद्यतन रखरखाव सुनिश्चित करें। अर्धवार्षिक ईएसएम जनगणना डेटा को डीजीआर और केएसबी सचिवालय को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ट) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने तथा ईएसएम और उनके आश्रितों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए ईएसएम रैलियां, शिकायत निवारण शिविर, पेंशन अदालतें आदि आयोजित करना।

(ठ) राज्य में कमान मुख्यालयों और क्षेत्र/उप-क्षेत्रीय प्राधिकारियों, ईसीएचएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र और डीजीआर ज़ोन प्रमुखों के साथ तालमेल बनाए रखें। संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सहायता प्रदान करें, विशेष रूप से राज्य प्रशासन के साथ संपर्क और राज्य में ईएसएम आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन आदि के संबंध में।

(ड) राज्य की नौकरियों में ईएसएम आरक्षण का समन्वय और पालन करना: -

(i) राज्य के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य उपक्रमों, उद्यमों, बैंकों आदि के साथ संपर्क स्थापित करना, मुख्य रूप से राज्य आरक्षण नीति और राज्य की भर्ती नियमों के अनुसार ईएसएम और विधवाओं के लिए रिक्तियां खोजना।

(ii) ऐसी रिक्तियों की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि पूर्व सैनिक या विधवाएं इनका उपयोग करें।

(iii) केंद्र में प्रचलित नीति के अनुरूप राज्य में ईएसएम के लिए आरक्षण नीति तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आरक्षण नीति के अनुसार तैयार किए गए 100 सूत्री रोस्टर में ईएसएम को उचित स्थान मिले।

(iv) उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधीनस्थ चयन बोर्ड में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करना।

(ढ) निजी क्षेत्र में ईएसएम/विधवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की निगरानी करना।

(ण) स्व-रोजगार उद्यमों की योजना बनाने और वित्तपोषण में ईएसएम/विधवाओं की सहायता करना।

(त) सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के लिए धन संग्रह अभियान चलाना। विभिन्न राज्य एवं स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु समिति की बैठकें आयोजित करना।

(थ) ईएसएम कल्याण के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों/गतिविधियों तथा राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे संबंधित निर्णयों का सोशल मीडिया सहित व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना।

(द) संबंधित राज्यों में आयोजित किए जा रहे ईएसएम प्रशिक्षण पर डीजीआर को रिपोर्ट देना तथा बदलते रुझानों के अनुरूप पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के संबंध में सुझाव देना।

(ध) जेडएसबी का वार्षिक निरीक्षण करना और डीसी, मुख्य सचिव और सचिव, केएसबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(न) केएसबी सचिवालय द्वारा नामित आरएसबी की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करना।

1.12 **जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी)** ZSB, पूर्व सैनिक कल्याण उपायों को लागू करने और स्थानीय प्रशासन के साथ शिकायतों का समाधान करने के लिए जिला स्तर पर एक निकाय है। जिला कलेक्टर (जेडएसबी) ZSB के अध्यक्ष होते हैं। (जेडएसबी) ZSB की संरचना बाद में दी गई है। प्रत्येक ZSB राज्य के एक या अधिक राजस्व जिलों को कवर करता है। (जेडएसबी) ZSB के सचिव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) भी होते हैं।

1.13 जिला सैनिक बोर्ड की संरचना.

- (क) अध्यक्ष जिला कलक्टर
- (ख) उपाध्यक्ष वरिष्ठ ईएसएम.
- (ग) पदेन सदस्य राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख/भर्ती अधिकारी।
- (घ) गैर-आधिकारिक सदस्य दो पूर्व सैनिक और चार प्रमुख नागरिक।
- (ङ) सचिव सचिव ZSB/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसडब्ल्यूओ)।

टिप्पणी: (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/संगठनात्मक संरचना को पूरा करने के लिए संरचना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि बोर्ड की मूल संरचना को बनाए रखा जाए।

(ii) जहां किसी ZSB के अंतर्गत एक से अधिक जिले हों, वहां ZSB के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों से सदस्य होने चाहिए।

ZSBs की स्थापना यदि पूर्व सैनिक और सेवारत/मृतक सैन्य कर्मियों के परिवारों की जनसंख्या 7,500 या उससे अधिक है, तो संबंधित राज्य सरकारें स्वयं नया जेडएसबी स्थापित कर सकती हैं। अन्य मामलों में (जहाँ पूर्व सैनिक और सेवारत/मृतक सैन्य कर्मियों के परिवारों की जनसंख्या 7500 से कम है, अर्थात् आमतौर पर दूरस्थ/पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्रों में), नया जेडएसबी स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार (डीईएसडब्ल्यू रक्षा मंत्रालय) की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

1.14 ZSWOs की जिम्मेदारियां.

(क) **कल्याणकारी जिम्मेदारियाँ** इसमें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में सभी पारंपरिक गतिविधियां शामिल हैं: -

(i) ईएसएम लाभार्थियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति/रिलीज लाभ और अनुदान/वस्तुगत सहायता का निपटान करना।

(कक) विकलांग ईएसएम/विधवाओं के संबंध में जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना।

(कख) पूर्व-सैनिकों और उनके आश्रितों को केंद्र/राज्य सरकारों या अन्य धर्मार्थ संगठनों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(कग) आवेदनों की समय पर जांच और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना।

(ii) ईएसएम या आश्रितों को पेंशन और राहत के भुगतान के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के पेंशन वितरण प्राधिकारियों और रिकॉर्ड कार्यालयों के साथ संपर्क बनाए रखना।

(iii) भूमि एवं अन्य विवादों के निपटारे के लिए सहायता प्रदान करना।

(iv) सेवारत कार्मिकों की ड्यूटी पर अनुपस्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा के संबंध में उनके परिवारों की सहायता करना।

(v) सैनिक विश्राम गृहों (एसआरएच), वृद्धाश्रमों, जवान भवनों/दुकानों, व्यावसायिक एवं अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के माध्यम से कल्याणकारी सुविधाओं को बढ़ावा देना।

- (vi) सैन्य/सिविल अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए सहायता प्रदान करना।
- (vii) कल्याण और रियायतों के अतिरिक्त स्रोतों को बढ़ाने के लिए अन्य धर्मार्थ संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने।
- (viii) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों के आश्रितों का अद्यतन रजिस्टर बनाए रखने।
- (ix) स्थानीय प्रशासन या रक्षा प्राधिकारियों के साथ ईएसएम मामलों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता करना।

(ख) **स्थानांतरगमन.**

- (i) निम्नलिखित प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखें: -
 - (कक) स्थानीय केन्द्रीय/राज्य/निजी औद्योगिक संगठन।
 - (कख) स्थानीयरोजगार कार्यालय, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां इसके पास ईएसएम के पुनर्नियोजन के लिए सह-प्रायोजक शक्तियां हैं।
 - (कग) स्थानीय ईएसएम के भूमि विवादों के निपटारे के लिए योजनाओं के प्रति राजस्व प्राधिकारियों को जागरूक किया गया।
 - (कघ) ज़िला लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक ईएसएम की सहायता के लिए उद्योग/ब्लॉक विकास कार्यालय।

(कड़) सहायता के लिए स्वरोजगार के लिए सहकारी समितियों के गठन और स्थापना में ईएसएम।

- (ii) सहायता देना स्वरोजगार उद्यमों के लिए सहकारी समितियों के गठन में ईएसएम।
- (iii) सभी प्रदान करें युद्ध विधवाओं, आश्रितों और युद्ध विकलांगों के साथ-साथ सैन्य सेवा के दौरान मारे गए/सैन्य सेवा के कारण विकलांग हुए लोगों को पुनर्वास सहायता।
- (iv) शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के अवसरों का पता लगाना भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार पाने या स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए।

(ग) **अन्य जिम्मेदारियाँ.**

- (i) जेडएसबी के अध्यक्ष के साथ सशस्त्र सेना झंडा दिवस कार्यक्रम का आयोजन करना, झंडा दिवस के लिए धन संग्रह में सहायता करना तथा अपने जिले में अधिकृत धन जुटाने के उपायों को लागू करना।

(ii) **ईएसएम रैलियों/पुनर्मिलन/आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करें** पूर्व-सैनिकों, विशेष रूप से दूरस्थ/पहाड़ी/सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व-सैनिकों की चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए, नियमित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(कक) इंटरैक्शन ईएसएम बिरादरी के साथ बैठक कर उनकी सामान्य भलाई, पेंशन संबंधी मुद्दों और उनके सामने आने वाली अन्य विशिष्ट समस्याओं का पता लगाया जाएगा।

(कख) ईएसएम/युद्ध विधवाओं/वीरता पुरस्कार विजेताओं का सम्मान विशेष रूप से स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस/सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस (प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी) आदि पर किया जा सकता है।

(कग) जेडएसबी के अंतर्गत जिले में अपने स्वयं के आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना संरचनाओं और पेंशन प्राधिकारियों को स्थानीय सहायता का प्रावधान।

(iii) निम्नलिखित पर सूचना और प्रचार - प्रसार के लिए तीनों सेवाओं की सहायता करना:

(कक) नागरिक आबादी, सेवा कर्मियों और ईएसएम के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करने वाले सशस्त्र बलों की भूमिका।

(कख) सशस्त्र बलों में सेवा की शर्तें एवं नियम।

(कग) सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना और सशस्त्र बलों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, भर्ती के इच्छुक स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना।

(कघ) सशस्त्र बलों द्वारा संचालित मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान।

(कड़) अधिसूचना वीरता पुरस्कार/अन्य अलंकरण, कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत आदि।

(घ) **प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ**

(i) केन्द्रीय सरकार के नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति की ईएसएम के रूप में स्थिति निर्धारित करना तथा जेडएसबी में उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना।

(ii) प्रासंगिक एसओपी के अनुसार ईएसएम और आश्रितों को पहचान पत्र जारी करना।

(iii) जेडएसबी में पंजीकृत ईएसएम, विधवाओं आदि का अद्यतन डेटा डिजिटल रूप में बनाए रखना।

(iv) ईएसएम और उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के सभी दस्तावेज तैयार करना।

(v) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एसआरएच और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का प्रशासन।

(vi) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालयीन मामलों में केएसबी, रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) का प्रतिनिधित्व करना।

(vii) कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करने और शिकायतों का समाधान करने के लिए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अध्यक्ष जेडएसबी (जिला कलेक्टर) की अध्यक्षता में नियमित जेडएसबी बैठकें आयोजित करना।

(viii) ZSB को निरीक्षण के लिए RSB के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ix) जब भी आदेश दिया जाए/मांगा जाए, फीडबैक, रिपोर्ट और रिटर्न आरएसबी और केएसबी को भेजें।

(ड) **कल्याण आयोजकों की भूमिका** प्रत्येक जेडएसबी में कल्याण आयोजक (ईएसएम जेसीओ) ईएसएम समुदाय के साथ सीधा संपर्क प्रदान करते हैं। प्रत्येक ZSB में कार्यरत कल्याण आयोजकों को अपने घरों में ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने और ZSWO/RSB को इन पर जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। वे उनकी समस्याओं के समाधान में भी सहायता करते हैं और कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं।

1.15 **ईएसएम और विधवाओं की जनगणना डेटा.** प्रभावकारिता का पता लगाने की दिशा में कल्याणकारी उपायों के दायरे और बजटीय आवश्यकताओं के अनुरूप किए जा रहे उपायों की जानकारी के लिए, ईएसएम का समेकित डेटा आरएसबी द्वारा अर्धवार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है और डीजीआर और केएसबी सचिवालय को भेजा जाता है। ईएसएम और विधवाओं की जनगणना के आंकड़े 30 जून 2025 परिशिष्ट 'बी' के रूप में संलग्न है।

आरएसबी और जेडएसबी में स्टाफिंग मानदंड और नियुक्तियाँ

1.16 **आरएसबी के स्टाफिंग मानदंड** (रक्षा मंत्रालय उप-समिति की रिपोर्ट 1993 के अनुसार)

(क) बुनियादी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों की संख्या आरएसबी का कार्यभार, जेडएसडब्ल्यूओ की संख्या के अनुसार प्रशासित किए जाने वाले कार्यभार तथा ईएसएम, आश्रितों/परिवारों की जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करता है।

(ख) आरएसबी के लिए अनुशंसित बुनियादी स्थापना निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	नियुक्ति	प्राधिकार
(i)	निदेशक	1
(ii)	अधीक्षक	1
(iii)	कल्याण आयोजक	जहां लागू हो (ईएसएम की प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक तथा सेवारत/मृतक सैन्य कर्मिकों के परिवार, उन विभागों पर लागू जो जेडएसबी और डीएसडब्ल्यू के रूप में दोहरा कार्य करते हैं)।
(iv)	लेखाकार	1
(v)	क्लर्क-सह-टाइपिस्ट	3
(vi)	निजी सहायक	1
(vii)	दफ्तरी	1
(viii)	चपरासी	1
(ix)	ड्राइवर	1
(x)	चौकीदार	1
(xi)	सफाई वाला	1

(ग) अतिरिक्त पर्यवेक्षकों/अन्य कर्मचारियों के लिए मानदंड बुनियादी स्थापना के अलावा प्रशासन हेतु शून्य से एक ZSB तक, अतिरिक्त कर्मियों की सिफारिश विशेष रूप से अधिक संख्या वाले RSB के लिए निम्नानुसार की जाती है: -

क्र. सं.	नियुक्ति	प्राधिकार
अधिकारी (श्रेणी-I)		
(i)	संयुक्त निदेशक	प्रत्येक 5 प्राधिकृत उप निदेशकों के लिए 1.
(ii)	उप निदेशक	5 जिला सैनिक कार्यालयों से लेकर 25 जिला सैनिक कार्यालयों तक, जिनका प्रशासन डीएसडब्ल्यू को करना है, 1. 25 जिला सैनिक कार्यालयों से अधिक, 10 ZSWO पर 1 उप निदेशक।
अराजपत्रित पोस्ट		
(i)	लेखा परीक्षक	प्रति विभाग 1. यह उन विभागों पर लागू होगा जिनके प्रशासन हेतु 5 से अधिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं।
(ii)	लेखाकार	प्रति विभाग 1. 20 से अधिक जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों वाले विभागों के लिए प्रशासन हेतु अतिरिक्त लेखाकार।
(iii)	निजी सहायक	निदेशक (ब्रिगेडियर/कर्नल समकक्ष) के लिए 1. संयुक्त निदेशक (कर्नल समकक्ष) के लिए 1.
(iv)	स्टेनो	2 उप निदेशकों (लेफ्टिनेंट कर्नल समकक्ष) के लिए 1.
(v)	क्लर्क	मूल स्थापना में जोड़े गए प्रत्येक ZSB के लिए 1 अतिरिक्त क्लर्क।
(vi)	चपरासी	1 निदेशक के लिए. संयुक्त निदेशक के लिए 1. प्रत्येक 15 मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए 1.
(vii)	ड्राइवर	प्रत्येक अतिरिक्त वाहन के लिए 1.
टिप्पणी- अधीक्षक/यूडीसी/एलडीसी/पीए/स्टेनो की सेवा शर्तें राज्य के मानदंडों के अनुसार होंगी।		

(घ) **विविध कर्मचारी (चौकीदार/सफाईकर्मी)** ये पद आरएसबी के लिए निर्धारित मानक स्थापना के अनुसार एक-एक श्रेणी की दर से सृजित किए जाने हैं।

(ङ) **अतिरिक्त कर्मचारी (मानकों से अधिक)** आरएसबी के लिए किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उचित समझा जाए, तो केंद्र सरकार की स्पष्ट स्वीकृति अनिवार्य है। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्थानीय मानदंडों/आरआरएस को लागू करने में कठोरता बरतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आवश्यकताएँ पूर्व सैनिकों, विधवाओं या पूर्व सैनिकों के संघों की मौखिक शिकायतों/अनुरोधों से उत्पन्न होती हैं।

1.17 **जेडएसबी के स्टाफिंग मानदंड (एचएलसी रिपोर्ट 1984 के परिशिष्ट 'जेड' पर आधारित).**

(क) यदि पूर्व सैनिक सेवा (ईएसएम) और सेवारत एवं दिवंगत सैन्य कर्मियों के परिवारों की जनसंख्या 7,500 से अधिक है, तो राज्य स्वयं नए क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) स्थापित कर सकता है। अन्य मामलों में, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

(ख) 7,500 से अधिक जनसंख्या वाले ZSB की मानक स्थापना निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	नियुक्ति	प्राधिकार
(i)	सचिव	1
(ii)	सहायक सचिव	1 (जेडएसबी के लिए जहां भूतपूर्व सैनिकों और परिवारों की जनसंख्या 20,000 से अधिक है।)
(iii)	अधीक्षक/ प्रधान लिपिक	1
(iv)	कल्याण आयोजक	1 (प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 ईएसएम तथा सेवारत/मृत कर्मियों के परिवारों के लिए एक)।
(v)	क्लर्क यूडीसी/एलडीसी	1
(vi)	क्लर्क टाइपिस्ट	1
(vii)	क्लर्क लेखा	1
(viii)	चपरासी	1
(ix)	चौकीदार	1
(x)	ड्राइवर	1 (जहां स्वतंत्र परिवहन अधिकृत है)।
(xi)	सफाई वाला	1

(ग) **7,500 से कम ईएसएम आबादी वाले जेडएसबी.**

क्र. सं.	नियुक्ति	प्राधिकार
(i)	सचिव	1.
(ii)	अधीक्षक/प्रधान लिपिक	1
(iii)	कल्याण आयोजक	1
(iv)	क्लर्क यूडीसी/एलडीसी	1
(v)	क्लर्क टाइपिस्ट	1
(vi)	ड्राइवर	1 (जहां स्वतंत्र परिवहन उपलब्ध है)
(vii)	सफाई वाला	1

(घ) यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर उनके भर्ती नियमों के अनुरूप पद उपलब्ध कराए जाने हैं। हालाँकि, पदों की नई श्रेणियों

(ऊपर निर्दिष्ट पदों के अलावा) के लिए, केएसबी के माध्यम से केंद्र की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

(ड) 20,000 से कम ईएसएम जनसंख्या वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सहायक सचिव के पदों के लिए भी केंद्र की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

1.18 अन्य मानदंड.

(क) **आरएसबी/जेडएसबी में केवल ईएसएम की नियुक्ति** 1984 की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और 2024 के रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश, दोनों ही सैनिक बोर्डों में केवल पूर्व सैनिक (ईएसएम) की नियुक्ति पर जोर देते हैं। इसके बावजूद कुछ राज्य, राज्य सरकार के अधिकारियों और गैर-ईएसएम को पार्श्विक रूप से नियुक्त करना जारी रखे हुए हैं। सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिक (ईएसएम) की नीतियों और प्रक्रियाओं की जटिलताओं की समझ और गहनता की कमी के कारण गैर-ईएसएम स्टाफिंग पैटर्न अधिकतम दक्षता प्रदान नहीं कर पाता है। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय की प्रतिपूर्ति (राज्य द्वारा वास्तविक व्यय का 75/60%), जिसे "केंद्रीय हिस्सा" भी कहा जाता है, केवल पूर्व सैनिक (ईएसएम) कर्मचारियों तक ही सीमित है।

(ख) **सैनिक कल्याण विभाग के निदेशकों, सह सचिव आरएसबी और जेडएसडब्ल्यूओ सह सचिव जेडएसबी की नियुक्ति** 1993 की डीएसडब्ल्यू के मानकीकरण पर उप-समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त रैंक के केवल पूर्व रक्षा अधिकारियों पर ही विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एचएलसी ने यह भी सिफारिश की है कि आरएसबी के निदेशक को क्लास-I राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, जिनकी स्थिति और प्रशासनिक/वित्तीय शक्तियां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागाध्यक्षों के समान हों। उन्हें विभाग के आयामों/जिम्मेदारियों के अनुरूप अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव का उपयुक्त पदेन दर्जा भी प्रदान किया जाना चाहिए। निदेशक के प्रदर्शन पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य के सैनिक कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा बनाई जाएगी। रक्षा मंत्रालय के डीईएसडब्ल्यू ने 13 अगस्त 2024 के पत्र संख्या 22(5)/2013-डी(आरईएस II) के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग के निदेशकों, सह-सचिव आरएसबी और जेडएसडब्ल्यूओ, सह-सचिव जेडएसबी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: -

- (i) उपयुक्त रैंक के ईएसएम अधिकारियों की नियुक्ति निर्दिष्ट आयु मानदंड के अनुसार (ब्रिगेडियर/कर्नल या निदेशक, डीएसडब्ल्यू/आरएसबी के रूप में आईएन/आईएएफ के समकक्ष और कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर या जेडएसडब्ल्यूओ के रूप में आईएन/आईएएफ के समकक्ष)
- (ii) उम्मीदवारों का पैनल केएसबी सचिवालय द्वारा तैयार किया जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप यह उन सभी पात्र उम्मीदवारों का संकलन है जिनके नाम सेवा प्लेसमेंट एजेंसियों, आरएसबी/राज्यों और डीजीआर से प्राप्त हुए हैं।
- (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चयन समिति की संरचना जिसमें सचिव ईएसडब्ल्यू, रक्षा मंत्रालय और सचिव भी शामिल हैं केएसबी या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

(iv) नियुक्ति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सेवा की 'नियम व शर्तों' और नियुक्ति पत्र के अनुसार की जाएगी। निदेशकों/क्षेत्रीय सामाजिक कल्याण संगठनों (ZSWO) के वेतन और भत्ते, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और अन्य आर्थिक लाभ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा नियमों द्वारा विनियमित होने चाहिए।

(ग) **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक, डीएसडब्ल्यू/सचिव आरएसबी और जेडएसडब्ल्यूओ के पद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया** ईएसएम अधिकारी इन पदों के लिए संबंधित सेवा की प्लेसमेंट एजेंसी या डीजीआर के माध्यम से या सीधे राज्य सरकार को रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश 2024 के तहत आवेदन कर सकते हैं।

पूर्व सैनिकों की परिभाषा

1.19 **पृष्ठभूमि** 1965 के बाद पहली बार "पूर्व सैनिक" (ईएसएम) शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण की नई नीति का लाभ केवल योग्य कर्मियों को ही मिले। ईएसएम की परिभाषा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की जाती है और समय-समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। इन अधिसूचनाओं के प्रासंगिक अंश अगले अनुच्छेद में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं। हालाँकि, किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा जारी मूल अधिसूचनाओं की विषयवस्तु का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

1.20 ईएसएम की परिभाषा को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: -

(क) **01 जुलाई 68 से पहले सेवा से मुक्त हुए लोग** कोई भी व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी पद पर (लड़ाकू के रूप में या नहीं) सेवा की हो और कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा वहां से मुक्त किया गया हो।

(ख) **01 जुलाई 68 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 79 से पहले सेवा से मुक्त हुए लोग.** कोई भी व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में किसी भी पद पर (लड़ाकू के रूप में या नहीं) सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए सेवा की हो और कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा वहां से मुक्त किया गया हो।

(ग) **01 जुलाई 79 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 87 से पहले सेवा से मुक्त हुए लोग** "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने संघ के सशस्त्र बलों में, जिसमें पूर्ववर्ती भारतीय राज्यों के सशस्त्र बल शामिल हैं, परंतु असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना को छोड़कर, सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए किसी भी पद पर (लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) सेवा की हो, और

(i) उसे अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य कारण से या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से रिहा किया गया हो, या ऐसी रिहाई लंबित रहने तक रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया हो, या

(ii) उपर्युक्तानुसार कार्यमुक्त होने या रिजर्व में स्थानांतरित होने का हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा अवधि पूरी करने के लिए छह महीने से अधिक समय तक सेवा नहीं करनी होगी, या

(iii) संघ के सशस्त्र बलों में पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध पर कार्यमुक्त किया गया हो।

(घ) **01 जुलाई 87 को या उसके बाद सेवा से मुक्त हुए लोग.** "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो और:-

- (i) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हों, या
- (ii) सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा की गई हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो, या
- (iii) जो स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, या
- (iv) जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात ऐसी सेवा से अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से मुक्त किया गया है, और उसे ग्रेजुटी दी गई है, और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात:-
 - (कक) पेंशन निरंतर सेवा के लिए धारक।
 - (कख) व्यक्तियों सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ और
 - (कग) शौर्य पुरस्कार विजेताओं.
- (v) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को 15 नवम्बर 1986 से ईएसएम माना जाएगा।
- (vi) सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण या उनके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई है।

टिप्पणी: - कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियां जो पहले ईएसएम श्रेणी में थीं, उन्हें 01 जुलाई 1987 से ईएसएम की परिभाषा से बाहर रखा गया था: -

“कोई भी व्यक्ति जिसे रिहा किया गया है

- (i) संघ के सशस्त्र बलों में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अपने स्वयं के अनुरोध पर या;
 - (ii) सत्यापन के बाद लगातार छह महीने की अवधि तक सेवा करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से या ऐसी रिहाई लंबित रहने तक रिजर्व में स्थानांतरित होने के अलावा
- (ii) ।

(ड) **04 अक्टूबर 2012 को या उसके बाद सेवा से मुक्त हुए लोग.** भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और

- (i) जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हो गया हो, या
- (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो, या
- (iii) जो स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो; या
- (iv) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात्, उसके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त, या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है और उसे उपदान दिया गया है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक सम्मिलित हैं, अर्थात्, निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित दौरों के लिए पेंशन धारक; या
- (v) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण या उनके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई है; या
- (vi) कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; या
- (vii) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- (viii) पूर्व भर्तियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त कर दिया गया तथा चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।

(च) **शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी** 13 फरवरी 2020 की डीओपीटी अधिसूचना के अनुसार, कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा प्रारंभिक कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवा से मुक्त किए गए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) और जिन्हें ग्रेच्युटी दी गई है, वे भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पाने के पात्र होंगे।

ईएसएम पहचान पत्र

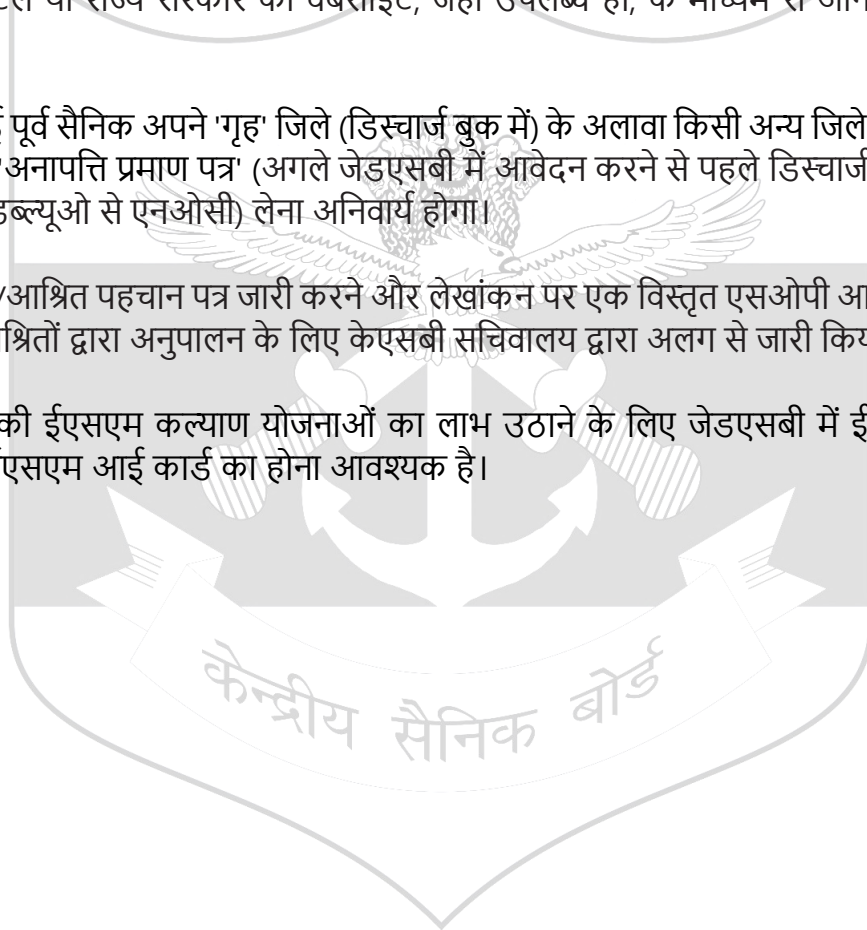
1.21 ईएसएम पहचान पत्र केवल उन्हीं कार्मिकों को जारी किए जाते हैं जो सेना, नौसेना या वायु सेना से सेवामुक्ति के समय लागू कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार ईएसएम की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाए गए जिले के अनुसार संबंधित जेडएसबी/जेडएसडब्ल्यूओ, ईएसएम और उनके आश्रितों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी है। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह अपनी डिस्चार्ज बुक में सही पता दर्ज करवाए। डिस्चार्ज के बाद उन्हें किस ZSB से संपर्क करना चाहिए, यह तय करने में सुविधा के लिए, उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के विवरण सहित ZSB की सूची परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

1.22 सभी सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को संबंधित ZSB में जाकर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। ZSB/ZSWO द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक के दस्तावेजों/विवरणों की जाँच के बाद, ESM स्थिति और अन्य विवरणों की पुष्टि के लिए, ESM/आश्रित पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ESM पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र KSB वेब पोर्टल या राज्य सरकार की वेबसाइट, जहाँ उपलब्ध हो, के माध्यम से ऑनलाइन भी भरा जा सकता है।

1.23 यदि कोई पूर्व सैनिक अपने 'गृह' जिले (डिस्चार्ज बुक में) के अलावा किसी अन्य जिले में बसने का इरादा रखता है तो उसे 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (अगले जेडएसबी में आवेदन करने से पहले डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित जिले के जेडएसडब्ल्यूओ से एनओसी) लेना अनिवार्य होगा।

1.24 ईएसएम/आश्रित पहचान पत्र जारी करने और लेखांकन पर एक विस्तृत एसओपी आरएसबी/जेडएसबी और ईएसएम/आश्रितों द्वारा अनुपालन के लिए केएसबी सचिवालय द्वारा अलग से जारी किया गया है।

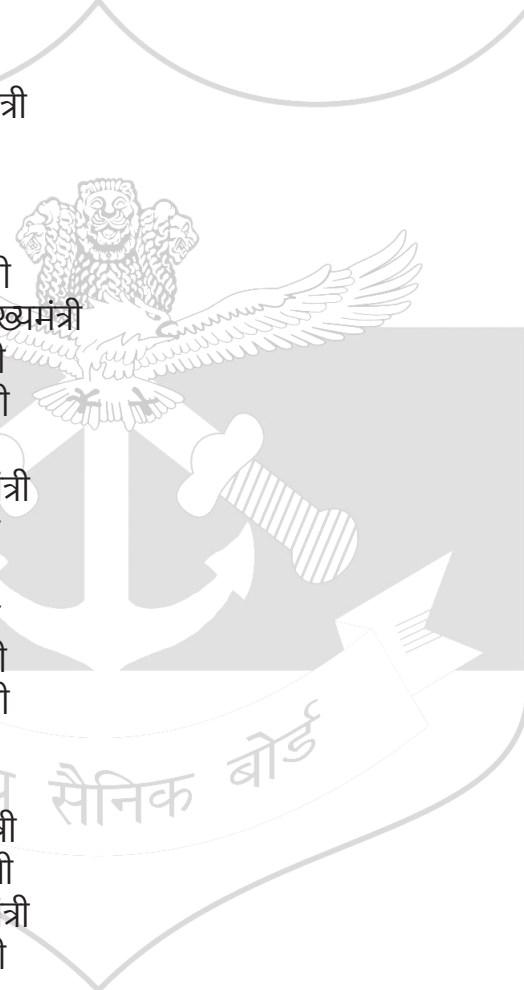
1.25 सरकार की ईएसएम कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जेडएसबी में ईएसएम के रूप में पंजीकरण और ईएसएम आई कार्ड का होना आवश्यक है।



केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की संरचना

1. **अध्यक्ष.** माननीय रक्षा मंत्री जी।
2. **उपाध्यक्ष.** माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी।
3. **सदस्य.**

- (क) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
- (ख) अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
- (ग) असम के माननीय मुख्यमंत्री
- (घ) बिहार के माननीय मुख्यमंत्री
- (ङ) छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री
- (च) दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री
- (छ) गोवा के माननीय मुख्यमंत्री
- (ज) गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री
- (झ) हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री
- (ञ) हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
- (ट) झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री
- (ठ) कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री
- (ड) केरल के माननीय मुख्यमंत्री
- (ढ) मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
- (ण) महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री
- (त) मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री
- (थ) मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री
- (द) मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री
- (ध) नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री
- (न) उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री
- (न) पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री
- (प) राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री
- (फ) सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री
- (ब) तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री
- (भ) तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री
- (म) त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री
- (य) उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री
- (र) उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
- (ल) पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री
- (व) पुडुचेरी (यूटी) के माननीय मुख्यमंत्री
- (श) जम्मू और कश्मीर (यूटी) के माननीय उपराज्यपाल
- (ष) लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) के माननीय उपराज्यपाल
- (स) एक संसद सदस्य (राज्यसभा)



- (ह) दो संसद सदस्य (लोकसभा)
 (कक) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
 (खख) सेना प्रमुख
 (गग) नौसेना प्रमुख
 (घघ) वायु सेना प्रमुख
 (ङङ) सचिव, गृह मंत्रालय
 (चच) सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
 (छछ) सचिव (ईएसडब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय
 (जज) एक ईएसएम सेना अधिकारी
 (झझ) एक ईएसएम नौसेना अधिकारी
 (ञञ) एक ईएसएम वायु सेना अधिकारी
 (टट) एक ईएसएम जूनियर कमीशन अफसर

4. **सचिव.** सचिव, केएसबी



ईएसएम/विधवाओं का जनगणना डाटा 30 जून 2025

क्र. सं.	आरएसबी	भूतपूर्व सैनिकों				विधवाओं			
		सेना	नौसेना	वायु सेना	कुल	सेना	नौसेना	वायु सेना	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	65778	6955	8145	80878	24957	964	1446	27367
2.	अरुणाचल प्रदेश	994	1	8	1003	220	0	0	220
3.	असम	38497	875	2739	42111	9859	190	679	10728
4.	बिहार	103295	17008	17200	137503	11173	719	666	12558
5.	छत्तीसगढ़	6697	343	405	7445	1416	30	79	1525
6.	दिल्ली	47242	5937	10895	64074	10915	1146	2276	14337
7.	गोवा	1127	1077	214	2418	287	171	58	516
8.	गुजरात	28178	1157	5160	34495	4806	93	628	5527
9.	हरयाणा	161725	9880	13109	184714	51972	3864	3006	58842
10.	हिमाचलप्रदेश	124384	4549	2683	131616	39570	534	385	40489
11.	जम्मू और कश्मीर	78484	1087	933	80504	22762	212	59	23033
12.	झारखंड	26708	1799	2979	31486	4748	224	229	5201
13.	कर्नाटक	78633	3133	12610	94376	27764	759	2533	31056
14.	केरल	144881	14775	24184	183840	60857	2985	8372	72214
15.	मध्य प्रदेश	55254	1651	2169	59074	11951	250	458	12659
16.	महाराष्ट्र	176947	15735	13863	206545	64872	1809	2528	69209
17.	मणिपुर	12013	26	103	12142	1025	7	9	1041
18.	मेघालय	2920	61	87	3068	1464	33	46	1543
19.	मिजोरम	6202	74	79	6355	2496	28	26	2550
20.	नगालैंड	3364	61	26	3451	988	0	4	992
21.	ओडिशा	41633	4753	8212	54598	5200	335	453	5988
22.	पंजाब	310904	16390	24460	351754	60281	5481	10059	75821
23.	राजस्थान	200082	6269	9503	215854	58390	977	1497	60864
24.	सिक्किम	1015	99	13	1127	414	3	1	418
25.	तमिलनाडु	108182	3907	12007	124096	53851	1011	3421	58283
26.	त्रिपुरा	2487	42	148	2677	685	19	28	732
27.	तेलंगाना	19818	1612	7345	28775	6471	315	1505	8291
28.	उत्तराखंड	133796	3582	3597	140975	50005	403	483	50891
29.	उत्तर प्रदेश।	361899	28229	46197	436325	62888	3687	6559	73134
30.	पश्चिम बंगाल	88302	6983	16098	111383	13614	668	1748	16030
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (यूटी)	931	182	103	1216	184	19	5	208
32.	चंडीगढ़ (यूटी)	5741	344	2377	8462	1811	61	640	2512
33.	पुडुचेरी (यूटी)	1881	137	476	2494	789	26	86	901
34.	लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)	6638	12	30	6680	976	0	4	980
	कुल	2446632	158725	248157	2853514	669661	27023	49976	746660

परिशिष्ट 'सी'
(पैरा 1.23 देखें)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों में ZSBs की सूची

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	ZSBs की संख्या	क्र. सं.	ZSB का नाम	जिलों की संख्या	कवर किए गए जिलों का विवरण
1	आंध्र प्रदेश	13	1	जेडएसबी, अनंतपुरमु	26	अनंतपुरमु, श्री सत्य साई
			2	जेडएसबी, चित्तूर		चित्तूर, त्रिरुपति
			3	जेडएसबी, पूर्वी गोदावरी		पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, कोनसीमा
			4	जेडएसबी, गुंटूर		गुंटूर, बापटला, पालनाडु
			5	जेडएसबी, कडप्पा		वाईएसआर कडप्पा, अन्नामय्या
			6	जेडएसबी, कृष्णा		कृष्णा, एनटीआर
			7	जेडएसबी, कुरनूल		कुरनूल, नंद्याल
			8	जेडएसबी, एसपीएस नेल्लोर		एसपीएस नेल्लोर
			9	जेडएसबी, प्रकाशम		प्रकाशम
			10	जेडएसबी, श्रीकाकुलम		श्रीकाकुलम
			11	जेडएसबी, विशाखापत्तनम		विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, अल्लूरी सीताराम राजू
			12	जेडएसबी विजयनगरम		विजयनगरम, पार्वतीपुरम
			13	जेडएसबी पश्चिम गोदावरी		पश्चिम गोदावरी, एलुरु
2	अरुणाचल प्रदेश	0	-	कोई ZSB नहीं है। RSB सभी 27 जिलों की देखभाल कर रहा है		
3	असम	19	1	जेडएसबी, कछार	35	कछार
			2	जेडएसबी, करीमगंज		करीमगंज
			3	जेडएसबी, हैलाकांडी		हैलाकांडी
			4	जेडएसबी, कार्बी आंगलोंग (दिफू)		कार्बी आंगलोंग, दक्षिण कार्बी आंगलोंग, हाफलोंग (दिमा हसाओ)
			5	जेडएसबी, नागांव		नागांव, मोरीगांव और होजाई
			6	जेडएसबी, जोरहाट		जोरहाट, माजुली
			7	जेडएसबी, गोलाघाट		गोलाघाट
			8	जेडएसबी शिवसागर		शिवसागर, चराइदेव
			9	जेडएसबी, डिब्रूगढ़		डिब्रूगढ़, तिनसुकिया
			10	जेडएसबी, लखीमपुर		लखीमपुर, धेमाजी
			11	जेडएसबी, सोनितपुर		सोनितपुर, विश्वनाथ
			12	जेडएसबी, दारंग		दारंग, उदलगुरी
			13	जेडएसबी, कामरूप (एम)		कामरूप (एम)

			14	जेडएसबी, कामरूप (आर)		कामरूप (आर), नलबाड़ी, तामुलपुर
			15	जेडएसबी, बारपेटा		बारपेटा, बजाली, बास्का
			16	जेडएसबी, कोकराझार		कोकराझार
			17	जेडएसबी, बोंगाईगांव		बोंगाईगांव, चिरांग
			18	जेडएसबी, गोलपाड़ा		गोलपाड़ा
			19	जेडएसबी, धुबरी		धुबरी, दक्षिण सलमारा-मनकाचर
4	बिहार	25	1	जेडएसबी, औरंगाबाद	38	औरंगाबाद
			2	जेडएसबी, बेगूसराय		बेगूसराय और खगड़िया
			3	जेडएसबी, भागलपुर		भागलपुर और बांका
			4	जेडएसबी, भोजपुर		भोजपुर
			5	जेडएसबी, बक्सर		बक्सर
			6	जेडएसबी, दरभंगा		दरभंगा
			7	जेडएसबी, पूर्वी चंपारण		पूर्वी चंपारण
			8	जेडएसबी, गया		गया और नवादा
			9	जेडएसबी, गोपालगंज		गोपालगंज
			10	जेडएसबी, जहानाबाद		जहानाबाद और अरवल
			11	जेडएसबी, कैमूर		कैमूर
			12	जेडएसबी, कटिहार		कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया
			13	जेडएसबी, मधुबनी		मधुबनी
			14	जेडएसबी, मुंगेर		मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा
			15	जेडएसबी, मुजफ्फरपुर		मुजफ्फरपुर
			16	जेडएसबी, नालंदा		नालंदा
			17	जेडएसबी, पटना		पटना
			18	जेडएसबी, रोहतास		रोहतास
			19	जेडएसबी, सहरसा		सहरसा, मधेपुरा और सुपौल
			20	जेडएसबी, समस्तीपुर		समस्तीपुर
			21	जेडएसबी, सारन		सारन
			22	जेडएसबी, सीतामढ़ी		सीतामढ़ी और शिवहर
			23	जेडएसबी, सिवान		सिवान
			24	जेडएसबी, वैशाली		वैशाली
			25	जेडएसबी, पश्चिम चंपारण		पश्चिम चंपारण
5	छत्तीसगढ़	10	1	जेडएसबी, रायपुर	33	रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार और गरियाबंद
			2	जेडएसबी, बिलासपुर		बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, सक्ती और गौरेला-पेंड्रा-मारवार्थी

			3	जेडएसबी, दुर्ग	दुर्ग, कबीरधरन, बालोद और बेमेतरा
			4	जेडएसबी, जशपुर	जशपुर
			5	जेडएसबी, राजनांदगांव	राजनांदगांव, कैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
			6	जेडएसबी, जगदलपुर	जगदलपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर
			7	जेडएसबी, अंबिकापुर (सरगुजा)	सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर
			8	जेडएसबी, बैकुंठपुर (कोरिया)	कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)
			9	जेडएसबी, रायगढ़	रायगढ़ और सारागढ़-बिलाईगढ़
			10	जेडएसबी, कांकेर	कांकेर
6	दिल्ली	0	-	कोई ZSB नहीं है। RSB दिल्ली सभी 11 जिलों की देखभाल कर रहा है।	
7	गोवा	0	-	कोई ZSB नहीं है। RSB गोवा 02 जिलों की देखभाल कर रहा है।	
8	गुजरात	11	33	जेडएसबी, अहमदाबाद	अहमदाबाद और गांधीनगर
			2	जेडएसबी, वडोदरा	वडोदरा, खेड़ा, आनंद और छोटाउदेपुर
			3	जेडएसबी, सूरत	सूरत, वलसाड, डांग, भरूच, नवसारी, नर्मदा (राजपीपला) और तापी (व्यारा)
			4	जेडएसबी, जामनगर	जामनगर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका (खंभालिया) और गिर सोमनाथ (वेरावल)
			5	जेडएसबी, राजकोट	राजकोट, भावनगर, अमरेली, मोरबी और बोटाद
			6	जेडएसबी, हिमंतनगर (साबरकांठा)	साबरकांठा और अरावली (मोडासा)
			7	जेडएसबी, कच्छ-भुज	कच्छ (भुज)
			8	जेडएसबी, महेसाणा	महेसाणा, बनासकांठा (पालनपुर) और पाटन
			9	जेडएसबी, पंचमहल (गोधरा)	पंचमहल, दाहोद और महिसागर
			10	जेडएसबी, पोरबंदर	पोरबंदर
			11	जेडएसबी, सुरेंद्रनगर	सुरेंद्रनगर

9	हरियाणा	22	1	जेडएसबी, अंबाला	22	अंबाला
			2	जेडएसबी, भिवानी		भिवानी
			3	जेडएसबी, चरखी दादरी		चरखी दादरी
			4	जेडएसबी, फरीदाबाद		फरीदाबाद
			5	जेडएसबी, फतेहाबाद		फतेहाबाद
			6	जेडएसबी, गुरुग्राम		गुरुग्राम
			7	जेडएसबी, हिसार		हिसार
			8	जेडएसबी, झज्जर		झज्जर
			9	जेडएसबी, जींद		जींद
			10	जेडएसबी, करनाल		करनाल
			11	जेडएसबी, कैथल		कैथल
			12	जेडएसबी, कुरुक्षेत्र		कुरुक्षेत्र
			13	जेडएसबी, नारनौल		नारनौल
			14	जेडएसबी, पानीपत		पानीपत
			15	जेडएसबी, पलवल		पलवल
			16	जेडएसबी, पंचकुला		पंचकुला
			17	जेडएसबी, रेवाड़ी		रेवाड़ी
			18	जेडएसबी, रोहतक		रोहतक
			19	जेडएसबी, सोनीपत		सोनीपत
			20	जेडएसबी, सिरसा		सिरसा
			21	जेडएसबी यमुना नगर		यमुना नगर
			22	जेडएसबी नूह		मेवात
10	हिमाचल प्रदेश	10	1	जेडएसबी, बिलासपुर	12	बिलासपुर
			2	जेडएसबी, चंबा		चंबा
			3	जेडएसबी, हमीरपुर		हमीरपुर
			4	जेडएसबी, कांगड़ा		कांगड़ा
			5	ZSB, कुल्लू और लाहुल स्पीति		कुल्लू और लाहुल स्पीति
			6	जेडएसबी, मंडी		मंडी
			7	जेडएसबी, सोलन		एक प्रकार का हंस
			8	जेडएसबी, सिरमौर		सिरमौर
			9	जेडएसबी, शिमला और किन्नौर		शिमला और किन्नौर
			10	जेडएसबी, ऊना		ऊना
11	जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)	13	1	जेडएसबी, सांबा	20	सांबा
			2	जेडएसबी, कठुआ		कठुआ
			3	जेडएसबी, उधमपुर		उधमपुर और रामबन
			4	जेडएसबी, रियासी		रियासी
			5	जेडएसबी, राजौरी		राजौरी
			6	जेडएसबी, पुंछ		पुंछ
			7	जेडएसबी, कुपवाड़ा		कुपवाड़ा
			8	जेडएसबी, डोडा		डोडा और किश्तवाड़
			9	जेडएसबी, बारामूला		बारामूला और बांदीपोरा
			10	जेडएसबी, श्रीनगर		श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां

			11	जेडएसबी, जम्मू		जिला जम्मू में निम्नलिखित तहसीलें हैं:- जम्मू उत्तर, जम्मू दक्षिण, जम्मू पश्चिम, जम्मू पूर्व, बाहु, भलवाल, नगरोटा, डंसाल और मंडल।
			12	जेडएसबी, आरएस पुरा		जिला जम्मू की निम्नलिखित तहसीलें:- आरएस पुरा, अरनिया और सुचेतगढ़
			13	जेडएसबी, अखनूर		निम्नलिखित तहसीलों वाला जिला जम्मू:- अखनूर, मैरा मंड्रियान, खरह बल्ली, जौरियन, परगवाल, चौकी चौरा और खौर
12	झारखंड	6	1	जेडएसबी, रांची	24	रांची, खूंटी, पलामू, लातेहार और गढ़वा
			2	जेडएसबी, दुमका		दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा
			3	जेडएसबी, चाईबासा		पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां
			4	जेडएसबी, हजारीबाग		हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़
			5	जेडएसबी, गुमला		गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा
			6	जेडएसबी, मेदिनीनगर		मेदिनीनगर
13	कर्नाटक	13	1	जेडएसबी, बेंगलुरु (शहरी)	31	बेंगलुरु शहरी
			2	जेडएसबी, बेंगलुरु (ग्रामीण)		बेंगलुरु ग्रामीण, चिक्काबल्लापुर, तुमकुरु, रामनगर और कोलार
			3	जेडएसबी, बेलगावी		बेलगावी
			4	जेडएसबी, विजयपुरा		विजयपुरा
			5	जेडएसबी, धारवाड़		धारवाड़, हावेरी, बल्लारी, विजयनगर और गडग
			6	जेडएसबी, कलबुर्गी		कलबुर्गी, रायचूर, बीदर और यादगिरि
			7	जेडएसबी, उत्तर कन्नड़		उत्तर कन्नड़
			8	जेडएसबी, मंगलुरु		दक्षिण कन्नड़, उडुपी
			9	जेडएसबी, मदिकेरी		कोडागू
			10	जेडएसबी, मैसूर		मैसूर, मांड्या, चामराजा नगर
			11	जेडएसबी, शिवमोग्गा		शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग और दावणगेरे
			12	जेडएसबी, बागलकोट		बागलकोट और कोप्पल
			13	जेडएसबी, हसन		हसन और चिक्कमगलुरु

14	केरल	14	1	जेडएसबी, तिरुवनंतपुरम	14	तिरुवनंतपुरम
			2	जेडएसबी, कोल्लम		कोल्लम
			3	जेडएसबी, पथानामथिट्टा		पथानामथिट्टा
			4	जेडएसबी, अलाप्पुझा		अलाप्पुझा
			5	जेडएसबी, कोट्टायम		कोट्टायम
			6	जेडएसबी, इडुक्की		इडुक्की
			7	जेडएसबी, एर्नाकुलम		एर्नाकुलम
			8	जेडएसबी, त्रिशूर		त्रिशूर
			9	जेडएसबी, पलक्कड़		पलक्कड़
			10	जेडएसबी, मलप्पुरम		मलप्पुरम
			11	जेडएसबी, कोझिकोड		कोझिकोड
			12	जेडएसबी, वायनाड		वायनाड
			13	जेडएसबी, कन्नूर		कन्नूर
			14	जेडएसबी, कासरगोड		कासरगोड
15	मध्य प्रदेश	24	1	जेडएसबी, बेतुल	55	बेतुल
			2	जेडएसबी, भिंड		भिंड
			3	जेडएसबी, भोपाल		भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा
			4	जेडएसबी, छतरपुर		छतरपुर और पन्ना
			5	जेडएसबी, छिंदवाड़ा		छिंदवाड़ा और पांडुरना
			6	जेडएसबी, कटनी		दमोह और कटनी
			7	जेडएसबी, खंडवा		खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी
			8	जेडएसबी, ग्वालियर		ग्वालियर और दतिया
			9	जेडएसबी, गुना		गुना, शिवपुरी, अशोक नगर
			10	जेडएसबी, नर्मदापुरम (होशंगाबाद)		नर्मदापुरम (होशंगाबाद), सीहोर जिले और हरदा की बुधनी तहसील
			11	जेडएसबी, इंदौर		इंदौर, देवास और धार
			12	जेडएसबी, जबलपुर		जबलपुर और मंडला
			13	जेडएसबी, मंदसौर		मंदसौर और नीमच
			14	जेडएसबी, मुरैना		मुरैना और सियोपुर
			15	जेडएसबी, नरसिंहपुर		होशंगाबाद जिले की नरसिंहपुर और बनखेड़ी तहसील
			16	जेडएसबी, रतलाम		रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर
			17	जेडएसबी, रीवा		रीवा और मऊगंज
			18	जेडएसबी, सतना		सतना और मैहर
			19	जेडएसबी, सागर		सागर एवं रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील
			20	जेडएसबी, सिवनी		सिवनी और बालाघाट
			21	जेडएसबी, शहडोल		शहडोल, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर
			22	जेडएसबी, सीधी		सीधी और सिंगरौली
			23	जेडएसबी, टीकमगढ़		टीकमगढ़ और निवाड़ी

			24	जेडएसबी, उज्जैन		उज्जैन, शाजापुर और राजगढ़ और आगर मालवा
16	महाराष्ट्र	33	1	जेडएसबी, मुंबई शहर	36	मुंबई शहर
			2	जेडएसबी, मुंबई उपनगरीय		मुंबई सब
			3	जेडएसबी, ठाणे		ठाणे - पालघर
			4	जेडएसबी, सिंधुदुर्ग		सिंधुदुर्ग
			5	जेडएसबी, रायगढ़-अलीबाग		रायगढ़
			6	जेडएसबी, रत्नागिरी		रत्नागिरी
			7	जेडएसबी, पुणे		पुणे
			8	जेडएसबी, सतारा		सतारा
			9	जेडएसबी, सांगली		सांगली
			10	जेडएसबी, कोल्हापुर		कोल्हापुर
			11	जेडएसबी, सोलापुर		सोलापुर
			12	जेडएसबी, नासिक		नासिक, पीसीटीसी नासिक
			13	जेडएसबी, अहमदनगर		अहमदनगर
			14	जेडएसबी, धुले		धुले
			15	जेडएसबी, नंदुरबार		नंदुरबार
			16	जेडएसबी, जलगांव		जलगांव
			17	जेडएसबी, नागपुर		नागपुर
			18	जेडएसबी, भंडारा गोंदिया		भंडारा गोंदिया
			19	जेडएसबी, चंद्रपुर		चंद्रपुर
			20	जेडएसबी, गढ़चिरोली		गढ़चिरोली
			21	जेडएसबी, औरंगाबाद		औरंगाबाद
			22	जेडएसबी, जालना		जालना
			23	जेडएसबी, लातूर		लातूर
			24	जेडएसबी, बीड		बीड
			25	जेडएसबी, उस्मानाबाद		उस्मानाबाद
			26	जेडएसबी, परभणी नांदेड़		परभणी नांदेड़
			27	जेडएसबी, अमरावती		अमरावती
			28	जेडएसबी, अकोला		अकोला
			29	जेडएसबी, बुलडाना		बुलडाना
			30	जेडएसबी, यवतमाल		यवतमाल
			31	जेडएसबी, वर्धा		वर्धा
			32	जेडएसबी, वाशिम		वाशिम
			33	जेडएसबी, हिंगोली		हिंगोली

17	मणिपुर	2	1	जेडएसबी, चुराचांदपुर	16	चुराचांदपुर और फेरज़वाल (02)
			2	जेडएसबी इम्फाल		बिष्णुपुर, थौबल, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, सेनापति, उखरुल, चंदेल, तामेंगलॉंग, जिरीबाम, कांगपोकपी, काकचिंग, तेंगनौपाल, कामजोंग और नोनी (14 जिले)
18	मेघालय	2	1	जेडएसबी, शिलांग	12	पूर्वी खासी हिल्स जिला, (शिलांग), पश्चिम खासी हिल्स जिला, (नॉंगस्टोइन), दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिला, (मावकिरवाट), पूर्व पश्चिम खासी हिल्स जिला, (मैरांग), री-भोई जिला, (नॉंगपोह), पश्चिम जैन्तिया हिल्स, (जोवाई) और पूर्वी जयन्तिया हिल्स जिला, (खलीहरियाट)
			2	जेडएसबी, तुरा		पश्चिम गारो हिल्स जिला, (तुरा), दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिला, (अंपति), उत्तरी गारो हिल्स जिला, (रेसुबेलपारा), पूर्वी गारो हिल्स जिला, (विलियमनगर), दक्षिण गारो हिल्स जिला, (बाघमारा)
19	मिजोरम	4	1	जेडएसबी, आइजोल	11	आइजोल, सेरछिप, ममित, सैतुअल
			2	जेडएसबी, लुंगलेई		लुंगलेई, सियाहा, हनाथियाल और लॉन्गल्लाई
			3	जेडएसबी, चम्फाई		चम्फाई और ख्वाज़ावी
			4	जेडएसबी, कोलासिब		कोलासिब
20	नगालैंड	5	1	जेडएसबी, मोकोकचुंग	16	मोकोकचुंग, तुएनसांग, लॉगलेंग, शामतोर और नोकलाक (जिले)
			2	जेडएसबी, दीमापुर		दीमापुर, पेरेन, चुमौकेदिमा, न्यूलैंड और मोन (जिले)
			3	जेडएसबी, कोहिमा		कोहिमा, फेक, त्सेमिन्यु और किफिरे (जिले)
			4	जेडएसबी, वोखा		वोखा (जिला)
			5	ZSB, जुन्हेबोटो		जुन्हेबोटो (ज़िला)
21	ओडिशा	8	1	जेडएसबी, कटक	30	कटक, जगतसिंहपुर, जयपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़ और पुरी
			2	जेडएसबी, गंजम		गंजम और गजपति
			3	जेडएसबी, बालासोर		बालासोर, भद्रक और मयूरभंज
			4	जेडएसबी, ढेंकनाल		अंगुल और ढेंकनाल

			5	जेडएसबी, क्यौंझर		क्यौंझर
			6	जेडएसबी, संबलपुर		संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, देवगढ़, बलांगीर, सुबामापुर और सुंदरगढ़
			7	जेडएसबी, कालाहांडी		कालाहांडी, बौध, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और कंधमाल
			8	जेडएसबी, कोरापुट		कोरापुट, रायगढ़ा और मल्कानगिरी
22	पंजाब	22	1	जेडएसबी, अमृतसर	23	अमृतसर
			2	जेडएसबी, बठिंडा		बठिंडा
			3	जेडएसबी, फरीदकोट		फरीदकोट
			4	जेडएसबी, फिरोजपुर		फिरोजपुर
			5	जेडएसबी, गुरदासपुर		गुरदासपुर
			6	जेडएसबी, होशियारपुर		होशियारपुर
			7	जेडएसबी, जालंधर		जालंधर
			8	जेडएसबी, कपूरथला		कपूरथला
			9	जेडएसबी, लुधियाना		लुधियाना
			10	जेडएसबी, पटियाला		पटियाला
			11	जेडएसबी, रूपनगर		रूपनगर
			12	जेडएसबी, संगरूर		संगरूर और मलेरकोटला
			13	जेडएसबी, श्री मुक्तसर साहिब		श्री मुक्तसर साहिब
			14	जेडएसबी, एसबीएस नगर		एसबीएस नगर
			15	जेडएसबी, मानसा		मानसा
			16	जेडएसबी, मोगा		मोगा
			17	जेडएसबी, फतेहगढ़ साहिब		फतेहगढ़ साहिब
			18	जेडएसबी, मोहाली		मोहाली
			19	जेडएसबी, बरनाला		बरनाला
			20	जेडएसबी, तरनतारन		तरनतारन
			21	जेडएसबी, पठानकोट		पठानकोट
			22	जेडएसबी, फाजिल्का		फाजिल्का
23	राजस्थान	25	1	जेडएसबी, अजमेर	41	अजमेर
			2	जेडएसबी, अलवर		अलवर और खैरथल - तिजारा
			3	जेडएसबी, बहरोड़		कोटपूतली - बहरोड़
			4	जेडएसबी, भीलवाड़ा		भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़
			5	जेडएसबी, बाड़मेर		बाड़मेर, बालोतरा और जालौर
			6	जेडएसबी, भरतपुर		भरतपुर, डीग और धौलपुर
			7	जेडएसबी, बीकानेर		बीकानेर
			8	जेडएसबी, भीम		राजसमंद
			9	जेडएसबी, चुरू		चुरू
			10	जेडएसबी, जयपुर		जयपुर और दौसा

			11	जेडएसबी, जैसलमेर		जैसलमेर
			12	जेडएसबी, झुंझुनू		झुंझुनू (तहसीलें झुंझुनू, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, गुढ़ागौड़जी, मलसीसर और मंडावा)
			13	जेडएसबी, चिरावा		झुंझुनू (तहसीलें चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी)
			14	जेडएसबी, जोधपुर		जोधपुर
			15	जेडएसबी, शेरगढ़		फलौदी
			16	जेडएसबी, कोटा		कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़
			17	जेडएसबी, नागौर		नागौर
			18	जेडएसबी, डीडवाना		डीडवाना - कुचामन
			19	जेडएसबी, पाली		पाली, ब्यावर और सिरोही
			20	जेडएसबी, करुली		करौली और सवाईमाधोपुर
			21	जेडएसबी, सीकर		सीकर जिले की तहसील:- सीकर, धोद, रामगढ़, शेकावाटी, लक्ष्मणगढ़, फ़तेहपुर, दांतारामगढ़
			22	जेडएसबी, नीमकाथाना		सीकर जिले की तहसीलें :- नीमकाथाना, कंडेला, श्रीमाधोपुर
			23	जेडएसबी, टोंक		टोंक
			24	जेडएसबी, श्री गंगानगर		श्री गंगानगर और हनुमानगढ़
			25	जेडएसबी, उदयपुर		उदयपुर, सलूम्बर, झूंगरपुर, बासवाड़ा और प्रतापगढ़
24	सिक्किम	3	1	जेडएसबी, गंगटोक पूर्व/उत्तरी सिक्किम	6	गंगटोक, मंगन और पाकयोंग
			2	जेडएसबी, दक्षिण सिक्किम		नामची
			3	जेडएसबी, पश्चिम सिक्किम		गेजिंग और सोरेंग
25	तमिलनाडु	30	1	जेडएसबी, अरियालुर	38	अरियालुर, पेरम्बलुर
			2	जेडएसबी, चेन्नई		चेन्नई
			3	जेडएसबी, कोयंबटूर		कोयंबटूर,
			4	जेडएसबी, कुड्डालोर		कुड्डालोर
			5	जेडएसबी, धर्मपुरी		धर्मपुरी
			6	जेडएसबी, डिंडीगुल		डिंडीगुल
			7	जेडएसबी, इरोड		इरोड
			8	जेडएसबी, कांचीपुरम		कांचीपुरम, चेंगलपट्टूर
			9	जेडएसबी, कन्याकुमारी		कन्याकुमारी
			10	जेडएसबी, कृष्णागिरि		कृष्णागिरि
			11	जेडएसबी, मदुरै		मदुरै
			12	जेडएसबी, नागपट्टिनम		नागपट्टिनम, मयिलादुथुरल,

			13	जेडएसबी, नमक्कल		नमक्कल
			14	जेडएसबी, पुडुकोट्टई		पुडुकोट्टई
			15	जेडएसबी, रामनाथपुरम		रामनाथपुरम
			16	जेडएसबी, सेलम		सेलम
			17	जेडएसबी, शिवगंगा		शिवगंगई
			18	जेडएसबी, तंजावुर		तंजावुर
			19	जेडएसबी, नीलगिरी		नीलगिरी
			20	जेडएसबी, थेनी		तब में
			21	जेडएसबी, थूथुकुडी		Thoothukudi
			22	जेडएसबी, तिरुचिरापल्ली		तिरुचिरापल्ली, करूर
			23	जेडएसबी, तिरुनेलवेली		तिरुनेलवेली, तेनकासी
			24	जेडएसबी, तिरुप्पुर		तिरुपूर
			25	जेडएसबी, तिरुवल्लूर		तिरुवल्लूर
			26	जेडएसबी, तिरुवरुर		तिरुवरुर
			27	जेडएसबी, तिरुवन्नामलाई		तिरुवन्नामलाई
			28	जेडएसबी, वेल्लोर		वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपत्तूर
			29	जेडएसबी, विल्लुपुरम		विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची
			30	जेडएसबी, विरुधुनगर		विरुधुनगर
26	त्रिपुरा	0	-	कोई ZSB नहीं है। RSB त्रिपुरा सभी 08 जिलों की देखभाल कर रहा है।		
27	तेलंगाना	10	1	जेडएसबी, आदिलाबाद	33	आदिलाबाद, आसिफाबाद, मनचेरियाल और निर्मल
			2	जेडएसबी, हैदराबाद		हैदराबाद
			3	जेडएसबी, करीमनगर		करीमनगर, पेडापल्ली, जगितिला और सिरिसिला (राजन्ना)
			4	जेडएसबी, खम्मम		खम्मम, कोठागुडेम
			5	जेडएसबी, महबूबनगर		महबूबनगर, गडवाल, नगरकुर्नूल, नारायणपेट और वानरपट्टी
			6	जेडएसबी, संगारेड्डी		संगारेड्डी, मेडक और सिद्दीपेट
			7	जेडएसबी, नलगोंडा		नलगोंडा, सूर्यपेट और यदाद्री
			8	जेडएसबी, निजामाबाद		निजामाबाद और कामारेड्डी
			9	जेडएसबी, रंगा रेड्डी		रंगारेड्डी, मेडचल (मलकजगिरी) और विकाराबाद
			10	जेडएसबी, वारंगल		वारंगल (शहरी), वारंगल (ग्रामीण), महबुबाबाद, भूपालपल्ली, जनगांव और मुलुगु
28	उत्तराखंड	16	1	जेडएसबी, अल्मोड़ा	13	अल्मोड़ा
			2	जेडएसबी, बागेश्वर		बागेश्वर
			3	जेडएसबी, चमोली		चमोली

			4	जेडएसबी, चंपावत		चम्पावत
			5	जेडएसबी, देहरादून		
			6	जेडएसबी, हरबर्टपुर (देहरादून)		देहरादून
			7	जेडएसबी, हरिद्वार		हरिद्वार
			8	जेडएसबी, हल्द्वानी (नैनीताल)		नैनीताल
			9	जेडएसबी, पौड़ी		
			10	जेडएसबी, लैंसडाउन (पौड़ी गढ़वाल)		पौड़ी गढ़वाल
			11	जेडएसबी, पिथौरागढ़		
			12	जेडएसबी, दीदीहाट (पिथौरागढ़)		पिथौरागढ़
			13	जेडएसबी, रुद्रप्रयाग		रुद्रप्रयाग
			14	जेडएसबी, नई टिहरी		टिहरी गढ़वाल
			15	जेडएसबी, रुद्रपुर (यूएस नगर)		उधम सिंह नगर
			16	जेडएसबी, उत्तरकाशी		उत्तरकाशी
29	उत्तर प्रदेश	75	1	जेडएसबी, आगरा	75	आगरा
			2	जेडएसबी, अलीगढ़		अलीगढ़
			3	जेडएसबी, प्रयागराज		प्रयागराज
			4	जेडएसबी, अंबेडकर नगर		अंबेडकर नगर
			5	जेडएसबी, अमेठी		अमेठी
			6	जेडएसबी, अमरोहा		अमरोहा
			7	जेडएसबी, औरैया		औरैया
			8	जेडएसबी, आजमगढ़		आजमगढ़
			9	जेडएसबी, बदायूं		बदायूं
			10	जेडएसबी, बडोही		बडोही
			11	जेडएसबी, बागपत		बागपत
			12	जेडएसबी, बहराइच		बहराइच
			13	जेडएसबी, बिजनौर		बिजनौर
			14	जेडएसबी, बलिया		बलिया
			15	जेडएसबी, बलरामपुर		बलरामपुर
			16	जेडएसबी, बाँदा		बाँदा
			17	जेडएसबी, बाराबंकी		बाराबंकी
			18	जेडएसबी, बरेली		बरेली
			19	जेडएसबी, बस्ती		बस्ती
			20	जेडएसबी, बुलंदशहर		बुलंदशहर
			21	जेडएसबी, चंदौली		चंदौली
			22	जेडएसबी, चित्रकूट		चित्रकूट
			23	जेडएसबी, देवरिया		देवरिया
			24	जेडएसबी, एटा		एटा
			25	जेडएसबी, इटावा		इटावा
			26	जेडएसबी, अयोध्या		अयोध्या
			27	जेडएसबी, फर्रुखाबाद		फर्रुखाबाद
			28	जेडएसबी, फतेहपुर		फतेहपुर
			29	जेडएसबी, फिरोजाबाद		फिरोजाबाद

			30	जेडएसबी, गौतमबुद्ध नगर		गौतमबुद्ध नगर
			31	जेडएसबी, गाजियाबाद		गाजियाबाद
			32	जेडएसबी, गाजीपुर		गाजीपुर
			33	जेडएसबी, गोंडा		गोंडा
			34	जेडएसबी, गोरखपुर		गोरखपुर
			35	जेडएसबी, हमीरपुर		हमीरपुर
			36	जेडएसबी, हापुड़		हापुड़
			37	जेडएसबी, हरदोई		हरदोई
		75	38	जेडएसबी, हाथरस	75	हाथरस
			39	जेडएसबी, जालौन		जालौन
			40	जेडएसबी, जौनपुर		जौनपुर
			41	जेडएसबी, झांसी		झांसी
			42	जेडएसबी, कन्नौज		कन्नौज
			43	जेडएसबी, कानपुर नगर		कानपुर नगर
			44	जेडएसबी, कानपुर देहात		कानपुर देहात
			45	जेडएसबी, कासगंज		कासगंज
			46	जेडएसबी, कौशाम्बी		कौशाम्बी
			47	जेडएसबी, खेरी		खेरी
			48	जेडएसबी, कुशीनगर		कुशीनगर
			49	जेडएसबी, ललितपुर		Lalitpur
			50	जेडएसबी, लखनऊ		लखनऊ
			51	जेडएसबी, महाराजगंज		महाराजगंज
			52	जेडएसबी, महोबा		महोबा
			53	जेडएसबी, मैनपुरी		मैनपुरी
			54	जेडएसबी, मथुरा		मथुरा
			55	जेडएसबी, मऊ		मऊ
			56	जेडएसबी, मेरठ		मेरठ
			57	जेडएसबी, मिर्जापुर		मिर्जापुर
			58	जेडएसबी, मुरादाबाद		मुरादाबाद
			59	जेडएसबी, मुजफ्फरनगर		मुजफ्फरनगर
			60	जेडएसबी, पीलीभीत		पीलीभीत
			61	जेडएसबी, प्रतापगढ़		प्रतापगढ़
			62	जेडएसबी, रामपुर		रामपुर
			63	जेडएसबी, रायबरेली		रायबरेली
			64	जेडएसबी, संत कबीर नगर		संत कबीर नगर
			65	जेडएसबी, सहारनपुर		सहारनपुर
			66	जेडएसबी, शामली		शामली
			67	जेडएसबी, शाहजहांपुर		शाहजहांपुर
			68	जेडएसबी, सिद्धार्थ नगर		सिद्धार्थ नगर
			69	जेडएसबी, सीतापुर		सीतापुर
			70	जेडएसबी, सोनभद्र		सोनभद्र
			71	जेडएसबी, श्रावस्ती		श्रावस्ती

			72	जेडएसबी, सुल्तानपुर		सुल्तानपुर
			73	जेडएसबी, उन्नाव		उन्नाव
			74	जेडएसबी, वाराणसी		वाराणसी
			75	जेडएसबी, संभल		संभल
30	पश्चिम बंगाल	14	1	जेडएसबी, कोलकाता	23	कोलकाता
			2	जेडएसबी, हावड़ा		हावड़ा, हुगली
			3	ZSB, 24 पृष्ठ (N)		24 पृष्ठ (एन)
			4	ZSB, 24 पृष्ठ (S)		24 पृष्ठ (एस)
			5	जेडएसबी, मिदनापुर		मिदनापुर (पूर्व), मिदनापुर (पश्चिम), बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम
			6	जेडएसबी, बर्दवान		पश्चिम बर्दवान, पूर्व बर्दवान और बीरभूम
			7	जेडएसबी, मुर्शिदाबाद		मुर्शिदाबाद
			8	जेडएसबी, मालदा		मालदा
			9	जेडएसबी, डी/दिनाजपुर		डी/दिनाजपुर और यू/दिनाजपुर
			10	जेडएसबी, जलपाईगुड़ी		जलपाईगुड़ी
			11	जेडएसबी, कूचबिहार		कूचबिहार, अलीपुर द्वार
			12	जेडएसबी, दार्जिलिंग		दार्जिलिंग
			13	जेडएसबी, नादिया		नादिया
			14	जेडएसबी, कलिम्पोंग		कलिम्पोंग
31	अंडमान और निकोबार	0	-	कोई ZSB नहीं। RSB A & N सभी 03 जिलों की देखभाल कर रहा है।		
32	चंडीगढ़	0	-	जेडएसबी चंडीगढ़ पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की देखभाल कर रहा है।		
33	पुदुचेरी	0	-	कोई ZSB नहीं। RSB पुदुचेरी सभी 04 जिलों की देखभाल करता है।		
34	लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)	2	1	जेडएसबी, लेह	2	लेह
			2	जेडएसबी, कारगिल		कारगिल
	कुल	431			775	

अध्याय -2

सशस्त्र सेना झंडा दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

2.1 जुलाई 1948 में रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट समिति के निर्देशानुसार, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करने और सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन सभी नागरिकों के लिए भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने वाले सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है।

2.2 सशस्त्र सेना झंडा दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है

- (क) सशस्त्र बलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- (ख) सशस्त्र बलों के कर्मियों का समर्थन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जनता को प्रोत्साहित करें।
- (ग) ईएसएम के कल्याण के लिए धन जुटाना।

2.3 झंडा दिवस सशस्त्र सेना ध्वज/बैज पहनकर मनाया जाता है। ये ध्वज/बैज देश के प्रमुख नेतृत्व पर लगाए जाते हैं और आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराए जाते हैं।



सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF)

2.4 **मूल** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) की स्थापना चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 (1890 में से 6) की धारा 4 के तहत की गई थी। दिनांक 20 जुलाई 1962 और एसआरओ 180 दिनांक 18 मई 1963।

2.5 1993 में, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या एसआरओ-7ई दिनांक 13 अप्रैल 93 के तहत निम्नलिखित निधियों को "सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि" में समाहित कर दिया: -

- (क) एकीकृतयुद्ध-शोकग्रस्त, युद्ध-विकलांग और अन्य ईएसएम के लिए विशेष निधि।
- (ख) झंडा दिवस फंड
- (ग) अनुसूचित जनजाति।डंस्टन (भारत) और केंद्रीय सैनिक बोर्ड फंड।
- (घ) भारतीयगोरखा पूर्व सैनिक कल्याण कोष।

2.6 **एएफएफडीएफ के उद्देश्य** इस निधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: -

- (क) किसी भी सामूहिक या व्यक्तिगत योजना को बढ़ावा देने के लिए व्यय को मंजूरी देना ईएसएम, विधवाओं और आश्रितों के लिए रोजगार, स्वरोजगार या प्रशिक्षण।
- (ख) पूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना। चिकित्सा उपचार, कल्याण और पुनर्वास सहित उनकी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से।
- (ग) संस्थानों/संगठनों को ईएसएम/आश्रितों और ऐसे संस्थानों में रहने वालों के रख-रखाव और किसी भी व्यय के लिए सहायता प्रदान करना।
- (घ) ऐसे सभी अन्य वैध कार्य करना जो निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।

एएफएफडीएफ का प्रबंधन

2.7 **प्रबंधन समिति** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) का नियंत्रण एक 'प्रबंध समिति' द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष केंद्र में माननीय रक्षा मंत्री और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल/उपराज्यपाल होते हैं। यह प्रबंध समिति (एमसी) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटन हेतु नीतियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित करती है। इन निधियों का प्रबंधन, लेखा-परीक्षा और लेखा-जोखा समय-समय पर किया जाता है।

2.8 **कार्यकारी समिति** एएफएफडी फंड की कार्यकारी समिति (ईसी) की नियुक्ति एएफएफडी फंड की प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से की जाएगी। वर्तमान में, सचिव ईएसडब्ल्यू ईसी के अध्यक्ष हैं।

एएफएफडी फंड में योगदान

2.9 कोई भी व्यक्ति/संगठन AFFDF में योगदान दे सकता है। तदनुसार, AFFDF में योगदान निम्नानुसार प्राप्त होते हैं: -

- (क) भारत सरकार और रक्षा सेवाओं से सहायता।
- (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मार्ग के माध्यम से निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से योगदान।
- (ग) प्रत्यक्ष योगदान अन्य संगठन/व्यक्तिगत नागरिक।
- (घ) राज्यों से प्राप्त हिस्सा (प्रति राज्य नागरिक एक पैसा) यह हिस्सा है आरएसबी द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी तक केएसबी सचिवालय में जमा किया जाना है।

2.10 **धन जुटाने के प्रयास.** केएसबी सचिवालय में, पूरे वर्ष सार्वजनिक/निजी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से दान के माध्यम से धन जुटाने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र सेना झंडा दिवस (7 दिसंबर) पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और जनता से धन जुटाने के प्रयास किए जाते हैं। डिजिटल रूप से डिज़ाइन किए गए टोकन झंडे समर्पित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। www.affdf.gov.in जिसे गर्व से छापा और पहना जा सकता है। व्यक्ति KSB वेबसाइट और AFFDF वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी योगदान दे सकते हैं।

2.11 **AFFDF में प्राप्त अंशदान पर आयकर छूट** एएफएफडीएफ को दिए गए दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(सी)(IV) और 80(जी)(5)(VI) के तहत आयकर से मुक्त हैं।

2.12 **एएफएफडीएफ में सीएसआर योगदान.**

(क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों में संलग्न होना अनिवार्य है। 'सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय' कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद (vi) के अंतर्गत आते हैं।

(ख) 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष' पहले से ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ 'सीएसआर गतिविधियों के लिए संस्था' के रूप में पंजीकृत है, जिसका सीएसआर-1 पंजीकरण संख्या CSR00011199 है।

(ग) एएफएफडीएफ में योगदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (5) (vi) के तहत आयकर से छूट दी गई है, पत्र संख्या एनक्यूडीआईटी (ई) । 2010-11/डीईएल-ईई 22280-04012011/2186 दिनांक 04 जनवरी 2011 के अनुसार, जिसे आयकर विभाग आईडी संख्या AACTA0965GA2021401 दिनांक 31 मई 2021 के अनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तक बढ़ाया गया है।

(घ) **सीएसआर कॉन्क्लेव** ईएसएम कल्याण के महान कार्य में भाग लेने के लिए कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, केएसबी सचिवालय द्वारा समय-समय पर सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है, जिसमें एएफएफडीएफ में प्रमुख सीएसआर योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है।

अध्याय – 3

AFFDF के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएँ

व्यक्तियों की वित्तीय सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

एएफएफडीएफ के माध्यम से वित्तपोषित 10 वित्तीय सहायता योजनाएँ हैं, जिन्हें वर्तमान में पूर्व सैनिक तक विस्तारित किया जा रहा है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना विवरण
(क)	गरीबी में जी रहे गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के हवलदार/समकक्ष पद तक के व्यक्ति, या उनकी विधवा को वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'डी'
(ख)	हवलदार/समकक्ष पद तक के पूर्व सैनिक के बच्चों/विधवा/आश्रित अनाथों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'ई'
(ग)	जेसीओ/समकक्ष पद तक ईएसएम के 100% विकलांग बच्चे को वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'एफ'
(घ)	ईएसएम की पुत्री (दो पुत्रियों तक) के विवाह तथा हवलदार/समकक्ष पद तक के ईएसएम की विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'जी'
(ङ)	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवा को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता (हवलदार/समकक्ष पद तक)।	परिशिष्ट 'एच'
(च)	ईएसएम (सभी रैंक) के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'जे'
(छ)	पूर्व सैनिक की विधवाओं को हवलदार/समकक्ष पद तक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'के'
(ज)	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम (सभी रैंक)/विधवाओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'एल'
(झ)	दिव्यांग ईएसएम (सभी रैंक) के लिए गतिशीलता उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'एम'
(ञ)	युद्ध विधवा/युद्ध शोक संतप्त/युद्ध विकलांग ईएसएम तथा शांति काल में हताहत हुए ईएसएम (सभी रैंक) को गृह ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता।	परिशिष्ट 'एन'

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निर्देश

3.1 वित्तीय सहायता के पंजीकरण, आवेदन, प्रसंस्करण और वितरण की पूरी प्रक्रिया केएसबी वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है।

3.2 पूर्व सैनिक द्वारा पंजीकरण ईएसएम को केएसबी वेब पोर्टल पर निम्नानुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है: -

(क) पूर्व सैनिक को एक सक्रिय ई-मेल आईडी का उपयोग करना होगा (यदि आपके पास पंजीकृत ईमेल पता नहीं है तो नया बनाएं) और मोबाइल नंबर। भविष्य में सभी पत्राचार केवल पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही किया जाएगा।

(ख) पूर्व सैनिक को पंजीकरण फार्म पर सभी विवरण भरने होंगे।

(ग) पूर्व सैनिक को पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक सत्यापन लिंक भेजा जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।

(घ) पूर्व सैनिक को ई-मेल पर सिस्टम जनरेटेड यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

(ङ) लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, ईएसएम केएसबी वेब पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और सूचीबद्ध योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.3 किसी योजना के लिए आवेदन करना सफल पंजीकरण के परिणामस्वरूप, पात्र ईएसएम निम्नानुसार केएसबी की कल्याणकारी योजना(ओं) के लिए आवेदन कर सकते हैं: -

(क) केएसबी वेबसाइट पर 'कल्याण' टैब पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू से संबंधित योजना का चयन करें और ऑनस्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

(ख) ऑनलाइन फॉर्म भरें और प्रत्येक योजना के लिए आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि/पीडीएफ अपलोड करें।

(ग) योजना प्रपत्र जमा करने पर, आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित ZSB के लॉगिन खाते पर उपलब्ध होगा। यदि आवश्यक हो, तो ZSB आवेदक/आवेदकों से सत्यापन हेतु संबंधित दस्तावेजों के साथ ZSB कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा। ZSB पंजीकृत ईमेल/एसएमएस (पंजीकृत मोबाइल नंबर पर) के माध्यम से इस यात्रा के लिए उपयुक्त समय और तिथि की सूचना देगा।

3.4 जिम्मेदारी आवेदन की शुद्धता का ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए डाटा की सत्यता के लिए आवेदक पूर्व-सैनिक स्वयं पूरी तरह उत्तरदायी होगा। किसी गैर-पात्र योजना के लिए आवेदन करना, दोहरा लाभ प्राप्त करना, या धोखाधड़ी/अधूरे दस्तावेज अपलोड करना, आवेदक को अयोग्य घोषित कर सकता है और भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर सकता है, साथ ही उसका पूर्व-सैनिक पहचान पत्र भी रद्द किया जा सकता है।

3.5 अपलोड किए गए आवेदन को संपादित/संशोधित करना

(क) ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक द्वारा उसमें संपादन/संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले आवेदक को सभी डाटा/दस्तावेजों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।

(ख) यदि किसी आवेदक को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अपलोड किए गए आवेदन को संपादित करने की आवश्यकता हो, तो वह अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपने ZSB के माध्यम से KSB {कल्याण एवं स्वचालन अनुभाग (KSB वेबसाइट हेल्पलाइन)} को व्यक्तिगत विवरण, ऑनलाइन आवेदन संख्या और संक्षिप्त कारणों सहित एक ईमेल अनुरोध भेज सकता है। यदि कारण उचित पाए जाते हैं, तो आवेदन को 'अवलोकनाधीन' रखा जा सकता है और आवेदक के डैशबोर्ड पर वापस भेजा जा सकता है। इसके बाद आवेदक 30 दिनों के भीतर आवेदन को सही ढंग से भर सकता है।

(ग) ऑनलाइन आवेदन केवल तब तक वापस किया जा सकता है जब तक आवेदन प्रक्रियाधीन/लंबित है। केएसबी प्रशासन द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद कोई संशोधन/संपादन संभव नहीं है।

(घ) यदि आवेदक निर्धारित अवधि (30 दिन) के भीतर संशोधन/संपादन के बाद पुनः आवेदन करने में विफल रहता है, तो सिस्टम द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ङ) जेडएसबी और केएसबी सचिवालय (कल्याण/स्वचालन अनुभाग) को लिखित बनाए रखें ऐसे संशोधनों से संबंधित पत्राचार के अभिलेख/प्रमाण।

(च) जेडएसबी/आरएसबी/केएसबी सचिवालय कार्यालय का कोई भी स्टाफ सदस्य अपलोड किए गए आवेदन के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन/संपादन करने के लिए अधिकृत नहीं है।

3.6 **आवेदनों का ऑनलाइन प्रसंस्करण** ऑनलाइन आवेदन की जांच विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार की जाएगी (नीचे पैरा 3.15 में उल्लिखित अधिकतम अवधि के भीतर): -

- (क) ZSB उपयोगकर्ता ZSB कर्मचारियों द्वारा जांच
- (ख) ZSB एडमिन जेडएसडब्ल्यूओ की सिफारिश.
- (ग) आरएसबी उपयोगकर्ता आरएसबी स्टाफ द्वारा जांच।
- (घ) आरएसबी एडमिन आरएसबी के निदेशक की सिफारिश।
- (ङ) केएसबी उपयोगकर्ता कल्याण अनुभाग, केएसबी सचिवालय द्वारा जांच।
- (च) केएसबी एडमिन अनुमोदन।

3.7 **राज्य स्तर पर आवेदनों का सत्यापन/प्रसंस्करण.** जेडएसबी और आरएसबी कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन को स्वतंत्र रूप से सत्यापित/प्रक्रिया करेंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है: -

(क) **ZSB द्वारा कार्रवाई.** ZSB उपयोगकर्ता और व्यवस्थापक को प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जाँच और सत्यापन ESM द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करना होगा। ZSB को मूल दस्तावेजों के साथ ZSWO में रिपोर्ट करने की तिथि के बारे में ESM को सूचित करना होगा। चिकित्सा उपचार और गंभीर रोगों की योजनाओं के मामले में, मूल बिलों को दावा स्वीकृत होने तक ZSB की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। RSB को केवल सही, पूर्ण और सत्यापित आवेदनों की अनुशंसा करना ZSWO व्यवस्थापक की प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी। गलत/अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को अवलोकन के लिए रखा जा सकता है या आवश्यकतानुसार अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ZSWO को किसी भी गलत आवेदन को उच्च स्तर पर अनुशंसित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(ख) **आरएसबी द्वारा कार्रवाई** आरएसबी उपयोगकर्ता और व्यवस्थापक को आवेदनों की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा केएसबी को सिफारिश करने और अग्रेषित करने से पहले प्रत्येक आवेदन की पूरी जांच करनी चाहिए।

(ग) **ZSB और RSB द्वारा सामान्य क्रियाएँ/जाँच.**

- (i) जाँच करें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्णतः सही है या नहीं और सही ढंग से भरा गया है।
- (ii) संबंधित कल्याणकारी योजना के लिए निर्धारित सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई जालसाजी या छेड़छाड़ नहीं की गई है।

(iii) आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन ZSB द्वारा मूल दस्तावेजों से किया जाना है।

(iv) आवेदक को पात्र वास्तविक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, जिसका ZSB में रखे गए रिकॉर्ड और ZSB द्वारा सत्यापित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थन किया गया हो।

(v) ऑनलाइन आवेदन प्रासंगिक कल्याणकारी योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

(vi) प्रक्रियाधीन आवेदन, एक ही व्यक्ति के लिए पात्रता के नियमों के अनुसार, समान अवधि के लिए दोहरा दावा नहीं माना जाएगा।

(vii) गलत/अधूरे/असत्यापित आवेदनों को 'अवलोकनाधीन' रखा जाएगा, जिन्हें 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदक के ऑनलाइन डैशबोर्ड पर वापस भेज दिया जाएगा। यदि आवेदक 30 दिनों के भीतर पुनः आवेदन जमा नहीं करता है, तो सिस्टम द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(viii) आवेदन को अवलोकन या अस्वीकृति के लिए रखे जाने के कारणों का उल्लेख सरल और कार्रवाई योग्य शब्दों में टिप्पणी बॉक्स में किया जाना चाहिए, ताकि सिस्टम द्वारा आवेदक को सूचित किया जा सके।

(ix) अयोग्य/गलत आवेदन, जिन्हें सुधारा न जा सके, अस्वीकार कर दिए जाने चाहिए।

(x) **मूल बिलों का प्रतिधारण** 'चिकित्सा उपचार' और 'गंभीर बीमारियों' की योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी मूल बिल ZSB में सुरक्षित रखे जाएंगे और रसीद ESM आवेदक को दी जाएगी। आवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त होने के बाद, ZSB मूल बिलों को 'KSB द्वारा भुगतान' के रूप में पृष्ठांकित करते हुए वापस कर देगा। सभी रसीदों और ESM को सहायक दस्तावेजों की वापसी का रिकॉर्ड रखा जाना है।

(घ) जेडएसबी/आरएसबी/केएसबी द्वारा अनुशंसा/अवलोकन/अनुमोदन/अस्वीकृति की प्रत्येक घटना की सूचना स्वचालित रूप से सिस्टम द्वारा उत्पन्न ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से ईएसएम को दी जाती है।

3.8 **स्वीकृत राशि का अनुमोदन** यद्यपि कुछ योजनाओं में वित्तीय सहायता की राशि निश्चित होती है, फिर भी नीचे उल्लिखित योजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता राशि आवेदक द्वारा किए गए वास्तविक व्यय और संबंधित बिलों की प्रस्तुति पर निर्भर करती है। ऑनलाइन आवेदन की जाँच के बाद, ZSB और RSB को आवेदन की अनुशंसा करते समय टिप्पणी बॉक्स में इस राशि का समर्थन करना होगा: -

(क) पूर्व सैनिक की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) दिव्यांग ईएसएम (सभी रैंक) के लिए गतिशीलता उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) गैर-पेंशनभोगी ईएसएम को वित्तीय सहायता **चिकित्सा उपचार** (हवलदार/समकक्ष पद तक)।

(घ) गैर पेंशनभोगी ईएसएम (सभी रैंक)/विधवाओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

(ङ) युद्ध विधवा/युद्ध शोक संतप्त/युद्ध विकलांग तथा शांति काल में हताहत हुए सैनिकों (सभी रैंक) को गृह ऋण पर 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

केएसबी सचिवालय द्वारा कार्रवाई

3.9 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर, केएसबी सचिवालय को यह सुनिश्चित करना होगा: -

(क) सभी आवेदनों की पुष्टि से पहले प्रत्येक आवेदन के डाटा को सारणीबद्ध रूप में भरकर उनकी सामूहिक जांच करना।

(ख) प्रत्येक आवेदक को वित्तीय सहायता राशि का आवंटन।

(ग) सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार करना।

(घ) सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने के लिए प्रक्रियाधीन लाभार्थियों की सूची का मामला सारांश तैयार करना।

3.10 **सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति** योजना के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राथमिकता के आधार पर ली जानी चाहिए।

3.11 **एनईएफटी के माध्यम से स्वीकृत राशि का वितरण और जमा** कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भुगतान का वितरण केएसबी सचिवालय द्वारा उपलब्धता निधि/बजट के अधीन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवेदक के बैंक खाते में सीधे एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण - डीबीटी)।

(ख) यदि धन की उपलब्धता के संबंध में लंबित भुगतान के साथ बड़ी संख्या में स्वीकृत आवेदन हैं, तो भुगतान की प्राथमिकता ईएसएम द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि पर आधारित होगी।

(ग) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत गलत खाता विवरण के कारण बैंक लेनदेन विफल हो जाता है, तो भुगतान तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि सही विवरण ZSWO के माध्यम से पुनः प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता और सत्यापित नहीं कर लिया जाता।

3.12 **असफल लेनदेन के कारण भुगतान न की गई वित्तीय सहायता का पुनः जारीकरण (आरआई).**

(क) लाभार्थियों के एनईएफटी लेनदेन विफल होने की स्थिति में, इसकी सूचना केएसबी वेब पोर्टल पर संबंधित आवेदक की ऑनलाइन स्थिति में दी जाएगी। आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर (एसएमएस द्वारा) और ईमेल पर सिस्टम जनरेटेड अपडेट भी प्राप्त होगा।

(ख) ऐसे सभी आवेदकजिनके लेन-देन विफल हो गए हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र भेजना है, जो व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो तथा संबंधित ZSWO द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो:

(i) पुनः सत्यापित बैंक के खाते का विवरण (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(ii) आधार कार्ड का प्रतिलिपि।

(iii) आवेदक द्वारा पुनः जारी (आरआई) स्थिति की पुष्टि के लिए प्राप्त सिस्टम जनरेटेड ई-मेल की प्रति।

(ग) ऐसे असफल लेनदेन के लिए कार्रवाई निम्नानुसार होगी: -

(i) **जिला सैनिक बोर्ड** आरआई केस ईएसएम को उनके नए बैंक विवरण भेजने के लिए सूचित करें।

(ii) **केएसबी सचिवालय** सचिव, केएसबी द्वारा विधिवत स्वीकृत भुगतान के लिए नए बैंक विवरण के अनुसार आरआई मामलों को पुनः संसाधित करना।

3.13 **आवेदन की स्थिति** आवेदक केएसबी वेबसाइट पर अपने उपयोगकर्ता खाते में अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। जेडएसबी/आरएसबी/केएसबी स्तर पर कार्रवाई के प्रत्येक चरण पर सिस्टम द्वारा जनरेटेड ईमेल/एसएमएस द्वारा भी स्थिति भेजी जाती है। आवेदकों को समय-समय पर अपने उपयोगकर्ता खाते की जाँच करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे कोई भी महत्वपूर्ण सूचना/कार्रवाई न चूकें, अन्यथा आवेदन 'अस्वीकृत' हो जाएगा।

3.14 **आवेदनों के प्रसंस्करण की अधिकतम अवधि** किसी विशेष योजना के लिए सफलतापूर्वक अपलोड किए गए आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक चरण में अधिकतम अवधि निम्नानुसार है: -

(क) **ZSB स्तर** आवेदन जमा करने की तिथि से सात (07) कार्यदिवसों के भीतर। इन सात (07) कार्यदिवसों के भीतर, ZSB आवेदक को (टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से) सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट तिथि पर ZSB में उपस्थित होने के लिए बुला सकता है। आवेदक निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद सुविधानुसार ZSB में आ सकता है। ZSB द्वारा सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि और आवेदक द्वारा वास्तविक रिपोर्टिंग के बीच के समय को आवेदन पर कार्रवाई के लिए ZSB को उपलब्ध इन 07 दिनों में से घटा दिया जाएगा।

(ख) **आरएसबी स्तर** आरएसबी (उपयोगकर्ता और व्यवस्थापक) को आरएसबी उपयोगकर्ता को प्राप्ति की तारीख से 14 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई करनी होगी।

(ग) **केएसबी** आवेदन प्राप्त होते ही केएसबी में कार्यवाही तुरंत की जानी है। बजट और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, स्वीकृति प्रदान की जानी है और लाभार्थी को राशि का वितरण किया जाना है।

गरीबी में जी रहे पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता

1. **पृष्ठभूमि.**

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	1981	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/उनकी विधवाओं के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दो वर्ष की अवधि के लिए 100 रुपये प्रति माह की धनराशि शुरू की गई।
(ख)	2007	दो वर्षों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह तथा 70/75 वर्ष की आयु पर 30,000 रुपये का अतिरिक्त एकमुश्त अनुदान।
(ग)	अक्टूबर 2011	प्रति लाभार्थी आजीवन 1,000/- रुपये प्रति माह।
(घ)	01 अप्रैल 2017	प्रति लाभार्थी को आजीवन 4,000 रुपये प्रति माह।

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य हवलदार/समकक्ष रैंक तक के निराश्रित गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राहत प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता** गरीबी में जी रहे पूर्व सैनिक को आजीवन 4,000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **पात्रता की शर्तें.**

- (क) आवेदक गैर-पेंशनभोगी ईएसएम या उसकी विधवा होना चाहिए।
- (ख) ईएसएम को नौसेना/वायु सेना से हवलदार या उससे नीचे रैंक या समकक्ष होना चाहिए।
- (ग) जिस वर्ष के लिए आवेदन किया गया है, उस वर्ष की 01 अप्रैल तक पूर्व सैनिक की आयु 65 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- (घ) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
- (ङ) एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र केएसबी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाना है तथा सहायक दस्तावेजों के साथ चालू वित्तीय वर्ष में ही (अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पहले) जमा किया जाना है।

(क) आवेदन के सफलतापूर्वक अपलोड होने के परिणामस्वरूप, व्यक्ति को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे उसे भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ख) किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सहायता हेतु आवेदन को समयबाधित/व्यपगत माना जाएगा।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को सिस्टम पर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी है:

- (क) भूतपूर्व सैनिक की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज बुक। डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।
- (ख) **आयु प्रमाण** यदि डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि नहीं दी गई है।
- (ग) **ईएसएम/विधवाओं पहचान पत्र** जेडएसबी द्वारा जारी किया गया।
- (घ) **बैंक के खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।
- (ङ) आधार कार्ड की प्रति.
- (च) प्रमाणपत्र/परफॉर्मा अनुलग्नक डी1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, गरीबी प्रमाण पत्र (सरपंच/पटवारी/बीडीओ (राजस्व अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित, संबंधित रबर स्टाम्प और गोल मुहर के साथ)। "गरीबी प्रमाण पत्र" का एक नमूना केएसबी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन**. ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय, ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

- (क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।
- (ख) आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से गरीबी के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।
- (ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

8. **बाद की सहायता**. बाद में सहायता के लिए, प्रारंभिक निर्धनता अनुदान प्रदान किए जाने के बाद, लाभार्थी को केएसबी वेब पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, 'निर्धनता नवीनीकरण' के लिए आवेदन करना होगा और संबंधित ZSWO द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित "जीवन प्रमाण पत्र" ऑनलाइन जमा करना होगा, जिस वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण की मांग की जा रही है, उस वर्ष के 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच। जीवन प्रमाण पत्र पर केवल ZSWO के हस्ताक्षर होने चाहिए। 'निर्धनता में पूर्व-सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र' का प्रारूप अनुलग्नक D2 में दिया गया है। "निर्धनता प्रमाणपत्र" का एक नमूना केएसबी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय सहायता अहस्तांतरणीय है और पूर्व-सेवानिवृत्त व्यक्ति या विधवा की मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

9. **गरीबी सहायता प्राप्त करने वाले पूर्व-सैनिक की मृत्यु** गरीबी सहायता प्राप्त कर रहे पूर्व-सैनिक (ESM) की मृत्यु के बाद, उनकी विधवा को गरीबी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इस 'गरीबी आरंभिक' के लिए आवेदन करने से पहले, विधवा को प्रोफ़ाइल पृष्ठ पर "आप कौन हैं" कॉलम को "विधवा" के रूप में अपडेट करना होगा और पूर्व-सैनिक (ESM) की "मृत्यु तिथि" भरनी होगी। ऐसे मामलों में 65 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होती है। विधवा को आगे मिलने वाले अनुदानों के लिए, गरीबी नवीनीकरण हेतु पिछले पैरा में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।



अनुलग्नक 'डी1'[परिशिष्ट डी के पैरा 6(एफ)
का संदर्भ लें]**गरीबी का प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक सं. _____

रैंक _____

नाम _____ (सेवानिवृत्त)

का बेटा _____,

सेवा: सेना/नौसेना/वायु सेना जन्म तिथि: _____

या

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती _____ (विधवा)

का नाम)

ईएसएम नं की पत्नी _____ रैंक _____

नाम _____ (सेवानिवृत्त),

सेवा: सेना/नौसेना/वायु सेना जन्म तिथि: _____

गांव/मकान नंबर का निवासी है _____ पीओ/स्ट्रीट _____ कॉलोनी _____

तहसील/भूमि चिह्न _____ जिला/शहर _____

राज्य _____ नत्थी करना _____ राज्य/केन्द्र सरकार से

कोई पेंशन/अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड
हस्ताक्षर

जगह _____

तारीख _____

सरपंच/पटवारी/बीडीओ सरकारी मुहर के
साथ

कार्यालय सील

प्रतिहस्ताक्षरित**जिला सैनिक कल्याण अधिकारी**

**गरीबी में ईएसएम के लिए जीवन प्रमाण पत्र (गरीबी नवीनीकरण के लिए)
(प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ZSB के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है)**

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गैर पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिक संख्या: _____

पद: _____ नाम: _____ (सेवानिवृत्त)

सेवा: सेना/नौसेना/वायु सेना जन्म तिथि: _____

आज मेरे सामने जीवित और उपस्थित है।

या

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती _____ (विधवा का नाम)

पूर्व सैनिक की गैर-पेंशनभोगी विधवा संख्या: _____ पद: _____

नाम: _____ (सेवानिवृत्त)

सेवा: सेना/नौसेना/वायु सेना जन्म तिथि (ईएसएम की): _____

आज मेरे सामने जीवित और उपस्थित है।

व्यक्ति के हस्ताक्षर _____

व्यक्ति के अंगूठे का निशान

जगह: _____

तारीख: _____

हस्ताक्षर: _____

पद और नाम: _____

पदनाम: सहायक निदेशक/उप

निदेशक/सचिव जेडएसबी

कार्यालय मुहरें

कार्यालय: _____

जिला _____

(प्रमाणपत्र एडी/डीडी/जेडी/संबंधित जेडएसबी के सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है)

पूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता1. **प्रष्ठभूमि.**

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	1981	कक्षा 12 तक अधिकतम तीन बच्चों के लिए 15 रुपये प्रति बच्चा।
(ख)	1996	प्रति बच्चा 100 रुपये प्रतिमाह।
(ग)	2007	(i) दो बच्चों के लिए कक्षा XII तक (ii) लड़कों के लिए – 200/- रुपये प्रति माह। (iii) लड़कियों के लिए – 400/- रुपये प्रति माह। (iv) स्नातक तक की लड़कियों के लिए 600 रुपये प्रतिमाह।
(घ)	अक्टूबर 2011	1000/- रुपये प्रति माह (i) प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों के लिए) स्नातक स्तर तक। (ii) विधवाओं को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने हेतु।

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य नौसेना और वायु सेना में थल सेना के हवलदार और समकक्ष पद तक के ईएसएम के आश्रित बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता** यह वित्तीय सहायता एएफएफडी फंड से प्रति बच्चा 1,000/- रुपये प्रति माह की दर से केवल पहले दो बच्चों (नीचे उप-पैरा (ई) में तौर-तरीके देखें) और उनकी विधवाओं के लिए, हाल ही में समाप्त हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में एक किस्त में देय है: -

(क) कक्षा एक से बारह (1 से 12) और डिग्री कॉलेज की स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले ईएसएम के बच्चों के लिए लागू।

(ख) यह प्रवेश उन पूर्व-सैनिकों की विधवाओं के लिए भी स्वीकार्य है जो दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करना चाहती हैं।

(ग) यह सहायता किसी भी व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम/डिग्री के लिए लागू नहीं है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत एक बार पंजीकृत बच्चे का नाम, पूर्व-मुख्यमंत्री के तीसरे या उसके बाद के बच्चे के लिए बाद में किसी अन्य बच्चे से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

(ङ) पहले दो बच्चों के बारे में निर्णय लेने की पद्धति इस प्रकार है: -

(i) वित्तीय सहायता ईएसएम की सेवा मुक्ति पुस्तिका में दर्ज बच्चों के नामों की वरिष्ठता के अनुसार प्रदान की जाती है।

(ii) पहले दो बच्चे योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

(iii) यदि डिस्चार्ज बुक में बच्चों के नाम दर्ज नहीं हैं, तो पूर्व सैनिक सेवा के संबंधित अभिलेख कार्यालय से प्राप्त वैध भाग-II आदेश को ऑनलाइन आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज़ के रूप में अपलोड करना होगा। शपथ पत्र आदि जैसे किसी अन्य दस्तावेज़ को सहायक दस्तावेज़ के रूप में नहीं माना जाएगा।

(iv) यदि पहला और दूसरा बच्चा जुड़वाँ है तो केवल ये जुड़वाँ ही पात्र होंगे।

(v) केस 2 में और तीसरे बच्चे जुड़वाँ हैं, तो दूसरे और तीसरे दोनों बच्चे पात्र होंगे।

(vi) पहले बच्चे की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित दूसरे और तीसरे बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार, दूसरे बच्चे की मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित तीसरे बच्चे पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र को जाँच हेतु सहायक दस्तावेज़ के रूप में अपलोड किया जाएगा।

4. **पात्रता की शर्तें** इस सहायता का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:

(क) आवेदक ईएसएम/विधवा होना चाहिए।

(ख) हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे का पद होना चाहिए।

(ग) आगामी शैक्षणिक वर्ष (01 अप्रैल से प्रारंभ) से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए ईएसएम को 31 मार्च को या उससे पहले सेवा से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

(घ) बच्चे/विधवा को हाल ही में समाप्त हुए शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

(ङ) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(च) राज्य से शिक्षा भत्ता/सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं करना चाहिए सरकार या उसके नियोक्ता या केन्द्र सरकार।

(छ) आपके पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र आवेदन पत्र को केएसबी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन भरना होगा तथा स्कूल/कॉलेज के अंतिम शैक्षणिक वर्ष के बाद चालू वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) हाल ही में समाप्त हुए शैक्षणिक वर्ष से पहले समाप्त हुए शैक्षणिक वर्षों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को सिस्टम पर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी है:

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(ग) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(घ) ईएसएम या विधवा **आई कार्ड** संबंधित ZSB द्वारा जारी किया गया।

(ङ) डाउनलोड/ मुद्रित **अंक-पत्र /स्कूल प्रगति रिपोर्ट** नामित प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगा हुआ बच्चा/बच्चों का कार्ड।

(च) **अभिलेखों द्वारा जारी पारिवारिक विवरण जिसमें बच्चे/बच्चों के नाम और जन्मतिथि का उल्लेख हो** जिसके लिए अनुदान मांगा गया है या डिस्चार्ज बुक/दस्तावेजों में इस आशय की उचित प्रविष्टि होनी चाहिए। अलग से जन्म भाग II आदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(छ) **प्रमाणपत्र** आवेदक से यह कहते हुए आवेदन प्राप्त हुआ कि उसने राज्य या वर्तमान नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या छात्रवृत्ति के रूप में कोई धनराशि/अनुदान नहीं लिया है।

(ज) बैंक खाते का विवरण (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड और खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)

(झ) प्रतिलिपिआधार कार्ड का.

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन.** ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय, ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। बच्चों/विधवाओं की शिक्षा।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

8. **बाद के अनुदान** ईएसएम/विधवा को प्रत्येक आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए नया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते कि बच्चा/बच्चे/विधवा संतोषजनक रूप से अगली कक्षा में पहुंच गए हों।

पूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे को वित्तीय सहायता1. **पृष्ठभूमि.**

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशी
(क)	2007	500/- रुपये प्रति माह.
(ख)	अक्टूबर 2011	रु. 1,000/- प्रति माह.
(ग)	01 अप्रैल 2022	3,000/- रुपये प्रति माह.

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य पूर्व-सैनिक बल के 100% विकलांग बच्चों को राहत प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता** वित्तीयवित्तीय वर्ष के दौरान एएफएफडी फंड से 100% विकलांग बच्चे के लिए 3000/- रुपये प्रति माह की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना है: -

(क) बच्चा ईएसएम/विधवा की वैध संतान होना चाहिए। ईएसएम/विधवा/बड़े भाई-बहन/रिश्तेदार/मान्य एनओके (यदि परिवार में कोई जीवित नहीं है) जो विकलांग बच्चे की देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें विकलांग बच्चे की ओर से आवेदन करने की अनुमति है।

(ख) ईएसएम नौसेना और वायु सेना के जेसीओ/समकक्ष और उससे नीचे के पद के।

(ग) बच्चा 100% विकलांग होना चाहिए

(घ) किसी भी आधिकारिक एजेंसी से कोई विकलांगता लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

(ङ) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(च) आवेदक का एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

(छ) ईएसएम के अधिकतम दो 100% विकलांग बच्चों पर लागू।

(ज) बच्चे के लिए तभी तक स्वीकार्य है जब तक वह अविवाहित रहता है।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र को चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले) के दौरान केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना आवश्यक है।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को सिस्टम पर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी है:

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) ईएसएम और आश्रित **पहचान पत्र** जेडएसबी द्वारा जारी किया गया।

(ङ) **100%** सैन्य/सिविल सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र।

(च) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(छ) आधार कार्ड का प्रतिलिपि।

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन.** ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय, ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) विकलांग बच्चे के संबंध में आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

8. **अनुवर्ती अनुदान** एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद, विकलांग बाल अनुदान पूर्व-मुख्यमंत्री के 100% विकलांग बच्चे के जीवनकाल के लिए मान्य होता है। इसके बाद किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, तथापि लाभार्थी की ओर से आवेदक को संबंधित ZSWO द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष के 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक F1 में दिया गया है। यदि जीवन प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद जमा किया जाता है, तो 100% विकलांग अनुदान के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीते वित्तीय वर्षों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वित्तीय सहायता अहस्तांतरणीय है और 100% विकलांग बच्चे की मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।

9. **आवेदक (ईएसएम/विकलांग बच्चे के माता-पिता) की मृत्यु के मामले में** जीवित विधवा/विधुर/भाई/बहन/जेडएसडब्ल्यूओ (आवेदक) द्वारा दी गई मान्य एनओके को नए सिरे से आवेदन करना होगा। ईएसएम के निधन के बारे में केएसबी सचिवालय को सूचित करना संबंधित जेडएसडब्ल्यूओ की जिम्मेदारी है।

अनुलग्नक 'एफ1'
(परिशिष्ट एफ के पैरा 8 का संदर्भ लें)

100% विकलांग बच्चे के लिए जीवन प्रमाण पत्र

(प्रत्येक वर्ष 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ZSB के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है)

यह इसके द्वारा प्रमाणित किया है 100% विकलांग व्यक्ति _____
 पूर्व की बेटी/पुत्र-सैनिक/ईएसएम नं की विधवा: _____
 रैंक: _____ नाम: _____ (सेवानिवृत्त)
 सेवा: सेना/नौसेना/वायु सेना जन्म तिथि: _____
 आज मेरे सामने जीवित और उपस्थित है।

व्यक्ति के हस्ताक्षर

व्यक्ति के अंगूठे का निशान

जगह: _____

हस्ताक्षर: _____

तारीख: _____

पद एवं नाम: _____

पदनाम: सहायक निदेशक/उप
निदेशक/सचिव जेडएसबी

कार्यालय मुहरें

कार्यालय: _____

जिला _____

(प्रमाणपत्र संबंधित ZSB के AD/DD/JD/सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है)

**पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता/
विधवाओं का पुनर्विवाह**

1. **पृष्ठभूमि.**

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	1981	प्रति पुत्री 3000/- रु.
(ख)	मई 2007	प्रति पुत्री 16,000/- रु.
(ग)	01 अप्रैल 2016 को	प्रति पुत्री 50,000/- रु.

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य हवलदार/समकक्ष पद तक के ईएसएम को उनकी बेटियों की शादी/ईएसएम की विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता** बेटि की शादी/विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता एएफएफडीएफ से 50,000/- रुपये प्रति बेटि (किसी भी दो बेटियों तक)/ विधवा की दर से दी जाती है।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

- (क) ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए **विवाह संपन्न होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर.**
- (ख) आवेदक ईएसएम/विधवा/अनाथ पुत्री होनी चाहिए।
- (ग) हवलदार रैंक का होना चाहिए/ समतुल्य या उससे नीचे।
- (घ) बेटि की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अविवाहित है (केवल पुत्री के प्रथम विवाह के लिए स्वीकार्य)।
- (ङ) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
- (च) इस प्रयोजन के लिए राज्य/सेवाओं से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
- (छ) आवेदक एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र को विवाह की तिथि से 180 दिनों के भीतर केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना आवश्यक है।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) विवाह की तिथि के 180 दिन से अधिक समय बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनों को समयबाधित माना जाएगा तथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को सिस्टम पर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी है:

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) बेटी की आयु का सबूत (10वीं कक्षा की अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र)।

(ङ) विवाह का प्रमाण - विवाह रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र (ऑनलाइन/कम्प्यूटर जनरेटेड)।

(च) आवेदक से प्रमाण पत्र कि उसने बेटी की शादी के लिए संबंधित राज्य सरकार/सेवाओं से कोई धनराशि/सहायता/अनुदान नहीं लिया है। अनुलग्नक जी1 के अनुसार।

(छ) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(ज) आधार कार्ड का प्रतिलिपि।

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन**. ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) जिस बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, वह उसकी पहली शादी है।

(ग) आवेदक को उपरोक्त विवाह के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

8.
हैं: -

दूसरी बेटी की शादी के लिए अनुदान यदि पात्र हों तो ईएसएम/विधवा के पास निम्नलिखित विकल्प

(क) दूसरी बेटी की शादी के लिए नए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अलग से आवेदन करें या;

(ख) यदि दो बेटियों की शादी एक ही समय पर या थोड़े अंतराल पर हो रही है, तो पूर्व-सैनिक/विधवा एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से दोनों बेटियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, आवेदक को पहले विवाहित बेटी की शादी की तारीख से 180 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।



स्व घोषणा

(बेटी के विवाह/विधवा पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता)

मैं, (यदि लागू हो) डब्ल्यू/ओ/डी/ओ

.....,

सेवा संख्या रैंक, घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने

अपनी पुत्री जिसका विवाह

..... (विवाह की तिथि) को सम्पन्न हुआ है, के विवाह/विधवा पुनर्विवाह के लिए किसी

भी राज्य सरकार/सेवा से कोई धनराशि/सहायता/अनुदान नहीं लिया है।

तारीख:

(हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

ईएसएम / विधवा / अनाथ बेटी)

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

चिकित्सा उपचार के लिए गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता

1. **पृष्ठभूमि.** 1 अप्रैल 2003 से सशस्त्र बलों के सभी पेंशनभोगियों को ईसीएचएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से चिकित्सा कवर प्रदान किया गया है, लेकिन गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक जिन्हें संगठनात्मक बाधाओं आदि के कारण सेना, नौसेना और वायु सेना से कम उम्र में ही सेवामुक्त कर दिया गया था और जिनके पास ऐसा कोई चिकित्सा कवर नहीं है। यह योजना गैर-पेंशनभोगियों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	1981	राशि बीमारी की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है।
(ख)	मई 2007	अधिकतम 30,000/- रुपये प्रति वर्ष।
(ग)	अगस्त 2023	अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति वर्ष।

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य वर्ष के दौरान गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक/विधवाओं/पूर्व सैनिक की आश्रित पत्नी के नियमित चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता.** चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता AFEDF से प्रति वर्ष अधिकतम 50,000 रुपये तक प्रदान की जाती है। गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवाओं/ईएसएम की आश्रित पत्नी के लिए हैवी/समकक्ष रैंक तक लागू एक वित्तीय वर्ष में, पूर्व-सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने और अपनी बीमार पत्नी के चिकित्सा उपचार के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। विभिन्न विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के उपचार पर होने वाला व्यय एक अलग योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

(क) आवेदन अस्पताल/ अंतिम दवा का पर्चा की छुट्टी की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ख) आवेदक गैर-पेंशनभोगी ईएसएम होना चाहिए/ उसकी आश्रित पत्नी या उसकी विधवा।

(ग) हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे का पद होना चाहिए।

(घ) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(ङ) सीजीएचएस/ईसीएचएस के तहत अनुमोदित दरों पर व्यय मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में किया जाना चाहिए।

(च) आवेदक का एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र को अस्पताल से छुट्टी मिलने की तिथि या उसी बीमारी के उपचार के लिए अंतिम पर्चे की तिथि से 180 दिनों के भीतर केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना आवश्यक है, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) पिछले वर्षों या 180 दिन बीत जाने के बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **दस्तावेज़**. आवेदक को सिस्टम पर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी है:

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) जेडएसबी द्वारा जारी किया गया आई-कार्ड ईएसएम और विधवाओं दोनों के लिए अनिवार्य है।

(ङ) **मूल चिकित्सा बिल क्रमानुसार क्रमांकित** इसे क्रमिक रूप से अपलोड किया जाना चाहिए, उपस्थित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित, साथ ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का सारांश जिसमें सीरियल नंबर, बिल नंबर, दिनांक, बिल राशि और कुल राशि दर्शाई गई हो।

(च) **अस्पताल से छुट्टी का सारांश** उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

(छ) आवेदक से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उसने राज्य या वर्तमान नियोक्ता से प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में कोई धनराशि/अनुदान नहीं लिया है, वगैरह।

(ज) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(झ) आधार कार्ड की प्रति.

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन**. ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) मूल बिलों की जांच की गई तथा उन्हें भौतिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया गया।

(ग) आवेदक को उपरोक्त चिकित्सा उपचार के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

8. **बाद के अनुदान** आवेदक उसी वित्तीय वर्ष में चिकित्सा अनुदान के लिए पुनः आवेदन कर सकता है, जिसकी वार्षिक सीमा 50,000/- रुपये होगी। वही आवेदक अगले वित्तीय वर्ष में उसी या किसी अन्य बीमारी के लिए नए सहायक दस्तावेजों/बिलों के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकता है।



पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता

1. **पृष्ठभूमि** सेवा शर्तों के कारण अलग-थलग रहने के कारण सशस्त्र बल कर्मी आमतौर पर समाज से कटे रहते हैं। इनमें से कुछ सेवामुक्त होने के बाद विवाह करते हैं और परिणामस्वरूप जीवन के अंतिम चरण में बच्चे पैदा करते हैं। दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों/बीमारियों के कारण पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी, दोनों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, नन्हा बच्चा अनाथ हो जाता है। ऐसे अनाथ बच्चे को उसके रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित किया जाता है और वह आर्थिक रूप से अक्षम हो जाता है। गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चों के मामले में आर्थिक चुनौतियों की समस्याएँ अधिक स्पष्ट होती हैं। यह योजना पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	मई 2007	प्रति बालिका 500/- रुपये प्रति माह (माह)।
(ख)	अक्टूबर 2011	प्रति बच्चा 1000/- रुपये प्रतिमाह।
(ग)	01 अप्रैल 2022	प्रति बच्चा 3000/- रुपये प्रतिमाह।

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य एक ईएसएम (सभी रैंक) के अधिकतम दो अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता।** वित्तीयप्रत्येक पात्र अनाथ के लिए सहायता एएफएफडीएफ से 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से प्रदान की जाती है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान ईएसएम (सभी रैंक) के अधिकतम दो अनाथ बच्चों को वार्षिक रूप से दी जाती है।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

(क) आवेदक किसी भूतपूर्व सैनिक (सभी रैंक) की वैध संतान होना चाहिए। सेवा में प्रवेश विवरण/सेवामुक्ति पुस्तिका में भूतपूर्व सैनिक के बच्चे का विवरण दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) अनाथ पुत्र अविवाहित होना चाहिए और उसकी आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, जो भी पहले हो। अनाथ पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।

(ग) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(घ) आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए

5. **आवेदन प्रस्तुत करना।**

(क) ईएसएम/विधवा के प्रत्येक अनाथ बच्चे (अधिकतम दो बच्चों तक) को केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक अनाथ आवेदक को अलग-अलग बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड करनी होगी:

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) दोनों माता-पिता की **मृत्यु प्रमाण पत्र**।

(ङ) संबंधित ZSB द्वारा जारी आश्रित पहचान पत्र।

(च) प्रत्येक अनाथ की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र)।

(छ) सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (लड़की के लिए) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह विवाहित नहीं है।

(ज) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(झ) आधार कार्ड की प्रति।

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन**. ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) आवेदक को अनाथ बच्चे के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

8. **बाद के अनुदान** अनाथ अनुदान, एक बार स्वीकृत होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, अनाथ बच्चे की पात्रता अवधि की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा। संबंधित ZSWO से एक वार्षिक प्रमाण पत्र कि अनाथ लड़की विवाहित नहीं है (जैसा कि अनुलग्नक J1 में दिया गया है) और/या अनाथ लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है (जैसा कि अनुलग्नक J2 में दिया गया है) और लड़की/लड़का जीवित है, अनुदान जारी रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच KSB सचिवालय में पहुँचना आवश्यक है। 31 मार्च के बाद विलंबित आवेदनों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक 'जे1'

(परिशिष्ट जे के पैरा 8 का संदर्भ लें)

ईएसएम की अनाथ बेटी के लिए अविवाहित स्थिति और जीवन प्रमाण पत्र**(अनाथ बेटी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है)
चालू वित्त वर्ष के 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच**

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नाम _____

D/o दिवंगत पूर्व सैनिक संख्या _____ रैंक _____

नाम _____

सेवा: सेना / नौसेना / वायु सेना जन्म तिथि (बेटी की) _____ वर्तमान स्थिति में जीवित और अविवाहित है _____, और वित्तीय वर्ष के लिए ईएसएम के अनाथ बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है _____.

अनाथ बेटी के हस्ताक्षर

अनाथ बेटी के अंगूठे का निशान

तारीख _____ जगह _____

सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरितव्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करने के बाद ZSB

उपर्युक्त अनाथ पुत्री जीवित एवं अविवाहित है तथा आज मेरे समक्ष उपस्थित है।

जगह: _____
तारीख: _____हस्ताक्षर: _____
पदनाम: सहायक निदेशक/उप
निदेशक/निदेशक/सचिव ZSB

कार्यालय मुहर

कार्यालय: _____ जिला: _____

अनुलग्नक 'जे2'

(परिशिष्ट जे के पैरा 8 का संदर्भ लें)

ईएसएम के अनाथ पुत्र के लिए अविवाहित स्थिति और जीवन प्रमाण पत्र
(21 वर्ष की आयु तक)**(अनाथ पुत्र द्वारा 21 वर्ष की आयु तक ऑनलाइन जमा किया जाना है)**
चालू वित्त वर्ष के दौरान 01 दिसंबर से 31 मार्च के बीच)

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नाम _____

S/o दिवंगत पूर्व सैनिक संख्या _____ रैंक _____

नाम _____

सेवा: सेना / नौसेना / वायु सेना जन्म तिथि (पुत्र की) _____ वर्तमान स्थिति में जीवित और अविवाहित है _____, और वित्तीय वर्ष के लिए ईएसएम के अनाथ बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है _____.

अनाथ बेटे के हस्ताक्षर

अनाथ बेटे का अंगूठा निशान

तारीख _____ जगह _____

सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरितव्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करने के बाद ZSB

उपर्युक्त अनाथ पुत्र जीवित एवं अविवाहित है तथा आज मेरे समक्ष उपस्थित है।

जगह: _____ हस्ताक्षर: _____

तारीख: _____ पदनाम: सहायक निदेशक/उप
निदेशक/निदेशक/सचिव ZSB

कार्यालय मुहर

कार्यालय: _____ जिला: _____

परिशिष्ट 'के'
(पैरा 3.1 देखें)

पूर्व सैनिकों की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

1. **पृष्ठभूमि** पूर्व सैनिक विधवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता के लिए, उन्हें उनके शैक्षिक स्तर और योग्यता के आधार पर व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। वे राज्य में संचालित किसी भी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (जैसे आईटीआई या प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थान आदि) से पाठ्यक्रम कर सकती हैं।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	मई 2007	रु. 20,000/- (एक बार)
(ख)	अगस्त 2023	रु. 50,000/- (एक बार)

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य हवलदार/समकक्ष पद तक के पूर्व सैनिक सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।

3. **वित्तीय सहायता** व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूर्व-सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर 50,000/- रुपये (अधिकतम) की एकमुश्त सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

- (क) आवेदक हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के ईएसएम की विधवा होनी चाहिए।
- (ख) उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए।
- (ग) संबंधित ZSB एवं RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
- (घ) आवेदक का एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

- (क) **व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर** आवेदन पत्र को केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा।
- (ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।
- (ग) अनुप्रयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के 180 दिन से अधिक समय बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वह समाप्त हो जाएगा।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड करनी होगी:

-

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) ईएसएम आई-कार्ड की विधवा की प्रति।

(ङ) प्रशिक्षण पूरा होने के बाद संस्थान से प्रमाण पत्र।

(च) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(छ) प्रतिलिपि आधार कार्ड का।

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन**. ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

**गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता
गैर-पेंशनभोगी ईएसएम (सभी रैंक)/विधवाओं के लिए**

1. **पृष्ठभूमि.** 1 अप्रैल 2003 से सशस्त्र बलों के सभी पेंशनभोगियों को ईसीएचएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से चिकित्सा कवर प्रदान किया गया है, लेकिन गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक (ईएसएम) जिन्हें संगठनात्मक बाधाओं आदि के कारण जीवन के आरंभ में ही सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवामुक्त कर दिया गया था और जिनके पास ऐसा कोई चिकित्सा कवर नहीं है। यह योजना गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	अप्रैल 2006	अधिकतम 1,25,000/- रुपये प्रतिवर्ष।
(ख)	अगस्त 2023	अधिकतम 1,50,000/- रुपये प्रतिवर्ष।

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी आश्रित पत्नी/विधवाओं को कैंसर, गुर्दे की विफलता, घुटने के प्रतिस्थापन और हृदय की सर्जरी जैसी अनुमोदित/सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों के उपचार से संबंधित चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता** गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक (सभी रैंक), आश्रित पत्नी/विधवाओं को दो प्रकार की बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सबसे पहले, नीचे पैरा 4 में उल्लिखित स्वीकृत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, अधिकतम 1,50,000/- रुपये प्रति वर्ष। दूसरे, कैंसर/डायलिसिस के उपचार के लिए 75,000/- रुपये प्रति वर्ष की सीमा के अधीन, उपरोक्त दोनों श्रेणियों की बीमारियों के लिए देय उपचार की कुल लागत का प्रतिशत निम्नानुसार गणना किया जाएगा: -

(क) **गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों, उनकी आश्रित पत्नियों/विधवाओं के लिए** चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवाइयों आदि पर प्रति वर्ष होने वाले कुल व्यय का 75%, बीमारी की श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।

(ख) **गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों के लिए, उनकी आश्रित पत्नियाँ/विधवाएँ** चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती, दवा आदि पर प्रति वर्ष किए गए कुल व्यय का 90%, बीमारी की श्रेणी के अनुसार स्वीकार्य अधिकतम राशि के अधीन।

4. **गंभीर रोगों की सूची (प्रथम श्रेणी की बीमारियों के लिए)** इस योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली गंभीर बीमारियों/उपचारों (कैंसर/डायलिसिस उपचार के अलावा) की सूची निम्नानुसार है: -

- (क) एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी.
- (ख) सीएबीजी.
- (ग) ओपन हार्ट सर्जरी।
- (घ) वाल्व प्रतिस्थापन.
- (ङ) पेसमेकर प्रत्यारोपण.
- (च) सेरिब्रल स्ट्रोक।
- (छ) प्रोस्टेट सर्जरी.
- (ज) संयुक्त प्रतिस्थापन.
- (झ) वृक्कीय विफलता।

5. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

- (क) आवेदन अस्पताल/ अंतिम दवा का पर्चा की छुट्टी की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ख) आवेदक गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवा होना चाहिए।
- (ग) ईसीएचएस का सदस्य नहीं होना चाहिए या एएफएमएस सुविधाएं प्राप्त नहीं करनी चाहिए।
- (घ) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
- (ङ) व्यय सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए अस्पताल/सीजीएचएस/ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल।
- (च) आवेदक एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

6. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

- (क) आवेदन पत्र को केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा। **डिस्चार्ज की तारीख/अंतिम नुस्खे की तारीख से 180 दिनों के भीतर** (अस्पताल में भर्ती न होने की स्थिति में)
- (ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।
- (ग) 180 दिनों से अधिक समय बाद प्राप्त आवेदन डिस्चार्ज की तारीख/अंतिम पर्चे की तारीख के बाद कोई भी सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी और वह समाप्त हो जाएगी।

7. **दस्तावेज़** आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड करनी होगी:

- (क) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।
- (ख) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।
- (ग) ईएसएम/विधवा आई-कार्ड की फोटो कॉपी।
- (घ) उपस्थित चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा बिल, ईएसएम द्वारा अपलोड किए जाने के बाद, जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा अपने पास रखे जाएंगे। इन बिलों पर जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा "केएसबी द्वारा आवेदन संख्या _____ के अनुसार भुगतान किया गया" टिप्पणी लिखी जाएगी।, केएसबी द्वारा ईएसएम को भुगतान जारी करने के बाद।

(ड) अस्पताल प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अस्पताल में प्रवेश और छुट्टी की रिपोर्ट।

(च) आवेदक से एक प्रमाण पत्र कि उसने राज्य/केन्द्र सरकार/वर्तमान नियोक्ता से प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में कोई धनराशि/अनुदान नहीं लिया है।

(छ) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

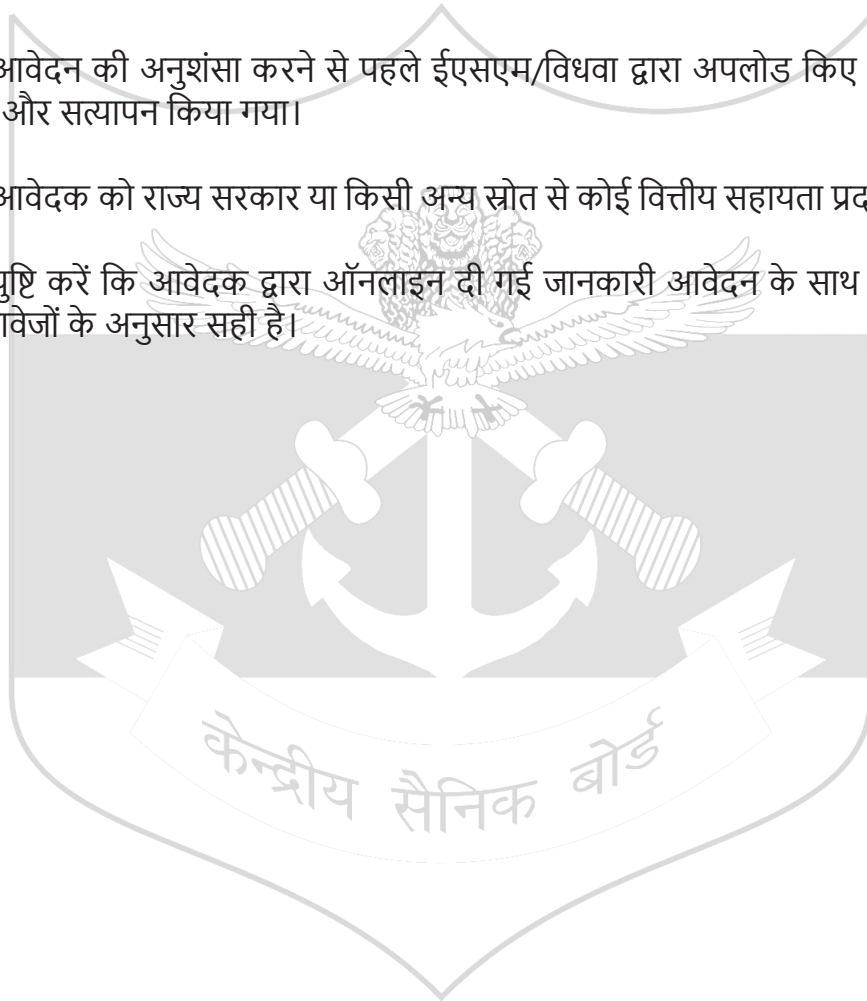
(ज) आधार कार्ड का प्रतिलिपि ।

8. **ZSWO द्वारा प्रमाणन.** ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम/विधवा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।



**की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
विकलांग ईएसएम के लिए गतिशीलता उपकरण**

1. **पृष्ठभूमि.** कुछ पूर्व सैनिक सेवामुक्ति के बाद दुर्घटनाओं, अन्य बीमारियों आदि के कारण विकलांग/अक्षम हो जाते हैं और उन्हें दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए संशोधित स्कूटर जैसे गतिशीलता उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए, विकलांग पूर्व सैनिकों को गतिशीलता उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	अप्रैल 2012	रु. 57,500/-
(ख)	अप्रैल 2022	रु. 1,00,000/-

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य जेसीओ रैंक तक के उन ईएसएम के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ विकलांग हो जाते हैं।

3. **वित्तीय सहायता** इस योजना के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य वित्तीय सहायता 1,00,000/- रुपये है। यह भुगतान पूर्व-सैनिक (ESM) लाभार्थियों को 100% अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा, जिन्हें अग्रिम राशि प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर वाहन खरीद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। गतिशीलता उपकरणों की आयु खरीद की तिथि से 10 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके बाद पूर्व-सैनिक (ESM) नए गतिशीलता उपकरणों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

(क) आवेदक ईएसएम होना चाहिए(जेसीओ/समकक्ष या उससे कम तक) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग हो गए हों और 50% या उससे अधिक विकलांगता हो। उन्हें सेना/नौसेना/वायु सेना की समान योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(ग) उसे व्यक्तिगत रूप से गतिशीलता उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए तथा उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

(घ) पिछले 10 वर्षों में उसी योजना का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।

(ङ) आवेदक का एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र को केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

6. **दस्तावेज़** आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड करनी होगी:

-

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) ईएसएम पहचान पत्र.

(ङ) गतिविधि/घटना की प्रकृति को दर्शाने वाला दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें ईएसएम को अक्षम किया गया था

(च) **विकलांगता प्रमाणपत्र** सशस्त्र बल चिकित्सा प्राधिकरण/सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत (50% या उससे अधिक विकलांगता) दर्शाया गया हो तथा गतिशीलता उपकरणों की खरीद के लिए उनके द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।

(छ) **वित्तीय अनुमान** गतिशीलता उपकरण के लिए अधिकृत विक्रेता से आवेदन पत्र जिसमें गतिशीलता उपकरण के प्रकार, निर्माण और विनिर्देशों का उल्लेख हो।

(ज) वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति (गतिशीलता उपकरण के लिए जो एक मोटर वाहन है जैसे कि संशोधित स्कूटर)।

(झ) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

(ञ) प्रतिलिपि आधार कार्ड का.

7. **केएसबी सचिवालय में जांच के बाद की कार्रवाई और आवेदन का अनुमोदन** सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के अनुमोदन के पश्चात निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है: -

(क) केएसबी सचिवालय आवेदक को आवेदन की 'स्वीकृत' स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और आवेदक से उक्त राशि का एक उत्तर-दिनांकित चेक केएसबी सचिवालय को भेजने के लिए कहा जाएगा। आवेदक को निम्नलिखित का प्रमाण पत्र भी भेजना होगा: -

“यदि मैं मोबिलिटी उपकरण खरीद दस्तावेज और मोबिलिटी उपकरण का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता हूँ, तो चेक संख्या _____ दिनांक _____ को एएफएफडी फंड खाते में जमा किया जा सकता है”।

(ख) डाक प्राप्त होने पर दिनांकित चेक और प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, केएसबी सचिवालय आवेदक के बैंक खाते में अग्रिम राशि का भुगतान कर देगा।

(ग) आवेदक को गतिशीलता उपकरण खरीदना है और निम्नलिखित दस्तावेजों को (ZSWO द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित) KSB सचिवालय को 15 जून 2013 के भीतर भेजना है। अग्रिम भुगतान प्राप्ति के 60 दिन: -

(i) **चालान/खरीद का बिल** क्रेता का नाम, उपकरण का मेक और मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उपकरण की लागत, हस्ताक्षर, स्टाम्प के साथ फर्म का रबर स्टैम्प दिखाना।

(ii) **आरटीओ पंजीकरण प्रमाण पत्र** जिसमें क्रेता का नाम और पता, उपकरण का मेक और मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, आरटीओ स्टाम्प और हस्ताक्षर दर्शाया गया हो।

(iii) **उपकरण के साथ आवेदक की तस्वीर** ZSWO द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

(घ) यदि आवेदक उपरोक्त चालान/बिल/आरसी/फोटो समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो केएसबी सचिवालय आवेदक के पोस्ट-डेटेड चेक को एएफएफडी फंड में जमा करके राशि वसूल करेगा।

9. **ZSWO द्वारा प्रमाणन.** ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) आवेदक को राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

ईएसएम को गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता

1. **पृष्ठभूमि.** युद्ध में मारे गए, युद्ध में विकलांग हुए पूर्व सैनिक और शांति काल में हताहत हुए लोग इससे जुड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें आराम से बसने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, घर बनाने/खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना शुरू की गई है।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशि
(क)	1991 तक	अधिकतम 70,000/- रुपये तक।
(ख)	मई 1991	अधिकतम 1,00,000/- रुपये तक।

2. **उद्देश्य** इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों तथा शांति काल में हताहत हुए सभी सैनिकों (सभी रैंकों) को मकान खरीदने/निर्माण के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से राहत प्रदान करना है।

3. **वित्तीय सहायता** एएफएफडी फंड से वित्तीय सहायता युद्ध में मारे गए/युद्ध में विकलांग हुए पूर्व सैनिक/शांति काल में हताहत हुए सभी रैंक के सैनिकों द्वारा लिए गए आवास ऋण की पूरी राशि पर कुल ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है। ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी की ऊपरी सीमा अधिकतम 1,00,000/- रुपये (प्रति पूर्व सैनिक एकमुश्त) तक होगी, भले ही लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि अधिक हो। यह ब्याज सब्सिडी (कुल ब्याज के 50% तक) केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संस्थानों, जैसे एलआईसी, जीआईसी एचयूडिसोओ, आदि से लिए गए आवास ऋणों पर ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. **पात्रता की शर्तें** निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए: -

(क) आवेदक को युद्ध विधवा/युद्ध शोकग्रस्त आश्रित/युद्ध विकलांग ईएसएम या केवल शांति काल में हताहत होने वाला व्यक्ति (सभी रैंक) होना चाहिए।

(ख) सब्सिडी कुल गृह ऋण राशि पर कुल ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है, तथा सब्सिडी अधिकतम 1,00,000/- रुपये तक ही सीमित होती है।

(ग) किसी विशिष्ट पूर्व सैनिक के लिए सब्सिडी केवल एक बार ही देय है। यदि पूर्व सैनिक/युद्ध विधवा/युद्ध शोक संतप्त को सब्सिडी राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है, तो उसे दोबारा नहीं लिया जा सकता, उदाहरण के लिए, प्रारंभिक लाभार्थी (पूर्व सैनिक/युद्ध विधवा) की मृत्यु के बाद पूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित द्वारा।

(घ) ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाती है जब गृह ऋण किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/संस्था, जैसे एलआईसी, जीआईसी और हुडको आदि से लिया गया हो।

(ङ) ऑनलाइन आवेदन बैंक/संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।

(च) आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

5. आवेदन प्रस्तुत करना.

(क) आवेदन पत्र बैंक/संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरकर जमा करना आवश्यक है।

(ख) आवेदन जमा करने पर आवेदक को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) 180 दिनों से अधिक समय बाद प्राप्त आवेदन बैंक/संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने की तिथि के बाद जमा की गई राशि पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वह समाप्त हो जाएगी।

6. दस्तावेज़ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि सिस्टम पर अपलोड करनी होगी:

(क) पीपीओ (जैसा लागू हो)।

(ख) **ईएसएम की सेवा विवरण पुस्तिका/डिस्चार्ज पुस्तिका** डिस्चार्ज बुक के सभी पृष्ठों को क्रमवार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना किसी पृष्ठ को छोड़े और बिना किसी परिवर्तन के। अपलोड किए गए पृष्ठ पठनीय और सुपाठ्य स्थिति में होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग को ZSWO द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। ZSWO के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प मार्क प्रविष्टि को अमान्य कर देंगे।

(ग) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(घ) ईएसएम/ विधवा पहचान पत्र.

(ङ) प्रतिसार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से गृह ऋण स्वीकृति पत्र/आवेदक ईएसएम को संबोधित संस्थान जिसमें निम्नलिखित स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए: -

- (i) कुल मिलाकर ऋण राशि.
- (ii) ऋण की अवधि।
- (iii) ब्याज दर.
- (iv) पूर्ण ऋण पर देय कुल ब्याज
- (v) जिसके विरुद्ध ऋण स्वीकृत किया गया है कि संपत्ति का पता ।

(च) घर/फ्लैट के विक्रय विलेख की प्रति (विधिवत पंजीकृत) जिसमें मालिक का नाम और व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति का पता, या खरीदी/निर्मित की जा रही भूमि/घर के स्वामित्व का प्रमाण, व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा ZSWO द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

(छ) संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/संस्थान से निम्नानुसार प्रमाण पत्र: -

- (i) इस आशय का प्रमाण पत्र कि पुनर्भुगतान की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) दावे के अंतर्गत कवर की गई अवधि के लिए वास्तव में भुगतान की गई ब्याज की राशि को दर्शाने वाला विवरण।

(iii) इस आशय का प्रमाण पत्र कि ब्याज सहित ऋण की चुकौती नियमित थी आवेदक द्वारा किया गया।

(ज) **बैंक खाते का विवरण** (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति अथवा बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड तथा खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)।

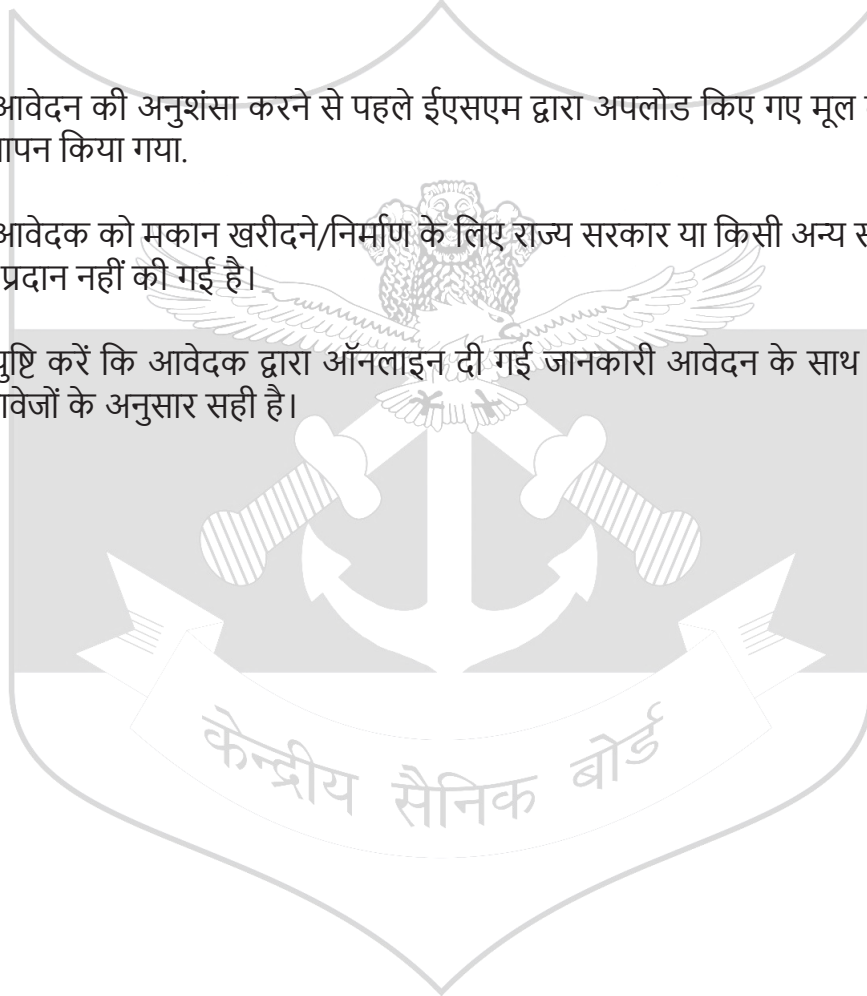
(झ) आधार कार्ड का प्रतिलिपि।

7. **ZSWO द्वारा प्रमाणन.** ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करते समय ZSWO को यह प्रमाणित करना होगा कि: -

(क) आवेदन की अनुशंसा करने से पहले ईएसएम द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया गया।

(ख) आवेदक को मकान खरीदने/निर्माण के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी आवेदन के साथ अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।



अध्याय – 4

संस्थागत अनुदान/लाभ

4.1 केएसबी सचिवालय निम्नलिखित संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो ईएसएम या उनके आश्रितों को देखभाल, सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं: -

- (क) किरकी और मोहाली में पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र (पीआरसी)।
- (ख) चेशायर होम्स/राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर।
- (ग) रेजिमेंटल में युद्ध स्मारक छात्रावास (WMHs)।
- (घ) अखिल भारतीय गोरखा ईएसएम एसोसिएशन, देहरादून।
- (ङ) सैनिक विश्राम गृह (एसआरएच)।

किरकी और मोहाली में पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों (पीआरसी) को एफएफडीएफ से अनुदान

4.2 भारत में दो पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य रक्षा बलों के उन पैराप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक/क्वाड्रप्लेजिक कर्मियों की देखभाल करना है, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण चिकित्सा सेवा से बाहर कर दिया गया था और जिन्होंने सक्रिय सेवा के दौरान अपने अंग खो दिए थे।

(क) पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र, किरकी। पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र की परिकल्पना 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद की गई थी। पीआरसी, किरकी (पुणे), महाराष्ट्र इसकी आधारशिला 23 जून 1973 को तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल जी.जी. बेवूर, पीवीएसएम द्वारा रखी गई थी। इस केंद्र का उद्घाटन 20 सितंबर 1974 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 24 बिस्तरों की क्षमता के साथ किया था। इसके बाद, समय-समय पर बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि की गई और विवाहित परिवारों के लिए भी व्यवस्था की गई। वर्तमान में, इस केंद्र में 117 बिस्तर और 34 पारिवारिक आवास उपलब्ध हैं, जो इसे देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र बनाता है। यह केंद्र एक धर्मार्थ ट्रस्ट है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकरण संख्या F/696/POONA के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है और सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत भी पंजीकृत है। पीआरसी किरकी का नियंत्रण और संचालन जीओसी-इन-सी, दक्षिणी कमान, पुणे (मुख्य संरक्षक) द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसके निदेशक मंडल में जीओसी, दक्षिण महाराष्ट्र एवं गोवा उपक्षेत्र पदेन अध्यक्ष होते हैं। दैनिक प्रशासन चिकित्सा निदेशक द्वारा किया जाता है, जो पीआरसी की प्रबंधन समिति के सचिव भी हैं। केएसबी के सचिव प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य हैं।

(ख) उद्देश्य.

- (i) पैराप्लेजिक/टेट्राप्लेजिक 100% विकलांग सैनिकों को स्वस्थ वातावरण में निःशुल्क आवास, कपड़े, बिस्तर, भोजन और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना।
- (ii) छोटी-मोटी बीमारियों के लिए देखभाल प्रदान करना।
- (iii) फिजियोथेरेपी/हाइड्रोथेरेपी सुविधाएं प्रदान करना।
- (iv) आश्रय कार्यशालाओं में व्यावसायिक चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (v) नौकरी की व्यवस्था सहित उनके कल्याण संबंधी मामलों की देखभाल करना।
- (vi) पैराप्लेजिक के पुनर्वास पर डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षण।

(ग) **पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र, मोहाली** पंजाब के मोहाली में पीआरसी की स्थापना 30 नवंबर 1978 को तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल ओपी मल्होत्रा, पीवीएसएम द्वारा की गई थी और यह पंजाब सरकार के फर्म और सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 427 दिनांक 16 नवंबर 1978 के अंतर्गत सोसायटी अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। संस्थान में 30 बिस्तरों की क्षमता है। पश्चिमी कमान के जीओसी-इन-सी (पश्चिमी कमान) पीआरसी मोहाली के मुख्य संरक्षक हैं और चीफ ऑफ स्टाफ, मुख्यालय पश्चिमी कमान इसके संरक्षक हैं। एमजी एओसी, मुख्यालय पश्चिमी कमान (या मुख्य संरक्षक द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी पीआरसी प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। पीआरसी का प्रशासन पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र के निदेशक के अधीन है।

(घ) **उद्देश्य.**

- (i) चिकित्सा देखभाल और विस्तारित पुनर्वास (शारीरिक, मनोवैज्ञानिक) के लिए काडिप्लेजिक/पैराप्लेजिक सैनिकों को पीआरसी के निवासियों के रूप में स्वीकार करना।
- (ii) छोटी-मोटी बीमारियों, दबाव के कारण होने वाले घावों, मूत्र मार्ग में संक्रमण और आंत्र की गड़बड़ी के लिए देखभाल प्रदान करना, जिसके लिए वे प्रवण हैं।
- (iii) शारीरिक क्षमताओं में सुधार के लिए चिकित्सीय सुविधाएं तथा पुनर्वास के लिए व्यावसायिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (iv) पेंशन, बच्चों की शिक्षा आदि से संबंधित मामलों जैसे व्यक्तिगत मुद्दों में यथासंभव सहायता प्रदान करके कल्याण को सुगम बनाना।

4.3 **अनुदान की राशि** केएसबी सचिवालय पीआरसी को निम्नलिखित दरों पर अनुदान प्रदान करता है:

क्र. सं.	संस्था	बिस्तर क्षमता	कैदी अनुदान (प्रति कैदी प्रति वर्ष)	Estb अनुदान प्रति वर्ष)
(क)	पीआरसी, किर्की	117	रु. 30,000/-	रु. 1,20,00,000/-
(ख)	पीआरसी, मोहाली	30	रु. 30,000/-	रु. 10,00,000/-

4.4 **अनुदान का दावा करने की प्रक्रिया** पीआरसी को तिमाही आधार पर अपने दावे केएसबी सचिवालय को भेजने होंगे। दावा प्राप्त होने पर, केएसबी सचिवालय मामले पर कार्रवाई करता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद, अनुदान एनईएफटी बैंक हस्तांतरण द्वारा उक्त संस्था को वितरित किया जाता है।

एएफएफडीएफ से चेशायर होम्स/राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर को अनुदान

4.5 **पृष्ठभूमि** चेशायर होम्स 'लियोनार्ड चेशायर डिसेबिलिटी' संगठन (स्वर्गीय ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशायर, आरएएफ द्वारा स्थापित) के तत्वावधान में संचालित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य कुष्ठ रोगियों की देखभाल, क्षय रोग के रोगियों का उपचार और स्थायी बौद्धिक/विकासात्मक विकलांगता (क्रोनिक स्पास्टिक मामले/पैराप्लेजिक) वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण/शिक्षा प्रदान करना है। तीन चेशायर होम हैं जिन्हें एएफएफडी फंड के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जाता है: -

क्र. सं.	संस्था	स्थापना	वेबसाइट
(क)	राफेल राइडर इंटरनेशनल चेशायर होम, देहरादून	1948	raphaelrydercheshire.com
(ख)	चेशायर होम, दिल्ली	1957	cheshirehomedelhi.org
(ग)	चेशायर होम, लखनऊ	1980	cheshirelucknow.info

4.6 **अनुदान की राशि** एएफएफडी फंड प्रबंधन समिति ने 08 दिसंबर 1986 को आयोजित अपनी बैठक में प्रत्येक ईएसएम/आश्रित को, जो चेशायर होम्स में रह रहे हैं, 200 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया और इसे नियमित रूप से निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशी
(क)	01 अप्रैल 1986	प्रति आवासी (ईएसएम/उनके आश्रित) 2,400/- रुपये प्रति वर्ष।
(ख)	01 अक्टूबर 1989	प्रति आवासी (ईएसएम/उनके आश्रित) 6,000/- रुपये प्रति वर्ष।
(ग)	01 अप्रैल 1996	प्रति आवासी (ईएसएम/उनके आश्रित) 9,000/- रुपये प्रति वर्ष।
(घ)	01 अप्रैल 2021	प्रति आवासी (ईएसएम/उनके आश्रित) 15,000/- रुपये प्रति वर्ष।

4.7 **अनुदान का दावा करने की प्रक्रिया** संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा केएसबी सचिवालय को दावा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें छात्रों (केवल पूर्व-सेवानिवृत्त/आश्रितों) का विवरण शामिल होता है। केएसबी सचिवालय मामले पर कार्यवाही करता है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद, अनुदान एनईएफटी के माध्यम से संस्था को वितरित कर दिया जाता है।

रेजिमेंटल केंद्रों पर युद्ध स्मारक छात्रावासों को AFFDF से अनुदान

4.8 **पृष्ठभूमि** भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंटल केंद्रों द्वारा युद्ध विधवाओं, युद्ध विकलांगों और शांति काल में हताहत हुए लोगों के बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए 36 युद्ध स्मारक छात्रावास (WMH) स्थापित किए गए थे। युद्ध शोक निधि (अब AFFDF के साथ समामेलित) की प्रबंध समिति ने 5 अक्टूबर 1981 को आयोजित अपनी छठी बैठक में WMH के निर्माण और साज-सज्जा के लिए प्रत्येक रेजिमेंटल केंद्र को तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (गैर-आवर्ती अनुदान) और सैन्य सेवा के कारण मृत्यु/विकलांगता वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 100 रुपये प्रति माह की दर से आवर्ती अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। बाद में, सैन्य सेवा के दौरान शहीद हुए गैर-आवर्ती पूर्व सैनिकों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया।

क्र. सं.	प्रारंभ/संशोधन की तिथि	राशी
(क)	1981	एक बार में 3,00,000/- रु. 100/- रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (संबंधित मामले)।
(ख)	1999	600/- रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (संबंधित मामले)। 300/- रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (गैर-जिम्मेदार मामले)।
(ग)	10 अप्रैल 2006	प्रति कैदी 900 रुपये प्रति माह (संबंधित मामलों में) 450/- रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (गैर-जिम्मेदार मामले)।

(घ)	01 अप्रैल 2012	1350/- रुपये प्रति आवासी प्रति माह (जिम्मेदार मामलों में) 675/- रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (गैर-जिम्मेदार मामलों)।
(ङ)	01 अप्रैल 2014	1350/- रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (सभी मामलों के लिए)।

4.9 रक्षा कार्मिकों (तीनों सेवाओं) के बच्चों को इन छात्रावासों में निम्नानुसार प्रवेश दिया जाता है: -

(क) **प्राथमिकता मानदंड.**

- प्राथमिकता I - युद्ध विधवाओं के वार्ड.
- प्राथमिकता II - युद्ध के वार्ड अक्षम.
- प्राथमिकता III - जिम्मेदार के वार्डमामले.
- प्राथमिकता IV - गैर-जिम्मेदार मामलों के वार्ड (कार्य करते समय मृत्यु हो गई)।

(ख) **केएसबी से अनुदान के लिए पात्रता.** यह अनुदान उन बच्चों के लिए है जो पास के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुदान के पात्र हो जाते हैं और किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों के लिए यह अनुदान मान्य नहीं है।

4.10 **अनुदान का दावा करने की प्रक्रिया.** WMH अपने दावे वार्षिक आधार पर KSB सचिवालय को भेजते हैं जो मामले पर कार्रवाई करता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद, अनुदान NEFT बैंक हस्तांतरण द्वारा उक्त संगठन को वितरित किया जाता है।

अखिल भारतीय गोरखा ईएसएम एसोसिएशन, देहरादून को एफएफडीएफ से अनुदान

4.11 **पृष्ठभूमि** अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण संघ(AIGEWA) की स्थापना 1950 में अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सेना से हटाए जाने वाले सैनिकों के पुनर्वास हेतु धन जुटाने के लिए की गई थी। AIGEWA के कोष को 13 अप्रैल 1993 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के साथ मिला दिया गया।

4.12 **अनुदान राशि** 12 लाख रुपये का अनुदान भारतीय गोरखा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए एफएफडीएफ से एआईजीईडब्ल्यूए को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये प्रदान किए जाते हैं।

4.13 **अनुदान का दावा करने की प्रक्रिया** इस अनुदान को जारी करने के लिए, AIGEWA को KSB सचिवालय को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ एक वार्षिक अनुरोध प्रस्तुत करना है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, अनुदान बैंक हस्तांतरण द्वारा उक्त संगठन को वितरित किया जाता है।

सैनिक विश्राम गृह (एसआरएच)

4.14 **परिचय** सैनिक विश्राम गृह (SRH) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अंतर्गत क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड (RSB) और क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड (ZSB) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं और उनका प्रबंधन किया जाता है। इन SRH का उद्देश्य युद्ध विधवाओं, विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिक (ESM) और उनके परिवारों/आश्रितों को सेवा-जैसी परिस्थितियों में एक सभ्य और किफायती आवास और भोजन उपलब्ध कराना है, जब वे पेंशन, चिकित्सा उपचार, CSD आवश्यकताओं या यात्रा के दौरान और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे विभिन्न मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए ग्रामीण या दूरदराज के स्थानों से ZSB/जिला मुख्यालय/शहर आते हैं। यह आतिथ्य उद्यम विशिष्ट रूप से पूर्व सैनिकों के कल्याण और खुशहाली के लिए समकालीन सुविधाएँ प्रदान करता है।

4.15 आज की तारीख में, देश भर में 349 सैनिक विश्राम गृह (SRH) हैं, जिनमें केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह (CSRH), नई दिल्ली भी शामिल है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में SRH का विवरण, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के विवरण के साथ, अध्याय 11 के परिशिष्टों में दिया गया है।

4.16 **एकीकृत सैनिक परिसर** पूर्व सैनिक समुदाय की सुविधा के लिए, एकीकृत सैनिक विश्राम गृह की अवधारणा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा, जहाँ संभव हो, एक ही परिसर में ZSB कार्यालय, SRH, CSD कैंटीन और ECHS की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसकी स्थापना की रूपरेखा के लिए KSB सचिवालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।

4.17 **एसआरएच के निर्माण की लागत में केंद्रीय हिस्सा** केंद्र सरकार, डीएसई बजट में प्रावधानों के माध्यम से, नए एसआरएच के निर्माण की लागत का 50% वहन करती है। हालाँकि नए एसआरएच के निर्माण के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, फिर भी किसी भी निर्माण को केएसबी सचिवालय के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के भूतत्त्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिए। निर्माण के बाद, नए एसआरएच का प्रशासन, संचालन और रखरखाव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (आरएसबी/जेडएसबी) द्वारा अपने स्वयं के बजट संसाधनों/निधियों से किया जाता है।

4.18 **12 विशेष श्रेणी राज्यों के एसआरएच के रखरखाव के लिए एफएफडीएफ से अनुदान.**

(क) केएसबी सचिवालय एफएफडीएफ से प्रत्येक सैनिक विश्राम गृह के रखरखाव के लिए 50,000 रुपये प्रति सैनिक विश्राम गृह का वार्षिक अनुदान प्रदान करता है, जो 12 विशेष श्रेणी राज्यों - असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में उपलब्ध है।

(ख) **अनुदान का दावा करने की प्रक्रिया** 12 विशेष श्रेणी के राज्यों में से प्रत्येक के आरएसबी को इस अनुदान की रिहाई के लिए वार्षिक दावा प्रस्तुत करना है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, अनुदान बैंक हस्तांतरण द्वारा आरएसबी को वितरित किया जाता है।

4.19 **केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह (सीएसआरएच)** 23 जुलाई 2017 को नारायणा, नई दिल्ली में एक केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह (सीएसआरएच) की स्थापना की गई। केएसबी सचिवालय द्वारा संचालित यह सीएसआरएच एक आत्मनिर्भर उद्यम है। सीएसआरएच का विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह, नारायणा	11	05	05	+91-9667647016
			शयनगृह- जेसीओ और ओआर के लिए 10 बिस्तर प्रत्येक।		

अध्याय – 5

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पी.एम.एस.एस.)

सामान्य जानकारी

5.1 **पृष्ठभूमि** सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा शर्तें अत्यंत कठिन, कष्टसाध्य और चुनौतीपूर्ण होती हैं। सशस्त्र बलों के कर्मी, विशेषकर निचले रैंक के, कम उम्र में ही सीमित पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी पृष्ठभूमि सामान्य/गरीब होती है। साथ ही, युद्ध में शहीद हुए या सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद भी शहीद हुए पूर्व सैनिकों की विधवाओं और बच्चों पर घरेलू ज़िम्मेदारियों का बोझ रहता है और उन्हें अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के वित्तपोषण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण को एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्र के प्रति रक्षा कर्मियों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य पूर्व सैनिकों/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के आश्रित बच्चों और उनकी वीरनारियों को उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था। केएसबी, भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण का ध्यान रखता है, रक्षा मंत्रालय (पूर्व सैनिक कल्याण विभाग) के तत्वावधान में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया था। इस योजना का वित्तपोषण प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय रक्षा कोष से किया जाता है।

5.2 **उद्देश्य** प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) का उद्देश्य पूर्व सैनिकों/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के आश्रित बच्चों और उनकी विधवाओं को व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

5.3 **पीएमएसएस के तहत उपलब्ध छात्रवृत्ति की संख्या और राशि.**

क्र. सं.	स्थापना/संशोधन का वर्ष	छात्रवृत्ति की संख्या और राशि (प्रति शैक्षणिक वर्ष)
(क)	2006-07	छात्रवृत्तियों की संख्या- 4000 नई छात्रवृत्तियाँ। मात्रा- लड़कों के लिए 15,000/- रुपये और लड़कियों के लिए 18,000/- रुपये।
(ख)	2012-13	छात्रवृत्तियों की संख्या- 4000 नई छात्रवृत्तियाँ। मात्रा- लड़कों के लिए 24,000/- रुपये और लड़कियों के लिए 27,000/- रुपये।
(ग)	2015-16	छात्रवृत्तियों की संख्या- 5500 नई छात्रवृत्तियाँ (लड़के और लड़कियों के लिए 2750 प्रत्येक)। मात्रा- लड़कों के लिए 24,000/- रुपये और लड़कियों के लिए 27,000/- रुपये।
(घ)	2019-20	छात्रवृत्तियों की संख्या- 5500 नई छात्रवृत्तियाँ (लड़के और लड़कियों के लिए 2750 प्रत्येक)। मात्रा- लड़कों के लिए 30,000/- रुपये और लड़कियों के लिए 36,000/- रुपये।

5.4 **पात्रता की शर्तें** छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं: -

(क) **छात्र (आवेदक) आश्रित वार्ड/विधवा होने चाहिए** भूतपूर्व सैनिकों (ई.एस.एम) और पूर्व भारतीय तटरक्षक (पूर्व आई.सी.जी) कार्मिकों की सूची निम्नानुसार है: -

(i) ईएसएम/पूर्व आईसीजी कार्मिक को सेवामुक्ति के समय अधिकारी (जेसीओ/ओआर या नौसेना और वायु सेना के समकक्ष/प्रधान अधिकारी और आईसीजी से नीचे) से नीचे के पद पर होना चाहिए।

(ii) ऐसे मामलों में जहां ई.एस.एम/पूर्व आई.सी.जी कार्मिक सैन्य सेवा/तटरक्षक सेवा के कारण मृत/विकलांग हो गए हों या उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, तो उन्हें चाहे वह किसी भी पद पर हो।

(ख) जिन छात्रों ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है (पार्श्व प्रवेश को छोड़कर) वे ही पात्र हैं। पी.एम.एस.एस के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) छात्रों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एमईक्यू) अर्थात् 10+2/डिप्लोमा/स्नातक में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।

(घ) पहले से ही दूसरे वर्ष या उसके बाद के वर्षों में अध्ययन कर रहे छात्र, पार्श्व प्रवेश पाठ्यक्रम के मामले को छोड़कर, प्रारंभिक पीएमएसएस के लिए पात्र नहीं हैं।

(ङ) अर्धसैनिक/सीएपीएफ कार्मिकों सहित नागरिकों के बच्चे पात्र नहीं हैं।

(च) एक व्यक्ति के केवल दो बच्चों के लिए स्वीकार्य।

(छ) **आयु मानदंड** (प्रवेश के समय कॉलेज/संस्थान द्वारा प्रमाणित गणना की जाती है।

(i) **पुरुष वार्ड** प्रवेश के समय 25 वर्ष की आयु तक.

(ii) **महिला वार्ड** कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन केवल विवाह की तिथि तक ही पात्रता है।

(iii) **विधवा उम्मीदवार** कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन केवल पुनर्विवाह की तिथि तक ही पात्र हैं।

(ज) संबंधित ZSB और RSB द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

(झ) आधार कार्ड से जुड़ा एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

(ञ) **छात्रवृत्ति रद्द करना/अस्वीकृति** यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी छात्र ने झूठा बयान देकर या तथ्यों की गलत व्याख्या करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द/अस्वीकृत हो जाएगी। ऐसे मामलों में वितरित छात्रवृत्ति की राशि वापस ले ली जाएगी।

5.5 **पीएमएसएस छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए प्राथमिकता** प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा: -

क्र. सं.	वर्ग	टिप्पणी
(क)	श्रेणी 1	कार्रवाई में मारे गए पूर्व सैन्य कर्मियों/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के आश्रित/विधवाएं।
(ख)	श्रेणी 2	सैन्य/तटरक्षक सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हुए ईएसएम/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के बच्चे।
(ग)	श्रेणी 3	ईएसएम/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के आश्रित/विधवाएं, जिनकी सेवा के दौरान सैन्य/तटरक्षक सेवा के कारण मृत्यु हो गई।
(घ)	श्रेणी 4	सैन्य/तटरक्षक सेवा के कारण विकलांगता से विकलांग हुए ईएसएम/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के बच्चे।
(ङ)	श्रेणी 5	वीरता पुरस्कार प्राप्त ईएसएम/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के बच्चे।
(च)	श्रेणी 6	ईएसएम/पूर्व तटरक्षक कर्मियों के बच्चे (केवल पीबीओआर)।

5.6 **आवेदन प्रस्तुत करना.**

(क) आवेदन पत्र को सहायक दस्तावेजों के साथ केएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन भरना होगा तथा उस शैक्षणिक वर्ष के 30 नवंबर तक जमा करना होगा जिसमें आवेदक को पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश मिला है।

(ख) पीएमएसएस के लिए सफल पंजीकरण के बाद, व्यक्ति को सिस्टम द्वारा जनरेटेड आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे उसे भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेना चाहिए।

(ग) ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें कॉलेज में प्रवेश किसी भी पिछले शैक्षणिक वर्ष (वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के अलावा) में लिया गया हो।

5.7 **दस्तावेज** आवेदक को सिस्टम पर निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी है (कृपया पीएमएसएस टैब के अंतर्गत केएसबी वेब पोर्टल से अपेक्षित अनुलग्नक डाउनलोड करें): -

(क) पीपीओ की प्रति /ईएसएम पहचान पत्र.

(ख) वीरता पुरस्कार (गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है) के भाग-II आदेश/पुरस्कार प्रमाण पत्र और राजपत्र अधिसूचना की प्रति, जैसा लागू हो।

(ग) जेडएसबी/तटरक्षक मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व तटरक्षक प्रमाणपत्र (प्रारूप केएसबी वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(घ) **विधिवत हस्ताक्षरित बोनाफाइड प्रमाण पत्र** संस्थान/कॉलेज के कुलपति/प्राचार्य/उप प्राचार्य/डीन/एसोसिएट डीन/रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार/निदेशक/उप निदेशक (विवरण सहित) (यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या छात्र उसी पाठ्यक्रम के लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति ले रहा है/नहीं ले रहा है) (प्रारूप **KSB** वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(ङ) छात्र के बैंक से प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि छात्र का आधार कार्ड उसके बैंक खाता संख्या के साथ लिंक है, साथ ही आधार कार्ड की प्रति (प्रारूप केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(च) कक्षा दसवीं/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की प्रतिजन्म तिथि सत्यापित करने के लिए।

(छ) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (MEQ) के प्रमाण की प्रति, जैसा लागू हो {कक्षा 10+2 की अंकतालिका/स्नातक की अंकतालिका (सभी शैक्षणिक वर्ष/सभी सेमेस्टर)/डिप्लोमा की अंकतालिका (सभी सेमेस्टर)}। विवरण पैरा 5.10 में दिया गया है।

(ज) छात्र के बैंक खाते का विवरण (बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड और खाताधारक के व्यक्तिगत विवरण वाला रद्द चेक)। यदि छात्र के पास नाबालिग का खाता है, तो उसे वयस्क खाते में परिवर्तित किया जाना चाहिए (जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाए)। माता-पिता के साथ संयुक्त खाता रखने वाले छात्र से भी यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

(झ) श्रेणी 1 से 12 तक के मामले में अतिरिक्त सहायक दस्तावेजों की प्रतिलिपि: -

क्र. सं.	वर्ग	सहकारी दस्तावेज़
(i)	श्रेणी 1	- सेना - भाग II आदेश, नौसेना - सामान्य रूप, वायु सेना - पीओआर - सेवा मुख्यालय द्वारा जारी युद्ध हताहत प्रमाण पत्र की प्रति (केवल श्रेणी 1 और 2 के लिए)।
(ii)	श्रेणी 2	
(iii)	श्रेणी 3	
(iv)	श्रेणी 4	
(v)	श्रेणी 5	राजपत्र अधिसूचना के साथ पुरस्कार प्रमाण पत्र की प्रति।
(vi)	श्रेणी 6	पीपीओ/ईएसएम पहचान पत्र।

5.8 **चयन प्रक्रिया** आवेदनों को पूर्व सैनिक/पूर्व भारतीय तटरक्षक कार्मिकों की श्रेणी और एमईक्यू (सभी विषयों) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर, चयनित छात्रों की मेरिट सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बजट/निधि की उपलब्धता के आधार पर, छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ऑनलाइन वितरित की जाएगी। (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)।

5.9 **योग्य पाठ्यक्रम** निम्नलिखित पाठ्यक्रम पीएमएसएस के अंतर्गत विचार के लिए योग्य हैं: -

(क) पेशेवर केएसबी वेबसाइट में उल्लिखित पीएमएसएस अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची के अनुसार एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रमों सहित डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीए+एलएलबी, बी डिजाइन, बी आर्क, आदि संबंधित सरकारी नियामक निकायों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हैं, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, यूजीसी आदि।

(ख) एमबीए/एमसीए पाठ्यक्रमों को छोड़कर, मास्टर डिग्री (PG course) पाठ्यक्रम पीएमएसएस के लिए पात्र नहीं हैं।

(ग) विदेश में अध्ययनरत छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

(घ) पीएमएसएस के अंतर्गत किसी भी 'दूरस्थ शिक्षा/डिप्लोमा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम' की अनुमति नहीं है।

(ङ) पीएमएसएस का लाभ छात्र केवल एक पाठ्यक्रम के लिए उठा सकते हैं।

5.10 MEQ में न्यूनतम अंक 60% होने चाहिए.

(क) विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एम.ई.क्यू) अलग-अलग होती है, जैसे एमबीबीएस के लिए यह 10+2 है, जबकि बीई/बीटेक के लिए यह 10+2/डिप्लोमा है, बी.एड और एमबीए के लिए यह स्नातक योग्यता है।

(ख) पीएमएसएस के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के संबंधित एमईक्यू में न्यूनतम 60% अंक होना आवश्यक है। 60% अंकों की गणना के लिए सभी विषयों (वैकल्पिक विषयों सहित) को लिया जाएगा, न कि केवल सर्वोत्तम अंक वाले विषयों को।

(ग) ऐसे मामलों में जहाँ अंकपत्र में अंक और CGPA दोनों का उल्लेख है, प्रतिशत की गणना के लिए अंकों को आधार बनाया जाता है। जहाँ अंकपत्र में केवल CGPA/ग्रेड पॉइंट्स का उल्लेख है, ऐसे मामलों में छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रतिशत रूपांतरण सूत्र के अनुसार CGPA/ग्रेड पॉइंट्स का उल्लेख करना आवश्यक है।

(घ) एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए MEQ 10+2 होगा.

5.11 छात्रवृत्ति की अवधि पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार दो से पांच वर्ष तक की अवधि, संबंधित नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में "केवल प्रथम प्रयास" में सभी विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन।

5.12 पाठ्यक्रम में परिवर्तन चयनित छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन के मामलों पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा: -

(क) विश्वविद्यालय के भीतर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण.

(i) एक ही पाठ्यक्रम या एक ही पाठ्यक्रम में अलग स्ट्रीम के साथ और जहाँ शैक्षणिक वर्ष नहीं बदला गया हो, ऐसे मामलों की अनुमति होगी।

(ii) किसी अन्य पाठ्यक्रम के साथ और/या जहाँ शैक्षणिक वर्ष बदल गया हो। ऐसे मामलों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण.

(i) समान पाठ्यक्रम के साथ और जहाँ शैक्षणिक वर्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे मामलों की अनुमति होगी।

(ii) किसी अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के साथ और/या शैक्षणिक वर्ष में परिवर्तन होने पर ऐसे मामलों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.13 पी.एम.एस.एस. का नवीनीकरण बाद की छात्रवृत्ति.

(ग) दूसरी या बाद की छात्रवृत्तियों के लिए, नवीनीकरण आवेदन संबंधित शैक्षणिक वर्ष के परिणाम घोषित होने के एक वर्ष के भीतर सीधे केएसबी को ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने पर, पाठ्यक्रम पूरा होने तक जमा किया जाना है।

(घ) छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष में सभी विषयों में कुल 50% अंकों के साथ

और प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण/पुनः-उपस्थिति (आरए) प्राप्त करता है, तो पीएमएसएस के तहत उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी और वह पीएमएसएस की किसी भी आगामी किश्त का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, यदि छात्र उस विषय में पुनः-उपस्थिति दिए बिना पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है, तो वह छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए पात्र होगा।



अध्याय 6

केएसबी के माध्यम से विविध लाभ उपलब्ध हैं

युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करना

6.1 **परिचय** रेल मंत्रालय बोर्ड के दिनांक 21 मार्च 1989 के पत्र TC-II/2066/89/वीरता पुरस्कार और दिनांक 20 अगस्त 2004 के TC-II/2198/98/विधवा/नीति के प्रावधानों के अंतर्गत, युद्ध विधवाओं और चक्र पुरस्कार विजेताओं को द्वितीय शयनयान श्रेणी में 75% रेल यात्रा रियायत प्रदान की गई है। युद्ध विधवाओं के लिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड उन्हें यह रियायत प्राप्त करने हेतु रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है।

6.2 **उद्देश्य** इसका उद्देश्य उन युद्ध विधवाओं को लंबी दूरी की यात्रा में कुछ राहत प्रदान करना है जिनके पति ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

6.3 **पात्रता की शर्तें** भारत सरकार, रेल मंत्रालय ने भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) के हताहतों और आतंकवादियों एवं उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए लोगों सहित युद्ध विधवाओं को द्वितीय शयनयान श्रेणी के रेल किराये में 75% की छूट प्रदान की है।

6.4 **आवेदन प्रक्रिया** आरएसबी/आरओ के माध्यम से जेडएसडब्ल्यूओ को प्रसारित प्रारूप के अनुसार आवेदन, आवेदक द्वारा संबंधित जेडएसडब्ल्यूओ को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से पूरा करके प्रस्तुत किया जाना है: -

- (क) पीपीओ की प्रति.
- (ख) एनओके को जारी डिस्चार्ज बुक / सेवा विवरण की प्रति।
- (ग) ZSWO द्वारा जारी युद्ध विधवा पहचान पत्र की प्रति।
- (घ) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो।
- (ङ) "सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि" के पक्ष में नई दिल्ली में देय 50/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर।
- (च) यदि पुराने आई-कार्ड के खो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रेल यात्रा रियायत के लिए डुप्लीकेट आई-कार्ड के लिए आवेदन किया जाता है, तो उपरोक्त (क) से (ङ) के अतिरिक्त एफआईआर की प्रति तथा बाद में पाए जाने पर पुराना आई-कार्ड या जैसा भी लागू हो, क्षतिग्रस्त आई-कार्ड लौटाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.5 **ZSWO द्वारा कार्रवाई** ZSWO आवेदन की जाँच करता है और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करता है। आवेदन पत्र, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, जो आगे की ओर विधिवत सत्यापित हों, आवेदक की तस्वीर, पीछे की ओर सत्यापित और ZSWO की रबर स्टैम्प लगी हो, को प्रतिहस्ताक्षर के लिए मृतक सैनिक के संबंधित अभिलेख कार्यालय को भेज दिया जाता है।

6.6 **रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा कार्रवाई** आवेदन प्राप्त होने पर अभिलेख कार्यालय, आवेदन में दिए गए विवरणों की सत्यता की पुष्टि करता है। सही पाए गए आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ केएसबी सचिवालय, नई दिल्ली को भेज दिए जाते हैं।

6.7 **KSB में प्रसंस्करण आवेदनों** और संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जाँच की जाती है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे सुधार हेतु अभिलेख कार्यालय/ZSWO को सूचित किया जाता है। सही पाए गए आवेदनों पर पहचान पत्र तैयार करने हेतु कार्रवाई की जाती है और उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित युद्ध विधवा को आवेदन में उल्लिखित उसके स्थायी पते पर भेज दिया जाता है।

टिप्पणी: - यह रेल यात्रा रियायत रेल मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या TC-II/2003/20/Covid 19 दिनांक 19 मार्च 2020 के तहत बंद कर दी गई थी। इस रियायत को बहाल करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है।

विशेष नेत्रहीन पेंशन (एओ 318/73 प्रासंगिक)

6.8 **पृष्ठभूमि.** एक ईएसएम जो किसी कारण से आजीविका कमाने से वंचित है दृष्टिहीनता के कारण विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। विशेष दृष्टिहीन पेंशन उन पूर्व-सैनिकों को प्रदान की जाती है जिनकी पूर्ण/आंशिक दृष्टिहीनता सैन्य सेवा के कारण है, जिसमें विकलांगता 20% से अधिक है और सैन्य सेवा के कारण बढ़ी नहीं है। 1942 में पहली बार शुरू की गई इस पेंशन की दर को समय-समय पर निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

क्र. सं.	फ़्रोम	टू	प्रति माह दर
(क)	1942	31 मई 1950	₹ 5.00
(ख)	01 जून 1950	31 मार्च 1969	₹ 10.00
(ग)	01 अप्रैल 1969	31 दिसंबर 1972	₹ 15.00
(घ)	01 जनवरी 1973	02 जुलाई 1982	₹ 30.00
(ङ)	03 जुलाई 1982	30 सितंबर 2001	₹ 50.00
(च)	01 अक्टूबर 2001	31 मई 2017	₹ 500.00
(छ)	01 जून 2017	आज तक	₹ 4,000.00

6.9 **उद्देश्य.** सैन्य सेवा के कारण 20% से अधिक विकलांगता वाले दृष्टिहीन या आंशिक रूप से दृष्टिहीन पूर्व-सैनिकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6.10 **राशि** केएसबी सचिवालय दृष्टिहीन पूर्व-सैनिकों को प्रति माह ₹4,000.00 की विशेष दृष्टिहीन पेंशन स्वीकृत करता है। विशेष दृष्टिहीन पेंशन, पूर्व-सैनिकों को उनकी पेंशन के सेवा तत्व और विकलांगता तत्व के अतिरिक्त दी जाती है।

6.11 **आवेदन जमा करने का माध्यम** विशेष दृष्टिहीन पेंशन हेतु एक मैनुअल आवेदन पत्र भरकर पूर्व सैनिक द्वारा बेरोजगारी प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की प्रति और चिकित्सा इतिहास के साथ संबंधित अभिलेख कार्यालय को भेजा जाना है। दस्तावेजों के विधिवत सत्यापन के बाद, अभिलेख कार्यालय द्वारा आवेदन को संबंधित दस्तावेजों के साथ पीसीडीए (पी) प्रयागराज को भेजा जाता है। पीसीडीए (पी) प्रयागराज मामले की जाँच करता है और उसे अपनी अनुशंसा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुमोदन हेतु केएसबी सचिवालय को भेजता है।

6.12 **केएसबी सचिवालय में प्रसंस्करण** पीसीडीए (पी) की रिपोर्ट के आधार पर, सचिव, केएसबी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है और स्वीकृति पत्र के साथ सभी दस्तावेज विशेष दृष्टिहीन पेंशन प्रदान करने के लिए पीसीडीए (पी) प्रयागराज को वापस भेज दिए जाते हैं।

मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में केंद्रीय पूल से आरक्षित सीटों का आवंटन

6.13 **परिचय** 1967 से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के बच्चों/विधवाओं/पत्नियों को आवंटित करने के लिए, केंद्रीय पूल कोटे के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड को एमबीबीएस/बीडीएस सीटें आवंटित करता है। इन सीटों के लिए रक्षा मंत्रालय के कोटे के आवंटन हेतु केएसबी भारत सरकार द्वारा नामित है।

6.14 पात्रता मापदंड.

(क) यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।

(ख) डीईएसडब्ल्यू, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 6(1)/2017/डी (आरईएस-II) दिनांक 21 मई 2018 के अनुसार, प्राथमिकता-I से प्राथमिकता-IX तक के सेना, नौसेना और वायु सेना के रक्षा कर्मियों के केवल वार्ड/विधवा/पत्नियां ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

(ग) चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। नीट उत्तीर्ण न करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।

(घ) एएफएचक्यू/रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ में कार्यरत सिविलियन/नागरिकों के बच्चे तथा डीएससी, जीआरईएफ, असम राइफल, पैरा मिलिट्री/सीएपीएफ आईसीजी के कार्मिकों के बच्चे पात्र नहीं हैं।

(ङ) जिस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश चाहा जा रहा है, उसमें अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर को 17 वर्ष होनी चाहिए।

(च) निर्भरता नियमों के अनुसार, विवाहित बच्चे, लिंग की परवाह किए बिना, और 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(छ) यह सुविधा सम्पूर्ण जीवनकाल के दौरान प्रति परिवार केवल एक सदस्य के लिए ही स्वीकार्य है।

6.15 निर्देश आवेदकों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: -

(क) पात्र उम्मीदवार के लिए आवेदन **ऑनलाइन प्रस्तुत** नीचे दिए गए पैरा 6.16 में दिए गए सहायक दस्तावेजों के साथ केएसबी वेबसाइट पर आवेदन जमा करें। घोषित अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवारत कर्मियों को ओआईसी रिकॉर्ड्स द्वारा विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।

(ख) गलत या भ्रामक प्रविष्टि के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, जांच और साक्षात्कार के लिए अधिकारियों का एक बोर्ड (बीओओ) गठित किया जाएगा। दस्तावेजों का वितरण और एमबीबीएस/बीडीएस सीटों का आवंटन।

(घ) योग्य उम्मीदवारों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग नंबर 7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से काउंसलिंग की तिथि के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

(ड़) योग्य उम्मीदवार जो काउंसलिंग में उपस्थित होना चाहते हैं/नहीं होना चाहते हैं, उन्हें अपनी इच्छा/अनिच्छा ईमेल के माध्यम से आईमेल आईडी **jd.cksb-mod@gov.in** या डाक द्वारा, केएसबी सचिवालय द्वारा दी गई निर्दिष्ट तिथि के भीतर भेजा जाना चाहिये। इच्छा/अनिच्छा प्रमाण पत्र का प्रारूप ऑनलाइन उपलब्ध है।

(च) निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(छ) अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी फोटोकॉपी साथ लानी होगी।

(ज) दस्तावेजों की जांच और सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद, बीओओ योग्य उम्मीदवार को उपलब्ध सीट की पेशकश करेगा।

(झ) सीट का आवंटन विशेष प्राथमिकता के अंतर्गत उम्मीदवार की प्राथमिकता और योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

सीट का आवंटन विशेष प्राथमिकता के अंतर्गत उम्मीदवार की प्राथमिकता और योग्यता के आधार पर किया जाएगा

(ञ) योग्य उम्मीदवारों को आवंटन के लिए उपलब्ध कॉलेज दिखाए जाएंगे और उन्हें सूची में से अपनी पसंद का कॉलेज चुनना होगा। उन्हें स्वीकृति मिलने पर अपनी इच्छा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, या यदि वे उपलब्ध कॉलेजों में से किसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो अपनी अनिच्छा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ट) यदि योग्य उम्मीदवार किसी भी उपलब्ध कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उसे दी गई सीट का उपयोग/आवंटन मेरिट में अगले उम्मीदवारों को किया जाएगा।

(ठ) एक बार आवंटित कॉलेज अंतिम होगा और उसके बाद कॉलेज बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ड) वह उम्मीदवार जिसे प्रस्ताव/आवंटन पत्र जारी होने पर, उन्हें अपने प्रस्ताव/आवंटन पत्र में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर अपने संबंधित कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा और केएसबी को ईमेल/टेलीफोन के माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी। इसका पालन न करने पर उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है।

(ढ) प्रवेश पत्र जारी होने के बाद, यदि अभ्यर्थी उस कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक नहीं है, जहां उसे आवंटित किया गया था, तो उसे सीट सरेंडर करना है। "सरेंडर सर्टिफिकेट" ईमेल के माध्यम से केएसबी को भेजा जाएगा। सीट रद्द कर दी जाएगी और उसका उपयोग/आवंटन मेरिट में अगले उम्मीदवारों को किया जाएगा।

(ण) नामांकन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अभ्यर्थी संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय की प्रवेश / आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं।

(त) यदि किसी आवेदक को उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश दिया जाता है यदि बाद में यह पाया जाता है कि आपका बयान किसी भी तरह से झूठा है, तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा भुगतान की गई फीस और अन्य देय राशि वापस नहीं की जाएगी।

(थ) आरक्षित सीटों के लिए प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी को भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा, जैसा भी मामला हो, कि वह मेडिकल/डेंटल ग्रेजुएट के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट अवधि

के लिए संबंधित सरकार की सेवा करेगा।

(द) यदि किसी चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण संबंधित मेडिकल/डेंटल कॉलेज द्वारा प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है, तो वह किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरण या प्रवेश का दावा नहीं कर सकेगा। मेडिकल/डेंटल कॉलेज।

(ध) सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी आरएसबी/जेडएसबी/रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा सत्यापित की जानी है। इन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

(न) अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में नीचे सूचीबद्ध प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख करना होगा (भारत सरकार रक्षा मंत्रालय/डीईएसडब्ल्यू नोट एफ संख्या 6(1)2017/डी (आरईएस II) दिनांक 21 मई 2018 के अनुसार)।

क्र. सं.	प्राथमिकता	लागू
(i)	प्राथमिकता-I	युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएँ/आश्रित।
(ii)	प्राथमिकता-II	कार्यरत एवं सेवा से बाहर किये गये विकलांगों के आश्रित।
(iii)	प्राथमिकता-III	रक्षा कार्मिकों की विधवाएँ/आश्रित जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान हुई हो।
(iv)	प्राथमिकता-IV	सेवा में लगे विकलांगों के आश्रित तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर किए गए विकलांगों के आश्रित।
(v)	प्राथमिकता-V	भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कार्मिकों के आश्रित जो निम्नलिखित वीरता पुरस्कारों में से कोई भी प्राप्त कर रहे हैं: (i) परमवीर चक्र. (ii) अशोक चक्र. (iii) महावीर चक्र. (iv) कीर्ति चक्र. (v) वीर चक्र. (vi) शौर्य चक्र. (vii) सेना, नौसेना और वायुसेना पदक (वीरता)। (viii) मेनशन-इन-डिस्पैच.
(vi)	प्राथमिकता-VI	भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।
(vii)	प्राथमिकता-VII	इनकी पत्नियाँ: (i) कार्रवाई के दौरान अक्षम हुए रक्षा कार्मिक और बाहर निकाले गए। (ii) सैन्य कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए रक्षा कार्मिक तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवामुक्त हुए रक्षा कार्मिक। (iii) भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

(viii)	प्राथमिकता- VIII	सेवारत कार्मिकों के वार्ड.
(ix)	प्राथमिकता- IX	सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

(य) प्राथमिकता-V के अंतर्गत चयन सख्ती से निम्न क्रम में होगी वीरता पुरस्कारों की प्राथमिकता।

(र) **शिक्षा रियायत प्रमाणपत्र (ईसीसी)/पात्र प्रमाणपत्र (ईसी)** निम्नलिखित प्राधिकरणों/कार्यालयों द्वारा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय/डीईएसडब्ल्यू नोट एफ संख्या 6(1)2017/डी (आरईएस II) दिनांक 21 मई 2018 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया जा सकता है।

- (i) पूर्व सैनिक संबंधित निदेशक, आरएसबी/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसडब्ल्यूओ) द्वारा, जहां भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत है।
- (ii) सेवारत जेसीओ/ओआर वर्तमान इकाई/रिकॉर्ड कार्यालय के सी.ओ. द्वारा।
- (iii) सेवारत अधिकारी संबंधित अधिकारियों के अभिलेख कार्यालयों द्वारा।
- (iv) मुकदमेबाजी, यदि कोई हो, केवल दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।
- (v) ऊपर दिए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश के रूप में उपयोग किए जाने हैं तथा समय-समय पर जारी भारतीय चिकित्सा परिषद/स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के अनुसार बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
- (vi) सभी राज्यों/संबंधित मंत्रालयों को दिनांक 21 मई 2018 के डीईएसडब्ल्यू पत्र संख्या 6(1)/2017/डी(आरईएस-II) द्वारा जारी की गई अंतर-से-प्राथमिकता सूची, सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में वरीयता देने के लिए केवल एक दिशानिर्देश है। किसी विशेष विश्वविद्यालय और राज्य में सीटों/आरक्षण का विशिष्ट कार्यान्वयन और आवंटन राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

6.16 **दस्तावेज़.** आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं: -

- (क) मैट्रिक परीक्षा की अंक-पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- (ख) 10+2 या समकक्ष परीक्षा की अंक-पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।
- (ग) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के परिणाम/मेरिट की स्व-सत्यापित प्रति।
- (घ) पात्रता प्रमाण पत्र पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

(ड़) शिक्षा पात्रता कार्ड (युद्ध दुर्घटना/अन्य विकलांगता मामले), नवीनतम पेंशन भुगतान आदेश की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी(जैसा लागू हो, विशेष/ उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के उल्लेख के साथ), युद्ध दुर्घटना प्रमाण पत्र, विकलांगता को दर्शाने वाली दुर्घटना और वीरता पुरस्कार का दस्तावेजी प्रमाण (राजपत्र अधिसूचना और भाग ॥ आदेश की प्रति), जैसा लागू हो।

(च) पासपोर्ट आकार का फोटो ।

(छ) डिस्चार्ज बुक / सेवा पुस्तिका / मृतक प्रमाण पत्र (जैसा भी मामला हो)।



अध्याय - 7

शिकायत निवारण तंत्र

7.1 केएसबी विभिन्न योजनाएँ चलाता है और देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समन्वय भी करता है ताकि पूर्व-एसएम को कल्याणकारी सेवाएँ और उपाय प्रदान किए जा सकें। केएसबी द्वारा संचालित योजनाओं का प्रशासन और संबंधित प्रक्रियाएँ समय के साथ विकसित हुई हैं ताकि ये पूर्व-एसएम के लिए अधिक प्रत्यक्ष रूप से सुलभ हो सकें। बढ़ी हुई डिजिटल पहुँच ने न केवल जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि ईएसएम समुदाय को कई गुना सशक्त भी बनाया है। परिणामस्वरूप, ईएसएम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं, जिनमें बुनियादी प्रश्नों से लेकर बड़ी शिकायतों का निवारण भी शामिल है। केएसबी सचिवालय में एक शिकायत निवारण अनुभाग इन शिकायतों और शिकायतों के समाधान के लिए कार्यरत है।

7.2 **केएसबी सचिवालय को निम्नलिखित स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं: -**

- (क) वीआईपी संदर्भ मामलों के रूप में वीआईपी से।
- (ख) **सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल (केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) के माध्यम से ऑनलाइन।**
- (ग) रक्षा मंत्रालय/सेवा मुख्यालय द्वारा प्राप्त, केएसबी को पुनर्निर्देशित।
- (घ) व्यक्तिगत शिकायतें और शिकायतें सीधे केएसबी को संबोधित की जाएंगी।
- (ङ) ईमेल द्वारा (ईमेल आईडी jdgrievancesksb-mod@gov.in)।
- (च) रक्षा मंत्रालय, डीईएसडब्ल्यू/अन्य कार्यालयों/विभागों द्वारा हस्तांतरित ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई आवेदन/केएसबी द्वारा आवेदक से सीधे प्राप्त आवेदन।
- (छ) विभिन्न न्यायालयों में दायर याचिकाओं/मामलों के माध्यम से।

7.3 प्राप्त शिकायतों का अवलोकन, विश्लेषण और शीघ्र उत्तर/निवारण किया जा रहा है। प्राप्त अधिकांश शिकायतें राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों/अभिलेख कार्यालयों से संबंधित हैं और शीघ्र निवारण हेतु उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। इस सचिवालय द्वारा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सक्रिय संपर्क से शिकायतों के समय पर समाधान में सहायता मिलती है।

7.4 निवारण तंत्र में सुधार के लिए, पीजी पोर्टल में प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए सभी आरएसबी/जेडएसबी को सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर शामिल किया गया है।

7.5 इसके अतिरिक्त, ईएसएम बिरादरी के संबंध में टेलीफोन पर प्रश्नों के समाधान के लिए केएसबी (शिकायत अनुभाग) में एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 011-26179109 भी कार्य कर रहा है।

अध्याय – 8

भारतीय सेना द्वारा विस्तारित लाभ

8.1 भारतीय सेना द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से अनेक छात्रवृत्तियाँ/अनुदान/वित्तीय सहायता आदि प्रदान की जाती हैं। इनका विवरण आगे के पैराग्राफ में जानकारी के लिए दिया गया है। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु, विशिष्ट विवरण और आवेदन प्रक्रिया आदि के लिए प्रत्येक योजना के प्रासंगिक प्रावधानों को देखना आवश्यक है।

भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय (DIAV)

8.2 डीआईएवी, सेना मुख्यालय की एडजुटेंट जनरल शाखा के अधीन है जो भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के कल्याण की देखभाल करता है। डीआईएवी, राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों सहित पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है। डीआईएवी विभिन्न पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी मुद्दों पर अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी सहायता करता है।

8.3 **डीआईएवी के तहत कल्याणकारी योजनाएं** डीआईएवी का पुनर्वास एवं कल्याण (आर एंड डब्ल्यू) अनुभाग भारतीय सेना की कुछ कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु, विशिष्ट विवरण और आवेदन प्रक्रिया आदि के लिए प्रत्येक योजना के प्रासंगिक प्रावधानों को देखना होगा। योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	विवरण	युद्ध हताहत (बीसी)	शारीरिक क्षति (पीसी)
(क)	अनुग्रह राशि		
	हार्नेस मामलों में मृत्यु	₹8,00,000/-	₹2,50,000/-
	विकलांग: 60% और उससे अधिक	₹8,00,000/-	-
	विकलांग: 60% से कम	₹4,00,000/-	-
(ख)	बच्चों को शिक्षा अनुदान/विधवाओं की उच्च शिक्षा		
	कक्षा I से VIII	CW 3 के माध्यम से पूर्ण प्रतिपूर्ति	₹10,000/-
	कक्षा IX से XII		₹14,000/-
	स्नातक		₹20,000/-
	पोस्ट ग्रेजुएशन	₹25,000/-	₹25,000/-
	व्यावसायिक कोर्सेस	₹50,000/-	₹50,000/-
	शिक्षा अनुदान (पीसी नाना मामले)	-	₹अधिकतम 2 बच्चों के लिए 400/- प्रति माह (कक्षा I से XII तक)
(ग)	विवाह अनुदान		
	बेटी की शादी/ अनाथ बेटे की शादी/ विधवा का पुनर्विवाह (पीसी/बीसी घातक और बीसी (डिस) के लिए लागू 60% और उससे अधिक विकलांगता और अमान्य मेडिकल बोर्ड आउट मामले।	₹1,00,000/-	₹1,00,000/-
(घ)	एकमुश्त कंप्यूटर अनुदान		
	स्नातक/स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे बच्चों और विधवाओं के लिए एकमुश्त कंप्यूटर अनुदान। (प्रथम डिग्री कोर्स/स्नातक और उससे ऊपर के बाद लागू)	₹35,000/- बीसी विकलांगों के लिए लागू नहीं	₹35,000/-

(ड)	विकलांग सैनिकों के लिए गतिशीलता उपकरण/सहायता	
	संशोधित रेट्रोफिटेट स्क्ूटर (15 वर्षों के बाद दूसरा अंक)	वर्तमान में सीएसआर के तहत वस्तु के रूप में प्रदान किया जाता है
	मोटर चालित व्हील चेयर (07 वर्षों के बाद दूसरा अंक)	वर्तमान में सीएसआर के तहत वस्तु के रूप में प्रदान किया जाता है
	कार के संशोधन के लिए एकमुश्त अनुदान	₹70,000/-
	बाथरूम के संशोधन के लिए एकमुश्त अनुदान	₹40,000/-
(च)	गतिशीलता उपकरण (NANA केस)	
	सेवा के दौरान विकलांगता के लिए गतिशीलता उपकरण (अंग-अंगहीन/पैराप्लेजिक/क्वाड्रिप्लेजिक)।	81,000/- रुपये (संशोधित स्क्ूटर) (15 वर्षों के बाद पुनः जारी); या 50,000/- रुपये (मोटर चालित व्हील चेयर) (7 वर्षों के बाद पुनः जारी); या 70,000/- रुपये (कार का संशोधन (एक बार)

सेना समूह बीमा निधि (एजीआईएफ)

8.4 एजीआईएफ सैन्य कर्मियों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य समूह बीमा सह बचत योजना है। वर्तमान बीमा कवर की बारीकियाँ इस प्रकार हैं: -

(क) अधिकारी, जेसीओ और ओआर

वर्ग	सदस्यता (रु.)	लाभ (रु. में)	
		बीमा (रु.)	विकलांगता (रु.)*
नियमित सेना (01 अप्रैल 2025 से संशोधित)			
अधिकारियों	12,500/- प्रति माह	125 लाख	25 लाख
जेसीओ / ओआर	7,500/- प्रति माह	75 लाख	12.5 लाख
प्रादेशिक सेना (टीए) (01 अप्रैल 2025 से संशोधित)			
अधिकारियों	72,000/- प्रति वर्ष	75 लाख	25 लाख
जेसीओ / ओआर	36,000/- प्रति वर्ष	37.5 लाख	12.5 लाख
सेना डाक सेवा (APS)			
अधिकारियों	5,190/- प्रति माह	75 लाख	25 लाख
जेसीओ / ओआर	2,525/- प्रति माह	37.5 लाख	12.5 लाख
रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी)			
जेसीओ / ओआर	2,590/- प्रति माह	37.5 लाख	12.5 लाख
सेना विमानन कोर के अधिकारियों, जो फ्लाईंग पे प्राप्त कर रहे हैं, के लिए 7 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर प्रदान किया जाता है।			
टिप्पणी :- *दिखाई गई विकलांगता राशि 100% विकलांगता के लिए है और 20% विकलांगता होने तक आनुपातिक रूप से कम होती जाती है। यह केवल उन लोगों पर लागू है जिन्हें विकलांग चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिनकी सेवा अवधि कम कर दी गई है और जो किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह नीति 1 मई 2018 से लागू है। सरकारी विकलांगता पर लागू पूर्णांकन AGIF योजना पर भी लागू होता है।			

(ख) कैडेट्स

वर्ग	सदस्यता (₹)	लाभ (₹. में)	
		बीमा (₹)	विकलांगता (₹)*
आईएमए/ओटीए/एमसीईएमई/सीएमई/एमसीटीई में जीसी/एलसी (वजीफा प्राप्त करने वाले)	12,500/- प्रति माह	125 लाख	25 लाख #
एनडीए/एएफएमसी/एमसीईएमई/एमसीटीई/सीएमई के कैडेट (वजीफा प्राप्त नहीं कर रहे हैं)	7,200/- प्रतिमाह (ज्वाइनिंग पर एक बार)	15 लाख	15 लाख @
बीएससी नर्सिंग कैडेट्स (वजीफा प्राप्त नहीं कर रहे हैं)	4,625/- (ज्वाइनिंग पर एक बार)	8 लाख	4 लाख @
छात्र नर्स (जीएनएम)	3,465/- (ज्वाइनिंग पर एक बार)	8 लाख	4 लाख @
*100% विकलांगता के लिए, विकलांगता के लिए अनुपातिक रूप से 20% तक की कमी। #20% से कम विकलांगता के लिए 50,000/- रुपये का अनुग्रह अनुदान। @20% से कम विकलांगता के लिए, प्रशिक्षण के प्रारंभिक वर्षों के लिए 50,000/- रुपये और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान 1 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।			

8.5 दिग्गजों के लिए विस्तारित बीमा (ईआई) योजना.

क्र. सं.	वर्ग	एकमुश्त प्रीमियम (₹)	ईआई कवर (₹)	अवधि
(क)	अधिकारियों	2,75,000/- (वापसी योग्य)	30 लाख	सेवानिवृत्ति के 26 वर्ष बाद या 80 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
(ख)	जेसीओ/ओ आर	1,20,000/- (वापसी योग्य)	15 लाख	सेवानिवृत्ति के 30 वर्ष बाद या 75 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

सेना महिला कल्याण संघ (AWWA)

8.6 AWWA सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के परिवारों, बच्चों और आश्रितों का समर्थन करती है। AWWA द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान की जाती हैं: -

क्र. सं.	कल्याणकारी योजनाएं और पात्रता	राशि (₹)	टिप्पणी
(क)	अनुग्रह राशि सेवा के दौरान शहीद होने वाले सभी रैंकों के सैनिकों को तत्काल राहत प्रदान की जाती है। सैनिक की मृत्यु पर यूनिट द्वारा तुरंत भुगतान किया जाता है। AWWA बाद में राशि का भुगतान करती है।	30,000/-	सेवाकाल में मृत्यु (बीसी/पीसी)।
(ख)	विवाह अनुदान सेवानिवृत्ति के बाद सैनिक की मृत्यु होने पर वित्तीय संकट में विधवाओं/आश्रितों/अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।	50,000/-	सैनिक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर आश्रितों का विवाह।

(ग)	AWWA वित्तीय अनुदान 100% विकलांगता/विकलांग बी.सी. कार्मिकों के साथ सेवा से बाहर किए गए कार्मिकों की पत्नियों के लिए सिलाई मशीनों की खरीद।	मशीन की लागत का 50% या अधिकतम रु. 6,000/-	संबंधित रेजिमेंट सेंटर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेजिमेंट सेंटर का हिस्सा आवेदक को भुगतान हो जाने पर अनुदान वितरित किया जाएगा।
(घ)	AWWA शिक्षा छात्रवृत्ति (स्नातक स्तर तक) सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर देय। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम दो बच्चों के लिए अधिकृत।	प्रति बच्चा दर	संबंधित जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से प्रक्रिया (आवेदन पत्र AWWA वेबसाइट (www.awwa.org.in) पर उपलब्ध है)
	कक्षा I से कक्षा VIII तक	10,000/-	
	कक्षा IX से कक्षा XII तक	14,000/-	
	स्नातक	20,000/-	
	पोस्ट ग्रेजुएशन	25,000/-	
	टेक शिक्षा अनुदान/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/इंजीनियरिंग/एमडी/बीबीए/एमबीए)	50,000/-	

सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन (AWPO)

8.7 सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन (एडब्ल्यूपीओ) यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य सेना के दिग्गजों, उनकी विधवाओं और आश्रितों को विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में नौकरियां उपलब्ध कराना है। मई 1999 में, समारोह एवं कल्याण निदेशालय, एडजुटेंट जनरल शाखा के अंतर्गत स्थापित। सेना के पूर्व सैनिकों की दूसरी नौकरी की आकांक्षाओं को पूरा करने के अलावा, AWPO विभिन्न संगठनों में सेना की विधवाओं और उनके आश्रितों को नौकरी दिलाने के लिए भी काम करता है। AWPO, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। AWPO की अखिल भारतीय उपस्थिति है, जिसके सभी प्रमुख शहरों में 18 प्लेसमेंट क्षेत्रीय नोड और 54 प्लेसमेंट सेल हैं।

सम्पर्क करने का विवरण

8.8 उपरोक्त संगठनों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं.	संगठन	पता	फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी
(क)	डीआईएवी	DIAV, एडजुटेंट जनरल की शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, 104, कैवेलरी रोड, मौड लाइन्स, दिल्ली कैंट 110010	टोल फ्री नंबर: 1800116644 वेबसाइट: indianarmyveterans.gov.in ईमेल: armyveteranscell@gmail.com
(ख)	एजीआईएफ	एजीआईएफ, एजीआई भवन राव तुला राम मार्ग पोस्ट बैग संख्या - 14, डाकघर वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057	निदेशक (समन्वय) - 011-26142369 एक्सचेंज एजीआईएफ - 011-26142749, 26145058 ई-मेल: agif@armygroupinsurance.in claimsagif@gmail.com
(ग)	आवा	आवा सचिवालय,	फ़ोन - 011-23018183, 23018968,

		कल्याण परिसर, कमरा नंबर 6, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110 011	21410674, 23016713 वेबसाइट: awwa.org.in ईमेल – centralawwa@gmail.com
(घ)	एडब्ल्यूपीओ	एडब्ल्यूपीओ, एडजुटेंट जनरल की शाखा/ सीडब्ल्यू निदेशालय आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (सेना), बिल्डिंग नंबर - 67, मौड लाइन्स, कैवलरी रोड, दिल्ली कैंट - 110010	टेली नंबर: 25675385/25671552 टोल फ्री – 1800-11-9922 वेबसाइट: www.exarmynaukri.com ईमेल : hq.awpo@awpo.in



अध्याय – 9

भारतीय नौसेना द्वारा विस्तारित लाभ

9.1 भारतीय नौसेना विभिन्न संगठनों के माध्यम से अनेक छात्रवृत्तियाँ/अनुदान/वित्तीय सहायता आदि प्रदान करती है। इनका विवरण आगे के पैराग्राफ में जानकारी के लिए दिया गया है। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु, विशिष्ट विवरण और आवेदन प्रक्रिया आदि के लिए प्रत्येक योजना के प्रासंगिक प्रावधानों को देखें।

नौसेना पूर्व सैनिक निदेशालय (DNV)

9.2 डीएनवी सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों से संबंधित सभी मामलों की देखभाल हेतु नोडल निदेशालय है। डीएनवी, पूर्व नौसेना कर्मियों, जिनमें उनकी विधवाएँ और आश्रित भी शामिल हैं, के कल्याण और शिकायत निवारण हेतु सहायता प्रदान करता है। डीएनवी नौसेना मुख्यालय की कार्मिक शाखा के अंतर्गत कार्य करता है।

नौसेना समूह बीमा योजना (एनजीआईएस)

9.3 सेवारत कार्मिक बीमा कवर (सेवारत कार्मिक की मृत्यु पर मृतक/नामित को देय) निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	श्रेणी (सेवारत)	सामान्य बीमा (जीजीआईएस)	विमानन, पनडुब्बी और समुद्री कमांडो के लिए अतिरिक्त बीमा (ADGIS)
(क)	अधिकारियों	₹1.25 करोड़	₹ 15 लाख
(ख)	नाविकों	₹75 लाख	₹ 7 लाख

9.4 सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु बीमा विस्तार के तहत सेवानिवृत्त कार्मिक योजना (पीआरडीआईईएस) कवर निम्नानुसार प्रदान किया गया है: -

क्र. सं.	वर्ग (सेवानिवृत्त)	एकमुश्त प्रीमियम वापसी योग्य नहीं(₹)	केवल मृत्यु लाभ	अवधि
(क)	अधिकारियों	₹3,15,250/-	₹ 60 लाख	सेवानिवृत्ति के 30 वर्ष बाद या 75 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
(ख)	नाविकों	₹1,85,500/-	₹ 30 लाख	

भारतीय नौसेना कल्याण संघ (आईएनबीए)

9.5 INBA अनुदान प्रदान करता है सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों के अभिभावक/वार्ड इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	योजनाओं	पात्रता	राशि	टिप्पणी
(क)	मेरिट छात्रवृत्ति	पहले दो बच्चे 52 सप्ताह या उससे अधिक अवधि के यूजी, पीजी, व्यावसायिक/आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए। पहले प्रयास में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने और न्यूनतम निर्दिष्ट प्रतिशत प्राप्त करने के अधीन।	30,000/- रुपये प्रति वर्ष 22,500/- रुपये प्रति वर्ष 45,000/- रुपये प्रति वर्ष.	संदेश-लेखक डे स्कॉलर्स. सेवानिवृत्ति के बाद मृत पेंशनभोगियों के आश्रितों
(ख)	विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएस)	सेवा के दौरान दिवंगत होने वाले नौसेना कर्मियों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चे।	ऊपरी सीमा के अधीन निम्नानुसार:	- पहले प्रयास में पास होना

क्र. सं.	योजनाओं	पात्रता	राशि	टिप्पणी
		<u>शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए</u> (i) प्ले स्कूल से केजी तक (ii) कक्षा I से VIII तक (iii) कक्षा IX से XII (iv) स्नातक (v) स्नातकोत्तर	15,000/- रुपये प्रति वर्ष 30,000/- रुपये प्रति वर्ष 45,000/- रुपये प्रति वर्ष 45,000/- रुपये प्रति वर्ष 45,000/- रुपये प्रति वर्ष	चाहिए. - कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए मूल रसीदें/बिल अनिवार्य नहीं हैं।
		<u>व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए</u> (i) इंजीनियरिंग/मेडिकल (ii) कंप्यूटर/प्रबंधन (iii) कानूनी/व्यावसायिक	1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष 75,000/- रुपये प्रति वर्ष 60,000 रुपये प्रति वर्ष	
		<u>बोर्डिंग/लॉजिंग के लिए</u>	75,000/- रुपये प्रति वर्ष	
(ग)	बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना	इंजीनियरिंग/एमबीबीएस कर रही बालिकाओं के लिए एसएसएस की दरें बढ़ाई गई। - नौसेना कर्मियों की बेटियां जो सेवा के दौरान मर जाती हैं। - अनाथ बेटियां, चाहे उनके माता-पिता की मृत्यु सेवाकाल में/सेवानिवृत्ति के बाद हुई हो। - अविवाहित नौसैनिकों की दो आश्रित अविवाहित बहनें, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।	1,25,000/- रुपये प्रति वर्ष या वास्तविक व्यय जो भी कम हो।	
(घ)	अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	अनाथ बच्चे, चाहे उनके माता-पिता की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई हो या सेवानिवृत्ति के बाद।	एसएसएस के समान	एसएसएस के समान

(ड)	विशेष / विकलांग / मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	- पहले दो बच्चेकेवल। - 3 से 25 वर्ष की आयु के बीच। - सक्षम प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रतिशत निम्नानुसार है: (i) 50% तक (ii) 51 – 60% (iii) 61 – 70% (iv) 71 – 80% (v) 81 – 90% (vi) 91 – 100%	5,000 रुपये प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रति वर्ष 7,000 रुपये प्रति वर्ष 8,000 रुपये प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति वर्ष	
(च)	40% कोचिंग शुल्क प्रतिपूर्ति	सेवारत/सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों और विधवाओं के पहले दो बच्चों को जेईई (एडवांस) स्कोर पर प्रवेश लेने वाले संस्थानों और केंद्रीय/राज्य सरकार के कॉलेजों में एमबीबीएस में प्रवेश दिया जाएगा।	कोचिंग शुल्क का 40%.	
(छ)	स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता	गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे नौसेना कर्मियों की विधवाओं को स्व-सहायता आर्थिक उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया	1,50,000/- रुपये तक	
(ज)	मृत्यु अनुदान	नौसेना कर्मियों की मृत्यु पर आश्रित को	40,000/- रुपये एकमुश्त अनुदान।	
(झ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुल्क प्रतिपूर्ति	नौसेना कर्मियों की विधवाएँ	50,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान।	
(ञ)	बेटी की शादी के लिए अनुदान	नौसेना कर्मियों की विधवाओं को उनकी पहली दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है	प्रति पुत्री 50,000/- रु.	
(ट)	सेवा के दौरान मरने वाले अविवाहित अधिकारियों/नाविकों के परिवार को वित्तीय सहायता	एक बहन की शादी	50,000/- रुपये	
		माता के लिए स्व-सहायता आर्थिक उद्यम (केवल मामला-दर-मामला आधार पर)	1,00,000/- रुपये तक	
		दो अविवाहित बहनों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएस)	एसएसएस के अनुसार	
		केवल मामले के आधार पर माताओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति	रु. 50,000/-	

नौसेना कल्याण और कल्याण संघ (NWWA)

9.6 नव्वा (NWWA) द्वारा सेवानिवृत्त नौसेना कर्मियों के परिजनों/बच्चों को प्रदान किए जाने वाले अनुदान इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	योजनाओं	पात्रता	राशि	टिप्पणी
(क)	NWWA से छात्रवृत्ति	सेवानिवृत्ति के बाद मरने वाले नौसेना कर्मियों के बच्चे - कक्षा I - VIII - कक्षा IX - XII	15,000/- रुपये प्रति वर्ष 20,000/- रुपये प्रति वर्ष	पहले प्रयास में पास होना चाहिए.
(ख)	NWWA से मृत्यु अनुदान	सेवा के दौरान किसी नौसैनिक की मृत्यु होने पर मृतक के रिश्तेदार को	15,000/- रुपये 15,000/- रुपये	क्षेत्रीय NWWA कार्यालय. एनडब्ल्यूडब्ल्यूए केंद्रीय कार्यालय।

भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी (INPA)

9.7 आईएनपीए (INPA) की स्थापना 18 फ़रवरी 2006 को तत्कालीन पूर्व सैन्य मामलों के निदेशालय (अब डीएनवी) के तत्वावधान में राष्ट्रीय मुख्यालय में की गई थी। इसके बाद, संबंधित कमांड मुख्यालयों के अंतर्गत मुंबई, कोच्चि और विशाखापत्तनम में कमांड प्लेसमेंट सेल स्थापित किए गए। आईएनपीए का प्राथमिक उद्देश्य कॉर्पोरेट/निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त नौसैनिकों के लिए दूसरे करियर के अवसरों को बढ़ाना है। जहाँ सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त नौसैनिकों को पंजीकरण के लिए मामूली शुल्क देना होता है, वहीं आईएनपीए और प्लेसमेंट सेल नौसैनिकों की विधवाओं को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करते हैं। पूरी जानकारी आईएनपीए या डीएनवी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सम्पर्क करने का विवरण

9.8 उपरोक्त संगठनों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं.	ऑर्गन	पता	फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी
(क)	डीएनवी/आईएनपीए	नौसेना के दिग्गजों का निदेशालय, कमरा - 15, भूतल, नौसेना भवन, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली 110010	डीएनवी -011-28702701, desa@navy.gov.in आईएनपीए -011-28702703, inpa@navy.gov.in
(ख)	डीएनएफएफ/आईएनबीए/ एनजीआईएफ	सचिव, एनजीआईएफ/आईएनबीए, गैर-सार्वजनिक निधि निदेशालय 7वीं मंजिल, चाणक्य भवन, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली 110021	011-24678535 (एनजीआईएफ के लिए) 011-24676044 (INBA के लिए) ई-मेल: dnspf@navy.gov.in

(ग)	नवपेन	रसद अधिकारी प्रभारी, नौसेना पेंशन कार्यालय, सी/ओ आईएनएस तानाजी, सायन ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द, मुंबई – 400 088	022-25075600/ 022- 25529401 टोल फ्री नंबर: 1800220560 / 1800220559 ईमेल: navpen-navy@nic.in
(घ)	NWWA केंद्रीय कार्यालय	माननीय सचिव, NWWA, कमरा नंबर-706, 'डी' ब्लॉक, डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स, अफ्रीका एवेन्यू, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110023	



अध्याय - 10

भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान किए गए लाभ

9.9 भारतीय वायु सेना विभिन्न संगठनों के माध्यम से अनेक छात्रवृत्तियाँ/अनुदान/वित्तीय सहायता आदि प्रदान करती है। इनका विवरण आगे के अनुच्छेदों में जानकारी के लिए दिया गया है। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु, विशिष्ट विवरण और आवेदन प्रक्रिया आदि के लिए प्रत्येक योजना के प्रासंगिक प्रावधानों को देखें।

वायु सैनिक निदेशालय (डीएवी)

9.10 वायु सेना के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय की स्थापना 2012 में हुई थी और इसे सेवानिवृत्त वायु सेना कर्मियों से संबंधित सभी मामलों की देखभाल हेतु नियुक्त किया गया है। डीएवी, वायु सेना के भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें उनकी विधवाएँ और उनके बच्चे भी शामिल हैं, की पेंशन, कल्याण और शिकायत निवारण हेतु सहायता प्रदान करता है। डीएवी वायु सेना मुख्यालय की प्रशासन शाखा के अधीन कार्य करता है।

वायु सेना समूह बीमा सोसायटी (AFGIS)

9.11 एएफजीआईएस की योजनाएं इस प्रकार हैं: -

(क) **सेवारत कार्मिक** जीवन बीमा कवर (सेवारत कार्मिक की मृत्यु पर मृतक/नामित को देय) निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	श्रेणी (सेवारत)	सामान्य बीमा योजना	फ्लाइंग पे लिंकड इंश्योरेंस
(i)	अधिकारियों	₹1.10 करोड़	₹ 15 लाख
(ii)	वायुसैनिक और एसी (यूटी)	₹ 55 लाख	₹ 7.5 लाख
(iii)	एनसी(ई)	₹ 27.5 लाख	--

***विकलांगता कवर** 100% विकलांगता की स्थिति में, जीवन बीमा राशि का 50% विकलांगता लाभ के रूप में प्रदान किया जाता है। सेवा से बाहर होने पर, यह विकलांगता को आनुपातिक रूप से न्यूनतम 20% तक कम कर देगा। यह उत्तरजीविता लाभ के अतिरिक्त है।

(ख) **वायु सैनिक बीमा कवर (एवीआईसी) योजना** एवीआईसी योजना इस प्रकार है: -

एवीआईसी 23 योजना (01 अक्टूबर 2023 से सेवानिवृत्त)	अफसर	एयरमैन	एनसी(ई)	टिप्पणी
एकमुश्त योगदान (वापसी योग्य नहीं) (₹)	1,03,200/-	51,600/-	25,800/-	सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले 15 वर्षों के लिए 100% बीमा कवर और उसके बाद 75 वर्ष की आयु तक 50% बीमा कवर, जो भी पहले हो।
बीमा कवर (₹)	24 लाख	12 लाख	6 लाख	

(ग) **आईएफ सामाजिक सुरक्षा जमा (आईएफएसएसडी) योजना।** वायु सैनिक, विधवाएँ और NoK के लिए एक सुरक्षित निवेश अवसर प्रदान करता है। सोसायटी अगस्त 22 से **आईएफ एसएसडी योजना के लिए ई-एफडीआर** पर स्थानांतरित हो गई है। योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: -

क्र. सं.	विशेषता	संचयी योजना	गैर-संचयी योजना
(i)	जमा राशि	न्यूनतम: 50,000/- रुपये और उसके बाद 10,000/- रुपये के गुणकों में। अधिकतम: NE लाभों का कुल योग	
(ii)	ब्याज दर (आरओआई)	8% प्रति वर्ष (01 अक्टूबर 24 से प्रभावी)	7.75% प्रति वर्ष (01 अक्टूबर 24 से प्रभावी)।
(iii)	जमा की अवधि	प्रारंभिक जमा/बाद में नवीनीकरण, नवीनीकरण की तिथि पर ROI पर एक वर्ष के लिए होगा।	
(iv)	ब्याज भुगतान आवधिकता	परिपक्वता पर मूल राशि के साथ।	मासिक / त्रैमासिक (जमाकर्ता द्वारा चुने गए अनुसार)
(v)	1 वर्ष से कम समय पूर्व निकासी	एसबीआई कार्ड दर (निवेश की संबंधित अवधि के लिए)	
(vi)	जमा राशि पर ऋण सुविधा	(क) अधिकतम राशि- जमा राशि का 75%। (बी) अधिकतम इंस्टिट्यूट - 120 (ग) ब्याज दर - गैर-सह योजना पर घोषित ब्याज दर से 1% अधिक।	

टिप्पणी:

- (1) लाभार्थी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभ को लाभ प्राप्ति/मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 वर्ष के भीतर निवेश कर सकता है, जो भी बाद में हो।
- (2) ब्याज दरें समय-समय पर बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoT) द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा नियंत्रित होती हैं। जमा राशियाँ, जमा/नवीनीकरण की तिथि पर, लागू ब्याज दर पर स्वीकार/नवीनीकृत की जाती हैं।
- (3) सभी जमाओं का स्वतः नवीकरण उन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा जिनमें निवेश परिपक्व हो रहा है।

(घ) **ईसीएचएस सदस्यों के लिए एएफजीआईएस प्रायोजित बस सेवा** इस योजना के तहत प्रस्ताव वायुसेना स्टेशन (AFGIS) से उन वायुसेना स्टेशनों से प्राप्त होते हैं जिनमें वायु सेना के पूर्व सैनिकों/ECHS सदस्यों की पर्याप्त संख्या है। यह योजना नौ स्टेशनों - नागपुर, कानपुर, CHAF बेंगलुरु, येलहंका (बेंगलुरु), जोरहाट, पालम (दिल्ली), नजफगढ़ (दिल्ली), पुणे और तांबरम - पर कार्यरत है।

(ङ) **विधवाओं को आवास इकाई प्राप्त करने के लिए सब्सिडी.** सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए वायुसैनिकों की विधवाएँ आवास इकाई प्राप्त करने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की पात्र हैं। योजना के नियमों एवं शर्तों के अधीन, अधिकारी और वायुसैनिक/एनसी (ई) की विधवाओं को क्रमशः ₹12 लाख और ₹8 लाख की अधिकतम राशि प्रदान की जाती है। विधवा को अपने पति की मृत्यु की तिथि से पांच वर्ष के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा।

आईएफ बेनेवोलेंट एसोसिएशन (आईएफबीए) योजनाएं

9.12 आईएफबीए द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	योजनाओं	पात्रता	राशि (₹)			
(क)	परिवार सहायता योजना (एफएएस)	मृतक सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक का नं. डीएवी द्वारा जारी गृह मृत्यु अधिसूचना (एचडीएन)।	अधिकारियों		एयरमैन/एनसी(ई)	
			सेवा में मृत्यु	सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु	सेवा में मृत्यु	सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु
		आवृत्ति	15 साल से	8 साल से	15 साल से	8 साल से
		(ए) एफएएस 97	2,500/-	1,900/-	1,900/-	1,300/-
		(बी) एफएएस 09	5,000/-	3,800/-	3,800/-	2,500/-
		(सी) एफएएस 20	10,000/-	8,000/-	8,000/-	6,000/-
		(घ) एफएएस 97 - एकमुश्त (< 20 वर्ष की सेवा)	30,000/-		20,000/-	
		(ई) एफएएस 09/एफएएस 20 – एकमुश्त (< 5 वर्ष की सेवा)	30,000/-		20,000/-	
		(च) एफएएस 09/एफएएस 20 – एकमुश्त (5-10 वर्ष की सेवा)	60,000/-		40,000/-	
(ख)	गरिमा	वायु सेना के पूर्व सैनिकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए NoK को। आस-पास के वायुसेना स्टेशन से/सीधे IAFBA से प्राप्त किया जा सकता है।	15,000/-			
(ग)	विशेष	70% से अधिक विकलांगता वाले सेवारत, सेवानिवृत्त और दिवंगत वायुसैनिकों के 'दिव्यांग' बच्चे, 30 वर्ष की आयु तक, चाहे वे स्कूल जाते हों या नहीं।	3,500/- प्रति माह (कुल 42,000/- प्रति वर्ष)			
(घ)	व्यापार उपकरण की खरीद	मृतक वायु सैनिक के पति/पत्नी को आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यापारिक उपकरण खरीदने हेतु अनुदान				
		सेवा के दौरान मृत्यु हो गई	50,000/-			
		सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई	25,000/-			
(ङ)	बेटी की शादी	सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद दिवंगत हुए वायु योद्धा की पुत्री की शादी के लिए विधवा को (सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामलों में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है)	2,00,000/-			
(च)	IAFBA और AFFWA द्वारा छात्रवृत्तियाँ(*)	स्कूल/कॉलेज/व्यावसायिक शिक्षा के लिए सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना कर्मियों के बच्चे।	सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों के बच्चों के लिए		दिवंगत वायु योद्धाओं के आश्रित	
		कक्षा केजी से आठवीं तक	--		15,000/-	
		कक्षा IX से X	--		20,000/-*	
		कक्षा XI से XII	7,500/-		25,000/-*	
		स्नातक	15,000/-		30,000/-	

क्र. सं.	योजनाओं	पात्रता	राशि (₹)	
		यूजी प्रोफेशनल स्नातकोत्तर पीजी प्रोफेशनल 50-70% विकलांगता वाले वार्ड	20,000/- 25,000/- 35,000/- 15,000/-	45,000/-* 40,000/- 50,000/-* 25,000/-
(छ)	प्लैटिनम जुबली अनाथ बच्चों की शिक्षा योजना	भारतीय वायुसेना कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए	कक्षा केजी से बारहवीं तक और कॉलेज शिक्षा के लिए ₹5,000/- प्रति माह से ₹13,000/- प्रति माह। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 7 लाख रुपये तक का अनुदान भी दिया जा सकता है।	
(ज)	आईएफबीए अनुग्रह राशि योजना	आईएफबीए की किसी भी मौजूदा योजना में शामिल न होने वाले किसी भी कारण से प्रदान किया गया। अनुदान की राशि आईएफबीए की कार्यकारी समिति द्वारा तय की जाती है।		

वायु सेना परिवार कल्याण संघ (AFFWA)

9.13 वायु सेना परिवार कल्याण संघ, भारतीय वायु सेना के सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत और विकलांग अधिकारियों, वायुसैनिकों और एनसी(ई) के परिवारों को सहायता प्रदान करता है। एफएफडब्ल्यूए द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान की जाती हैं: -

क्र. सं.	कल्याणकारी योजनाएं और पात्रता	राशि (₹)	टिप्पणी
(क)	अनुग्रह राशि: सभी रैंकों के उन विधवाओं/वरिष्ठ अनाथ बच्चों को जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।	30,000/-	अंतिम यूनिट AFFWA (स्थानीय) द्वारा भुगतान किया गया। बाद में AFFWA मुख्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की गई।
(ख)	एनसी(ई) की विधवाओं का पुनर्वास एन.सी. (ई) की विधवाओं को, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।	15,000/-	अंतिम यूनिट AFFWA (L) द्वारा भुगतान किया गया। बाद में AFFWA मुख्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की गई।
(ग)	विवाह अनुदान सेवाकाल में मृत सैनिक की विधवा को एक लड़की के विवाह हेतु अनुदान।	25,000/-	यदि कोई लड़की न हो तो अनुदान एक बेटे को दिया जाता है।
(घ)	मेडिकल सहायता सेवारत व्यक्ति की पत्नी को चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी जाती है, जो सेवा के कारण नहीं है।	20,000/- ओटीजी	अंतिम इकाई AFFWA (L) द्वारा भुगतान किया गया। बाद में AFFWA मुख्यालय और AFFWA(R) द्वारा प्रतिपूर्ति की गई।
(ङ)	विधवाओं के लिए आवास इकाई में सब्सिडी	एएफजीआईएस के माध्यम से। ऊपर पैरा 10.3 (ई) देखें।	
(च)	शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ मृत सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए।	आईएफबीए के माध्यम से। ऊपर पैरा 10.4 (एफ) देखें।	
(छ)	स्वर्गीय श्रीमती अरुणा विनोद मेहता स्मारक छात्रवृत्ति यह राशि उन वायु योद्धाओं की दो बालिकाओं (स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही) को दी जाएगी, जिनकी मृत्यु युद्ध/युद्ध के दौरान हुई हो।	निधि पर प्राप्त ब्याज के अनुसार	अधिक आवेदकों के मामले में, छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष होगी।
(ज)	अर्जन सिंह मेमोरियल कौशल विकास छात्रवृत्ति विधवाओं को रोजगार योग्य बनाने	75,000/- या वास्तविक	AFFWA द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए IAFBA द्वारा

	के लिए उनके कौशल विकास हेतु।	शुल्क जो भी कम हो	प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
--	------------------------------	-------------------	-----------------------

आईएफ प्लेसमेंट सेल (आईएफपीसी)

9.14 **आईएफ प्लेसमेंट सेल (आईएफपीसी)** 1997 में वायु सेना मुख्यालय में अधिकारियों के लिए और वायुसैनिकों के लिए वायुसेना मुख्यालय में वायुसैनिकों के लिए इसका गठन किया गया था, जिन्हें जून 2007 में वायुसेना मुख्यालय में विलय कर पुनः स्थापित किया गया। इसके बाद, अक्टूबर 2012 में इसे वायु सेना निदेशालय (डीएवी) के प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण में लाया गया। सार्थक पुनर्नियोजन के अवसरों को सुगम बनाने के उद्देश्य से, भारतीय वायुसेना प्लेसमेंट सेल एक संरचित दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है, जो वायु सेना के पूर्व सैनिकों को भारत भर के प्रमुख कॉर्पोरेट और सरकारी संगठनों से जोड़ता है। IAFPC को चंडीगढ़ (12 विंग), गांधीनगर (मुख्यालय SWAC), लखनऊ (38 विंग), पुणे (9 BRD), बेंगलुरु (मुख्यालय IAF), सुलूर (43 विंग) और कोलकाता (एडवांस मुख्यालय EAC) जैसे प्रमुख शहरों में सात RPC द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आईएफ प्लेसमेंट सेल ने कई अग्रणी उद्योगों और कॉर्पोरेट्स के साथ मजबूत साझेदारियां स्थापित की हैं।

सम्पर्क करने का विवरण

9.15 उपरोक्त संगठनों का संपर्क विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं	ऑर्गन	पता	फ़ोन नंबर/ईमेल आईडी
(क)	डीएवी	एयर कमांडर एवी वायु सैनिक निदेशालय प्रथम तल, एसएमसी बिल्डिंग सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010	011-25683627, 25687415, फ़ैक्स: 25683190 टोल फ्री: 1800115800 मोबाइल: 7428926801, 7428926802 एवं 7428926803 ईमेल: dav@iaf.nic.in वेबसाइट: www.iafpensioners.gov.in
	आईएफपीसी		011-25690233 वेबसाइट: www.iafpc.co.in ईमेल: placement-alternate@gov.in
(ख)	एएफजीआईएस	एएफजीआईएस भवन, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली 110010	टेली: 011-25683995 फैक्स: 011-25691182 ईमेल: prot-ection@gov.in
(ग)	आईएफबीए	द्वितीय तल, एएफजीआईएस भवन, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली 110010	टेली: 011-25692791 ईमेल: iafba@yahoo.com
(घ)	एएफएफडब्ल्यूए	एएफएफडब्ल्यूए मुख्यालय संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तेजस कैप के सामने - होटल अशोक सम्राट, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110003	011-26878099 ईमेल: affwahq@gmail.com

अध्याय – 11

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कल्याणकारी उपाय और योजनाएँ

11.1 केएसबी सचिवालय द्वारा ईएसएम/युद्ध विधवाओं/विधवाओं और उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त, भारतीय संघ के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने 34 आरएसबी और 431 जेडएसबी के माध्यम से भी ईएसएम और उनके आश्रितों को लाभ प्रदान करते हैं।

11.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी उपाय और योजनाएं इस प्रकार हैं निम्नलिखित हैं:-

- (क) पुनः रोजगार लाभ ।
- (ख) स्व रोजगार।
- (ग) किराया नियंत्रण अधिनियम और भूमि किरायेदारी अधिनियम के बारे में जानकारी।
- (घ) स्वयं के कब्जे के लिए गृहकर में छूट और कानूनी सहायता तथा अन्य शुल्क/कर रियायतें।
- (ङ) व्यावसायिक कॉलेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण।
- (च) द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों को वित्तीय सहायता।
- (छ) नकद अनुदान/नकद के बदले नकद/वीरता/विशिष्ट सेवा के लिए वार्षिकी।
- (ज) युद्ध विधवा/एनओके और विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान।
- (झ) ईएसएम के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट।
- (ञ) सैनिक विश्राम गृह ।

11.3 इन कल्याणकारी उपायों और योजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है।
परिशिष्ट 'पी' 'एवाई'.

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

आंध्र प्रदेशपरिचय

1. आंध्र प्रदेश में कुल 1,08,245 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
आंध्र प्रदेश	ब्रिगेडियर वी. वेंकट रेड्डी, वीएसएम (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण, मकान नंबर:32-2-10 सी, हरि बंदी शिवाजी रोड, मधु गार्डन मोगलराजपुरम, विजयवाड़ा - 520 010	0866-2471233 0866-2473331 मोबाइल: 9177000036 Sainikwelfaresolfund-ap@nic.in
वेबसाइट : www.sainikwelfare.ap.gov.in		
भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के पंजीकरण के लिए वेब एप्लिकेशन: https://www.sainikwelfare.com		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवी सी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	1 करोड़	80 लाख	60 लाख	1 करोड़	80 लाख	60 लाख	2.50 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एनएम /वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएस एम	वीएस एम
(क)	1.50 लाख	1.00 लाख	1.00 लाख (वीरता)	50,000 (वीरता)	15,000	7,000	3,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	1,00,000	50,000	20,000
(घ)	-	-	-	-	400	300	250
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान / NOK	अनुदान की दर
आंध्र प्रदेश	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	05 लाख
	अनुग्रह राशि (विकलांग सैनिकों के लिए)	(क) 03 लाख - डबल एम्प्यूटी (ख) 02 लाख - एकल अपंग (ग) 01 लाख - बर्न्स, जीएसडब्ल्यू

4. राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि (₹)	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	5000/- प्रति माह	गैर-पेंशनभोगी।
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	प्रति कैदी 1.50 लाख	03 विकलांग सैनिकों का पीआरसी, खड़की में तथा 01 का पीआरसी, मोहाली में पुनर्वास किया गया।
(ग)	विकलांग ईएसएम	5000/- प्रति माह 8000/- प्रति माह	100% विकलांग. पूर्णतः बिस्तर पर पड़े रहना/ वनस्पतिजन्य।
(घ)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान	2500/- प्रति माह	सभी रैंक (100% विकलांग बच्चे)
(ङ)	पुत्री विवाह अनुदान	25000/-	02 बेटियों तक सीमित।
(च)	अंतिम संस्कार अनुदान (जेसीओ और उससे नीचे)	10000/-	ईएसएम की मृत्यु पर।
		7000/-	ईएसएम की पत्नी की मृत्यु पर।
		5000/-	ईएसएम के बच्चों की मृत्यु पर।
(छ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (पीसी)	100000/-	सभी रैंक.
(ज)	गरीबी अनुदान	3000/-	60 वर्ष से अधिक आयु के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक तथा 55 वर्ष की विधवाएँ।
(झ)	अनाथ अनुदान	2500/-	21 वर्ष की आयु तक/उनकी शादी/रोजगार जो भी पहले हो (सभी रैंक)।
(ञ)	शिक्षा अनुदान	8000/- प्रति वर्ष	इंटरमीडिएट से पीजी पाठ्यक्रमों के लिए।
		10000/- प्रति वर्ष	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए.
		30000/- (ओटीजी)	सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस (इंटरमीडिएट एवं फाइनल) पूरा होने पर।

(ट)	ट्युशन शुल्क	15000/- प्रति वर्ष	सैनिक स्कूल में प्रवेश पर।
(ठ)	छात्रावास शुल्क	10000/- प्रति वर्ष	पूर्व-सैनिकों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और छात्रावास में रह रहे हैं।
(ड)	एनडीए में शामिल होने पर	30000/- (ओटीजी)	ईएसएम के नए प्रवेशकों के बच्चे।
(ढ)	खेल, संगीत, साहित्य, नृत्य आदि में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए पुरस्कार।	10000/-	ईएसएम/ईएसएम की पत्नी/विधवा/ईएसएम के बच्चों को।
(ण)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास	पाठ्यक्रम की लागत का 85%। अधिकतम रु. 20000/- (जीवन में एक बार)	55 वर्ष से कम आयु के ईएसएम (सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में)।
(त)	विशेष शिक्षा अनुदान	30000/- प्रति वर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	ईएसएम के अनाथ बच्चे.
(थ)	छात्रवृत्ति	30000/- (ओटीजी)	पीएचडी (डॉक्टरेट) पूरा करने वाले बेरोजगार/अविवाहित बच्चों तक सीमित।
		50000/- (ओटीजी)	विदेश में उच्च अध्ययन (एम.एस.) के लिए। बेरोजगार/अविवाहित बच्चों तक सीमित।
(द)	प्रवेश परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चे	5000/-	(i) NEET : 08 (ii) ईएपीसीईटी : 08 (iii) आइस टी : 03 (iv) लॉसेट : 01 (v) ईडीसीईट : 02 (vi) आरजीयूकेटी : 04
(ध)	गैर-पेंशनभोगियों की वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए तदर्थ अनुदान	15000/- (ओटीजी)	ईएसएम और ईएसएम की विधवाएं (गैर-पेंशनभोगी)।
(न)	जीविका भत्ता	3000/- प्रति माह	पीसीडीए द्वारा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन तक ईएसएम की विधवा, जहां पारिवारिक पेंशन की संयुक्त अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
(य)	संकट निवारण अनुदान	20000/-	आग, बाढ़, नागरिक दंगे, आकस्मिक मृत्यु और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण तत्कालीन स्थिति और व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए ईएसएम/विधवाओं को।
(र)	स्पॉट सहायता	500/-	गैर-पेंशनभोगी।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	(क) पूर्व सैनिक/सेवारत रक्षा कार्मिकों या उनके पति/पत्नी को। हालाँकि, यह छूट केवल एक ही गृह संपत्ति पर दी जाएगी, यदि दोनों सदस्यों के नाम पर अलग-अलग गृह संपत्ति हो। (ख) मंजिलों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि केवल एक ही दरवाजा संख्या हो और सभी मंजिलें ईएसएम/सेवारत रक्षा कार्मिकों के तत्काल आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा पूरी तरह अधिग्रहीत हों तथा कोई भी भाग किराये पर न दिया जाए।
(ख)	कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति।	युद्ध के दौरान मारे गए/विकलांग हुए रक्षा कार्मिकों के आश्रित राज्य सरकार के विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक के बच्चों के लिए कोटा:-	
	क्र. सं.	अवधि
	(i)	एमबीबीएस
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	कृषि महाविद्यालय
	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(v)	आईटीआई
	(vi)	एलएलबी
	(vii)	एमएससी, एमए, एमकॉम, एलएलएम
	(viii)	एम बीए, एमसीए
	(ix)	बीएड
	(x)	नर्सिंग प्रशिक्षण
	(xi)	आईआईटी
	(xii)	कोई अन्य पाठ्यक्रम
		(क) शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
		(ख) स्वच्छता निरीक्षक
		(ग) बी. लिब एससी
		(घ) बी. फिजी इडी
		(ङ) बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		1%
		2%
		2%
		2%
		3%
		1% से 2%
		1% से 2%
		30 के ब्लॉक 1 में
		3%
		1%
		2%
		2%
		2%
		3%
		3%
		2%

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. सैनिक विश्राम गृह. विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	ओर	
(क)	अनंतपुरमु सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, क्लॉक टॉवर के पास, अनंतपुरमु-515001	17-01-2022 को चौड़ीकरण के तहत ध्वस्त		सड़क	ZSWO अनंतपुरमु 08554-241146
(ख)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, आरटीसी बस स्टैंड के सामने,	विश्राम गृह रहने योग्य नहीं है और नवीनीकरण की आवश्यकता			ZSWO कडप्पा 08562-244558

	वाईएसआर कडप्पा-516002	है	
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, हिंदू कॉलेज के सामने, गुंटूर-522001	जीर्ण-शीर्ण, रहने योग्य नहीं और अधिवास के अधीन नहीं। प्रस्ताव रखा गया नए भवन के लिए	ZSWO गुंटूर 0863-2225853
(घ)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, ट्रेजरीकंपाउंड, काकीनाडा-533001	दो ए/सी कमरे	जेसीओ और ओआर के लिए चार बिस्तरों वाला छात्रावास
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, बी कैंप पानी की टंकी के पास, कुरनूल - 518002	नवीकरण के अधीन	ZSWO कुरनूल 08518-229445
(च)	सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक भवन, कोंडायापलेम गेट सेंटर दरागमिट्टा, नेल्लोर - 524001	1 डबल बेड वाला सिंगल कमरा	जेसीओ और ओआरएस के लिए चार बिस्तरों वाला शयनगृह
(छ)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, महारानीपेटा, विशाखापत्तनम-530002	पहले की इमारत जीर्ण-शीर्ण होकर ध्वस्त हो गई थी। नए सैनिक विश्राम गृह के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।	जेडएसडब्ल्यूओ विशाखापत्तनम 0891-2706511
(ज)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, छावनी पोस्ट, विजयनगरम- 535002	सिंगल बेड वाला 1 कमरा	जेसीओ और ओआर के लिए दो सिंगल बेड वाला 01 कमरा

7. **जिला सैनिक बोर्ड.** आंध्र प्रदेश राज्य के 26 जिलों को कवर करने वाली 13 ZSBs हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों के नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, अनंतपुरमु	अनंतपुरमु श्री सत्य साई (02)	द्वार संख्या 6-2-96/1, पहली मंजिल कोवूर नगर, तीसरा क्रॉस रोड, अनंतपुरमु - 515 001	08554-241146 मोबाइल: 8688817821 zswoantp@gmail.com
(ख)	जेडएसबी, चित्तूर	चित्तूर, तिरुपति (02)	ज्योतिराव फुले भवन (प्रशिक्षण केंद्र), कलेक्ट्रेट परिसर, चित्तूर - 517002	08572-228682 मोबाइल: 8688817824 zswoctr@gmail.com
(ग)	ZSB, पूर्वी गोदावरी @ काकीनाडा	पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, कोनसीमा (03)	सैनिक भवन, ट्रेजरी कंपाउंड, पूर्वी गोदावरी जिला, काकीनाडा - 533 001	0884-2375308 मोबाइल: 8688817825 zswoego@gmail.com

(घ)	जेडएसबी, गुंटूर	गुंटूर, बापटला, पालनाडु (03)	सैनिक भवन, सामने: हिंदू कॉलेज, गुंटूर - 522 001	0863-2225853 मोबाइल: 8688817827 zswoguntur@gmail.com
(ङ)	जेडएसबी, कडप्पा	वाईएसआर कडप्पा, अन्नामय्या (02)	सैनिक भवन, APS RTC बस स्टैंड के सामने, कडप्पा - 516 002.	08562-244558 मोबाइल: 8688817828 zsbcd@gmail.com
(च)	ZSB, कृष्णा @ विजयवाड़ा	कृष्णा, एनटीआर (02)	इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स, लब्बिपेट, विजयवाड़ा - 520010	0866-2473330 0866-2972330 मोबाइल: 8688817829 zswokrishna@gmail.com
(छ)	जेडएसबी, कुरनूल	कुरनूल, नांदयाल (02)	सैनिक भवन, बी-कैंप, कुरनूल - 518 002	08518-229445 मोबाइल: 8688817886 zswokrnl@gmail.com
(ज)	जेडएसबी, एसपीएस नेल्लोर	एसपीएस नेल्लोर (01)	सैनिक भवन, कोंडयापलेम गेट, सेंटर दरगामिट्टा एसपीएस नेल्लोर - 524 001	0861-2328419 मोबाइल: 8688817896 zsbnlr@gmail.com
(झ)	ZSB, प्रकाशम @ ओंगोल	प्रकाशम (01)	8वां भाग, भूतल, पुराना रिम अस्पताल भवन, विपक्ष: कलेक्टर कार्यालय, प्रकाशम जिला, ओंगोल 523001	08592-233086 मोबाइल: 8688817897 zswoprakasam@gmail.com
(ञ)	जेडएसबी, श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम (01)	पेड्डा रेली वीथी, सेंट जोसेफ स्कूल के पास, श्रीकाकुलम - 532 001	08942-227688 मोबाइल: 8688817943 sklmzsw@gmail.com
(ट)	जेडएसबी, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, अल्लूरी सीतारमा राजू (03)	डी.नं.1-111-9, प्लॉट नं. 130, सेक्टर-8, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापत्तनम - 530 017	0891-2706511 मोबाइल: 8688817945 zswovsp1@gmail.com
(ठ)	जेडएसबी, विजयनगरम	विजयनगरम, पार्वतीपुरम (02)	सैनिक भवन, छावनी चौकी, विजयनगरम -535 003	08922-274743 मोबाइल: 8688817946 zswovzm@gmail.com
(ड)	ZSB, पश्चिम गोदावरी @ एलुरु	पश्चिम गोदावरी, एलुरु (02)	द्वार संख्या 11-212, 6वीं रोड, भारतीय स्टेट बैंक के पीछे, श्री राम नगर, एलुरु 534 003	08812-253687 मोबाइल: 8688817953 zswowgoap@gmail.com

अरुणाचल प्रदेशपरिचय

1. अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुल 1,223 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। &ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण विभाग- सह-राज्य सैनिक बोर्ड	एयर कमोडोर आरडी मुसाबी (सेवानिवृत्त), निदेशक-सह-सचिव, सैनिक कल्याण विभाग-सह-राज्य सैनिक बोर्ड चिड़ियाघर रोड, चिम्पू - ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश - 791 113	मोबाइल: 9402583808 rsbarunita@gmail.com
वेबसाइट: शून्य		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	50 लाख	30 लाख	20 लाख	30 लाख	25 लाख	20 लाख	-
(ख)	300 वर्गमीटर	300 वर्गमीटर	300 वर्गमीटर	300 वर्गमीटर	300 वर्गमीटर	300 वर्गमीटर	-
(ग)	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएस एम
(क)	-	-	3 लाख (जी)	1 लाख	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान दर (रु.)
अरुणाचल प्रदेश	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएं/अनाड़ी सैनिक) (केवल अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए जो CAPF/सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं)	50 लाख
	अनुग्रह राशि (स्थायी रूप से विकलांग सैनिक) (केवल अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए जो CAPF/सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं)	10 लाख
	गंभीर/गंभीर चोट (केवल अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए जो CAPF/सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं)	50,000/-

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि (रु.)	टिप्पणी
(क)	एनडीए और अन्य अकादमियों में शामिल होने पर	2 लाख	अरुणाचल प्रदेश के सभी स्थायी निवासियों के लिए

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

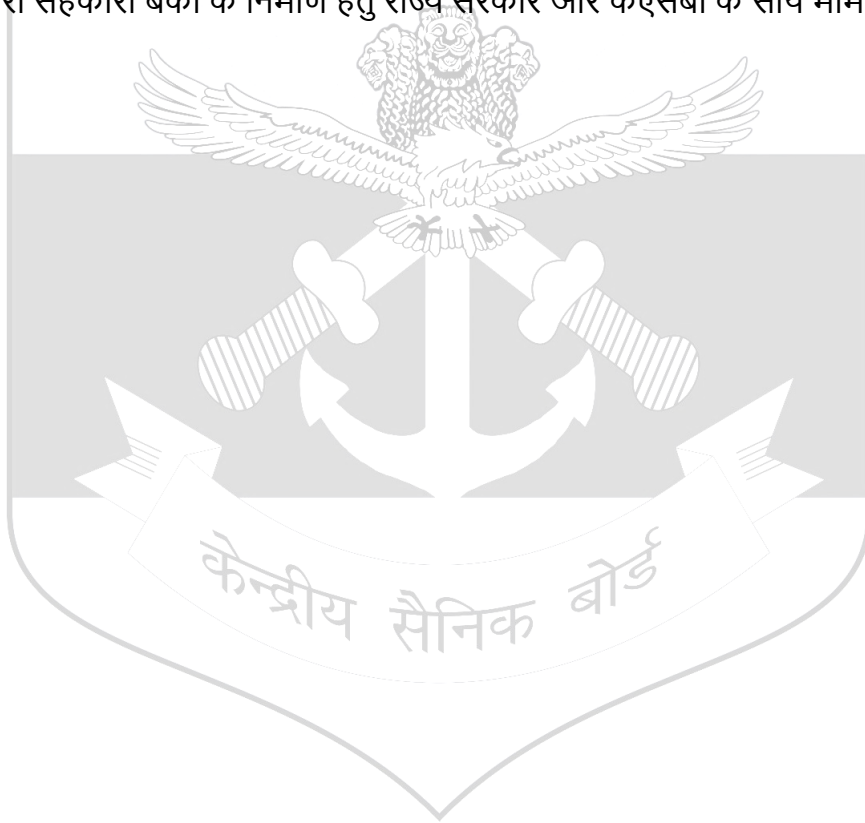
क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	लागू नहीं
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	01
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा: -शून्य	
(घ)	नौकरियों में आरक्षण (केवल ईएसएम के लिए)	10% समूह 'सी' पद.
		20% ग्रुप 'डी' पद.
		रोजगार के लिए विशेष योजनाएँ।
(ङ)	चिकित्सा उपचार	विशिष्ट सिविल अस्पतालों में ईएसएम के लिए निःशुल्क।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** राज्य में 01 अस्थायी एसआरएच है।

क्र. सं.	स्थान का पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अफ़सर	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	एफ-ब्लॉक, रे बिल्डिंग, कमरा नंबर 13 से 18, जू रोड, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश-791113		06 कमरे (प्रत्येक कमरे में 02 बिस्तर)		9362566623

7. **जिला सैनिक बोर्ड** अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। आरएसबी, अरुणाचल प्रदेश सभी को कवर करता है **27** राज्य के जिलों (अंजाव, चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कामेंग, पूर्वी सियांग, कामले, क्रा दादी, कुरुंग कुमेय, लेपराडा, लोहित, लोंगडिंग, निचली दिबांग घाटी, निचली सियांग, निचली सुबनसिरी, पक्के केसांग, नामसाई, पापुम पारे, शि योमी, सियांग, तवांग, तिराप, ऊपरी सियांग, ऊपरी सुबनसिरी, पश्चिम कामेंग, पश्चिम सियांग, बिचोम, केयी पन्योर, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स (प्रशासनिक उद्देश्य हेतु) 5 क्षेत्रीय शहरी सहकारी बैंकों के निर्माण हेतु राज्य सरकार और केएसबी के साथ मामला उठाया गया।



असमपरिचय

1. असम राज्य में कुल 52,839 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी असम		
आरएसबी/जेडएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। और ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण विभाग, असम	ब्रिगेडियर पोलाश चौधरी, एसएम (सेवानिवृत्त), निदेशक मकान संख्या 74, सैनिक भवन, पीओ- लाचित नगर, राजगढ़ रोड, गुवाहाटी-7	0361-2522229 मोबाइल: 9910091870 rsbassam@gmail.com
वेबसाइट: directoratesainikwelfare.assam.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र.सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	अशोक चक्र	कीर्ति चक्र	एससी	एसवाय एसएम
(क)	25 लाख	15 लाख	10 लाख	25 लाख	15 लाख	10 लाख	5 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	0.72 लाख	0.57 लाख	0.33 लाख	0.60 लाख	0.50 लाख	0.25 लाख	0.15 लाख
(घ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	3 लाख	2 लाख	2 लाख	1 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) नकद के बदले (घ) वार्षिकी (ङ) एकमुश्त अनुदान

3. राज्य सरकार द्वारा शहीदों के परिजनों/परिवारजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि.

क्र. सं.	कार्रवाई का प्रकार	राशि
(क)	राज्य में उग्रवादी हमले या आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान मारे गए लोग।	50.00 लाख रुपये
(ख)	वीरता पुरस्कार विजेताओं के संबंध में एक अतिरिक्त	5.00 लाख रुपये
(ग)	राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं के संबंध में।	रु. 3.00 लाख
(घ)	उग्रवादी हमले या आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चोट लगने पर (यदि अक्षम हो, अयोग्य हो और विकलांगता 50% या अधिक हो)	2.00 लाख रुपये
(ङ)	असामाजिक तत्वों के हमले के कारण मृत्यु (यदि चोट गंभीर न हो)	रु. 0.25 लाख

4. राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता:-

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	6000/- प्रति माह	वार्षिक आधार पर भुगतान.
		500/- प्रति माह	100% विकलांग। वार्षिक आधार पर भुगतान।
		500/- प्रति माह	द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक की 80-100% विकलांग विधवा। वार्षिक आधार पर भुगतान।
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	50000/- प्रति वर्ष, प्रति कैदी	असम के सभी कैदियों के लिए तथा वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
(ग)	विकलांग ईएसएम	1000/- प्रति माह	100% दृष्टिहीन और विकलांग पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों को परिचर भत्ता। नायक और उससे नीचे या समकक्ष, हवलदार या समकक्ष तक बढ़ाया गया। बाकी सभी के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक।
		2000/- (ओटीजी)	जल पम्प की स्थापना के लिए।
(घ)	पुत्री विवाह अनुदान	20000/-	गैर-पेंशनभोगी की विधवा की पुत्री।
		20000/-	सभी श्रेणियों की अनाथ बेटी।
		7000/-	एनके/समकक्ष के पद तक की विधवाओं की पुत्री।
		5000/-	अन्य सभी पूर्व अनुमोदित
(ङ)	अंतिम संस्कार अनुदान	8000/- (ओटीजी)	सभी रैंकों के ईएसएम।
			सूचना प्राप्त होने पर 4000/- रुपये तत्काल जारी किये जायेंगे।
			वैध दस्तावेज प्राप्त होने पर शेष राशि।
(च)	गरीबी अनुदान	15000/- (ओटीजी) या 1000/- प्रति माह	सेवा के दौरान लापता सैनिक के लिए।
			लापता सैनिक की पत्नी और मां को।
			ऐसे लापता सैनिक की मृत घोषणा करने पर अनुदान बंद हो जाएगा।

(छ)	शिक्षा अनुदान	1000/- प्रति माह	व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पशुचिकित्सा आदि। ईएसएम/विधवाओं (पीबीओआर) के बच्चों के लिए, बशर्ते कि वे 10+2 में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करें।
(ज)	सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में प्रवेश के लिए ट्यूशन फीस/सब्सिडी	30000/-	प्रवेश के समय, विधवाओं का वार्ड, आयु-समतुल्य एवं गैर-पेंशनभोगी।
		15000/-	प्रवेश के समय, ईएसएम का वार्ड, हैव और समकक्ष तक।
		20000/-	सामान्य छात्रवृत्ति के स्थान पर वार्षिक छात्रवृत्ति। विधवाओं के बच्चों को 1500 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति। गैर-पेंशनभोगी और विधवाओं के बच्चों को पुस्तक, स्टेशनरी, कपड़े और आकस्मिक व्यय के लिए छात्रवृत्ति।
(झ)	एनडीए/रक्षा अकादमी में शामिल होने पर पुरस्कार	100000/- (ओटीजी)	असम के पूर्व सैनिक सेवा के बच्चों को कमीशनिंग पर पुरस्कार।
(ञ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास (आईटीआई/असम रेजिडेंट सेंटर/अन्य संस्थान/पीएमकेवीवाई.	1000/- प्रति माह	पूर्व सैनिक के बच्चों और विधवाओं के लिए हवलदार/समकक्ष तक
			6 महीने से 2 वर्ष की अवधि का आईटीआई पाठ्यक्रम। 2 या 3 महीने की अवधि का पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रम।
(ट)	पूर्व सैनिकों का पुनर्वास प्रशिक्षण	अधिकतम 5000/- (ओटीजी)	ईएसएम का पुनर्वास प्रशिक्षण, हवलदार और समतुल्य तक।
(ठ)	छात्रवृत्ति	300/- प्रति माह	कक्षा I - X. अधिकतम 2 बच्चों के लिए, सब मेजर और समकक्ष तक।
		400/- प्रति माह	कक्षा XI - XII. अधिकतम 2 बच्चों के लिए, सब मेजर और समकक्ष तक।
		500/- प्रति माह	डिग्री के लिए। सब मेजर और समकक्ष तक अधिकतम 2 बच्चों के लिए।
		1000/- प्रति माह	पीजी पाठ्यक्रम एमए/एमएससी/एमकॉम/एमटेक आदि। पूर्व सैनिक की पुत्रियों/विधवाओं के लिए लागू तथा धन की उपलब्धता के अधीन लड़कों के लिए भी लागू होंगे।
		1000/- प्रति वर्ष	कक्षा XI और XII के लिए पुस्तक अनुदान। पूर्व सैनिक/पूर्व सैनिक की विधवाओं के बच्चों के लिए, स्नातक और समकक्ष तक।
		2000/- प्रति वर्ष	डिग्री/पीजी/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक अनुदान। पूर्व सैनिक/पूर्व सैनिक की विधवाओं के लिए, स्नातक और समकक्ष तक।

(ड)	कक्षा XII में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चे (सर्वोत्तम 10)	2500/- (ओटीजी)	सभी श्रेणियाँ। प्रत्येक शीर्ष 10
(ढ)	एसएसबी की तैयारी कर रहे मेधावी बच्चे	5000/- (ओटीजी)	रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए। सभी ईएसएम के वार्डों के लिए।
(ण)	कैंसर और टीबी रोगियों के लिए चिकित्सा देखभाल अनुदान	1000/- प्रति माह (एक वर्ष के लिए)	ईएसएम / विधवाओं और उनके वार्डों के लिए रैंक तक उप मेजर या समकक्ष (प्रति परिवार अधिकतम 01)। चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक।
(त)	घर की मरम्मत अनुदान	5000/-	पूर्व सैनिक (सेवानिवृत्त/गैर-पेंशनभोगी) की विधवाओं, अनाथ पुत्रियों के लिए, हवलदार या समकक्ष तक की विकलांग ईएसएम भी।
(थ)	बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	अधिकतम 50000/-	विधवाओं और अविवाहित पुत्रियों (18 वर्ष तक) के लिए, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 7% का भुगतान व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तथा शेष राशि पर सब्सिडी दी जाएगी।
		अधिकतम 50000/-	100% विकलांग पूर्व-सैनिक/पूर्व-सैनिक की विधवा। 4% व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाएगा तथा शेष राशि सब्सिडी पर दी जाएगी।
		अधिकतम 100000/-	पूर्व-सैनिकों की विधवाओं की सहकारी समितियाँ। 7% का भुगतान सहकारिता और शेष सब्सिडी दी जाएगी।
		अधिकतम 10000/- प्रति वर्ष	मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च व्यावसायिक अध्ययन हेतु 2 वर्ष के लिए हवलदार या समकक्ष की पुत्री के लिए शिक्षा ऋण। भुगतान पश्चात आधार पर।
(द)	पश्चिमी कमोड का आवंटन	-	70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व-सैनिकों और विधवाओं के लिए। इसके अतिरिक्त, स्थापना शुल्क के रूप में 3000/- रुपये का ओटीजी दिया जाएगा।
(ध)	अविवाहित दुर्घटना की विधवा माँ को वित्तीय सहायता	400/- प्रति माह	आयु 70 वर्ष से अधिक। अधिकतम आयु 70 वर्ष और समकक्ष, गैर-विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशनभोगी।

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ:-**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर/संपत्ति कर के भुगतान से छूट	भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए एक स्व-अधिभोग इकाई पर 100% छूट। आजीवन।
		भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए एकमुश्त सब्सिडी के रूप में भूमि और प्लैट पंजीकरण शुल्क में 75% छूट।
(ख)	युद्ध में शहीद हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	वर्ग 'बी', 'सी' और 'डी' पदों में शहीद के निकटतम संबंधी (एनओके) या एक पारिवारिक सदस्य के लिए।

(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में रक्षा कार्मिकों/ईएसएम के बच्चों के लिए कोटा: -		
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम	% आयु/ आरक्षित सीटों की संख्या
	(i)	(कक) एमबीबी एस	09 (प्रत्येक कॉलेज के लिए 01)
		(कख) दंत चिकित्सा	03 (प्रत्येक कॉलेज के लिए 01)
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	प्रत्येक कॉलेज के लिए 01
	(iii)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	प्रत्येक कॉलेज के लिए 01
	(iv)	एलएलबी	प्रत्येक कॉलेज के लिए 01
	(v)	एम.एससी., एम.ए., एम.कॉम., एलएलएम	
(vi)	एमबीए, एमसीए		
(घ)	ए से डी पदों में ईएसएम आरक्षण	वर्ग 'ए' से 'डी' पदों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2%।	
(ङ)	असम पर्यटन के अंतर्गत होटल में ठहरने और भोजन पर रियायत	रक्षा कर्मियों और ईएसएम समुदाय के लिए 25%	
(च)	यात्रा व्यय	डीएसडब्ल्यू कार्यालय में आने के लिए। विधवा/अनाथ बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो	
(छ)	विकलांग ईएसएम के लिए विविध सहायता (वस्तु के रूप में) (व्हील चेयर, 100% विकलांग/पैराप्लेजिक के लिए समायोज्य बिस्तर और कोमाटोज रोगियों के लिए पानी/हवा वाला गद्दा)।	50% से अधिक या उससे कम विकलांगता वाले वे लोग जो कोई भी शारीरिक कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं।	
(ज)	कल्याणकारी वस्तुएं (स्प्रे मशीन, साइकिल, 65 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं के लिए मानक आकार की स्टील अलमारी, रसोई के बर्तन, बिस्तर कवर और तकिया कवर के साथ गद्दा (2 पीस), सिलाई/कढ़ाई मशीन, सीआई शीट मिक्सर ग्राइंडर, प्लास्टिक टेबल और कुर्सी सेट। एक (01) प्रेशर कुकर (5 लीटर), चार (04) 14 वाट एलईडी बल्ब, एक (01) स्टैंड फैन (ब्रांडेड कंपनी), एक (01) वाटर फिल्टर (ब्रांडेड कंपनी) 20 लीटर और अधिक)।	सभी के लिए ईएसएम विधवाओं, अनाथों और उनके आश्रितों के लिए सिलाई/कढ़ाई मशीन केवल 45 वर्ष तक की आयु की युवा विधवाओं को उपहार में दी जाएगी। ईएसएम सूची में अन्य विभागों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित सभी मदें भी शामिल होंगी। यह मामला-दर-मामला आधार पर होगा। (निधि की उपलब्धता के अधीन) इस अनुदान को सब मेजर/समकक्ष के पद तक ईएसएम तक बढ़ाया जाना चाहिए)	

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान और पता	आवास उपलब्ध है		सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ और ओआर	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, गुवाहाटी, एच/नंबर-74, सैनिक भवन, लचित नगर, गुवाहाटी, असम-781007	03	03 कमरे और 01 (5 बिस्तरों वाला शयनगृह)	8812830566/ 8638836076 0361-2522229 (ओ)

(ख)	सैनिक विश्राम गृह, हाफलोंग, दीमा हसाओ, डाकघर- हाफलोंग, जिला-एनसी हिल्स, असम- 788819	01	02 कमरे	8638807475
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, मंगलदाई, जिला-दारांग, असम- 784125	01	01 कमरा	6900889693
(घ)	सैनिक विश्राम गृह जोरहाट, लिचुबारी, जिला-जोरहाट, असम-785008	01	02 कमरे	9101053090
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, धुबरी, डीसी कार्यालय के सामने, डाकघर एवं जिला- धुबरी, असम 783301	01	01 कमरा	7002152727
(च)	सैनिक विश्राम गृह, दिफू, पीओ- दीफू, जिला- कार्बी आंगलोंग असम 782460	01	02 कमरे	8638940640
(छ)	सैनिक विश्राम गृह कछार, पार्क रोड, सिलचर, जिला-कछार, असम 788001	02	02 कमरे	3842231115/ 6002610972

7. **जिला सैनिक बोर्ड:** असम राज्य में 19 जिला सैनिक बोर्ड हैं, जो 35 जिलों को कवर करते हैं। विवरण नीचे संलग्न हैं:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	पद का नाम & आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर, & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, कछार (सिलचर)	कछार, (01)	ZSWO, पार्क रोड सिलचर, जिला- कछार- 788 001	03842-231115 8461811637 zsbcachar@rediffmail.com
(ख)	जेडएसबी, धुबरी	धुबरी, दक्षिण सलमारा- मनकाचर (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी ऑफिस धुबरी के सामने, डाकघर एवं जिला- धुबरी- 783301	03662-232662 मोबाइल: 9897818877 zswodhubri2016@gmail.com
(ग)	जेडएसबी, डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़, तिनसुकि या (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स डिब्रूगढ़, डाकघर एवं जिला- डिब्रूगढ़- 786 003	0373-2310083 मोबाइल: 9828058303 dsbdib@gmail.com

(घ)	जेडएसबी, दिफू	कार्बी आंगलॉग, पश्चिम कार्बी आंगलॉग और एनसी हिल्स (03)	ZSWO, PO- दिफू, जिला- कार्बी आंगलॉग- 782 460	03671-274981 zsbkarbianglong@gmail.com
(ङ)	जेडएसबी जोरहाट	जोरहाट, माजुली (02)	डीसी कार्यालय परिसर जोरहाट, डाकघर एवं जिला- जोरहाट- 785 001	037623-09317 zswojorhat@gmail.com
(च)	जेडएसबी गोलाघाट	गोलाघाट (01)	डीसी कार्यालय परिसर गोलाघाट, पीओ और जिला- गोलाघाट 785621	03774-282026 zswogolaghat@gmail.com
(छ)	जेडएसबी, शिवसागर	शिवसाग र और चराइदे ओ (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स शिवसागर, डाकघर एवं जिला- शिवसागर- 785 640	03772-291183 मोबाइल: 7002040168 zswosivasagar123@gmail.com
(ज)	जेडएसबी, कामरूप (एम)	कामरूप (एम) (01)	ZSWO, DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स हेंगराबारी, जिला- कामरूप (M)-781 001	0361-2733147 मोबाइल: 8414038801 zswokamrup@gmail.com
(झ)	जेडएसबी, कामरूप (आर)	कामरूप (आर), नलबाड़ी और तामुलपुर (03)	ZSWO, DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स कामरूप, POAmingaon, जिला कामरूप 781031	मोबाइल: 9435010545 zswokamrupr@gmail.com
(ञ)	जेडएसबी, कोकराझार	कोकरा झार (01)	जेडएसडब्ल्यूओ, आरएनबी रोड (मुख्य डाकघर के पास), डाकघर एवं जिला- कोकराझार 783 370	03661-291096 मोबाइल: 9957574455 zilasainik.welfare@gmail.com
(ट)	जेडएसबी, बोंगाईगांव	बोंगाईगां व और चिरांग (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स बोंगाईगांव, पीओ और जिला- बोंगाईगांव-783380	03664-230438 मोबाइल : 9435398940 zswobongaigaon@gmail.com
(ठ)	जेडएसबी, लखीमपुर	लखीमपुर और धेमाजी (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, लखीमपुर, डाकघर-उत्तरी लखीमपुर, जिला- लखीमपुर- 787001	03752-242228 मोबाइल: 8822349279 zsb.nlp@gmail.com

(ड)	जेडएसबी, नगांव	नागांव, मोरीगांव & होजाई (03)	जेडएसडब्ल्यूओ, नागांव, डीसी कार्यालय परिसर नागांव, जिला- नागांव- 782001	03672-233665 मोबाइल: 8011582136 zswonagaon@gmail.com
(ढ)	जेडएसबी, सोनितपुर	सोनितपुर , विश्वनाथ (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स सोनितपुर, पोस्ट ऑफिस- तेजपुर, जिला-सोनितपुर-784001	03712-233977 मोबाइल: 8011222317 zswotezpur@gmail.com
(ण)	जेडएसबी, गोलपाड़ा	गोलपाड़ा (01)	ZSWO, डीसी कार्यालय परिसर गोलपाड़ा, डाकघर एवं जिला-गोलपाड़ा	03663-240314 zswogoalpara@gmail.com
(त)	जेडएसबी, बारपेटा	बारपेटा, बजाली, बास्का	ZSWO, DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स बारपेटा, डाकघर एवं जिला- बारपेटा-	03665-235042 मोबाइल: 9435387370 बारपेटा@gmail.com
(थ)	जेडएसबी, दरांग	दरांग, उदलगुरी (02)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी कार्यालय परिसर दरांग, पीओ- मंगलदाई,	03713-225899 मोबाइल: 9425163179 zswodarrang@gmail.com
(द)	जेडएसबी, करीमगंज	करीमगंज (01)	जेडएसडब्ल्यूओ, डीसी कार्यालय परिसर करीमगंज, डाकघर एवं जिला-	03843-260248 मोबाइल: 8953406023 zswokarimganj@gmail.com
(ध)	जेडएसबी, हैलाकांडी	हैलाकांडी (01)	ZSWO, DC कार्यालय परिसर हैलाकांडी, पीओ और जिला- हैलाकांडी- 788151	03844-222380 मोबाइल: 9076801113 zswohailakandi@gmail.com

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

बिहारपरिचय

1. बिहार राज्य में कुल 1,52,197 ईएसएम / विधवाएं / विधवाएं (जैसा कि 31 मई 2025) निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग / सचिव, आरएसबी का विवरण इस प्रकार है :-

<u>आरएसबी बिहार</u>		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण निदेशालय	ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार, एसएम (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग (आरक्षीशाखा), मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना, बिहार- 800 015	0612-2217013 directorsknbihar@gmail.com
वेबसाइट: शून्य		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	1 करोड़	50 लाख	9 लाख	75 लाख	10 लाख	8 लाख	7.5 लाख

क्र.सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एनएम /वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	4 लाख	3 लाख	7 लाख (जी) 2 लाख (डी)	6 लाख	4.50 लाख	3.5 लाख	1 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
बिहार	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	21 लाख
		ऑपरेशन सिंदूर के लिए 50 लाख
	40% से अधिक विकलांगता वाले विकलांग सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि	2 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र.सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	10,000/- प्रति माह	गैर-पेंशनभोगियों को पदच्युत किया गया।
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	1,20,000/- प्रति वर्ष, प्रति कैदी	बिहार राज्य से संबंधित ईएसएम के लिए।
(ग)	विकलांग ईएसएम	10,000/-	लकवाग्रस्त ईएसएम और 100% विकलांग ईएसएम को व्हील चेयर के लिए।
(घ)	विवाह अनुदान	2 लाख	50% विकलांग पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक की विधवाओं को अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु। साथ ही, पेंशन प्राप्त न करने वाले पूर्व सैनिक को भी।
		2 लाख	विधवाओं के माता-पिता को उनके पुनर्विवाह के लिए। जेसीओ और समकक्ष के पद तक।
(ङ)	अंतिम संस्कार अनुदान	10,000/-	जेसीओ एवं समतुल्य तक।
(च)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (युद्ध एवं शारीरिक क्षति)	2 लाख	जेसीओ और समकक्ष तक के विवाहित सैनिकों के माता-पिता को।
(छ)	शिक्षा अनुदान	6,000/- प्रति वर्ष	कक्षा 6 से 10 तक हैल्थ एवं इक्विव के 02 वार्ड तक।
		8,000/-/- प्रति वर्ष	कॉलेज/संस्थान से हैल्थ एवं इक्विव की डिग्री प्राप्त बच्चों के लिए।
		12,000/- प्रति वर्ष	आईटीआई से हैल्थ एवं इक्विव के बच्चों के लिए।
		12,000/- प्रति वर्ष	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए।
(ज)	छात्रावास शुल्क	6,000/- प्रति वर्ष	हवलदार एवं समकक्ष के 02 वार्ड तक।
(झ)	एनडीए/ओटीए/नौसेना अकादमी/एएफए और एएफएमसी, पुणे में शामिल होने पर	1,00,000/-	ईएसएम के पुत्र/पुत्री और सैनिकों की विधवाओं को।
(ञ)	छात्रवृत्ति	36,000/- प्रति वर्ष	इंजीनियरिंग/कृषि/वाणिज्य/प्रबंधन महाविद्यालयों/आईटी/मीडिया/पत्रकारिता/एमटेक आदि में योग्यता के आधार पर चयनित ईएसएम/मृतक ईएसएम की विधवाओं और 50% या उससे अधिक विकलांग ईएसएम के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को।

(ट)	मकान फ्लैट निर्माण/मरम्मत अनुदान	1 लाख (दो समान किशतों में)	शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा 50% या उससे अधिक विकलांग सैनिकों को।
(ठ)	पुस्तक अनुदान	3,000/- प्रति वर्ष	कॉलेज के लिए हेल्थ एवं इक्वि के 02 वार्ड तक (प्रथम से तृतीय वर्ष), मास्टर डिग्री/लॉ प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) एवं बी.एड.

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	शून्य
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबीएस
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	कृषि महाविद्यालय
	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(v)	आईटीआई
	(vi)	151 संस्थानों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 1 सीट।
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	राज्य सरकार में ईएसएम के ग्रुप III और IV पदों में आरक्षण का प्रावधान 31 अक्टूबर 1978 से समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, ग्रुप III और IV पदों में नियुक्ति में प्राथमिकता और आयु में छूट लागू है। राज्य सहायक पुलिस (एसएपी) और 16वीं बिहार सैन्य पुलिस में 100% ईएसएम कोटा की नियुक्ति। जेल में वार्डन के पद पर ईएसएम की भर्ती में 25% आरक्षण।
(ङ)	भूमि का आवंटन	युद्ध में मृत और विकलांग सैनिकों को 5 एकड़ कृषि और 12.5 डिसमल आवासीय भूमि, बशर्ते कि आवेदक भूमिहीन हो या उसके पास पैतृक भूमि का 50 डिसमल हिस्सा न हो। ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़ कृषि एवं 12.5 डिसमल आवासीय भूमि, बशर्ते आवेदक भूमिहीन हो या उसके पास 50 डिसमल पैतृक भूमि का हिस्सा न हो।
(च)	योग्यता अंकों में वेटेज	बिहार नगर निगम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति में पूर्व सैनिक विधवाओं को 10 अंक।

6. सैनिक विश्राम गृह विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		ऑफर	जेसीओ	अन्य	

(क)	जेडएसकेके, पटना, अल्बर्ट एक्का भवन, अमरनाथ पथ, वीरचंद पटेल मार्ग, अदालत गंज, पटना - 800001	02	02	12	9155391827 एनके योगेश कुमार (सेवानिवृत्त)
(ख)	जेडएसकेके, भोजपुर, कचेहरी रोड, आरा - 802301	01	01	08	06182222866
(ग)	जेडएसकेके, राजेंद्र सरोवर के पास, सारण छपरा- 841 301	01	01	08	
(घ)	जेडएसकेके, फोर्ट एरिया के पास, मुंगेर 841201	01	01	08	
(ङ)	जेडएसकेके, कचेहरी रोड (पूर्व और पश्चिम) मोतिहारी 845401	01	01	08	
(च)	जेडएसकेके, सरकारी बस स्टैंड के पास, गया 823001	01	01	08	

7. **जिला सैनिक बोर्ड:** बिहार राज्य में 25 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 38 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी औरंगाबाद	औरंगाबाद (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रोहतास, नागा पथ, पाली रोड, डेहरी-ऑन-सोन, जिला - रोहतास 821307	06184-291577 districtsoldierboardaur@g mail.com
(ख)	जेडएसबी बेगूसराय	बेगूसराय और खगड़िया (02)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंगेर (कस्तरनी घाट मुंगेर), बिहार - 811201	0612-2983430 zskkbeg@gmail.com
(ग)	जेडएसबी भागलपुर	भागलपुर और बांका (02)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैंडिस कंपाउंड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर 812001	0641- 2400821 zskkbhagalpur@gmail.com
(घ)	जेडएसबी भोजपुर (आरा)	भोजपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रमना मैदान, भोजपुर (आरा)- 802 301	06182- 222866 zskkbhojpur@gmail.com
(ङ)	जेडएसबी बक्सर	बक्सर (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीएम कार्यालय परिसर, बक्सर- 802 103	06183- 357856 zskk.bxr@gmail.com
(च)	जेडएसबी दरभंगा	दरभंगा (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, दरभंगा 846001	06272- 243728 zsboarddarbhanga@gmail. com
(छ)	जेडएसबी गया	गया और नवादा (02)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय , सरकारी बस स्टैंड के पास, गया 823001	06312- 220269 districtsoldierboardgaya@ gmail.com

(ज)	* जेडएसबी गोपालगंज	गोपालगंज (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, गोपालगंज, किसान भवन भवन, बुनियाद केंद्र के पास, गोपालगंज (बिहार) - 841428	0624-260203 zskkgop@gmail.com
(झ)	जेडएसबी जहानाबाद	जहानाबाद और अरवल (02)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, गया, जय प्रकाश नगर, गांधी मैदान के पीछे, गया - 823001	06184-291577 districtsoldierboardjeh@ gmail.com
(ञ)	जेडएसबी कैमूर (भभुआ)	कैमूर (भभुआ) (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राफटास, नागा पथ, पाली रोड, डेहरी- ऑन-सोन, जिला रोहतास 821307	06184-291577 districtsoldierboardkai@ gmail.com
(ट)	जेडएसबी कटिहार	कटिहार, अरैया, किशनगंज एवं पूर्णिया (04)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैंडिस कंपाउंड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर-812001	0641-2400821 zswokatihar@gmail.com
(ठ)	जेडएसबी मधुबनी	मधुबनी (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, समाहरणालय परिसर, दरभंगा - 846001	0627-2243728 Zsbmadhubani2025@ gmail.com
(ड)	जेडएसबी पूर्वी चंपारण	पूर्वी चंपारण (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कचेहरी रोड (पूर्व और पश्चिम) मोतिहारी 845401	06252- 296443 zskkmotihari@gmail.com
(ढ)	जेडएसबी मुंगेर	मुंगेर, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा (04)	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, फोर्ट एरिया के पास, मुंगेर- 841201	06344- 227345 zskkmunger@gmail.com
(ण)	जेडएसबी मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, संयुक्त भवन, मुजफ्फरपुर 842001	0621- 2215373 zskkmuz@gmail.com
(त)	जेडएसबी नालंदा	नालंदा (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पटना, अल्बर्ट एक्का भवन, अमरनाथ पथ, अदालत गंज, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना - 800001	0612-2983430 ZSKKnal@gmail.com

(थ)	जेडएसबी पटना	पटना (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अल्बर्ट एक्का भवन, अमरनाथ पथ, वीरचंद पटेल मार्ग, अदालतगंज, पटना 800001	0612- 2983430 zskkptn123@gmail.com
(द)	जेडएसबी रोहतास	रोहतास (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नागा पथ, पाली रोड, शिवगंज, डेहरी-ऑन- सोन, रोहतास-281307	06184-291577 जिलासैनिकबोर्डरोहतास@ gmail.com
(ध)	जेडएसबी सहरसा	सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल (03)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैंडिस कंपाउंड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर-812001	0641-2400822 zswosaharsa@gmail.com
(न)	जेडएसबी समस्तीपुर	समस्तीपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, समाहरणालय परिसर, दरभंगा - 846001	0627-2243728 Zsbsamastipur2025@gmail .com
(प)	जेडएसबी सारन	सारन (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राजेंद्र सरोवर के पास, छपरा जिला सारण, 841301	06152- 295714 zsw.saran@gmail.com
(फ)	जेडएसबी सीतामढ़ी	सीतामढ़ी और शिवहर (02)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, संयुक्त भवन, मुजफ्फरपुर 842001	0621-2215373 Zskksita2025@gmail.com
(ब)	जेडएसबी सिवान	सिवान (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बचपन प्ले स्कूल के पास, सिसवन मोड़, सीवान 841226	zskksiwan@gmail.com
(भ)	जेडएसबी वैशाली	वैशाली (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, समाहरणालय परिसर, वैशाली (हाजीपुर) 844101	06224- 260203 zskkhjp@gmail.com
(म)	जेडएसबी पश्चिम चंपारण	पश्चिम चंपारण (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कुचेहरी रोड, पूर्व और पश्चिम चंपारण, मोतिहारी 845401	06252-296443 zskkbetiah@gmail.com

*- 2025 में नए ZSB स्थापित किए जाएंगे, जो वर्तमान में पुराने ZSB के स्थान से संचालित होंगे

छत्तीसगढ़परिचय

1. छत्तीसगढ़ राज्य में कुल **8,970** ईएसएम/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ (31 दिसंबर 2024 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

<u>आरएसबी छत्तीसगढ़</u>		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण निदेशालय, छत्तीसगढ़, रायपुर (CG)	ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, वीएसएम (सेवानिवृत्त), निदेशक, संचालनालय सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ पास में शास्त्री चौक, मोतीबाग रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492 001	0771-2445165 0771-2960621 एम-9596744110 dirsw.cg@gmail.com
<u>वेबसाइट</u> -sainikwelfare.cg.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	40 लाख	24 लाख	16 लाख	40 लाख	24 लाख	16 लाख	2.90 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एनएम/ वीएम	मैसन- ईन- डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	2.80 लाख	1.60 लाख	1 लाख	24,000	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
छत्तीसगढ़	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	20 लाख	
	अनुग्रह राशि (विकलांग सैनिकों के लिए)	100%	10 लाख
		50%	5 लाख
		25%	2.50 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	9,000/- प्रति माह	-
(ख)	युद्ध जागीर	5,000/- प्रति माह	उन माता-पिता के लिए जिनके केवल एक या सभी बच्चे रक्षा बलों में सेवारत हैं।

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	सभी गैर-आयकरदाताओं (ईएसएम) को 50% छूट।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	% आयु/ आरक्षित सीटों की संख्या
	(i) एमबीबी एस/बीडीएस	3%/ 01 सीट
	(ii) इंजीनियरिंग कॉलेज	3%
	(iii) कृषि महाविद्यालय	2%
	(iv) पॉलिटेक्निक कॉलेज	5%
	(v) आईटीआई	5 सीटें
	(vi) बी एड	2%
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	ग्रुप 'सी' पदों में 10%. ग्रुप 'डी' पदों में 20%.
(ङ)	आवास स्थलों, फ्लैटों, औद्योगिक भूखंडों/शेडों, राष्ट्रीय परमिटों और उचित मूल्य की दुकानों में आरक्षण	2% प्रत्येक ईएसएम/विधवाओं एवं आश्रितों के लिए।

(च)	राज्य सिविल सेवाओं और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा के संबंध में विशेष प्रावधान, चाहे आरक्षित हो या नहीं	इन नियमों के अंतर्गत, प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो, उसे अपनी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा अवधि घटाने की अनुमति होगी। यदि परिणामी आयु उस पद या सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं है जिसके लिए वह नियुक्ति चाहता है, तो उसे आयु सीमा संबंधी शर्त पूरी करने वाला माना जाएगा।
(छ)	रोल ओवर कोटा	उनके लिए आरक्षित ईएसएम का रोल ओवर कोटा केवल निदेशालय से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, शास्त्री चौक के पास, मोतीबाग रोड, रायपुर (छ.ग.)	04	04	08	077-2237449
(ख)	सैनिक विश्राम गृह, कलेक्टोरेट परिसर, बिलासपुर	01	01	02	07752- 422121
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस के सामने, रायपुर नाका के पास, दुर्ग (सीजी)	02	02	04	0788- 2660199
(घ)	सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रोड, राजनांदगांव	01	01	01 और 04 छात्रावास	07744- 226862
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, स्टेटवेयरहाउसपरिसर, चौर बगीचा, जशपुर	01	01	01	07763- 220954
(च)	सैनिक विश्राम गृह, चित्रकूट रोड, धर्मपुरा-2, जगदलपुर (छ.ग.)	01	01	01 और 10 छात्रावास	07782- 231347
(छ)	सैनिक विश्राम गृह, मिशन चौक, नॉर्थ रिंग रोड, सिद्धि विनायक मार्ग, अंबिकापुर	02	02	01 और 08 छात्रावास	0774- 221721
(ज)	सैनिक विश्राम गृह, दीनदयाल फेस-2, सांस्कृतिक हॉल, टीवी टॉवर, अंतरानमुडा, रायगढ़	-	01	01	07762- 223190 (अनौपचारिक आधार पर)

7. **जिला सैनिक बोर्ड**: छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 33 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर	रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार और गरियाबंद (05)	डीएसडब्ल्यूओ, रायपुर शास्त्री चौक के पास, मोतीबाग रोड, रायपुर (छ.ग.)- 492 001	0771-2237449 9080371174 dsworaipur.cg@gmail.com
(ख)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, सक्ती और गौरेला-पेंड्रा-मारवार्थी (जीपीएम) (06)	डीएसडब्ल्यूओ, बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	07752-422121 9969858777 Zskbsp.cg@gmail.com
(ग)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, दुर्ग	दुर्ग, कबीरधरन, बालोद एवं बेमेतरा (04)	डीएसडब्ल्यूओ, दुर्ग, रायपुर नाका, बीएसएनएल टॉवर के पास, दुर्ग (सीजी) - 491 001	0788-2960199 9903612647 dswodurg@gmail.com
(घ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राजनांदगांव	राजनांदगांव, मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी (एमएमसी) और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) (02)	डीएसडब्ल्यूओ, राजनांदगांव पुराने पीडब्ल्यूडी रेस्ट के पास, राजनांदगांव (छ.ग.)- 491 441	0744-226862 7987410304 dsworjn.cg@gmail.com
(ङ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जशपुर	जशपुर (01)	डीएसडब्ल्यूओ, जशपुर, स्टेट वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स, चीर बगीचा, जशपुर 496331	07763-220954 7428509092 jspdswo.cg@gmail.com
(च)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जगदलपुर	जगदलपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर(06)	डीएसडब्ल्यूओ, जगदलपुर धरमपुर-3, चित्रकुट रोड, जगदलपुर, बस्टर (सीजी)- 494 001	07782-231347 9956483783 dswojdp@gmail.com
(छ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अम्बिकापुर	सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर (03)	डीएसडब्ल्यूओ, अंबिकापुर, सरगुजा कलेक्टोरेट परिसर, अंबिकापुर, सरगुजा(छग)- 497 001	07774-221721 9446629330 dswoambikapur@gmail.com
(ज)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) (02)	डीएसडब्ल्यूओ, बैकुण्ठपुर कमरा नंबर 123, पहली मंजिल, कलेक्टोरेट परिसर, बैकुण्ठपुर, कोरिया (सीजी)- 497335	07836-234021 8547669396 dswobkpur@gmail.com

(झ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कांकेर	कांकेर (01)	डीएसडब्ल्यूओ, कांकेर पुराना कचहरी परिसर, कांकेर (छ.ग.)- 494 334	07587-455691 9869223398 dswoknk@gmail.com
(ञ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायगढ़	रायगढ़ एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ (03)	डीएसडब्ल्यूओ, रायगढ़, कलेक्टोरेट परिसर, रायगढ़ (सीजी)- 496001	0762-223190 9757023185 dsworig@gmail.com



दिल्लीपरिचय

1. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कुल 78,411 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (31 दिसंबर 2024 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
राज्य सैनिक बोर्ड, दिल्ली	मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, शाहदरा	ब्रिगेडियर एसके नारायण, वाईएसएम, एसएम (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा संख्या 412, चौथी मंजिल, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	011-23861876 rsbdelhi@nic.in
वेबसाइट- rsb.delhi.gov.in			

यूटी स्तर के लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	25 लाख	15 लाख	10 लाख	25 लाख	15 लाख	10 लाख	1.27 लाख

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	5 लाख	-	-	-	-
(ङ)	75,000	34,000	45,000	12,000	1.15 लाख	57,000	23,000

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान

केन्द्र शासित प्रदेशों	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK		अनुदान की दर
दिल्ली	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	विधवा	60 लाख
		अभिभावक	40 लाख
		यदि माता-पिता जीवित न हों तो विधवा।	1 करोड़
		यदि मृतक अविवाहित है तो माता-पिता।	1 करोड़
		कानूनी उत्तराधिकारी, यदि विवाहित/अविवाहित हो तथा पत्नी/माता-पिता जीवित न हों।	1 करोड़
	अनुग्रह राशि (विकलांग सैनिकों के लिए)	60% और उससे अधिक	10 लाख
		60% और उससे कम	6 लाख
	युद्ध/ऑपरेशन/युद्धबंदी में लापता	50,000/- प्रति माह	एनओके

4. केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	9,000/- प्रति माह	-
(ख)	विकलांग ईएसएम	1,000/- प्रति माह	ईएसएम को अंधा करने के लिए.
		1,000/- प्रति माह	पैराप्लेजिक/टेट्राप्लेजिक ईएसएम के लिए।
		1,000/- प्रति माह	पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े ईएसएम के लिए।
(ग)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान	1,000/- प्रति माह	विकलांग बच्चे।
(घ)	विवाह अनुदान	50,000/-	ईएसएम की अनाथ बेटियों के लिए।
		16,000/-	विधवा/विधवा की बेटियों को।
(ङ)	अंतिम संस्कार अनुदान	4,000/-	-
(च)	गरीबी अनुदान	4,000/- प्रति माह	-
(छ)	शिक्षा अनुदान	20,000/- प्रति वर्ष	पूर्व सैनिक विधवाओं को उनकी बेटियों की इंजीनियरिंग या चिकित्सा में उच्च शिक्षा के लिए सहायता।
		10,000/- प्रति वर्ष	पूर्व-सैनिकों की विधवाओं को उनकी बेटियों की स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की उच्च शिक्षा के लिए सहायता।
(ज)	एनडीए में शामिल होने पर	2,000/- प्रति कैडेट	प्रशिक्षण की अवधि के दौरान दिल्ली के वास्तविक निवासियों के लिए।

		प्रति माह	
(झ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास	250/- प्रति माह	प्रबंधकीय, व्यावसायिक और कृषि प्रशिक्षण में ईएसएम प्रशिक्षुओं को वजीफा।
(ञ)	छात्रवृत्ति	9,600/- प्रति माह	कक्षा XII में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर पूर्व-छात्र छात्र/छात्राओं को।
		7,200/- प्रति माह	कक्षा XII में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर पूर्व-मुख्यमंत्री के बच्चों को।
(ट)	नागरिक पुरस्कार	5,000/-	80 वर्ष और उससे अधिक आयु के ईएसएम तक।
(ठ)	श्रवण - संबंधी उपकरण	3,000/-	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम और विधवाओं के लिए।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी									
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	शत-प्रतिशत वार्ड/विधवा/पूर्व सैनिक जो वीरता पुरस्कार विजेता हैं, उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति में रहते हैं, न कि किराये पर दी गई संपत्ति में। ईएसएम को उनके नाम पर मकान के लिए 30%, जो स्वयं के कब्जे में हो और किराए पर न दिया गया हो। संपत्ति की एक इकाई के लिए।									
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	--									
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>पाठ्यक्रम</th><th>आरक्षित सीटों की संख्या/ %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td><td>पॉलिटेक्निक / फार्मसी कॉलेज</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा</td><td>3%</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटों की संख्या/ %	(i)	पॉलिटेक्निक / फार्मसी कॉलेज	5%	(ii)	शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा	3%	
क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटों की संख्या/ %									
(i)	पॉलिटेक्निक / फार्मसी कॉलेज	5%									
(ii)	शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा	3%									
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	प्राथमिकता -I									
		10%									
		20%									
		10% और 20%									
		14.5% और 24.5%									
		संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा समूह 'ग' पदों की भर्ती के लिए शुल्क के भुगतान में छूट। आरक्षित रिक्ति को एक वर्ष के लिए आगे ले जाना।									

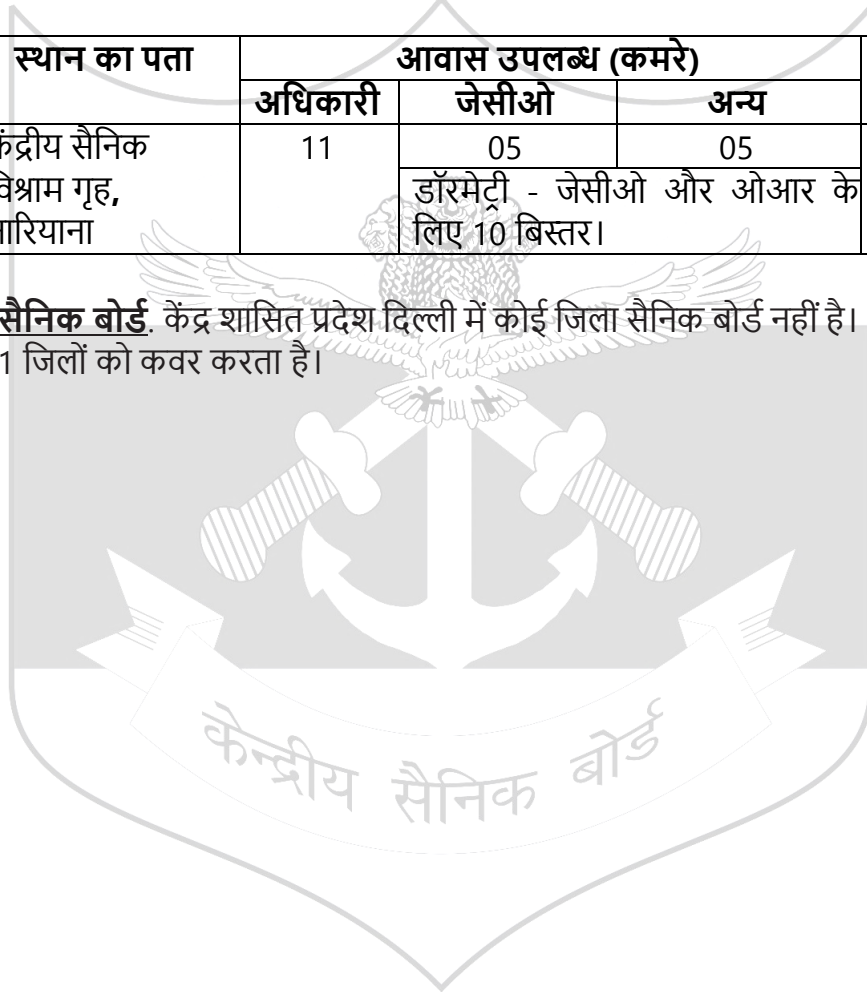
(ड)	दुकानों/बूथों के आवंटन में आरक्षण (ईएसएम/विधवा/आश्रित)	1%	डीडीए की दुकानें
(च)	किराया नियंत्रण अधिनियम	डीजीआर के माध्यम से दूध बूथ और फल/सब्जी की दुकानें। सेवा कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद मकान/फ्लैट पुनः प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन किया गया।	

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह.** आरएसबी दिल्ली द्वारा संचालित कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं है। केएसबी द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह है। विवरण नीचे संलग्न हैं:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य	
(क)	केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह, नारियाना	11	05	05	9667647016
			डॉरमेट्री - जेसीओ और ओआर के लिए 10 बिस्तर।		

7. **जिला सैनिक बोर्ड.** केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। आरएसबी, दिल्ली, दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर करता है।



गोवापरिचय

1. 30 जून 2025 तक गोवा राज्य में कुल 2934 ईएसएम/युद्ध विधवाएं/विधवाएं हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी गोवा		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी
सैनिक कल्याण विभाग, पणजी, गोवा	श्री दामोदर एस मोराजकर निदेशक सैनिक कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट भवन, पणजी, गोवा 403001	0832- 2227138 मो. 9765085622 secyrsbgoa@gmail.com
वेबसाइट: https://dosw.goa.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार:-

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	10 लाख	5 लाख	4 लाख	10 लाख	5 लाख	3 लाख	20,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	15 लाख	10 लाख	6 लाख	15 लाख	10 लाख	7 लाख	1.10 लाख
(घ)	75,000	60,000	40,000	70,000	55,000	35,000	4,000
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एन एम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	20,000	5,000	4,000 (डी) 1.50 लाख (जी)	3,000	45,000	15,000	10,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1 लाख	35,000	26,000 (डी) 26,000 (जी)	15,000	1.55 लाख	1 लाख	35,000
(घ)	3,500	3,000	2,500 (डी) 7,000 (जी)	1,500	6,000	5,000	3,000
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती- (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/मृतकों और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि.

राज्य	युद्ध विधवाओं/विधवाओं और NoK को अनुदान	अनुदान की दर	टिप्पणी
गोवा	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NoK)	25 लाख रुपये	
	अनुग्रह राशि (युद्ध में विकलांग सैनिकों के लिए)	7.50 लाख रुपये	
	अनुग्रह राशि (विधवा/नाबालिग)	20 लाख रुपये	
	अनुग्रह राशि (शांति में विकलांग सैनिकों के लिए)	5 लाख रुपये	

4. राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	8,000/- प्रति माह	किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त न करना।
(ख)	1971 से पहले की युद्ध विधवाओं को वित्तीय सहायता	5,000/- प्रति माह	शहीदों की विधवा
(ग)	स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में कैडेट	2 लाख	सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति का कमीशन प्राप्त करना।
(घ)	शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में कैडेट	1 लाख	सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति कमीशन प्राप्त करना।
(ङ)	अधिकारी रैंक से नीचे के सशस्त्र बलों के रंगरूट	0.50 लाख	सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया और सैनिक के रूप में प्रमाणित किया।

5. विशेष निधि से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता

क्र. सं.	योजना का नाम	दर/राशि	टिप्पणी
(क)	वित्तीय सहायता	पूर्व-सैनिकों के लिए 3000/- रुपये प्रति माह और पूर्व-सैनिकों की विधवाओं के लिए 5000/- रुपये प्रति माह	
(ख)	विकलांग अनुदान	आजीवन 2000/- रुपये प्रति माह	
(ग)	दिव्यांग अनुदान	रु. 5000/- प्रति माह	
(घ)	चिकित्सा संकट अनुदान	रु. 5000/- प्रति माह	
(ङ)	अनाथ अनुदान	शादी तक या कमाई शुरू होने तक 2500/- रुपये प्रति माह।	
(च)	छात्रवृत्ति पुरस्कार	कक्षाओं और प्रतिशत के अनुसार	
(छ)	विशेष छात्रवृत्ति	2 वर्ष के लिए 500/- रुपये प्रति माह	दसवीं कक्षा में 80% से अधिक
(ज)	विशेष छात्रवृत्ति	2 वर्ष के लिए 1,000/- रुपये प्रति माह	दसवीं कक्षा में 90% से अधिक

(झ)	स्त्री धन (बेटी विवाह अनुदान)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं को 50,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान	
(ञ)	मृत्यु अनुदान	रु. 10,000/- ओटीजी	
(ट)	पीबीओआर के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुदान	रु. 5,000/- ओटीजी	
(ठ)	पीबीओआर के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुदान	रु. 10,000/- ओटीजी	
(ड)	90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुदान	रु.25,000/- ओटीजी	
(ढ)	घर की मरम्मत अनुदान	रु. 20,000/- ओटीजी	
(ण)	सिलाई मशीन अनुदान	रु. 3,000/- या लागत का 50% जो भी कम हो	
(त)	युद्ध जागीर भत्ते	रु. 15,000/- ओटीजी	
(थ)	यात्रा/आकस्मिक व्यय	रु. 5,000/- ओटीजी	सेवा अस्पताल से स्थानांतरित होने वाले गैर-पेंशनभोगी/गैर-ईसीएचएस सदस्यों के लिए
(द)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25,000/- रुपये या वास्तविक व्यय जो भी कम हो	सरकारी/सेवा अस्पतालों में इलाज कराने वाले गैर-पेंशनभोगी/गैर-ईसीएचएस सदस्य के लिए
(ध)	कानूनी शुल्क की प्रतिपूर्ति	10000/- रुपये या वास्तविक व्यय जो भी कम हो।	ईएसएम/विधवाएं जिनकी सभी स्रोतों से आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, ईएसएम/विधवा के रूप में पंजीकृत
(न)	स्पोर्ट भुगतान	विशेष मामले के रूप में 2000/- रु.	
(य)	प्रादेशिक सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होने पर ग्रांट	रु. 9000/- ओटीजी	
(र)	PBOR के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल होने पर अनुदान	रु. 5000/- ओटीजी	
(ल)	खेल अनुदान	रु. 5000/- ओटीजी	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सैनिक/विधवाओं के बच्चे

(व)	चिकित्सा सहायता की प्रतिपूर्ति (चश्मा, श्रवण सहायता, हर्निया बेल्ट, स्पोन्डिलाइटिस के लिए कॉलर, मोतियाबिंद लेंस आदि)।	पूर्ण या आंशिक राशि	गैर पेंशनभोगी/गैर ईसीएचएस सदस्य का सरकारी/सेवा अस्पताल में इलाज किया गया।
(श)	पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसे, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, बी.एड., भारी वाहन चालन, शॉर्टहैंड, आदि।	वास्तविक राशि या 20,000/- रुपये तक।	
(स)	मान्यता प्राप्त संस्थान से आयोजित आईएएस, आईएफएस, एनडीए, आईपीएस, आईआरएस, जीपीएससी आदि जैसे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति।	रु. 10,000/-	

6.

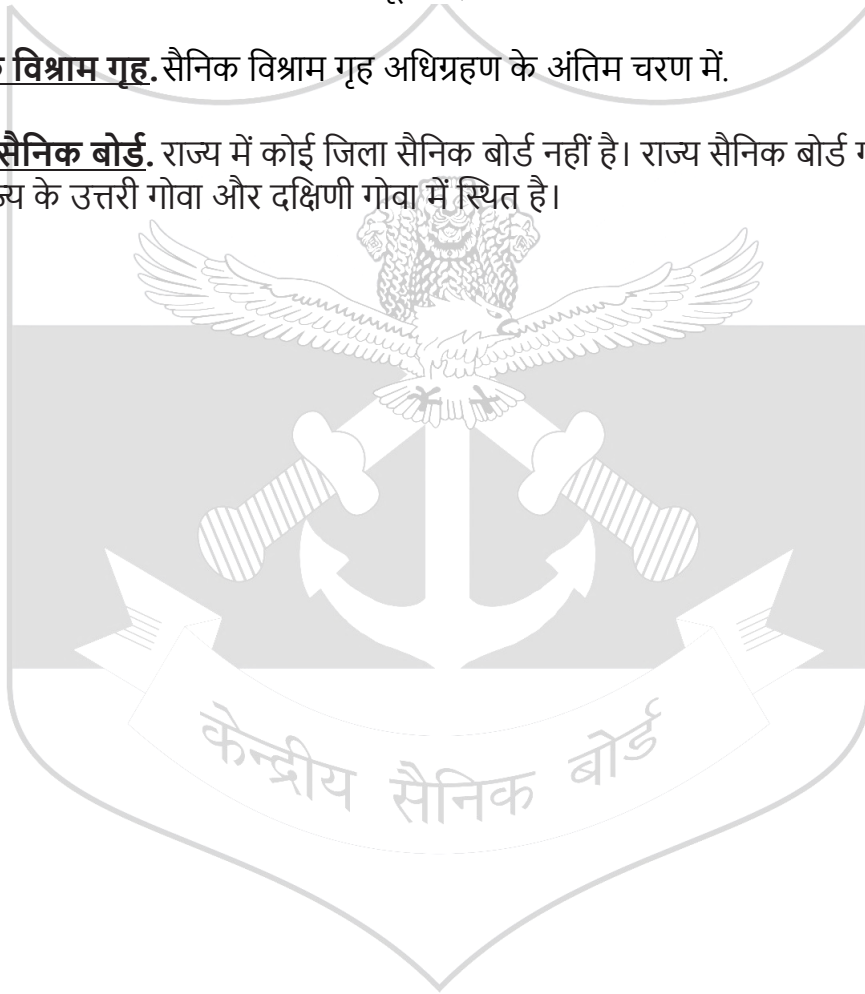
अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर छूट	ईएसएम/विधवाएं जिनके नाम पर मकान है।
(ख)	अनुकम्पा नियुक्ति	शैक्षिक योग्यता के अनुसार मृतक या स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति का एक पात्र पारिवारिक सदस्य।
(ग)	रोजगार के लिए ग्रुप 'सी' और 'डी' में 2% आरक्षण	रोजगार कार्यालय में ईएसएम के रूप में पंजीकृत।
	व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में 1% आरक्षण	ईएसएम/विधवाओं के वार्ड।
	डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 1% आरक्षण	ईएसएम/विधवाओं के वार्ड।
	आईटीआई में 1% आरक्षण	ईएसएम/विधवाओं के वार्ड।
	बी.एड पाठ्यक्रमों में 1% आरक्षण	ईएसएम/विधवाओं के वार्ड।
	बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 1% आरक्षण	ईएसएम/विधवाओं के वार्ड।
	नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 1% आरक्षण	ईएसएम/विधवाओं के वार्ड।
(घ)	मुफ्त शिक्षा	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग बच्चों को स्नातक तक की शिक्षा।
(ङ)	राज्य के भीतर कदंब परिवहन निगम की बसों में 100% यात्रा रियायत।	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज, विकलांग पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक की विधवाएँ।
(च)	संपत्ति की खरीद पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट।	ईएसएम/विधवाएं जिनके नाम पर मकान है।
(छ)	दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए 100% पंजीकरण शुल्क में छूट।	ईएसएम/ विधवाओं
(ज)	ग्रीन कार्ड - सरकारी विभागों/कार्यालयों में प्राथमिकता उपचार के लिए।	शहीदों की संख्या.

(झ)	आवेदन/परीक्षा शुल्क में छूट	युद्ध में मारे गए या विकलांग हुए लोगों के परिवार के सदस्य।
(ञ)	उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए 3% आरक्षण	ईएसएम/ विधवाओं
(ट)	फ्लैट/प्लॉट के आवंटन के लिए 2% आरक्षण	ईएसएम/ विधवाओं
(ठ)	गोवा सदन, नई दिल्ली और गोवा भवन, मुंबई में आवास का आवंटन	वीरता/विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रवास के दौरान सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के समान व्यवहार किया जाता है।
(ड)	गोवा भवन (पट्टा किराया और बेदखली) नियंत्रण के तहत संरक्षण	ईएसएम/ विधवाओं

टिप्पणी: कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

7. **सैनिक विश्राम गृह.** सैनिक विश्राम गृह अधिग्रहण के अंतिम चरण में.
8. **जिला सैनिक बोर्ड.** राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। राज्य सैनिक बोर्ड गोवा 02 जिलों को कवर करता है राज्य के उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में स्थित है।



गुजरात

परिचय

1. गुजरात राज्य में कुल 40,022 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
आरएसबी गुजरात	लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्णदीपसिंह जेठवा (सेवानिवृत्त), निदेशक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, गुजरात राज्य, गौरव सेनानी भवन, शाहीबाग-एयरपोर्ट रोड, अहमदाबाद 380004	079-22868348-50 मोबाइल: 8980037567 ईमेल :dir-sw@gujarat.gov.in
वेबसाइट: www.sainikwelfare.gujarat.gov.in और www.esm.gujarat.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	1 करोड़	50 लाख	25 लाख	1 करोड़	50 लाख	25 लाख	5 लाख (डी)
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	3 लाख	1 लाख	1 लाख (जी) 1 लाख (डी)	-	5 लाख	3 लाख	1 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान; (ख) भूमि के बदले नकद; (ग) वार्षिकी; (घ) एकमुश्त अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
गुजरात	विवाहित कार्मिक की मृत्यु पर	विधवा	1 करोड़ रुपये और 5,000 रुपये प्रतिमाह की मासिक सहायता, जब तक वह जीवित है या उसकी शादी हो जाती है, जो भी पहले हो।
		बच्चे	प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000/- रुपये की मासिक सहायता, 2 बच्चों के लिए अधिकतम 10,000/- रुपये, जब तक वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अध्ययन नहीं कर लेते, जो भी पहले हो।
	अविवाहित कार्मिक की मृत्यु पर	अभिभावक	प्रत्येक माता-पिता को आजीवन 5,000/- रुपये की मासिक सहायता।
		माँ बाप	1 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि और प्रत्येक माता-पिता को जीवन भर 5,000 रुपये की मासिक सहायता।
	विकलांग सैनिक	50% से ऊपर	2.50 लाख रुपये एकमुश्त तथा आजीवन 5,000 रुपये मासिक सहायता।

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज / विधवाएँ	11,000/- प्रति माह	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवाओं को कृषि भूमि या तेल उत्पाद एजेंसी जैसे पुनर्वास के लिए कोई लाभ नहीं दिया गया है।
(ख)	विकलांगता अनुदान	5,000/- प्रति माह	अंधे/पागल एवं मानसिक रूप से विकलांग और लकवाग्रस्त (80% से अधिक विकलांगता), ईएसएम और विधवा के लिए।
		2,500/-प्रति माह (न्यूनतम) 5,000/-प्रतिमाह (अधिकतम)	सैन्य सेवा के कारण 50% विकलांगता वाले गैर-पेंशनभोगी ईएसएम के लिए।
		3,500/- प्रति माह	ईएसएम/विधवाओं को 80% या 80% से अधिक विकलांगता के लिए, जो सैन्य सेवा के कारण नहीं है।
		3,600/-प्रति माह (न्यूनतम) 9,000/-प्रतिमाह (अधिकतम)	ऑप्स/युद्ध के दौरान न्यूनतम 20% अक्षम ईएसएम।
(ग)	पुत्री विवाह अनुदान	55,000/-	सभी रैंकों की 02 ईएसएम बेटियाँ
		80,000/-	सभी रैंकों के ईएसएम की विधवाओं की 02 पुत्रियाँ।
(घ)	अंतिम संस्कार अनुदान	10,000/- (ओटीजी)	ईएसएम/विधवा का नं.

(ड)	शिक्षा अनुदान/प्रोत्साहन	750/- (ओटीजी)	एसएससी, पीटीसी, आईटीआई और एचएससी में उच्च प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन।
		1,100/- (ओटीजी)	तकनीकी (पॉलिटेक्निक) और फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
		1,500/- (ओटीजी)	सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, बीसीए, कानून और तकनीकी एवं फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा सभी डिप्लोमा या पोस्ट डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
		2,000/- (ओटीजी)	इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेदिक, डेंटल, होम्योपैथी, पशु चिकित्सा और फार्मेसी में सभी स्नातक / पीजी और डॉक्टरेट डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें एमसीए, एमबीए, बीएड एमएड जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।
(च)	छात्रावास शुल्क/प्रतिपूर्ति शुल्क	8,500/- प्रति वर्ष	लड़के
		11,000/- प्रति वर्ष	लड़कियाँ
(छ)	छात्रवृत्ति और वजीफा (विधवाओं को बिना किसी आय मानदंड के उनके दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति / वजीफा दिया जाता है। जबकि, प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से कम आय वाले ईएसएम को उनके दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा दिया जाता है)।	3,000/- (ओटीजी)	पहली से दसवीं कक्षा तक।
		4,000/- (ओटीजी)	11वीं, 12वीं और पीटीसी.
		6,000/- (ओटीजी)	टेक (पॉलिटेक्निक) और फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए उपलब्ध हैं।
		8,000/- (ओटीजी)	इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेदिक, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, पशु चिकित्सा और फार्मेसी में सभी स्नातक/पीजी और डॉक्टरेट डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें एमसीए, एमबीए, बीएड, एमएड जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं और ईएसएम के पुत्र/ईएसएम की विधवाएं जो प्रशिक्षण अवधि के लिए विभिन्न सैन्य अकादमियों में अधिकारी कैडेट के रूप में शामिल हुए हैं।
(ज)	विशेष शिक्षा अनुदान	5,500/- (ओटीजी)	सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, बीसीए, कानून और टेक (पॉलिटेक्निक) एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों के अलावा सभी डिप्लोमा या पोस्ट डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
(झ)	निराश्रित माता-पिता के लिए अनुदान	8,000/- प्रति माह	ऐसे माता-पिता जिनकी वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये से अधिक न हो तथा जिनके कोई अन्य पुत्र न हो।
(ञ)	खेल सहायता	10000/- (ओटीजी)	स्वर्ण पदक विजेता.
		8000/- (ओटीजी)	रजत पदक विजेता.
		6000/- (ओटीजी)	ब्राँज मेडल के विजेता.
		5000/- (ओटीजी)	राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी।

(ट)	युद्ध जागीर भत्ता	5,000/-	उन माता-पिता के लिए जिनका एकमात्र बच्चा रक्षा बलों में शामिल होता है।
		10,000/-	उन माता-पिता के लिए जिनके दोनों बच्चे रक्षा बलों में शामिल होते हैं।
		12,500/-	ऐसे माता-पिता जिनके दो से अधिक बच्चे हों और वे सभी रक्षा बलों में शामिल हों।
(ठ)	हाउस ग्रांट	1.50 लाख	सैन्य सेवा में मरने वाले पूर्व सैनिक सैनिकों की विधवाएँ।
(ड)	ईएसएम और ईएसएम की विधवाओं/अनाथों को मासिक भरण-पोषण अनुदान	रु. 4,000/- प्रति माह (पेंशनभोगी के लिए) रु. 9,000/- प्रति माह (गैर-पेंशनभोगी)	पारिवारिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और जिनके 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र नहीं हैं। विधवाओं के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है, तथापि पूर्व-सैनिकों की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
(ढ)	बच्चों के भरण-पोषण के लिए विधवाओं को मासिक भरण-पोषण अनुदान।	रु. 1,250/- प्रति बच्चा, पहले दो बच्चों तक	यह राशि उन विधवाओं को दी जाती है, जिनके परिवार की आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है तथा जिनके 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र नहीं हैं।

5.

अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	ईएसएम/ विधवाएं और सेवारत सैनिक जो गुजरात की महानगरपालिकाओं में रहते हैं को एक मकान/संपत्ति के लिए गृह कर से छूट दी गई।
(ख)	कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(ii)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(iii)	आईटीआई
	(iv)	एम बीए, एमसीए
	(v)	बिस्तर
		बी.एड/एम.एड
	(vi)	कोई अन्य पाठ्यक्रम
		(क) फार्मसी डिग्री/डिप्लोमा
		(ख) बीबीए
		(ग) बीएचएमएस/डीएचएमएस
	(vii)	सैनिक स्कूल बलाचडी
	(viii)	स्नातक एवं स्नातकोत्तर
	(ix)	पीटीसी (प्राथमिक शिक्षक प्रमाणपत्र)

(घ)	चिकित्सा उपचार।	कैंसर, हृदय, किडनी निष्कासन/प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अधिकारियों और जेसीओ/ओआर द्वारा किए गए व्यय का क्रमशः 75% और 95%। ऊपरी सीमा 1 लाख निर्धारित।
(ङ)	घर के लिए भूमि	गुजरात के मूल निवासी और दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत सैनिक/पूर्व सैनिक (कर्नल पद तक) जिन्होंने सशस्त्र बलों में अनुमेय सेवा अवधि पूरी कर ली है और त्यागपत्र नहीं दिया है या समय से पहले सेवानिवृत्ति नहीं ली है, जिनकी आय (पेंशन को छोड़कर) 36,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें बिना नीलामी के 2 गुंठा तक का आवास भूखंड दिया जा सकता है। कीमत में अधिकतम छूट औसत बाजार मूल्य पर 50/- रुपये प्रति वर्ग गज है।
(च)	कृषि भूमि	गुजरात के मूल निवासी सेवारत सैनिक जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं/ईएसएम (कर्नल रैंक तक) जिन्होंने सशस्त्र बलों में अनुमेय सेवा अवधि पूरी कर ली है और त्यागपत्र नहीं दिया है या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति नहीं ली है, जिनकी आय (पेंशन को छोड़कर) 36,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और जो अपनी आजीविका के लिए केवल खेती करते हैं, उन्हें अधिकतम 16 एकड़ तक भूमि प्रदान की जा सकती है।
(छ)	कृषि भूमि का पट्टा	सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा धारित कृषि भूमि की किरायेदारी समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान।
(ज)	किसान का दर्जा प्रदान करना	गुजरात के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है, उन्हें कृषि भूमि खरीदने के उद्देश्य से किसान का दर्जा दिया जाएगा।
(झ)	परीक्षा शुल्क	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट।
(ञ)	मैट्रिक पास पूर्व सैनिकों को स्नातक माना जाएगा	श्रेणी III के पदों में किसी भी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए, सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा के साथ मैट्रिक पास ईएसएम को उन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है जिनके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता स्नातक है और तकनीकी/व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है।
(ट)	नौकरियों में आरक्षण	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में 10% एवं 20% आरक्षण। प्रथम श्रेणी (समूह 'ए') एवं द्वितीय श्रेणी (समूह 'बी') पदों में 1% आरक्षण। भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के नियोजन हेतु आयु सीमा के संबंध में विशेष प्रावधान। सीधी भर्ती द्वारा भरे गए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए वास्तविक आयु में से तीन वर्ष और सेवा के वर्षों की कटौती करके आयु में छूट।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. (क) **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(i)	गौरव सेनानी भवन, शाहीबाग-एयरपोर्ट रोड, शाहीबाग, अहमदाबाद- 380004	04	03	05	079-22868350/ 9408020456
(ii)	गौरव सेनानी भवन, हरेकृष्णा डायमंड के सामने, अभिनंदन रेजीडेंसी के पास, सरथाना, सूरत	01	01	02	0261-2913820
(iii)	माजी सैनिक विश्राम गृह, रुडा बिल्डिंग रोड, पुलिस मुख्यालय के सामने, राजकोट	01	01	02	0281-2476825
(iv)	सैनिक कुमार छात्रालय, छानी जकातनाका, वडोदरा	-	01	01	0265-2772666

(ख) लड़कों का छात्रावास. विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	लड़कों के छात्रावास का पता	नंबर	क्षमता
(i)	गौरव कुमार सेनानी भवन, सी/ओ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, एसकेयूएम स्कूल के सामने, टीवी टॉवर के पीछे, बोदकदेव, अहमदाबाद - 380 054	079-26851382	32
(ii)	सैनिक कुमार छात्रालय, सी/ओ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, चानी रोड, वडोदरा - 390 024	0265-2772666	20

7. **जिला सैनिक बोर्ड** गुजरात राज्य में 11 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 33 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, अहमदाबाद	अहमदाबाद और गांधीनगर (02)	डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, अहमदाबाद, गौरव सेनानी कुमार भवन, एसकेयूएम स्कूल के सामने, टीवी टॉवर के पीछे, बोदकदेव, अहमदाबाद 380 054	079-26851382 / 26858915 dswro- zsbabd@gujarat.gov.in

(ख)	जेडएसबी, वडोदरा	वडोदरा, खेड़ा, आनंद और छोटाउदेपुर (04)	डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, वडोदरा, सैनिक कुमार छात्रालय भवन, चानी रोड, वडोदरा- 390 024	0265-2772666 dswro- zsbvdr@gujarat.gov.in
(ग)	जेडएसबी, सूरत	सूरत, वलसाड, डांग, भरूच, नवसारी, नर्मदा (राजपीपला) और तापी (व्यारा) (07)	सहायक डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सूरत, गौरव सेनानी भवन, अभिनंदन रेजीडेंसी के पीछे, पीओ: सरथाना, सूरत- 395 013	0261-2913820 dswro- zsbsrt@gujarat.gov.in
(घ)	जेडएसबी, जामनगर	जामनगर एवं देवभूमि द्वारका (खम्भलिया) (02)	डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जामनगर, लाल बंगला संकुल, जामनगर- 361 001	0288-2558311 dswro- zsbjnr@gujarat.gov.in
(ङ)	जेडएसबी, राजकोट	राजकोट, अमरेली, और मोरबी (03)	डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, राजकोट, सैनिक विश्राम गृह, रूडा कार्यालय के पास, राजकोट- 360 001	0281-2476825 dswro- rjt@gujarat.gov.in
(च)	जेडएसबी, साबरकांठा	साबरकांठा और अरावली (मोडासा) (02)	सहायक डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, गौरव सेनानी भवन, इंदर बाईपास रोड, पानी की टंकी के पीछे, किफायतनगर, तहसील- हिम्मतनगर, जिला - साबरकांठा - 383001	02772-241611 dswro- zsbsk@gujarat.gov.in
(छ)	जेडएसबी, कच्छ	कच्छ (भुज) (01)	सहायक डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, भुज, कमरा संख्या 114, भूतल, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग, भुज- 370 001 (कच्छ)	02832-221085, adswro- zsbbhuj@gujarat.gov.i n
(ज)	जेडएसबी, महेसाणा	महेसाणा, बनासकांठा (पालनपुर) और पाटन (03)	सहायक डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, महेसाणा, पुराना सरकारी वकील कक्ष नं. 6 एवं 7, राजमहेल कंपाउंड, महेसाणा- 384001	02762-220235, adswro- zsbmsn@gujarat.gov.i n
(झ)	जेडएसबी, पंचमहल (गोधरा)	पंचमहल, दाहोद और महिसागर (03)	सहायक डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, गौरव सेनानी कुमार भवन, लिलेसरा-सारंगपुर रोड, गोधरा- दाहोद राजमार्ग के पास, लिलेसरा बाईपास रोड, गोधरा (पंचमहल) - 389001	02672-240580, ast-dswe- gdr@gujarat.gov.in
(ञ)	जेडएसबी,	सुरेंद्रनगर, भावनगर	डीएसडब्ल्यूआरओ जिला सैनिक	02752-299262, dswro-

	सुरेंद्रनगर	और बोटाद (03)	कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, सुरेंद्रनगर, रंभाबेन टाउन हॉल, प्रधान डाकघर के पास, सुरेंद्रनगर- 363 001	zsbsur@gujarat.gov.in
(ट)	जेडएसबी, पोरबंदर	पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ (वेरावल) (03)	डीएसडब्ल्यूआरओ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि कार्यालय, पोरबंदर, कमरा नंबर -14ए, प्रथम तल, जिला सेवा सदन-02, जिला सत्र न्यायालय के सामने, संदीपनी रोड, पोरबंदर -360575	0286-2990310, dswro- zsbpor@gujarat.gov.in



हरियाणापरिचय

1. हरियाणा राज्य में कुल 2,43,556 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	श्री संजय जून (आईएस), महानिदेशक-सह-सचिव, हरियाणा सरकार, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, प्लॉट संख्या 100, सेक्टर-12, पंचकुला, हरियाणा	0172-2560462, secretaryrsb@gmail.com
वेबसाइट: शून्य		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	3 लाख	2.25 लाख	1.25 लाख	2.50 लाख	1.75 लाख	1 लाख	4600
(ङ)	2 करोड़*	1 करोड़*	50 लाख*	1 करोड़ #	51 लाख#	31 लाख#	7 लाख#

क्र सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	4200	3800	50,000	30,000	-	-	-
(ङ)	4 लाख	2 लाख	21 लाख (जी)* 10 लाख (जी)#	10 लाख (जी)* 7.5 लाख (जी)#	6.5 लाख	3.25 लाख	1.25 लाख

* - युद्ध काल, # - शांति काल

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
हरयाणा	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	दुश्मन की कार्रवाई, आतंकवादियों से मुठभेड़ और आईईडी विस्फोट में शहीद	1 करोड़
	अनुग्रह राशि (विकलांग सैनिकों के लिए)	70% और उससे अधिक	35 लाख
		50% से 69%	25 लाख
		20% से 49%	15 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	10,000/- प्रति माह	31 अगस्त 1945 को या उससे पहले नामांकित सैनिकों और किसी भी पेंशन प्राप्त न करने वाली विधवाओं के लिए।
(ख)	पीआरसी, किरकी और मोहाली को संस्थागत अनुदान	प्रति आवासी 10,000/- प्रति वर्ष	-
(ग)	विकलांग ईएसएम	01 नवंबर 2024 से 6200/- प्रति माह, प्रत्येक वर्ष 01 नवंबर को 400/- रुपये की वृद्धि	ऐसे विकलांग पूर्व सैनिक जिनकी विकलांगता सेवा के कारण नहीं है, तथा जो किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं तथा सिविल सेवा में कार्यरत नहीं हैं। अंधे ईएसएम के लिए। 100% विकलांगता वाले पैराप्लेजिक, हेमिप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक ईएसएम के लिए।
(घ)	पुत्री विवाह अनुदान (केवल 02 पुत्रियों के लिए)	21,000/-	युद्ध विधवाओं की बेटियों और 50% युद्ध विकलांग ईएसएम के लिए।
		51,000/-	ईएसएम की अनाथ बेटियों के लिए।
		11,000/-	पूर्व सैनिक की विधवाओं की पुत्री के विवाह के समय दिया जाता है।

(ड)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (युद्ध हताहत)	01 नवंबर 2024 से 6200/- प्रति माह, प्रत्येक वर्ष 01 नवंबर को 400/- रुपये की वृद्धि	पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त युद्ध विधवाओं को भी पेंशन दी जाएगी।
(च)	अनाथ अनुदान	01 नवंबर 2024 से 6200/- प्रति माह, प्रत्येक वर्ष 01 नवंबर को 400/- रुपये की वृद्धि	ईएसएम के अनाथ बच्चों के कानूनी अभिभावकों के लिए।
(छ)	एनडीए/ओटीए/आईएमए/नौसेना एवं वायु सेना अकादमी में शामिल होने पर	1 लाख	प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर।
(ज)	व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास	250/- प्रति माह	सेवारत एवं ईएसएम (सेवानिवृत्ति से पूर्व एवं पश्चात) को वजीफा।
(झ)	छात्रवृत्ति	50,000/- प्रति वर्ष	आरआईएमसी, देहरादून में अध्ययनरत हरियाणा मूल के बच्चों के लिए।
		सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल) एवं रेवाड़ी में अध्ययन:	
		-	
		50,000/- प्रति वर्ष	वार्षिक आय 1,60,000/- तक
		40,000/- प्रति वर्ष	1,60,001 से 2,00,000/- तक
		30,000/- प्रति वर्ष	2,00,001/- से 2,50,000/-
		25,000/- प्रति वर्ष	2,50,001/- से 3,00,000/-
		2,000/- प्रति वर्ष	वर्दी भत्ता.
		75/- प्रति दिन	आहार भत्ता.

(ज)	जीविका भत्ता	3,000/- प्रति माह	60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिक तथा पेंशन न प्राप्त करने वाली पूर्व सैनिक की विधवाओं के लिए।
(ट)	घरों का निर्माण/मरम्मत	अधिकतम 40,000/- तक	युद्ध विधवाओं और 100% युद्ध विकलांग ईएसएम और युद्ध माताओं के लिए।
(ठ)	शौचालय/स्नानघर का निर्माण	10,000/-	ईएसएम जो सेवा के दौरान या बाद में पक्षाघात से पीड़ित हो।
(ड)	स्वतंत्रता-पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं/पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं को पेंशन	10,000/- प्रति माह	मिलिट्री क्रॉस
		5,000/- प्रति माह	सैन्य पदक
		3,000/- प्रति माह	इंडियन ऑर्डर्स ऑफ मेरिट
		2,000/- प्रति माह	भारतीय विशिष्ट सेवा पदक
		2,000/- प्रति माह	डिस्पैच में उल्लेख (केवल स्वतंत्रता-पूर्व पुरस्कार विजेताओं के लिए)
(ढ)	सेवाकाल में दिवंगत हुए सशस्त्र सैन्य कर्मियों की विधवाओं और बच्चों को अतिरिक्त पेंशन	100/- प्रति माह, अधिकतम	प्रति बच्चा ओआर (बच्चे वाले) की विधवाओं (बच्चे वाले) को।
		300/- प्रति माह	
		150/- प्रति माह, अधिकतम	जेसीओ (जिनके बच्चे हैं) की विधवाओं को प्रति बच्चा।
		450/- प्रति माह	
		200/- प्रति माह, अधिकतम	अधिकारियों की विधवाओं (जिनके बच्चे हैं) को प्रति बच्चा।
		600/- प्रति माह	
		मृत्यु या पुनर्विवाह तक 100/- प्रति माह	उन विधवाओं के लिए जिनके कोई संतान नहीं है।
		रैंक के अनुसार उपरोक्त दरों पर	100% विकलांग कार्मिक (जिनके बच्चे हों)।
		मृत्यु तक पद की परवाह किए बिना 100/- प्रति माह	100% विकलांग कार्मिक (जिनके कोई बच्चे न हों)।

(ण)	युद्ध जागीर	10,000/- प्रति वर्ष	उन माता-पिता को जिनके एकमात्र पुत्र या दो पुत्र या तीन पुत्रों ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान आपातकालीन अवधि में रक्षा बलों में सेवा की हो।
(त)	सम्मान/ प्रशंसा	2,000/- सनद और सम्मान की छड़ी के साथ	युद्ध विधवाओं, विधवाओं और ईएसएम के कल्याण और पुनर्वास के लिए अपने जिले के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए ईएसएम को।
(थ)	नकद पुरस्कार सराहनीय सेवा	2,500/-	टीए के अधिकारियों के लिए।
		1,500/-	टीए के जेसीओ/ओआर को।
(द)	सेना/नौसेना/वायु सेना पदक विशिष्ट सेवा/कर्तव्य निष्ठा पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहन	34,000/- नकद पुरस्कार और 3,500/- वार्षिकी	31 मार्च 2008 को या उसके बाद पुरस्कार पाने वालों के लिए
		1.75 लाख	जिन लोगों को 19 फरवरी 2014 को या उसके बाद पुरस्कार मिला है।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	ईएसएम के लिए हाँ
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	हाँ
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के लिए कोटा:-	
क्र. सं.	अवधि	आरक्षित सीटों की संख्या/ %
(i)	एमबीबी एस/बीडीएस	3%
(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	3%
(iii)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	3%
(iv)	आईटीआई	3%
(v)	बीएड	3%
(vi)	उपरोक्त सीटें निम्नानुसार आरक्षित हैं:-	
	50% (01 सीट)	सामान्य जाति
	20% (01 सीट)	एससी
	ब्लॉक "ए" के लिए 16% और ब्लॉक "बी" के लिए 11%	पिछड़ी जाति
	3%	विकलांग

(घ)	सेम्पेक्स-III योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संबंधित गतिविधियों के लिए नाबार्ड के माध्यम से कृषि और गैर-कृषि ऋण उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के सुधार और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ईएसएम को ऋण उपलब्ध कराना।
(ङ)	मुफ्त बस पास	हरियाणा, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में यात्रा करने के लिए युद्ध विधवाओं और युद्ध में विकलांग सैनिकों (20% से अधिक विकलांगता) को जारी किया जाता है।
(च)	चुला कर	गांव में सेवारत/ईएसएम और विधवाओं के लिए छूट।
(छ)	प्लॉट/अस्पतालों में आरक्षण.	8% - हुडा भूखंडों में रक्षा कर्मियों के लिए। सिविल अस्पताल चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी और करनाल में ईएसएम और उनके आश्रितों के लिए 5 बिस्तर आरक्षित।
(ज)	सैनिक परिवार भवन हरियाणा	एसपीबी अपने सात आईटीआई संस्थानों के माध्यम से युद्ध विधवाओं/पूर्व सैनिक सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों, पूर्व सैनिक सैनिकों के आश्रितों/सेवारत रक्षा कर्मियों को 600/- रुपये के एकमुश्त नाममात्र रखरखाव शुल्क पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। एक वर्षीय अवधि के ये पाठ्यक्रम भारत सरकार के महानिदेशक, रोजगार द्वारा अनुमोदित हैं।
(झ)	सेवारत और ईएसएम के लिए सीएसडी सुविधाएं	सीएसडी कैंटीन में वस्तुओं की बिक्री कर से मुक्त है। सीएसडी के माध्यम से शराब की आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क में छूट।
(ञ)	नौकरियों में आरक्षण और छूट	कक्षा-I और II श्रेणियों में 5%। श्रेणी III और IV के पदों पर ईएसएम के लिए 14% क्षैतिज आरक्षण। हरियाणा सरकार की नौकरियों के लिए 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना शिक्षा वर्ग-I प्रमाण पत्र को मैट्रिक माना जाता है। हरियाणा सरकार की नौकरियों के लिए 20% विकलांगता वाले ईएसएम के लिए सेना से द्वितीय श्रेणी शिक्षा प्रमाण पत्र तथा 10 वर्ष की सेवा की योग्यता मैट्रिक के समकक्ष है। सरकारी नौकरियों के लिए 15 वर्ष की सेवा के साथ सेना प्रमाण पत्र श्रेणी II और III क्रमशः कक्षा 8वीं और 5वीं के समकक्ष हैं। सरकारी सेवा में प्रथम प्रवेश पर चिकित्सा परीक्षण शुल्क में छूट। इसके अतिरिक्त, पुनर्वर्गीकरण हेतु बुलाए गए पूर्व-सेवानिवृत्त (ईएसएम) को चिकित्सा बोर्ड द्वारा अस्पताल में भर्ती अवधि के दौरान ज्यूटी पर ही उपचार दिया जाता है। किसी भी सेवा या पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में भूतपूर्व रक्षा बल कर्मियों के पक्ष में सैन्य सेवा की अवधि तक 03 वर्ष की छूट दी जाती है।
(ट)	सैनिक विश्राम गृहों में आवास	युद्ध विधवाओं और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाता है।
(ठ)	युद्ध स्मारक/हॉल ऑफ फ़ेम	जिला मुख्यालयों पर निर्माण किया जा रहा है तथा रोहतक में निर्माण किया जा रहा है।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह.** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध (कमरे)			संपर्क
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, मॉल रोड अंबाला कैंट	4	4	1	0171-2643951
(ख)	सैनिक विश्राम गृह, बादशाही बाग गुरुद्वारा के पास, अंबाला शहर	ZSB कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता है			0171-2640557
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, बीडीओ कार्यालय के पास, अटेली (एम'गढ़)	1	1	1	01282-250259
(घ)	सैनिक विश्राम गृह, दिल्ली- रोहतक रोड, बहादुरगढ़ (झज्जर)	2	2	1	01251-254236
		पीडब्ल्यूडी द्वारा असुरक्षित घोषित और निर्माणाधीन			
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, रेलवे रोड, डीएवी कॉलेज भिवानी के पास	3	2	1	01664-243538
(च)	सैनिक विश्राम गृह, सिविल कोर्ट परिसर के पास, चरखी दादरी	1	1	1	01664-243538
		पीडब्ल्यूडी द्वारा असुरक्षित घोषित और निर्माणाधीन			
(छ)	सैनिक विश्राम गृह, पुरानी सब्जी मंडी के पास, सेक्टर 16, फ़रीदाबाद	2	2	1	0129-2589089
(ज)	सैनिक विश्राम गृह, आईटीआई के पास, गोहाना (सोनीपत)	2	1	1	0130-2242659
(झ)	सैनिक विश्राम गृह, अपना बाजार, पुरानी दिल्ली-अलवर रोड, सिविल लाइंस, गुड़गांव	3	3	1	0124-2320730
(ञ)	सैनिक विश्राम गृह, पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह के पास, हिसार	4	3	1	01662-272901
(ट)	सैनिक विश्राम गृह, गुडियानी रोड झज्जर	2	1	1	01251-254236
(ठ)	सैनिक विश्राम गृह, बस स्टैंड के पास, जींद	2	1	1	01681-245254
(ड)	सैनिक विश्राम गृह, एच. नंबर 761, अमरगढ़ बस्ती, गली नंबर 3 के सामने, कैथल	-	1	1	01746-223731
(ढ)	सैनिक विश्राम गृह, करण पार्क के पास, करनाल	2	1	1	0184- 2272589
(ण)	सैनिक विश्राम गृह, करण पार्क के पास, करनाल	ZSB कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता है			0184-227589
(त)	सैनिक विश्राम गृह, एसडीओ (सी) कार्यालय के पास, कोसली (रेवाड़ी)	निर्माण पूरा हो गया			01274- 224341

(थ)	सैनिक विश्राम गृह, अर्बन एस्टेट, सेक्शन 13, कुरुक्षेत्र	1	1	1	01744-220922
(द)	सैनिक विश्राम गृह, बसस्टैंड के पास, लोहारू (भिवानी)	2	2	1	01664-243538
(ध)	सैनिक विश्राम गृह, सिविल कोर्ट के पास, मोहिंदरगढ़	1	1	1	01282-250259
(न)	सैनिक विश्राम गृह, पीडब्लूडी विश्राम गृह के पास, नारनौल (एम'गढ़)	3	2	1	01282-250259
(प)	सैनिक विश्रामगृह, कोठी नहीं 228, आदर्श नगर, पानीपत	1	1	1	0180-2650311
(फ)	सैनिक रेस्टहाउस, सेक्टर-12, पंचकुला	4	3	1	0172-2584213
(ब)	सैनिक विश्राम गृह, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने, रेवाड़ी	2	1	1	01274-224341
(भ)	सैनिक विश्राम गृह, छोटू राम चौक के पास, सिविल रोड, रोहतक	ZSB कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता है			01262-230687
(म)	सैनिक विश्राम गृह, छोटू राम चौक के पास, सिविल रोड, रोहतक	4	3	1	01262-230687
(य)	सैनिक विश्राम गृह, पुलिस लाइन के सामने, बरनाला रोड, सिरसा	1	1	1	01666-247339
(र)	सैनिक विश्राम गृह, पुलिस लाइन, गोहाना रोड, सोनीपत	2	2	1	0130-222069
(ल)	सैनिक विश्राम गृह, यमुनानगर, पंचायत भवन के पीछे, ग्राम-गोविंदपुरा, तहसील: जगाधरी, डाकघर: मिनी सचिवालय, जगाधरी, जिला: यमुनानगर -03	3	2	1	01732-211892 01732-222072

7. **जिला सैनिक बोर्ड** हरियाणा राज्य में 22 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 22 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पते	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, अंबाला	अंबाला	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, अंबाला कैट- 133 001	0171-2640557 मोबाइल: 8875418547 zsbambala3@gmail.com amb.sainikb-hry@gov.in

(ख)	जेडएसबी, भिवानी	भिवानी	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, रेलवे रोड, भिवानी- 125 021।	01664-243538 मोबाइल :8958181434 zsbbwn@gmail.com
(ग)	जेडएसबी, फरीदाबाद	फरीदाबाद	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सेक्टर-16, फरीदाबाद- 121001	0129- 4871909 मोबाइल: 9425393650 zsbfaridabad@gmail.com
(घ)	जेडएसबी, फतेहाबाद	फतेहाबाद	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, 24-ए, औद्योगिक क्षेत्र, फतेहाबाद	01667-224219 मोबाइल: 8155957960 fatehabadzsb@gmail.com
(ङ)	जेडएसबी, गुरुग्राम	गुरुग्राम	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, ओ.पी. अपना बाजार, सिविल लाइंस, गुडगांव- 122 001	0124-2320730 मोबाइल: 9466291521, मोबाइल: 9971610700 zsbgn@gmail.com
(च)	जेडएसबी, हिसार	हिसार	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, पुरानी अदालत के पास, हिसार	01662-272901 मोबाइल: 8155957960 zsb.hisar@rediffmail.com
(छ)	जेडएसबी, झज्जर	झज्जर	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, झज्जर, सरकार के पास। सिविल अस्पताल, झज्जर- 124 103	01251-254236 मोबाइल :8826674899 secy.zsbjrr@yahoo.com zsbjrr@gmail.com
(ज)	जेडएसबी, जींद	जींद	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, जींद- 126 102	01681-245254 मोबाइल: 7030392957 zsbjind@yahoo.com
(झ)	जेडएसबी, कैथल	कैथल	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, भवन क्रमांक 761/13, अमरगढ़गामरी, ओपी। गली नंबर-3, कैथल-132027	01746-223731 मोबाइल: 09436194087 secretaryzsbkntl@gmail.com
(ञ)	जेडएसबी, करनाल	करनाल	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला सत्र न्यायालय के पास, पुराना जीटी रोड, करनाल- 132 801	0184-2272589 मोबाइल :09436194087 secretaryzsbknl@gmail.com
(ट)	जेडएसबी, कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह परिसर, कुरुक्षेत्र- 132 118	01744-220922 मोबाइल :8875418547 zsbkkr@gmail.com
(ठ)	जेडएसबी, नारनौल	नारनौल	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, बस स्टैंड के पास, नारनौल- 123 001	01282-250259 मोबाइल :9654374712 zsb_nnl@yahoo.com
(ड)	जेडएसबी, पंचकुला	पंचकुला	जिला सैनिक और अर्ध सैनिक विभाग, सैनिक परिवार भवन भवन, प्लॉट नंबर: 101, सेक्टर -12, पंचकुला 134 112	0172-2584213 मोबाइल:8126442556 zsbpkl@yahoo.com
(ढ)	जेडएसबी, पानीपत	पानीपत	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, कोठी नंबर 118, आदर्श नगर, डाकघर के पास, सीएसडी कैंटीन, पानीपत- 132 103	0180-2650311 मोबाइल :8826674899 pnpzsb@gmail.com

(ण)	जेडएसबी, पलवल	पलवल	मकान संख्या 124, सिविल लाइन-4, एनआर हीरो होंडा शो रूम, पलवल	01275-297790 मोबाइल: 9953761992 palwalzsb@gmail.com
(त)	जेडएसबी, रेवाड़ी	रेवाड़ी	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, रेवाड़ी- 123 401	01274-224341 261411(ओ), 260850 मोबाइल: 9466291521, मोबाइल: 9971610700 zsbrwr@gmail.com
(थ)	जेडएसबी, रोहतक	रोहतक	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल रोड, छोटू राम पार्क के पास, रोहतक- 124 001	01262-230687 मोबाइल: 8168588014 zsbrohtak@gmail.com
(द)	जेडएसबी, सिरसा	सिरसा	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, बरनाला रोड, पुलिस लाइन के पास, सिरसा- 125 055	01666-297545 मोबाइल: 9868154386 zsbsrs@gmail.com
(ध)	जेडएसबी, सोनीपत	सोनीपत	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, गोहाना रोड, पुलिस लाइन के पास, सोनीपत- 131 001	0130-2220659 मोबाइल: 9868154386 zsbspt@gmail.com
(न)	जेडएसबी, यमुना नगर	यमुना नगर	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, पंचायत भवन के पास, यमुना नगर- 135 001	01732-211892 मोबाइल: 8126442556 zsbynr@yahoo.com
(प)	जेडएसबी, चरखी दादरी	चरखी दादरी	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, चरखी दादरी- 127 306	01250-297835 मोबाइल: 8958181434 zsbdadri@gmail.com
(फ)	जेडएसबी, नूह	नूह (मेवात)	जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, नूह, वार्ड नं.- 5, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रोड, डीएचवीबीएन कार्यालय के सामने, नूह 122107	01267- 297750 मोबाइल: 9466291521, मोबाइल: 9971610700 zsbnuh@gmail.com

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

हिमाचल प्रदेशपरिचय

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 1,72,105 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी हिमाचल प्रदेश		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
निदेशालय सैनिक कल्याण, हिमाचल प्रदेश	ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर - 177001	01972-221854 dir-sw-hp@nic.in
वेबसाइट: http://swd.hp.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	22,500	15,000	7,000	20,000	12,000	5,000	17,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1.50 लाख	1 लाख	50,000	1.25 लाख	75,000	40,000	1.10 लाख
(घ)	3 लाख	2 लाख	1 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख	8,000
(ङ)	30 लाख	20 लाख	10 लाख	30 लाख	15 लाख	10 लाख	-

ससभी नए चक्र श्रृंखला पुरस्कार विजेताओं के लिए 01 अप्रैल 2006 से एकमुश्त अनुदान

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	10,000	4,000	3,000 (जी) 3,000 (डी)	2,000 (जी)	15,000	7,000	3,000 (डी)
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	65,000	30,000	20,000 (जी) 20,000 (डी)	10,000 (जी)	1,00,000	50,000	20,000
(घ)	8,000	8,000	10,000 (जी) 8,000 (डी)	10,000 (जी)	10,800	9,600	8,000
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

क्र.सं.	सामान	राशी
(क)	युद्ध हताहत (रक्षा एवं अर्धसैनिक बल)	30.00 लाख
(ख)	शारीरिक हताहत (रक्षा एवं अर्धसैनिक बल)	7.50 लाख
(ग)	सशस्त्र बलों के 50% या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग सैनिक, जो अपनी विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं (रक्षा और अर्धसैनिक बल)	3.75 लाख
(घ)	सशस्त्र बलों के विकलांग सैनिक जिनकी विकलांगता 50% से कम है और जो अपनी विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से बाहर कर दिए गए हैं (रक्षा और अर्धसैनिक बल)	1.50 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	10,000/- और 5,000/- प्रति माह	-
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	1 लाख	प्रति कैदी प्रति वर्ष.
(ग)	विकलांग ईएसएम	2,000/- प्रति माह	पीआरसी, मोहाली और किरकी पुणे में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पैराप्लेजिक/विकलांग सैनिक, जिनकी आय सीमा 7,00,000/- रुपये प्रति वर्ष है।
(घ)	बेटी की शादी	50,000/-	युद्ध विधवाओं के लिए.
(ङ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (शारीरिक क्षति)	15,000/-	नं. 1 के लिए। तत्काल एफए।
(च)	अनाथ अनुदान	20,000 (ओटीजी)	भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के अनाथ आश्रित बच्चों को, जिनके पेंशन मामले प्रक्रियाधीन हैं।
(छ)	छात्रवृत्ति	500/- प्रति माह	पीजी पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक और कृषि विश्वविद्यालय, आईटीआई / आईआरडीआई पाठ्यक्रम, बी.एड, जेबीटी, ड्रेस डिस्पेंसर, एलटी ओटी सहायक, सामान्य स्वास्थ्य योजनाएं, पटवारी पाठ्यक्रम, पशु चिकित्सा स्टाफ पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों आदि के लिए ईएसएम / विधवाओं के वार्ड। वार्षिक आय 7 लाख से कम और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों।
		1,000/- प्रति माह	एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के लिए पूर्व सैनिक/विधवाओं के बच्चे। वार्षिक आय 7 लाख से कम और 60% से अधिक अंक।
		500/- प्रति माह	ईएसएम के लिए (उपर्युक्त एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिए)
(ज)	युद्ध जागीर	7,000/- प्रति वर्ष	केवल एक/दो/तीन पुत्रों के माता-पिता को, जिन्होंने आपातकाल में सेवा की थी।

(झ)	वृद्धावस्था पेंशन	5,000/- प्रति माह	गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
(ञ)	एसएसबी साक्षात्कार के लिए कोचिंग	12,000/- (ओटीजी)	7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों के लिए।
(ट)	गैर-पेंशनभोगी के लिए एफए	20,000/- तक	ईएसएम/विधवाएँ जिनकी वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये तक है।
		10,000/- तक	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम / विधवाएँ जिनकी वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये तक है। एएफएफडी फंड से।
		50,000/- तक	गैर-ईसीएचएस सदस्य ईएसएम / विधवाएँ जिनकी वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये तक है।

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	-
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	श्रेणी I से IV के 15% पद ईएसएम के लिए आरक्षित हैं। 01 सैनिक जो युद्ध में मारे गए या विकलांग हो गए हैं और सिविल रोजगार के लिए अयोग्य हो गए हैं, उनके आश्रितों के लिए आरक्षित हैं।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबी एस और बीडीएस
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	कृषि महाविद्यालय
	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(v)	आईटीआई
	(vi)	बी.एड और जेबीटी
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		प्रत्येक के लिए 1 सीट
		4% लेकिन कम से कम 1 सीट
		वीरता पुरस्कार विजेताओं के आश्रितों को 2%
		10%
		प्रत्येक सरकारी आईटीआई में 05 सीटें
		15%
(घ)	यात्रा	राज्य के भीतर हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण/डीलक्स बसों में निःशुल्क बस पास सुविधा वीरता पुरस्कार विजेताओं/जी.ए.डब्लू. की विधवाओं और युद्ध विधवाओं को दी जाती है।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	जगह	पता	उपलब्ध आवास (कमरे)	संपर्क नंबर
(क)	बिलासपुर	सैनिक विश्राम गृह, बिलासपुर बस स्टैंड के पास, बिलासपुर, (हिमाचल प्रदेश)	3xकमरे, 1x शयनगृह (6 बिस्तर)	01978-222343 93187-82732
(ख)	बिलासपुर	सैनिक विश्राम गृह, घुमारवीं, जिला। बिलासपुर, (हिमाचल प्रदेश)	2 कमरे, 1 शयनगृह (6 बिस्तर)	01978-222343 98052-26026
(ग)	चंबा	सैनिक विश्राम गृह, चंबा, नए बस स्टैंड के पास, चंबा	5 कमरे, 1 x शयनगृह (6 बिस्तर)	01899-222357 98056-94820
(घ)	चंबा	सैनिक विश्राम गृह चौवारी, (हिमाचल प्रदेश)	2 x कमरा 1 x शयनगृह (5 बिस्तर)	01899-222357 70189-36424
(ङ)	हमीरपुर	सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर, नाल्टी रोड, पेट्रोल पंप के पास, हमीरपुर, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरे, 1 x शयनगृह (7 बिस्तर)	01972-222334 82787-17469 98772-05207
(च)	हमीरपुर	सैनिक विश्राम गृह सुजानपुर तिहरा, जिला- हमीरपुर, (हिमाचल प्रदेश) (अस्थायी रूप से बंद)	5 x कमरे, 1x शयनगृह (5 बिस्तर), 1x हॉल	01972-222334 94185-29429
(छ)	कांगड़ा	सैनिक विश्राम गृह धर्मशाला, युद्ध स्मारक के पास, धर्मशाला, (हिमाचल प्रदेश)	04 x कमरे, 1 x शयनगृह (10 बिस्तर)	01892-223279 79892-46412
(ज)	कांगड़ा	सैनिक विश्राम गृह देहरा, तहसील परिसर के पास, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरे, 2 x डॉर्म (प्रत्येक में 7 बिस्तर)	ईसीएचएस द्वारा भर्ती
(झ)	कांगड़ा	सैनिक विश्राम गृह ज्वालामुखी, नादौन रोड, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरे, 2xडॉर्म (प्रत्येक 10 बेड)	01892-223279 70187-75073
(ञ)	कांगड़ा	सैनिक विश्राम गृह कांगड़ा, पुलिस स्टेशन के पास, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरे, 2 x डॉर्म (प्रत्येक में 10 एवं 06 बिस्तर)	01892-223279
(ट)	कांगड़ा	सैनिक विश्राम गृह नूरपुर, नयाज़पुर, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरे, 2 x डॉर्म (प्रत्येक में 8 बिस्तर)	01892-223279 82196-87932
(ठ)	कांगड़ा	सैनिक विश्राम गृह पालमपुर पुराने बस स्टैंड के पास, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरा, 1 x छात्रावास(6 बिस्तरों के साथ)	01892-223279 98056-56603

(ड)	कुल्लू	सैनिक विश्राम गृह कुल्लू, सर्किट हाउस के पास, ढालपुर, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)	4 x कमरे 1 x शयनगृह (4 बिस्तर)	01892-223279 75280-69448
(ढ)	लाहौल-स्पीति	सैनिक विश्राम गृह केलोंग बस स्टैंड के पास, (हिमाचल प्रदेश)	2 x कमरे	01902-222272 94596-32272
(ण)	मंडी	सैनिक विश्राम गृह मंडी, पैलेस कॉलोनी मंडी, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरे 6 बिस्तरों वाला 1 x छात्रावास	01905-222120 96259-94065
(त)	मंडी	सैनिक विश्राम गृह सरकाघाट बस स्टैंड रोड के पास, (हिमाचल प्रदेश)	2 x कमरे डबल बेड के साथ 1 x डॉर्म जिसमें 10 बेड हैं	-करना- 98166-26884
(थ)	सिरमौर	सैनिक विश्राम गृह नाहन, मुख्य डाकघर गुन्नुघाट के पास, नाहन, (हिमाचल प्रदेश)	3 x कमरा 8 बिस्तरों वाला 1 x छात्रावास	01702-222551 94594-86054
(द)	सिरमौर	सैनिक विश्राम गृह, पोंटा साहिब, एसडीएम कोर्ट के पास, जिला- सिरमौर, (हिमाचल प्रदेश) (अस्थायी रूप से बंद)	3 एक्सकमरे और 10 सिंगल बेड वाला 1 शयनगृह	01702-222551 93180-84104
(ध)	शिमला	सैनिक विश्राम गृह शिमला लॉन्गवुड शिमला, (हिमाचल प्रदेश)	11 x कमरे और 2x डॉर्म (प्रत्येक में 7 बिस्तर) 2x डॉर्म (प्रत्येक में 5 बिस्तर) 1 x मेस और 01 x हॉल	0177-2653211 86290-66051
(न)	शिमला	सैनिक विश्राम गृह मतियाना किन्नौर रोड मतियाना शिमला,	सेवामुक्त कर दिया गया	---
(प)	किन्नौर	सैनिक विश्राम गृह रेकांग पियो,	सेवामुक्त कर दिया गया	---
(फ)	सोलान	सैनिक विश्राम गृह सोलन, द मॉल रोड सोलन, (हिमाचल प्रदेश)	6 x कमरे, 2x डॉर्म (प्रत्येक में 6 बिस्तर)	01792-223764 76510-05464
(ब)	सोलान	सैनिक विश्राम गृह, सेक्टर नंबर 1, प्रवाणू, (हिमाचल प्रदेश)	5 एक्स कमरे, 2 छात्रावास (प्रत्येक में 6 बिस्तर)	-करना- 94658-78787
(भ)	ऊना	सैनिक विश्राम गृह ऊना पुराने बस स्टैंड के पास, (हिमाचल प्रदेश)	6 x कमरे, 1x छात्रावास(7 बेड)	01975-226090 96253-84974

7. **जिला सैनिक बोर्ड** हिमाचल प्रदेश राज्य में 10 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 12 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम & आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
(क)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, हमीरपुर	हमीरपुर (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) – 177 001	01972-222334 ddsw-ham-hp@nic.in
(ख)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) – 174001	01978-222343 ddzsw-bil-hp@hp.gov.in
(ग)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चम्बा	चम्बा (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) – 176 310	01899-222357 ddsw-cba-hp@gov.in
(घ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कांगड़ा	कांगड़ा (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कांगड़ा, धर्मशाला 176 215	01892-223279 ddsw-kan-hp@gov.in
(ङ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले	कुल्लू और लाहौल स्पीति (02)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कुल्लू 175101	01902-222272 dd-zswo-kul-hp@nic.in
(च)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मण्डी	मंडी (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मंडी – 175 001	01905-222120 gs.guleria64@hp.gov.in
(छ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शिमला और किन्नौर जिले	शिमला और किन्नौर (02)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शिमला – 171001	0177-2658586 ddsw-shi-hp@gov.in
(ज)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिरमौर	सिरमौर (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिरमौर, नाहन – 173 001	01702-222551 ddswd-sir-hp@hp.gov.in
(झ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सोलन	एक प्रकार का हंस (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सोलन – 173 212	01792-223764 sainik-sol-hp@nic.in
(ञ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ऊना	ऊना (01)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ऊना – 174 303	01975-226090 ddzsw-una-hp@nic.in

झारखंडपरिचय

1. झारखंड राज्य में कुल 36,687 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखंड	ब्रिगेडियर निरंजन कुमार (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, मेन रोड, रांची-834001	0651-2330178 jharkhand_skn@yahoo.in
वेबसाइट: तैयारी के अधीन।		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	30 लाख	20 लाख	10 लाख	20 लाख	10 लाख	7.50 लाख	12 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/ एनएम/ वीएम	मैसन-इन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	7 लाख	5 लाख	3 लाख	1.50 लाख	8 लाख	4 लाख	2 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान; (ख) भूमि के बदले नकद; (ग) वार्षिकी; (घ) एकमुश्त अनुदान

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
झारखंड	एक्स-ग्रेटिया (शहीद के नाम)	10 लाख
	विकलांग सैनिक	1 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	15,000/-प्रतिमाह	-
(ख)	पुत्री विवाह अनुदान	50,000/- (ओटीजी)	अधिकतम 02 पुत्रियों के लिए।
(ग)	अंतिम संस्कार अनुदान	10,000/- (ओटीजी)	-
(घ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु	2 लाख	-
(ङ)	शारीरिक दुर्घटना	1 लाख	-
(च)	अनाथ अनुदान	2,500/- प्रति माह	ईएसएम का 01 बच्चा जेसीओ रैंक तक।
(छ)	शिक्षा अनुदान	6,000/-	कक्षा 1 से 5
		8,000/-	कक्षा 6 से 10
		12,000/-	कक्षा 11वीं और उससे ऊपर।
(ज)	एनडीए/कमीशनिंग में शामिल होने पर	25,000/- (ओटीजी)	अधिकारी रैंक से नीचे के सभी ईएसएम
(झ)	राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में उपलब्धि के लिए मेधावी पुरस्कार	25,000/- (ओटीजी)	ईएसएम के वार्ड
(ञ)	अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में उपलब्धि के लिए मेधावी पुरस्कार	50,000/- (ओटीजी)	ईएसएम के वार्ड
(ट)	छात्रवृत्ति (मेधावी बच्चे)	15,000/- (ओटीजी)	कक्षा XII में 85% से 89% अंक प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिक (सभी रैंक) के बच्चों को।
		20,000/- (ओटीजी)	कक्षा XII में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिक (सभी रैंक) के बच्चों को।
(ठ)	ईएसएम विधवा का पुनर्विवाह	1 लाख (ओटीजी)	
(ड)	कियोस्क स्थापना	30,000/- (ओटीजी)	ईएसएम/वीर नारी/विधवा (हवलदार रैंक तक) जिनके पास वाणिज्यिक क्षेत्रों के पास अपनी भूमि हो।
(ढ)	बेसहारा विधवाएँ	50,000/- (ओटीजी)	-

(ण)	अतिरिक्त कक्ष/स्नानघर/रसोईघर का निर्माण	30,000/- (ओटीजी)	-
(त)	अनुकंपा सहायता	5,000/- प्रति वर्ष	एस.के.एन., झारखंड द्वारा गैर-पेंशन भोगियों के लिए।
		3,000/- प्रति वर्ष	ZSKK द्वारा गैर-पेंशनभोगी के लिए।
(थ)	गतिशीलता उपकरण	75,000/- (ओटीजी)	विकलांग सैनिक (सभी रैंक) जो सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम 50% विकलांगता के साथ विकलांग हो गए हों।
(द)	जेब भत्ता	2,000/- प्रति माह	टीबी/कुष्ठ रोग से पीड़ित कैदियों को उपचार तक।
(ध)	नेत्रहीन/मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग	1,000/- प्रति माह	70% विकलांगता वाले ईएसएम/विधवा/आश्रित।
(न)	चिकित्सा देखभाल अनुदान	1 लाख (ओटीजी)	कैंसर/डायलिसिस रोगियों के लिए (प्रति वर्ष 10 ईएसएम तक)।
(प)	कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति	15,000/-	बेसिक कंप्यूटर कोर्स (3 महीने और उससे अधिक)।
		30,000/-	सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स (6 महीने और उससे अधिक)।
		50,000/-	ग्राफिक, वेब डिजाइनिंग/एआई/डेटा साइंस.
		20,000/-	फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी (3 महीने और उससे अधिक)।
(फ)	सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल/आरआईएमसी में प्रवेश लेने पर	15,000/- (ओटीजी)	ईएसएम/विधवाओं के बच्चे।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर से छूट	झारखंड सरकार शहरी विकास और आवास विभाग अधिसूचना संख्या 1511 दिनांक 29 अप्रैल 2020 के तहत ईएसएम और रक्षा व्यक्तियों के लिए 5% होल्डिंग टैक्स में छूट दी गई।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	यदि केन्द्र सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिक की विधवा/01 आश्रित को सहायता प्रदान की जाएगी।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: शून्य	
(घ)	भूमि का प्रावधान	सेना में कार्यरत उन सैनिकों को, जिन्होंने सशस्त्र बल अधिनियम के तहत कम से कम 5 महीने तक सेवा की हो या सेवा के दौरान शहीद हुए हों, कृषि के लिए 5 एकड़ ग्रामीण भूमि तथा आवास के लिए 12.5 डिसमिल भूमि उपायुक्त स्तर पर प्रदान की जाएगी। (प्राधिकार:राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार पत्र संख्या 6141/रा. दिनांक 20 दिसंबर 2017।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	रांची जवान भवन-सह-सैनिक बाजार, मेन रोड, रांची - 834001	2	3 कमरे और 10 बिस्तरों वाला एक शयनगृह		0651-2330148
(ख)	दुमका सैनिक विश्राम गृह, कोर्ट कंपाउंड, दुमका - 814101	1	2	3	06434-237027
(ग)	चाईबासा कोर्ट कंपाउंड, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा - 833201	1	1	1	06582-296008
(घ)	गुमला ग्राम- करौंदी, जशपुर रोड, जिला - गुमला - 835207	2	2 x कमरे और 10 बिस्तरों वाला एक शयनगृह		06524-299940
(ङ)	हजारीबाग डीवीसी रोड, त्रिमूर्ति चौक के पास, हजारीबाग - 825301	3	3 x कमरे और 09 बिस्तरों वाला एक शयनगृह		06546-267767 (पुराना नंबर)

7. **जिला सैनिक बोर्ड** झारखंड राज्य में 24 जिलों को कवर करने वाले 5 जिला सैनिक बोर्ड हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसकेके, रांची	रांची और खूंटी, (02)	सहायक निदेशक-कार्यवाहक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, रांची 834001	0651-2330159 zskkranchi@yahoo.in
(ख)	जेडएसकेके, दुमका	दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा (06)	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, दुमका	06434-237027 zskkdumka@yahoo.in
(ग)	जेडएसकेके, चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)	पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां (03)	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा-833201	0658-296008 zilasainikchaibasa@gmail.com
(घ)	जेडएसकेके, हजारीबाग	हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ (07)	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग-825301	06546-267767 zskkhazaribagh@yahoo.in

(ड)	जेडएसकेके, गुमला	गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा (03)	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गुमला- 835232	06524-299940 zskkgumla@yahoo.in
(च)	जेडएसकेके, मेदिनीनगर (पलामू)	पलामू, गढ़वा, और लातेहार (03)	अभी तक चालू नहीं हुआ है। अंतरिम रूप से ZSB रांची द्वारा इसकी देखभाल की जा रही है।	



कर्नाटक**परिचय**

1. 30 जून 2025 तक कर्नाटक राज्य में कुल 1,25,432 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएं/विधवाएं हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफ़ोन नंबर। & ईमेल आईडी
आरएसबी कर्नाटक	खाली निदेशक, नंबर 58, फील्ड मार्शल करियप्पा भवन, फील्ड मार्शल करिअप्पा रोड, बेंगलुरु - 560 025	080-25589459 dirdswrblr@gmail.com
वेबसाइट: https://sainikwelfare.karnataka.gov.in/english		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	1.5 करोड़	1 करोड़	50 लाख	1.5 करोड़	1 करोड़	50 लाख	2 लाख (डी)

क्र सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	1.5 लाख	75,000	15 लाख (जी)	15 लाख (जी)	1.75 लाख	1 लाख	34,000

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह

अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
कर्नाटक	युद्ध हताहत (मृत्यु मामला) और 100% विकलांगता के साथ घायल सैनिक का NOK।	50 लाख
	युद्ध में घायल सैनिक, 51-75% विकलांगता।	25 लाख
	50% या उससे कम विकलांगता वाला युद्ध में घायल सैनिक।	5 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/विधवाओं (मानदेय)	6,000/- प्रति माह	-
(ख)	पुत्री विवाह अनुदान	5 लाख	युद्ध विधवाओं की बेटी
(ग)	सरकारी निःशुल्क साइट	अधिकारी/जेसीओ रैंक के लिए 40x60 फीट का निःशुल्क स्थल तथा अन्य रैंक के लिए 30x40 फीट का निःशुल्क स्थल अथवा निःशुल्क स्थलों के बदले नकद राशि निम्नानुसार है:-	
		बेंगलुरु शहरी	अन्य जिले
	अधिकारी/जेसीओ	25 लाख	20 लाख
	अन्य रैंक	20 लाख	15 लाख
(घ)	मुफ्त सरकारी ज़मीन या बदले में नकद	10 लाख	2 एकड़ गीली भूमि या 4 एकड़ वर्षा आधारित भूमि या 8 एकड़ सूखी ज़मीन.
(ङ)	निःशुल्क निर्मित मकान या निःशुल्क मकान के बदले नकद	6 लाख	अधिकारी एवं जे.सी.ओ.
		4.50 लाख	अन्य रैंक.
(च)	घर की मरम्मत अनुदान	3 लाख	युद्ध विधवाओं को हर 15 वर्ष में (केवल दो बार)।

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	50%
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति (युद्ध हताहत)	सभी समूहों में 10%.
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबी एस /दंत
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	कृषि महाविद्यालय
	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(v)	आईटीआई
	(vi)	बी.एड.
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		8 / 2 सीटें
		136 सीटें%
		60 सीटें
		2.5%
		2.5%
		15 सीटें

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	जगह	आवास उपलब्ध						टिप्पणी
		कमरा				छात्रावास		
		आधिकारी	बिस्तरों की संख्या	जेसीओ/ओआर	बिस्तरों की संख्या	छात्रावास	बिस्तरों की संख्या	
(क)	बैंगलोर शहर	04	08	12	24	02	24	
(ख)	बेलगावी	03	03	10	20	01	19	
(ग)	अथानी(बेल गावी)	01	02	0	0	0	0	
(घ)	धारवाड़	04	08	05	10	0	0	
(ङ)	विजयपुरा	01	02	01	02	01	03	
(च)	कारवार	01	02	04	08	01	05	
(छ)	मेदीकेरी	03	03	08	18	02	13	
(ज)	मंगलुरु	02	04	03	06	01	06	
(झ)	मैसूर	01	02	09	18	03	25	
(ञ)	शिवमोगा	01	02	02	04	01	04	
(ट)	बागलकोट	01	01	01	01	01	05	
कुल	11	22	40	55	111	13	104	

7. **जिला सैनिक बोर्ड** कर्नाटक राज्य में 13 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 31 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, बैंगलुरु - शहरी	बैंगलुरु - शहरी (01)	संयुक्त निदेशक, नंबर 58, फील्ड मार्शल करियप्पा भवन, फील्ड मार्शल करियप्पा रोड, बैंगलुरु - 560 025	080-25585119 sainikblr@rediffmail.com
(ख)	जेडएसबी, बैंगलुरु - ग्रामीण	बैंगलुरु ग्रामीण, चिक्काबल्लापुर, तुमकुर, रामानगर और कोलार (05)	प्रभारी उप निदेशक, नंबर 58, फील्ड मार्शल करियप्पा भवन, फील्ड मार्शल करियप्पा रोड, बैंगलुरु - 560 025	080-25588718 sainikrural@rediffmail.com
(ग)	जेडएसबी, बेलगावी	बेलगावी (01)	संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक कार्यालय, कोर्ट कंपाउंड, बेलगावी 590002	0831-2950293 sainikwelfare_belgaum@yahoo.in
(घ)	जेडएसबी, बागलकोट	बागलकोट और कोप्पल (02)	उप निदेशक - प्रभारी, उप निदेशक कार्यालय, सेक्टर 22, नवानगर पुलिस पैलेस के पास, बागलकोट - 587 103	08354-235434 bagalkot.dswr@gmail.com

(ड)	जेडएसबी, धारवाड़	धारवाड़, हुबली, हावेरी, बल्लारी, विजयनगर और गडग (05)	संयुक्त निदेशक, उप निदेशक कार्यालय, डीसी कार्यालय परिसर, धारवाड़ - 580 001	0836-2440176 sainikwelfarewd@gmail.co m
(च)	जेडएसबी, हसन	हासन और चिकमंगलुरु (02)	उप निदेशक - प्रभारी, उप निदेशक कार्यालय, श्री वासवी निलय, प्रथम क्रॉस, शंकरा पुरम, हसन - 573 201	08172-250465 sainikwelfarehassan@rediffm ail.com
(छ)	जेडएसबी, कलबुर्गी	कलबुर्गी, रायचूर, बीदर और यादगिरि (04)	उप निदेशक - प्रभारी, उप निदेशक कार्यालय, विकास भवन परिसर, कलबुर्गी 585101	08472-225003 sainikwelfareglb@gmail. com
(ज)	जेडएसबी, उत्तर कन्नड़ (कारवार)	उत्तर कन्नड़ (01)	उप निदेशक - प्रभारी, उप निदेशक कार्यालय, एमजी रोड, कारवार- 581 301	08382-226538 sainik.kwr@gmail.com
(झ)	जेडएसबी, मंगलुरु	दक्षिण कन्नड़, उडुपी (02)	प्रभारी उप निदेशक, संयुक्त निदेशक का कार्यालय सैनिक विश्राम गृह भवन, उर्वा स्टोर्स, अशोक नगर, मंगलुरु - 575 006	0824-2450933 dydirdswrmlore@gmail. com
(ञ)	जेडएसबी, मदिकेरी	कोडागू (01)	संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक कार्यालय, केनरा बैंक बिल्डिंग, मेन रोड, मदिकेरी - 571201	08272-229866 jtdirectordswrmdk@ yahoo.com
(ट)	जेडएसबी, मैसूर	मैसूर, मांड्या और चामराजा नगर (03)	प्रभारी उप निदेशक, उप निदेशक कार्यालय, स्काइन लीडर एबी देवैया भवन, डीसी कार्यालय के पास, मैसूर 570005	0821-2425240 Sainikwelfaremysore05@gm ail.com
(ठ)	जेडएसबी, शिवमोगा	शिवमोगा, चित्रदुर्ग और दावणगेरे (03)	उप निदेशक - प्रभारी, उप निदेशक कार्यालय, बलराज यूआरएस रोड, डीसी आवास के पास, शिवमोगा - 577 201	08182-220925 soldiersshimoga@rediffmail. com
(ड)	जेडएसबी, विजयपुरा	विजयपुरा (01)	उप निदेशक, उप निदेशक कार्यालय, जिला कार्यालय भवन, विजयपुरा 586101	08352-250913 sainikwelfare_bijapur@ yahoo.co.in

नोट: 13 ZSB में से ZSWO के केवल 05 पद भरे हुए हैं।

केरलपरिचय

1. केरल राज्य में कुल 2,56,054 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
आरएसबी, केरल	कैप्टन शीबा रवि (सेवानिवृत्त) प्रभारी निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय, विकास भवन, तिरुवनंतपुरम - 695033	0471- 2304980 0471- 2303654 dswkerala@gmail.com
वेबसाइट: https://sainikwelfare.kerala.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार (रु मे).

क्र.सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	50 लाख	40 लाख	24 लाख	50 लाख	36 लाख	20 लाख	6 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/ एनएम/वीएम	मैसन-ईन- डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	3 लाख रुपये	2 लाख रुपये	4 लाख रुपये (जी) 25,000 रुपये (डी)	2 लाख रुपये	1 लाख रुपये	50,000	25,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

क्र.सं.	आश्रितों/एनओके/रक्षा कर्मियों के लिए	राशी
(क)	कार्रवाई/आतंकवाद विरोधी/आतंकवादी विद्रोह कार्रवाई में मारे गए	रु. 10,00,000/-
(ख)	घायल/विकलांगकार्रवाई/उग्रवाद विरोधी/आतंकवादी विद्रोह कार्रवाई	न्यूनतम राशि 25,000/- रुपये, अधिकतम राशि 50,000/- रुपये (घाव/विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर गणना की जाएगी)।

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	रु.8,000/- प्रति माह	50,000/- रुपये की वार्षिक आय सीमा के अधीन
(ख)	विकलांग ईएसएम/रक्षा बल/सीएपीएफ/जीआरईएफ कर्मी	3 लाख रुपये तक	कार्रवाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए रक्षा/सीएपीएफ/जीआरईएफ कार्मिक (मुख्यमंत्री कल्याण कोष)। चोट की गंभीरता के अनुसार समिति द्वारा राशि तय की जाएगी।
(ग)	अनुग्रह अनुदान	रु.10,000/-	मृतक पूर्व सैनिक का NOK, किसी अन्य स्रोत से समान सहायता प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए। कोई आय सीमा नहीं।
(घ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु	10 लाख रुपये (पार्थिव शरीर प्राप्त होने पर तुरंत 50,000 रुपये)	जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन विजय/ऑपरेशन रक्षक III में शहीद/लापता हुए रक्षा/सीएपीएफ/जीआरईएफ कर्मियों के आश्रितों को। (मुख्यमंत्री कल्याण कोष से)
		5 लाख रुपये	ऑपरेशन विजय/ऑपरेशन रक्षक III/जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य किसी कार्रवाई में शहीद/लापता हुए रक्षा बलों/सीएपीएफ/जीआरईएफ कर्मियों के आश्रितों को। (मुख्यमंत्री कल्याण कोष से)
(ङ)	गृह निर्माण अनुदान	2 लाख रुपये	3,00,000/- रुपये की वार्षिक आय सीमा के अधीन
(च)	कैडेट छात्रवृत्ति	2 लाख रुपये	अधिकारी कैडेट.
		1 लाख रुपये	नर्सिंग कैडेट.
		4,000/- रुपये (गर्म कपड़ों के लिए) रु.6,000/- (वार्षिक छात्रवृत्ति)	आरआईएमसी कैडेट (एकमुश्त अनुदान)
(छ)	नकद पुरस्कार टीए मेडल प्राप्तकर्ता	रु.5,000/-	केरल से संबंधित टीए कर्मियों के लिए

एसएमबीएफ द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	एसएमबीएफ से वित्तीय सहायता	14,000/- रुपये 16,000/- रुपये 18,000/- रुपये	ईएसएम/आश्रित, गैर-पेंशनभोगी और एमएफए प्राप्तकर्ता नहीं। वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये।
(ख)	डीएमबीएफ से वित्तीय सहायता	रु.10,000/- एवं रु.12,000/-	ईएसएम/आश्रित, गैर-पेंशनभोगी और एमएफए के गैर-प्राप्तकर्ता। आय सीमा 2 लाख रुपये।
(ग)	पीआरसी, किर्की को संस्थागत अनुदान	प्रति व्यक्ति 12,000/- रुपये प्रति वर्ष	केरल के रहने वाले पूर्व-विशेषज्ञों के लिए पीआरसी किर्की को भुगतान किया गया। पीआरसी जाने के लिए निकटतम रिश्तेदार या निकटतम रिश्तेदार को स्लीपर श्रेणी का रेल किराया।
(घ)	ब्लाइंड ग्रांट	रु.4,000/- प्रति माह 2,000/- रुपये प्रति माह	अंधे गैर-पेंशनभोगी। अंधे पेंशनभोगी.
(च)	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए अनुदान	रु.3,000/- प्रति माह	पूर्व-सैनिकों के अविवाहित और बेरोजगार बच्चे। लाभार्थी के माता-पिता बेरोजगार होने चाहिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें IQ 40 से कम दर्शाया गया हो। आय सीमा ₹5,00,000/-।
(छ)	विवाह अनुदान	रु.30,000/-	पूर्व सैनिक/विधवाओं की 02 पुत्रियां। आय सीमा 6 लाख रुपये।
(ज)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों की अविवाहित बेटियों को वित्तीय सहायता	रु.5,000/--प्रतिमाह	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों की अविवाहित बेटियों को वित्तीय सहायता, जो माता-पिता की मृत्यु के बाद एमएफए प्राप्त कर रहे थे।
(झ)	10वीं और प्लस 2 स्तर के बच्चों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले को नकद पुरस्कार	रु.3,000/- (10वां) स्तर और रु.5000/- (प्लस 2 स्तर)	ईएसएम के बच्चों को नकद पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने 10वीं और प्लस 2 स्तर (राज्य) में सभी विषयों में ए+ / ए1 और सीबीएसई और आईसीएसई के लिए 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हों।
(ञ)	संकट निवारण अनुदान	2,000/- रुपये प्रति माह रु.10,000/- एवं रु.5,000/- रु.50,000/- एवं रु.20,000/-	वृद्ध ईएसएम को मनी ऑर्डर द्वारा। जिला कलेक्टर एवं जेडएसडब्ल्यूओ से वित्तीय संकट में ईएसएम/आश्रित। माननीय मुख्यमंत्री एवं निदेशक सैनिक कल्याण द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता
(ट)	अनुदान सहायता	रु.1,500/-	चिकित्सा प्राधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर पूर्व सैनिक/आश्रितों/विधवाओं/पत्नियों में से एड्स रोगियों को चिकित्सा पश्चात देखभाल अनुदान। कोई आय सीमा नहीं।
(ठ)	चिकित्सा पश्चात देखभाल (टीबी / कुष्ठ रोगी)	3 वर्षों के लिए 2,000/- रुपये प्रति माह	टीबी/कुष्ठ रोग का इलाज करा रहे पूर्व-चिकित्सा सेवारत बाह्य रोगी। संबंधित संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी

			प्रमाण पत्र के आधार पर। आय सीमा में छूट।
(ड)	चिकित्सा पश्चात देखभाल (कैंसर रोगी)	पेंशनभोगियों के लिए 1 वर्ष के लिए 2000/- रुपये प्रति माह और गैर-पेंशनभोगियों के लिए 3 वर्ष के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह।	पूर्व-सैनिक/आश्रित/विधवा/पत्नियाँ, कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों को, उस कैंसर संस्थान की सिफ़ारिश के आधार पर, जहाँ मरीज़ का निरंतर इलाज चल रहा हो, सहायता दी जाएगी। गैर-पेंशनभोगियों के मामले में, अनुदान 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कोई आय सीमा नहीं।
(ढ)	गुर्दे के रोगी	प्रति डायलिसिस 1,000/- रुपये, अधिकतम 30,000/- तक	पूर्व-सैनिक और विधवाएँ नियमित रूप से डायलिसिस करवा रही हैं। आवेदकों को उस अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ उनका इलाज चल रहा है। केवल गैर-पेंशनभोगी और गैर-ईसीएचएस सदस्य ही आवेदन कर सकते हैं।
(ण)	चिकित्सा राहत अनुदान	रु.10,000/-	पूर्व सैनिक और विधवाएं (गैर-पेंशनभोगी) तथा अपक्षयी या असाध्य रोगों से पीड़ित और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग। आय सीमा 75,000/- रुपये।
(त)	देखभाल अनुदान (अंग प्रत्यारोपण)	1 वर्ष के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह	ईएसएम/विधवाओं/ईएसएम के आश्रितों ने अंग प्रत्यारोपण (हृदय, गुर्दा, यकृत, कूल्हा और घुटना आदि) करवाया है।
(थ)	आवासीय झोपड़ी की मरम्मत	रु.40,000/-	ईएसएम/विधवाएं। आय सीमा 4 लाख रुपये।
(द)	कोचिंग क्लास अनुदान	रु.35,000/-	ईएसएम के बच्चे जो एसईटी, नेट, जेआरएफ, आईसीडब्ल्यूए, सीए, सिविल सेवा और केएस परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाएं ले रहे हैं। आय सीमा 5,00,000/- रुपये
(ध)	त्यौहार भत्ता	रु.2,000/-	ओणम के दौरान टीबी/कुष्ठ रोग और कैंसर के रोगियों की ईएसएम जांच करना।

(न)	स्व-रोजगार प्रशिक्षण	अधिकतम 10,000/- रुपये	बेरोजगार पूर्व-सैनिक जो ZSWO में पंजीकृत हैं। सचिव, RSB के पूर्व अनुमोदन से केरल सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
		रु.10,000/- से रु.25,000/- (एकमुश्त अनुदान)	पूर्व सैनिक की बेरोजगार पत्नी/विधवा को स्व-रोजगार के लिए। लाभार्थी की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय 1,50,000/- रुपये से कम होनी चाहिए। पुनर्नियोजित पूर्व सैनिक की पत्नी पात्र नहीं है।
(प)	प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार बोर्ड में भाग लेने के लिए कोचिंग क्लास अनुदान	10,000/- रुपये या वास्तविक शुल्क जो भी कम हो।	बेरोजगार ईएसएम और आश्रित।
(फ)	जेब खर्च	2,000/- रुपये प्रति माह	टीबी/कुष्ठ रोग सेनेटोरियम में उपचार करा रहे ईएसएम/ईएसएम की विधवाओं को भर्ती किया जाना।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी																								
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	स्वयं के कब्जे वाला या पति/पत्नी के कब्जे वाला मकान, 2000 वर्ग फुट तक (केवल एक मकान के लिए छूट)																								
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	सैन्य सेवा के कारण कार्रवाई में मारे गए/लापता/विकलांग हुए रक्षा कर्मियों/जीआरईएफ/सीएपीएफ कर्मियों के आश्रितों को रोजगार सहायता जीओ (पी) संख्या 110/02/जीएडी दिनांक 29/04/2002 और जीओ (पी) संख्या 02/2020/एसडब्ल्यूडी दिनांक 11/03/2020।																								
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -																									
	<table> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>अवधि</th><th>आरक्षित सीटों का प्रतिशत/संख्या</th></tr> <tr> <td>(i)</td><td>एमबीबी एस / बीडीएस</td><td>6 + 1 सीटें</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>इंजीनियरिंग कॉलेज</td><td>35 सीटें</td></tr> <tr> <td>(iii)</td><td>कृषि महाविद्यालय</td><td>1 सीटें</td></tr> <tr> <td>(iv)</td><td>पॉलिटेक्निक कॉलेज</td><td>10 सीटें</td></tr> <tr> <td>(v)</td><td>एलएलबी</td><td>7 सीटें</td></tr> <tr> <td>(vi)</td><td>नर्सिंग प्रशिक्षण</td><td>20 सीटें</td></tr> <tr> <td>(vii)</td><td>बीएचएमएस, बीएएमएस और पीजी मेडिकल</td><td>प्रत्येक के लिए 1 सीट</td></tr> </table>	क्र. सं.	अवधि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत/संख्या	(i)	एमबीबी एस / बीडीएस	6 + 1 सीटें	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	35 सीटें	(iii)	कृषि महाविद्यालय	1 सीटें	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	10 सीटें	(v)	एलएलबी	7 सीटें	(vi)	नर्सिंग प्रशिक्षण	20 सीटें	(vii)	बीएचएमएस, बीएएमएस और पीजी मेडिकल	प्रत्येक के लिए 1 सीट	
क्र. सं.	अवधि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत/संख्या																								
(i)	एमबीबी एस / बीडीएस	6 + 1 सीटें																								
(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	35 सीटें																								
(iii)	कृषि महाविद्यालय	1 सीटें																								
(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	10 सीटें																								
(v)	एलएलबी	7 सीटें																								
(vi)	नर्सिंग प्रशिक्षण	20 सीटें																								
(vii)	बीएचएमएस, बीएएमएस और पीजी मेडिकल	प्रत्येक के लिए 1 सीट																								
(घ)	सिलाई मशीन की आपूर्ति	पूर्व सैनिक जो पेशे से दर्जी हैं, युद्ध/साहस में शहीद हुए जवानों की विधवाएँ, पूर्व सैनिक की विधवाओं को सिलाई का काम आना चाहिए, तथा उन्हें किसी अन्य स्रोत से ऐसी कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आय सीमा ₹1,50,000/-।																								

(ड)	कढ़ाई मशीन की आपूर्ति	बेरोजगार पूर्व सैनिक, युद्ध में शहीद हुए/नौकरी के दौरान शहीद हुए जवानों की विधवाएं, पूर्व सैनिक की विधवाओं/पत्नियों को कढ़ाई का काम आना चाहिए। किसी अन्य स्रोत से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आय सीमा 1,50,000/- रुपये।
(च)	कंप्यूटर प्रशिक्षण	ईएसएम को बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करना।
(छ)	सिलाई और कढ़ाई मशीन	3 सिलाई और 2 कढ़ाई मशीन (एक बार) स्वरोजगार परियोजना के लिए न्यूनतम पांच या अधिक बेरोजगार ईएसएम/पत्नियों/विधवाओं की टीम वाली इकाई को।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

एकीकृत निधि विभिन्न पुनर्वास/कल्याण योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नामकरण	अनुदान की दर.	टिप्पणी
(क)	व्यावसायिक/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए समामेलित निधि छात्रवृत्ति	₹3000 से ₹10000 प्रति व्यक्ति	केवल पूर्व सैनिकों के बच्चे। कोई वार्षिक आय सीमा नहीं।
(ख)	मेडिकल/इंजीनियरिंग प्रवेश कोचिंग कक्षाओं के लिए पूर्व सैनिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता।	₹12000 प्रति व्यक्ति	पूर्व सैनिकों के बच्चे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आवेदकों की संख्या 300 तक सीमित है।
(ग)	दिव्यांग बच्चों के लिए अनुदान	₹3000/- प्रति व्यक्ति प्रति माह	अविवाहित/बेरोजगार पूर्व सैनिकों के बच्चे। वार्षिक आय 5,00,000/- रुपये से कम
(घ)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं और आश्रितों को पुनर्वास प्रशिक्षण	वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क या रु. 30000/- जो भी कम हो	ईएसएम और उनके आश्रित कौशल विकास या पुनर्वास कार्यक्रम.
(ड)	सैनिक स्कूल कजक्कुट्टम में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत पूर्व सैनिकों के बच्चों को एकमुश्त अनुदान।	₹10,000/- प्रति व्यक्ति	ईएसएम के बच्चे 10वीं कक्षा सैनिक स्कूल, कजहक्कुट्टम में पढ़ रहा हूँ।
(च)	पूर्व सैनिकों के लिए छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने हेतु सब्सिडी	पूर्व सैनिकों/विधवाओं के लिए ₹12000/-	कोई वार्षिक आय सीमा नहीं।
(छ)	निराश्रित / वृद्धावस्था भत्ता	₹2,000/- प्रति व्यक्ति प्रति माह	केवल गैर-पेंशनभोगियों के लिए।
(ज)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता	अस्पताल में भर्ती के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में अधिकतम ₹10,000/- रु.	केवल गैर-पेंशनभोगियों के लिए।

(झ)	पूर्व सैनिकों के लिए स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता	संचालन के एक वर्ष के बाद प्रति समूह ₹ 25,000/-	केवल ईएसएम/विधवा/आश्रित। एक समूह के 15-20 सदस्य या 5 परिवार समूह। अनिवार्य बैंक ऋण / स्व अंशदान। ZSWO के साथ पंजीकरण करें (परियोजना रिपोर्ट आवश्यक)
(ञ)	ईएसएम के बच्चों को अनाथ अनुदान	3,000 रुपये प्रति माह (पेंशनभोगी) 5,000 रुपये प्रति माह (गैर-पेंशनभोगी)	- लड़के के लिए आयु 25 वर्ष से कम, लड़की के लिए आयु 30 वर्ष से कम। - अविवाहित/बेरोजगार. - वार्षिक आय 500000/- रुपये से कम
(ट)	स्व-रोजगार के लिए सब्सिडी योजना	अधिकतम 1 लाख रुपये	स्वरोजगार के लिए विभिन्न बैंकों, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों जैसे एमएसएमई योजना आदि से पहले से लिए गए ऋणों पर सब्सिडी।
(ठ)	अनुदान सहायता	प्रति व्यक्ति 5000 रुपये प्रति माह	वृद्ध एवं गरीब पूर्व-सैनिकों/विधवाओं के लिए, जिन्हें किसी भी स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है और जो वृद्धाश्रम में रहते हैं।
(ड)	चिकित्सा योजना के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों को वित्तीय सहायता	दवाओं के लिए एकमुश्त 3000 रुपये	वृद्ध/बीमार द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज वार्षिक आय 200000/- रुपये से कम

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	स्थान और पता	उपलब्ध आवास (कमरे)	संपर्क विवरण (केयर टेकर का मोबाइल नंबर)
(क)	तिरुवनंतपुरम वंचियूर, तिरुवनंतपुरम केरल-695035	डबल रूम (ए/सी) - 02 डबल रूम (गैर-ए/सी) - 04 सिंगल रूम (बी/रूम अटैच्ड) 01 सिंगल रूम (बी/रूम संलग्न नहीं)- 04 शयनगृह - 08 बिस्तर सम्मेलन हॉल - 01 मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल-01	7025253838
(ख)	कोट्टायम थलप्पाडी, पुथुप्पल्ली रोड मनारकाडु पोकोट्टयम 686019	डबल रूम (ए/सी) - 02 डबल रूम (गैर-ए/सी) - 02 सिंगल रूम (बी/रूम अटैच्ड)- 05 शयनगृह - 12 बिस्तर सम्मेलन हॉल-01	9496633598

(ग)	अलाप्पुझा अरट्टुवाझी रोड अलाप्पुझा - 688007	एग्जीक्यूटिव रूम (गैर-ए/सी) - 01 डबल रूम (नॉन-ए/सी) - 04 डबल रूम (बी/रूम संलग्न नहीं)-01 सिंगल रूम (बी/रूम संलग्न नहीं) 01	9400130256
(घ)	Chengannur मम्मेन मेमोरियल अस्पताल के सामने, चेंगन्नूर-689121	शयनगृह - 16 बिस्तर	7008629193
(ङ)	एर्नाकुलम होटल रॉयल रेजीडेंसी के पास, सिविल स्टेशन, कक्कनाड एर्नाकुलम - 682030	एग्जीक्यूटिव रूम (ए/सी) - 01 एग्जीक्यूटिव रूम (गैर-ए/सी) -01 डबल रूम (बी/रूम अटैच्ड)-05 डबल रूम (बी/रूम संलग्न नहीं)-02 सिंगल रूम (बी/रूम अटैच्ड)- 03 सिंगल रूम (बी/रूम संलग्न नहीं) 02 शयनगृह - 10 बिस्तर सम्मेलन हॉल - 01	9446130917
(च)	त्रिशूर गड्डे, त्रिशूर-680004	एग्जीक्यूटिव सूट डबल रूम (ए/सी) - 01 डबल रूम (गैर-ए/सी) - 01 सिंगल रूम (ए/सी) - 02 सिंगल रूम (बी/रूम अटैच्ड)-02 छात्रावास - 04 बिस्तर सम्मेलन हॉल -01	7994341386
(छ)	कोझिकोड बालन के. नायर रोड, कोझिकोड-673001	डबल रूम (ए/सी) - 02 डबल रूम (गैर-ए/सी) - 04 सिंगल रूम (बी/रूम अटैच्ड)-01 सिंगल रूम (बी/रूम संलग्न नहीं) 06	8593062900

7. जिला सैनिक बोर्ड. केरल राज्य में 14 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 14 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, वंचियूर, तिरुवनंतपुरम- 695035	0471- 2472748 zswotvpm@gmail.com
(ख)	जेडएसबी, कोल्लम	कोल्लम (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन, कोल्लम - 691013	0474-2792987 zswokollam@gmail.com
(ग)	जेडएसबी, पथानामथिट्टा	पथानामथिट्टा (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, स्वाति, अरोमा होटल के पास, कलेक्टेड के सामने पथानामथिट्टा - 689 645	0468-2222104 zswopta@gmail.com
(घ)	जेडएसबी, अलाप्पुझा	अलाप्पुझा (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अरत्तुवाझी रोड, अलाप्पुझा - 688 007	0477- 2245673 zswalp@gmail.com

(ड)	जेडएसबी,कोट्टायम	कोट्टायम (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पोल्टी फार्म के सामने, मनारकाडु पी.ओ. कोट्टायम – 686019	0481-2371187 zswoktym@gmail.com
(च)	जेडएसबी,इडुक्की	इडुक्की (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, प्रथम तल, मिनी सिविल स्टेशन, थोडुपुझा, इडुक्की - 685584	0486- 2222904 zswoidukki@gmail.com
(छ)	जेडएसबी,एर्नाकुलम	एर्नाकुलम (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन, कक्कनाड, एर्नाकुलम – 682 030	0484-2422239 zswokm@gmail.com
(ज)	जेडएसबी,त्रिशूर	त्रिशूर (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक केंद्र, पूथोल त्रिशूर- 680004	0487 2384037 zswothrissur@gmail.co m
(झ)	जेडएसबी,पलक्कड़	पलक्कड़ (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जैनिमाडे, वडक्कंथरा पीओ पलक्कड़ 678 012	0491- 2971633 zswopalakkad@gmail.c om
(ञ)	जेडएसबी,मलप्पुरम	मलप्पुरम (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन, मलप्पुरम – 676 505	0483- 2734932 zswompm@gmail.com
(ट)	जेडएसबी,कोझिकोड	कोझिकोड (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बालन के नायर रोड, कोझिकोड – 673 001	0495-2771881 kkdzswo@gmail.com
(ठ)	जेडएसबी,वायनाड	वायनाड (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलपेट्टा उत्तर पी.ओ. वायनाड – 673 122	04936- 202668 zswowyd@gmail.com
(ड)	जेडएसबी,कन्नूर	कन्नूर (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन, कन्नूर - 670 002	0497- 2700069 zswokannur@gmail.co m
(ढ)	जेडएसबी,कासरगोड	कासरगोड (1)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सिविल स्टेशन पी.ओ. कासरगोड 671 123	0499- 4256860 zswoksgd2@gmail.com

मध्य प्रदेशपरिचय

1. मध्य प्रदेश राज्य में कुल 71,733 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
आरएसबी मध्य प्रदेश	ब्रिगेडियर अरुण नायर, सैन्य अधीक्षक (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, मध्य प्रदेश जीटीबी कॉम्प्लेक्स, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल- 462003	0755-2553992 dirrsb@mp.gov.in
Website: https://sainikkalyan.mp.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार (रु मे).

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	1 करोड़	75 लाख	50 लाख	1 करोड़	75 लाख	50 लाख	10 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/ एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	7 लाख	5 लाख	25 लाख (जी) 2 लाख (डी)	25 लाख	5 लाख	2.50 लाख	1 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान**

राज्य	युद्ध विधवाओं/ NOK को अनुदान	अनुदान की दर
मध्य प्रदेश	अनुग्रह राशि (युद्ध/कार्रवाई/आतंकवादी हमले/नक्सली हमले/आईएस ड्यूटी में शहीद हुए सैन्यकर्मी/जेसीओ और ओआर)	10 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
राज्य बजट से			
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	8,000/- pm	-
(ख)	विकलांग ईएसएम (युद्ध हताहत)	10 Lakhs	जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमोदित विकलांगता प्रतिशत के अनुसार।
(ग)	युद्ध हताहतों की बेटी/बहन की शादी के लिए अनुदान	10,000/- OTG	युद्ध/कार्रवाई/आतंकवादी/नक्सली हमले/आईएस ड्यूटी में शहीद/विकलांग हुए कार्मिकों की 02 बेटियाँ/बहनें।
(घ)	भारतीय सशस्त्र बलों में कार्यरत बेटी	20,000/- pa	माता-पिता को
(ङ)	सशस्त्र बलों के शहीद	10,000/- pm	माता-पिता को
समामेलित निधियों से			
(च)	विवाह अनुदान		
	(i) ईएसएम की बेटी	40,000/-	केवल पहली दो बेटियों के लिए एक बार अनुदान
	(ii) विधवा की बेटी, बेसहारा बेटी	45,000/-	
	(iii) वीर नारी की बेटी	1,00,000/-	
	(iv) पूर्व सैनिक की विधवा का पुनर्विवाह	51,000/-	एकमुश्त अनुदान
(छ)	अंत्येष्टि अनुदान	25,000/-	ईएसएम/उनकी पत्नी की मृत्यु पर नं.के. को
(ज)	चिकित्सा अनुदान	30,000/- pa	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/पत्नी/विधवा को।
(झ)	दरिद्रता अनुदान	30,000/- pa	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/विधवा गरीबी में।

(ज)	अनाथ अनुदान एक अनाथ बच्चा - ईएसएम के दो अनाथ बच्चे	2,000/- pm 4,000/- pm	
(ट)	कैंसर/कुष्ठ रोग से पीड़ित/100% अंधे/विकलांग और बिस्तर पर पड़े लोगों के लिए एफए	10,000/- pm	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम/पत्नी।
		50,000/- pa	पेंशनभोगी ईएसएम/पत्नी।
(ठ)	विकलांगता/मानसिक बीमारी से पीड़ित ईएसएम/विधवाओं के बच्चे (जेसीओ रैंक तक) (प्रति माह)	<u>Pensnrs</u>	<u>Non-Pens</u>
			विकलांगता %
		1,500/-	2,000/-
		2,000/-	4,000/-
		3,000/-	5,000/-
			75-100%
(ड)	कृत्रिम अंगों की खरीद और मरम्मत	Actual Expenses (Max 30,000/-)	ईएसएम/ विधवाओं के लिए
(ढ)	सेवानिवृत्ति के बाद विकलांग ईएसएम	40,000/- pa	50-99% disability.
		60,000/- pa	100% disability.
(ण)	सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी संतान पुत्री के जन्म पर अनुदान (जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं पुत्री के नाम संयुक्त सावधि जमा के माध्यम से)	20,000/- OTG	ईएसएम/विधवाओं (ईएसएम की मृत्यु के 9 महीने बाद तक पैदा हुई बेटी) को
(त)	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेलों में पदक जीतने पर (यदि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो)।	राज्य	राष्ट्रीय
		30,000/-	50,000/-
		20,000/-	35,000/-
		15,000/-	25,000/-
(थ)	चिकित्सा सहायता/उपकरण आदि	बिल या अधिकतम के अनुसार	ईएसएम/विधवाओं के बच्चों के लिए।
	(i) मोतियाबिंद ऑपरेशन	15,000/-दोनों आँखों के लिए एक बार	सोना
	(ii) एडवेंचर सेट बनाने के लिए	12000/- 10 साल में एक बार	चाँदी
	(iii) श्रवण यंत्र	10,000/- 5 साल में एक बार	पीतल
	(iv) चश्मा बनाने के लिए	3,000/- 2 साल में एक बार	
(द)	चिकित्सा प्रक्रियाएँ/उपचार		गैर-पेंशनभोगी ईएसएम (जिन्हें सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है)/ उनकी पत्नी और जो ईसीएचएस के सदस्य नहीं हैं।
	(i) डायलिसिस से गुजरने पर	50,000/- प्रतिवर्ष	
	(ii) एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट (सीएबीजी), ओपन हार्ट सर्जरी, सेरेब्रल स्ट्रोक, वाल्व रिप्लेसमेंट, घुटना/कूल्हा रिप्लेसमेंट	50,000/- एक बार प्रति वर्ष	
			ईएसएम/पत्नी के लिए (जेसीओ रैंक तक)।

(ध)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	2,000/- प्रति माह				
(न)	सैनिक सम्मान निधिदिखाए गए अनुसार आयु पूरी होने पर forESM	(i) 15,000/- ओटीजी (ii) 25,000/- ओटीजी	(i) 85 और 90 वर्ष की आयु। (ii)95 और 100 वर्ष की आयु।			
(प)	विकलांग ईएसएमकीन मैरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं	1,200/- प्रति माह				
(फ)	विकलांग ईएसएम बैटरी चालित व्हील चेयर की खरीद/प्रतिस्थापन के लिए	वास्तविक अनुभव अधिकतम 50,000/- तक, 5 वर्षों में एक बार				
(ब)	सैनिक कल्याण निदेशालय में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर:- (क) स्लीपर क्लास रेल/बस किराया। (ख) सैक्स के लिए।	वास्तविक व्यय अधिकतम तक: 900/- 100/-	आवश्यकतानुसार ईएसएम को।			
(भ)	छात्रवृत्ति ईएसएम के वार्डों के लिए: -					
	क्र. सं.	कक्षा	पूर्व सैनिक	विधवाएँ/अनाथ		
			पात्रता	मात्रा	पात्रता	राशि में
	(i)	कक्षा 1 से 10	उत्तीर्ण	10,000	उत्तीर्ण	11,000
	(ii)	कक्षा 11 और 12	60%	10,000	उत्तीर्ण	11,000
	(iii)	सभी स्नातक पाठ्यक्रम	60%	20,000	उत्तीर्ण	25,000
	(iv)	सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	60%	30,000	उत्तीर्ण	40,000
	(v)	आईटीआई	उत्तीर्ण	20,000	उत्तीर्ण	25,000
	(vi)	बीटीसी	उत्तीर्ण	20,000	उत्तीर्ण	25,000
	(vii)	सभी व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	उत्तीर्ण	20,000	उत्तीर्ण	25,000
	(viii)	सभी व्यावसायिक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	उत्तीर्ण	25,000	उत्तीर्ण	30,000
	(ix)	सभी व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम	उत्तीर्ण	30,000	उत्तीर्ण	40,000
	(x)	सभी व्यावसायिक पीजी पाठ्यक्रम	उत्तीर्ण	35,000	उत्तीर्ण	45,000
	(xi)	एनडीए कैडेट के लिए छात्रवृत्ति	में भाग लिया	20,000	में भाग लिया	25,000
	(xii)	एसएसबी कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति (एक बार)	में भाग लिया	20,000	में भाग लिया	20,000
	(xiii)	छात्रवृत्ति के लिए के बच्चे सैन्य/सैनिक स्कूल छात्रावास में रहने वाले पूर्व सैनिक	में भाग लिया	30,000	में भाग लिया	35,000

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृहकर के भुगतान से छूट।	यदि ईएसएम आयकर का भुगतान नहीं कर रहा है तो छूट प्रदान की जाती है।

(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	वर्ग-II, III एवं IV पद पर 01 परिवार सदस्य।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबी एस/बीडीएस
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(iv)	आईटीआई
	(v)	बी.एड/एम.एड
	(vi)	नर्सिंग प्रशिक्षण (बी एससी)
	(vii)	गृह विज्ञान महाविद्यालय
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		3%
		5%
		5%
		5%
		2%
		3%
		14 सीटें
(घ)	नौकरी आरक्षण	ग्रुप 'सी' पदों में ईएसएम को 10%.
		ग्रुप 'डी' पदों में ईएसएम को 20%.
(ङ)	बंदूक लाइसेंस	3 महीने के भीतर और शुल्क रियायत।
(च)	भूमि का आवंटन	ईएसएम को औद्योगिक भूखंड/शेड और उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता।
		2% आवास बोर्ड द्वारा विकसित आवास स्थल/भूखंड।
(छ)	शुल्क में छूट	एसएससीओ/ईसीओ सहित पीएससी शुल्क के भुगतान में छूट.
(ज)	चिकित्सा सहायता	सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क।
(झ)	शारीरिक मानक परीक्षण में छूट	राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए ईएसएम को।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचना/वेबसाइट देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास विवरण				सम्पर्क करने का विवरण
		एसी	गैर एसी	छात्रावास	बड़ा कमरा	
(क)	सैनिक विश्राम गृह बैतूल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टैगोर वार्ड, सहानी सुपर बाजार के पास, गंज, बैतूल-460001	02	02	-	01	07141 -230790 dswobet@mp.gov.in
(ख)	सैनिक विश्राम गृह भिण्ड, पशु मेला मैदान के पास, भिण्ड - 476007	सीएसडी कैटीन				07534-236379 dswobhind@gmail.com
(ग)	सैनिक रेस्ट हाउस भोपाल, 45 बंगलों के पास, बाण गंगा चौक, टीटी नगर, भोपाल - 462003	05	03	03*	-	0755-2556198 dswobho@mp.gov.in *एक छात्रावास को 03 कक्षों में परिवर्तित किया गया

(घ)	सैनिक विश्राम गृह छिंदवाड़ा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कंपाउंड के पास, छिंदवाड़ा 480001	01	02	01	-	07162-242119 dswochi@mp.gov.in
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह ग्वालियर रेसकोर्स रोड, सैनिक पेट्रोल पंप के पास, ग्वालियर- 474002	02	06	01	01	0751-2990137 dswogwa@mp.gov.in
(च)	सैनिक विश्राम गृह इंदौर, जयरामपुर कॉलोनी, कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास, इंदौर - 452004	03	-	03	-	0731-2367319 dswoind@mp.gov.in
(छ)	सैनिक विश्राम गृह जबलपुर, नर्मदा रोड, कटंगा, जबलपुर-482001	03	03	02	-	0761-2667336 dswojab@mp.gov.in
(ज)	सैनिक विश्राम गृह खंडवा जनपथ कल्याण के पीछे, सिविल लाइंस, खंडवा- 450001	02	02	01	-	0733-2228311 dswokhd@mp.gov.in
(झ)	सैनिक विश्राम गृह मुरैना कलेक्ट्रेट के पास, मुरैना - 476001	ईसीएचएस				07532-226003 dswomor-mp@nic.in
(ञ)	सैनिक विश्राम गृह नर्मदापुरम हाउस ऑफ गार्ड ऑफिस के सामने, नर्मदापुरम 461001	02	-	01	-	07574-254465 dswohos@mp.gov.in
(ट)	सैनिक विश्राम गृह नरसिंहपुर इंजीनियर चौक, नरसिंहपुर - 487001	02	02	01	-	07792-299082 dswonar@mp.gov.in
(ठ)	सैनिक विश्राम गृह रतलाम, होम गार्ड कॉलोनी के सामने, नागरा रोड, वार्ड क्रमांक -28, प्रताप नगर, रतलाम - 457001	03	-	01	-	07412-244044 dsworat@mp.gov.in
(ड)	सैनिक विश्राम गृह रीवा सैनिक स्कूल गेट नंबर 2 के सामने सिविल लाइंस, रीवा - 486001	01	01	03	-	07662-297118 dsworewa@yahoo.in
(ढ)	सैनिक विश्राम गृह सागर कलेक्ट्रेट के पास, सागर -470001	02	-	01	01	07582-225589 dswosag@mp.gov.in

(ण)	सैनिक विश्राम गृह सतना जवाहर नगर स्टेडियम के पास, पानी की टंकी के सामने, सतना -485001	01	01	01	-	07672-299236 dswosat@gmail.com dswosat@mp.gov.in
(त)	सैनिक विश्राम गृह सीधी गोपालदास रोड, सीधी - 486661	02	-	02	-	07822-299252 dswosid@mp.gov.in
(थ)	सैनिक विश्राम गृह उज्जैन, कोठी पैलेस, न्यू कोर्ट बिल्डिंग, विक्रम नगर रोड, उज्जैन - 456010	04	-	04	-	0734-2511355 dswoujj@mp.gov.in

7. **जिला सैनिक बोर्ड**: मध्य प्रदेश राज्य में 24 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 55 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी
(क)	जेडएसबी, बेतुल	बेतुल (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, शाहनी सुपर मार्केट के पास, गंज टेगोर वार्ड, बैतूल- 460001	07141-230790 (O) dswobet@mp.gov.in
(ख)	जेडएसबी, भिंड	भिंड (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रेट, बाई पास रोड, मेला ग्राउंड के पास, भिंड 477001	07534-236379 (O) dswobhi@gmail.com
(ग)	जेडएसबी, भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा (04)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, बाणगंगा चौराहा, भोपाल - 462 003 (मध्य प्रदेश)	0755-2556198 (O) dswobho@mp.gov.in
(घ)	जेडएसबी, छतरपुर	छतरपुर और पन्ना (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मकान नंबर-17-18, वार्ड नंबर 38, शांति नगर कॉलोनी, सागर रोड, छतरपुर 471001	07682-245460 (O) dswocha@mp.gov.in
(ङ)	जेडएसबी, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा और पांडुर्ना (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, एकता पार्क के पास, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा- 480 001	07162-242119 (O) dsowchi@mp.gov.in
(च)	जेडएसबी, कटनी	दमोह और कटनी (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, दून कॉलोनी, जवाहर लाल नेहरू वार्ड, मकान नंबर 16-बी, बरगावां, कटनी- 483 501	07812-224108 (O) dswodam@mp.gov.in
(छ)	जेडएसबी, ग्वालियर	ग्वालियर और दतिया (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, रेसकोर्स रोड, सैनिक पेट्रोल पंप के पास, ग्वालियर- 474002	0751-4926749 (O) dswogwa@mp.gov.in

(ज)	जेडएसबी, खंडवा	खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी (04)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पूर्व जिला पंचायत भवन के पास, जेल रोड, सिविल लाइन्स, खंडवा 450001	0733-2228311 (O) dswokhd@mp.gov.in
(झ)	जेडएसबी, इंदौर	इंदौर, देवास और धार (03)	मालवीय (सेवानिवृत्त), जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जयराम पुर कॉलोनी, इंदौर - 452001	0731-2367319 (O) dswind@mp.gov.in
(ञ)	जेडएसबी, गुना	गुना, शिवपुरी और अशोक नगर (03)	श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त), जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेल रोड, आकाशवाणी भवन के सामने, गुना- 473001	0754-2251010 (O) dswogun@mp.gov.in
(ट)	जेडएसबी, नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	सीहोर जिले की बुधनी तहसील, नर्मदापुरम और हरदा (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, होमगार्ड कार्यालय के सामने, नर्मदापुरम- 461 001	07574-254465 (O) dswohos@mp.gov.in
(ठ)	जेडएसबी, जबलपुर	जबलपुर और मंडला (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कटंगा कॉलोनी, नर्मदा रोड, शहीद रमन बख्शी मार्ग, जबलपुर- 482 001	0761-2667336 (O) dswojab@mp.gov.in
(ड)	जेडएसबी, मंदसौर	मन्दसौर और नीमच (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, एचडीएक्स-33, डुप्लेक्स, स्ट्रीट नंबर 2, किटियानी, मंदसौर- 458 001	07422-256139 (O) dswomas@mp.gov.in
(ढ)	जेडएसबी, मुरैना	मुरैना और सियोपुर (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, रेलवे ओवर ब्रिज चौराहा के पास, एमएस रोड, मुरैना 476 001	07532-226003 (O) dswomor-mp@nic.in
(ण)	जेडएसबी, नरसिंहपुर	जिला नर्मदापुरम की नरसिंहपुर और तहसील बनखेड़ी (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अशोक निवास, सदर, नरसिंहपुर- 487001	07792-232128 (O) dswonar@mp.gov.in
(त)	जेडएसबी, रीवा	रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर (03)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, होम गार्ड कॉलोनी के सामने, प्रताप नगर, रतलाम- 457001	07412-267111 (O) dsworat@mp.gov.in
(थ)		रीवा और मऊगंज (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, सैनिक स्कूल के सामने, गेट नंबर 2 के पास, सिविल लाइन्स, रीवा-486001	07662-254118 (O) dsworew@mp.gov.in

(द)	जेडएसबी, सतना	सतना और मैहर (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, जवाहर नगर के पास, स्टेडियम/पानी की टंकी, सतना- 485 001	07672-299236 (O) dswosat@gmail.com
(ध)	जेडएसबी सागर	सागर एवं जिला रायसेन की बेगमगंज तहसील (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, कलेक्ट्रेट परिसर, सागर- 470 001	07582-225589 (O) dswosag@mp.gov.in
(न)	जेडएसबी, सिवनी	सिवनी और बालाघाट (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, वाटिका रेस्टोरेंट के सामने, बाणगंगा हाइट्स के पास, बारा पथर, सिवनी-480661	07692-222730 (O) dswoseo@mp.gov.in
(प)	जेडएसबी, शहडोल	शहडोल, उमरिया, डिंडौरी एवं अनुपपुर (04)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, वार्ड क्रमांक-28, मेवाड़ हॉस्पिटल के पीछे, बुढ़ार, शहडोल-484774	07652-231946 (O) dswoshd@mp.gov.in
(फ)	जेडएसबी, सीधी	सीधी और सिंगरौली (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, तिलक टॉकीज के पास, महाराणा प्रताप रोड, सीधी- 486661	07822-250852 (O) dswosid@mp.gov.in
(ब)	जेडएसबी, टीकमगढ़	टीकमगढ़ एवं निवाड़ी (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मकान नंबर 545, होटल गिरी पैलेस के पीछे, राम राजा कॉलोनी, टीकमगढ़- 472001	07683-240709 (O) dswotik@mp.gov.in
(भ)	जेडएसबी, उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ और आगर मालवा (04)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह कोठी पैलेस, नई कोर्ट बिल्डिंग के पास, विक्रम नगर रोड, उज्जैन-456010	0734-2511355 (O) dswoujj@mp.gov.in

महाराष्ट्र**परिचय**

1. महाराष्ट्र राज्य में कुल 2,75,754 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी महाराष्ट्र		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी
सैनिक कल्याण विभाग महाराष्ट्र	कर्नल दीपक मनोहर थोंगे (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, रायगढ़ बिल्डिंग, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने, सोलापुर रोड घोरपडी, पुणे- 411 001	020-26302601 020-29510111/12/13/14 dir.dsw@maharashtra.gov.in
वेबसाइट: https://mahasainik.maharashtra.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	33,000	25,000	14,500	26,500	20,000	9,000	25,000
(ङ)	60 लाख	36 लाख	24 लाख	60 लाख	36 लाख	24 लाख	36 लाख
क्र. सं.	यूवाई एसएम	वाईएस एम	एसएम/एनएम/ वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	17,000	8,000	5,500	2,500	-	-	-
(ङ)	24 लाख	24 लाख	12 लाख (जी) 1.50 लाख (डी)	6 लाख (जी) 50,000 (डी)	4 लाख	2 लाख	1 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह

अनुदान

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
महाराष्ट्र	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	1 करोड़	
	अनुग्रह राशि (विकलांग सैनिकों के लिए)	51% से 100%	60 लाख
		26% से 50%	34 लाख
		1% से 25%	20 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	11,000/- प्रति माह	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों को कोई पेंशन नहीं मिलती।
(ख)	पीआरसी, किरकी और मोहाली को संस्थागत अनुदान	5,000/--बजे	पीआरसी किरकी, पुणे में रहने वाले ईएसएम को अक्षम करने के लिए।
(ग)	विकलांग सैनिक (युद्ध/ऑपरेशन के अलावा शारीरिक क्षति)	1 लाख (ओटीजी)	विकलांगता 50% और उससे अधिक।
		50,000/- (ओटीजी)	विकलांगता 20% से 50% तक।
		24,000/- प्रति वर्ष	65% से अधिक अंधेपन वाले ईएसएम को।
(घ)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान (मानसिक रूप से मंद/ईएसएम के 50% विकलांग बच्चे)	24,000/- प्रति वर्ष	चिकित्सा उपचार, स्कूल जाने वाले बच्चों और स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए।
		ऋण का 50% या 3 लाख जो भी कम हो	स्वरोजगार के लिए।
(ङ)	पुत्री विवाह अनुदान	20,000/-	01 ईएसएम की बेटी.
		25,000/- प्रत्येक	विकलांग सैनिक की 02 बेटियाँ।
		40,000/- प्रत्येक	ईएसएम की विधवाओं की 02 बेटियाँ।
		40,000/- प्रत्येक	सभी युद्ध विधवाओं की बेटियाँ।
		40,000/- प्रत्येक	सभी पूर्व सैनिक/विधवाओं की अनाथ बेटियाँ।
(च)	अंतिम संस्कार अनुदान	10,000/-	ईएसएम और विधवाओं के लिए
(छ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु	3 लाख (ओटीजी)	बी.सी. के अलावा अन्य शारीरिक दुर्घटना।
		40,000/- (ओटीजी)	कार्रवाई/अन्य ऑपरेशनों में मारे गए (बी.सी.)।
(ज)	शिक्षा अनुदान	3 वर्षों के लिए 1 लाख प्रति वर्ष	03 वर्षों से विदेश में अध्ययनरत पूर्व-पूर्व-सैनिक वर्ग के बच्चों के लिए।
		8,000/- प्रति वर्ष तक	सरकारी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले पूर्व-आवासीय बच्चों को कक्षा 12 तक पुस्तकें, यूनिफॉर्म और ट्यूशन फीस प्रदान की जाती है।
		40,000/- (स्नातक/पीजी)	महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त/सरकारी कॉलेजों
		20,000/- (डी एड को छोड़कर डिप्लोमा)	(राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीसीए, बीबीए, बीएड, बीपीएड, बीएससी (कृषि) और बीएससी (कंप्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रमों
		75,000/- (एमबीबीएस,	को छोड़कर इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्यवसाय प्रबंधन आदि व्यावसायिक

		बीडीएस, एमडी)	पाठ्यक्रमों) में अध्ययन करने वाले ईएसएम के बच्चों के लिए।
		12,000/- प्रति वर्ष	डी.एड., डी.टी.एड. पाठ्यक्रमों (महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में) में अध्ययनरत ईएसएम के बच्चों के लिए।
(झ)	ट्यूशन शुल्क	वास्तविक शुल्क या 15,000/- जो भी कम हो।	सरकारी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले पूर्व-सैनिक वर्ग के बच्चों के लिए।
		ट्यूशन फीस या 20,000/- जो भी कम हो।	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीसीए, बीबीए, बीएड, बीपीएड, बीएससी (कृषि) और बीएससी (कंप्यूटर साइंस) पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों में अध्ययनरत पूर्व-आदिवासी छात्रों के लिए (महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में)
(ञ)	एनडीए/आईएमए/ओटीए आदि में शामिल होना।	1 लाख	ईएसएम/विधवा के बच्चों के लिए।
(ट)	खेल, संगीत, साहित्य, नृत्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए पुरस्कार।	25,000/-	राष्ट्रीय स्तर।
		50,000/-	अंतर्राष्ट्रीय स्तर.
(ठ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/- प्रति वर्ष	पूर्व-सैनिकों/विधवाओं/पूर्व-सैनिकों के बच्चों को सरकारी मान्यता प्राप्त निजी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे नर्सिंग/कैटरिंग/टेलरिंग आदि में अध्ययन हेतु।
(ड)	छात्रवृत्ति	8,000/- प्रति वर्ष	माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) 60% और उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण।
		15,000/- पूरा कोर्स	60% या उससे अधिक अंकों के साथ 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत।
		30,000/- (ओटीजी) संपूर्ण पाठ्यक्रम	मेडिकल/इंजीनियरिंग/आयुर्वेद/होम्योपैथी/ यूनानी (सभी छात्रों के लिए 60% और उससे अधिक अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (12वीं कक्षा))।
		25,000/- (ओटीजी) सम्पूर्ण शुल्क	कला/वाणिज्य/विज्ञान/एम.एड., बी.एड., डी.एड. महाविद्यालयों/विधि एवं अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के संकायों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए।
		25,000/- (ओटीजी) सम्पूर्ण शुल्क	डिग्री परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले तथा पीजी में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए।
		30,000/- (स्नातक)	वे छात्र जो 60% या उससे अधिक अंकों के साथ एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और व्यावसायिक स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा तथा अन्य राज्यों में अध्ययनरत हैं। (अध्ययन की पूरी अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा)।
		25,000/- (पीजी)	
		15,000/- (डिप्लोमा)	
		32,000/-	एसपीआई, औरंगाबाद में अध्ययनरत पूर्व-

			पूर्व-छात्र समुदाय के बच्चों के लिए।
(ढ)	प्रवेश परीक्षा/अध्ययन में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चे	25,000/-	उन बच्चों के लिए जो स्नातक या पीजी परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे।
		20,000/-	एसएससी और एचएससी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण और 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ईएसएम के बच्चों को।
(ण)	रखरखाव अनुदान	एक वर्ष के लिए 5,000/- प्रतिमाह	65 वर्ष की आयु के पूर्व-सैनिकों तथा आय का कोई स्रोत न रखने वाली विधवाओं के लिए।
		एक वर्ष के लिए 5,000/- प्रतिमाह	पूर्व-सैनिकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने तक।
(त)	घर का निर्माण	1 लाख	ईएसएम और ईएसएम की विधवाओं के लिए।
(थ)	घर में विस्तार/परिवर्तन	1 लाख तक (ओटीजी)	65% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग पूर्व-मुख्यमंत्री को अपना मकान उपलब्ध कराना।
(द)	झोपड़ियाँ	2 लाख	1-4-97 से पूर्व और 1-4-97 के बाद के युद्ध विधवाओं और सेवा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं (शारीरिक दुर्घटना) के लिए 31 मई 2001 से प्रभावी।
(ध)	स्व रोजगार	परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 3 लाख।	स्वरोजगार के लिए ईएसएम को।
(न)	प्राकृतिक आपदाएँ	अधिकतम 500/- से 10,000/-	
(प)	परीक्षा/पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने/प्रशिक्षण प्राप्त करने पर	2,500/-	ईएसएम/विधवा जो एमएससीआईटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।
		20,000/- तक	उन पूर्व-सैनिकों के लिए जिन्होंने ग्राम सेवक और शिक्षा सेवक के पद के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी कर ली है।
		1,000/- (ओटीजी)	ईएसएम के वार्डों को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया।
		10,000/- तक	ईएसएम के बच्चों के लिए 6 महीने या उससे अधिक अवधि के कंप्यूटर पाठ्यक्रम।
		50% या 50,000/- जो भी कम हो	प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ईएसएम/ईएसएम के बच्चों को।
		शुल्क लिया जाएगा या अधिकतम 10,000/-	पीसीटीसी, नासिक द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले पूर्व-सैनिकों के बच्चों के लिए।
		शुल्क का 50% या 10,000/- जो भी कम हो	पीआरटीसी सतारा/एमएसटीसी कोल्हापुर/बुलढाणा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ईएसएम के बच्चों के लिए।
(फ)	स्वयं-समूहों की स्थापना	परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख।	पूर्व-सैनिकों की विधवाओं एवं पत्नियों के स्वयं सहायता समूहों को।
(ब)	वीरता पुरस्कार विजेता को नकद अनुदान	26,500/-	विक्टोरिया क्रॉस के लिए.

(भ)	आईआईटी, आईआईएम और एम्स में प्रवेश पर	1 लाख	ईएसएम के वार्डों के लिए।
(म)	सैनिक स्कूलों में पढ़ाई	50,000/- प्रति वर्ष	सतारा सैनिक स्कूल/राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ने वाले बच्चों के लिए।
		20,000/- प्रति वर्ष	राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सैनिक स्कूलों के लिए।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर/संपत्ति कर के भुगतान से छूट	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं और ईएसएम को। महाराष्ट्र राज्य के निवासी पूर्व-सैनिकों के लिए।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	राज्य सरकार की नौकरियों में विधवा/आश्रितों को 15% आरक्षण।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबीएस/बीडीएस
	(ii)	कृषि महाविद्यालय
	(iii)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(iv)	बी.एड/डी.एड
	(v)	कोई अन्य पाठ्यक्रम
		(कक) प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय
		(कख) सरकारी/अनुदान योग्य कॉलेज
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		5%
		2%
		5% प्रति प्रवेश अधिकतम 5 सीटें।
		5%
		5%
		सभी धाराओं में 10%
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	समूह 'सी' और 'डी' पदों में 15% क्षैतिज आरक्षण। समूह 'सी' और 'डी' पदों के लिए आयु में छूट। महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए शारीरिक मानक में रियायत। एमपीएससी के लिए परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट। स्थानीय निकाय शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए ईएसएम/विधवा/आश्रितों के लिए 15% अंकों की छूट दी गई।

		राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रक्षा बलों के सेवा ट्रेड, राज्य सरकार के सिविल ट्रेड के समकक्ष हैं।
		ईएसएम जिन्होंने एसएससी उत्तीर्ण की हो या भारतीय सेना विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र धारक हों, जिसके पद के लिए स्नातक परीक्षा भी आवश्यक योग्यता है, जहां तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए तकनीकी या व्यावसायिक कार्य में अनुभव आवश्यक नहीं है।
		सेवारत सैनिकों के लिए ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों के लिए आवेदन करने हेतु सेवा समाप्ति से एक वर्ष पूर्व आवेदन करने का प्रावधान।
(ड)	निःशुल्क कानूनी सहायता	विवादों के निपटारे के लिए कम आय वाले ईएसएम और उनके परिवारों के लिए।
(च)	कानूनी उत्तराधिकारी को भूमि का आवंटन	सशस्त्र बलों के ऐसे सैनिकों की कानूनी उत्तराधिकारी की विधवाओं को 5 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और किसी युद्ध जैसी स्थिति या कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए हैं।
(छ)	फ्लैटों का आवंटन	2 से 5% वीरता पुरस्कार विजेता और सेवा के दौरान दिवंगत हुए सैन्यकर्मियों के आश्रित इसके लिए पात्र हैं।
(ज)	मुफ्त शिक्षा	यह योजना युद्ध में शहीद/घायल व्यक्तियों के आश्रितों, वीरता पुरस्कार विजेताओं तथा स्नातक स्तर तक के ईएसएम के आश्रितों के लिए उपलब्ध है।
(झ)	विशेष अवकाश	7 दिन चिकित्सा समीक्षा बोर्डों के लिए।
(ञ)	मुफ्त बस यात्रा	युद्ध विधवाओं और वीरता पुरस्कार विजेताओं (चक्र श्रृंखला) के लिए 2500 किमी तक अर्ध लक्जरी एसटी बस किराया।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	ज़िला	विश्राम गृह का स्थान और पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
			अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंकों	
(क)	थाइन	ईएसएम रेस्ट हाउस, नौपाड़ा, मानसिक अस्पताल के पास, ठाणे (पश्चिम)	वीआईपी सुइट 01	03	03	022- 25834830
(ख)	रायगढ़	ईएसएम रेस्ट हाउस, गोंडलपाड़ा, जिला रायगढ़- अलीबाग	02	0	01	02141- 222208 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(ग)		ईएसएम रेस्ट हाउस, महाड, जिला रायगढ़ - अलीबाग	01	01	01	
(घ)		ईएसएम रेस्ट हाउस, मानगांव, जिला रायगढ़- अलीबाग	0	0	0	02141- 222208 (जेडएसडब्ल्यूओ)

(ड)		ईएसएम रेस्ट हाउस, पोलादपुर, जिला रायगढ़- अलीबाग	0	0	0	02141- 222208 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(च)	रत्नागिरि	ईएसएम रेस्ट हाउस, कलेक्टर कार्टर, जिला रत्नागिरी	01	02	02	02352- 222271 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(छ)		ईएसएम रेस्ट हाउस, बर्मत अली, चिपलुन, जिला रत्नागिरी	03	01	01	02355- 250205
(ज)	सिंधुदुर्ग	ईएसएम रेस्ट हाउस, जगन्नाथ उद्यान के सामने, सावंतवाड़ी, जिला। सिंधुदुर्ग	01	01	01	02363- 272312
(झ)	पुणे	ईएसएम रेस्ट हाउस, सिंहगढ़ बिल्डिंग, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने, घोरपडी, पुणे-411 001	08	14	10 & 01	020- 26302657 मोबाइल- 9322326349
(ञ)	सतारा	ईएसएम रेस्ट हाउस, अजिंक्यतारा, बिल्डिंग पवई नाका, सतारा	04	0	01	02162- 239293 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(ट)	सांगली	ईएसएम रेस्ट हाउस, कर्मवीर भाऊराव पाटिल चौक सांगली	03	01	01	0233- 2671711 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(ठ)	कोल्हापुर	भूतपूर्व सैनिक विश्राम गृह, भवानी मंडप, कोल्हापुर	01	01	01	0231-2665812 2661008 (एमबीएच)
(ड)	सोलापुर	ईएसएम रेस्ट हाउस, कलेक्टर कार्टर, जिला सोलापुर	01	01	01	0217-2992366
(ढ)		भूतपूर्व सैनिक विश्राम गृह, भक्ति मार्ग, रेलवे स्टेशन के पास, पंढरपुर	02	02	04	02186- 226934
(ण)	नासिक	ईएसएम रेस्ट हाउस, कलेक्टर अवार, नासिक	02	02	01	0253- 2577255 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(त)		कैंप रोड, कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव, जिला नासिक	02	02	02	02554- 254702
(थ)		ईएसएम रेस्ट हाउस, नासिक रोड	02	02	02	0253- 2453485

(द)	अहिल्यानगर	ईएसएम रेस्ट हाउस, रोड, अहिल्यानगर कॉलेज के सामने, अहमदनगर	01	02	02	0241- 2323160 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(ध)	धुले	कल्याण भवन के पास, एसटी कॉलोनी के सामने, गोलिबिलटेकडी रोड, धुले	02	02	01	02562- 237264
(न)	जलगांव	ईएसएम रेस्ट हाउस, जलगांव	02	02	01	0257- 2241414
(प)	नागपुर	ईएसएम रेस्ट हाउस, सिविल लाइंस, नागपुर – 440 001	02	01	01	0712-2561133 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(फ)	छत्रपति संभाजी नगर	ईएसएम रेस्ट हाउस, नंदनवन कॉलोनी, छत्रपति संभाजी नगर कैंट	02	02	01	0240- 22370313 एक्सटेंशन 36
(ब)	धाराशिव	ईएसएम रेस्ट हाउस, कलेक्टर कार्टर, धाराशिव	01	01	02	02472- 222557 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(भ)	जलना	ईएसएम रेस्ट हाउस, जालना	02	0	02	02482- 225201 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(म)	नांदेड़	ईएसएम रेस्ट हाउस, नांदेड़	0	0	01	02462- 245510 (जेडएसडब्ल्यूओ)
(स)	यवतमाल	ईएसएम रेस्ट हाउस, यवतमाल	0	0	01	07232- 245273
(र)	बुलढाना	ईएसएम रेस्ट हाउस, सैनिक कॉम्प्लेक्स, एसटी स्टैंड, बुलढाणा	0	0	01	07262- 242208 (जेडएसडब्ल्यूओ)

7. **जिला सैनिक बोर्ड** महाराष्ट्र राज्य में 33 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 36 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, मुंबई शहर	मुंबई शहर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई शहर-400 001	022-35183861 zswo_mumbaicity@maharashtra.gov.in
(ख)	मुंबई उपनगरीय	मुंबई उपनगरीय (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार), AWWA छात्रावास के पीछे, मुंबई विश्वविद्यालय के पास कलिना गेट नंबर 2, कलिना, मुंबई	022/26552172 zswo_mumbaiupnagar@maharashtra.gov.in

(ग)	थाइन	ठाणे – पालघर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार), जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कमरा नंबर 402, चौथी मंजिल, टेंभी नाका, ठाणे 400601	022-25343174 zsw_thane@maharas htra.gov.in
(घ)	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, मुख्य प्रशासनिक भवन, 224-सी ब्लॉक, प्रथम तल, डाकघर- सिंधुनगरी, तहसील-कुडाल, सिंधुदुर्ग – 416 812	02362-228820 zsw_sindhudurg@ma harashtra.gov.in
(ङ)	रायगढ़	रायगढ़ (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोषागार कार्यालय भवन, हीराकोट झील के पास, रायगढ़-अलीबाग 402201	02141-222208 zsw_raigad@maharas htra.gov.in
(च)	रत्नागिरि	रत्नागिरि (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, जय स्तंभ चौक के पास, रत्नागिरी- 415 612	02352-222271 zsw_ratnagiri@maharas htra.gov.in
(छ)	पुणे	पुणे (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नया प्रशासनिक भवन, चौथी मंजिल, 'बी' विंग, काउंसिल हॉल के सामने, पुणे 411001	020-26122287 zsw_pune@maharash tra.gov.in
(ज)	सतारा	सतारा (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजिंक्यतारा बिल्डिंग, पर्वई नाका, रविवर पेठ, सतारा 415001	02162-239293 zsw_satara@maharas htra.gov.in
(झ)	सांगली	सांगली (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी "सैनिक संकुल" कर्मवीर भाऊराव पाटिल चौक, सांगली-मिराज रोड, सांगली-416 416	0233-2990712 zsw_sangli@maharas htra.gov.in
(ञ)	कोल्हापुर	कोल्हापुर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार), जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सरकारी विश्राम गृह के पास, लाइन बाजार रोड, कस्बा बावड़ा, कोल्हापुर 416003	0231-2665812 zsw_kolhapur@maha rashtra.gov.in
(ट)	सोलापुर	सोलापुर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्ट्रेट कंपाउंड, सोलापुर 413 003	0217/2992366 zsw_solapur@maharash tra.gov.in
(ठ)	नासिक	नासिक, पीसीटीसी नासिक (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, नासिक – 422 002	0253/2577255 zsw_nashik@maharas htra.gov.in
(ड)	अहमदनगर	अहमदनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अहमदनगर- 414 001	0241-2323160 zsw_ahmednagar@m aharashtra.gov.in

(ढ)	धुले	धुले (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पूर्व सैनिक विश्राम परिसर, संतोषी माता चौक के पास, धुले- 424 001	02562-237264 zswo_dhule@maharashtra.gov.in
(ण)	नंदुरबार	नंदुरबार (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कक्ष, कलेक्टर कार्यालय, नंदुरबार- 431 513	02562-237264 zswo_dhule@maharashtra.gov.in
(त)	जलगांव	जलगांव (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, जलगांव- 425 001	0257-2241414 zswo_jalgaon@maharashtra.gov.in
(थ)	छत्रपति संभाजी नगर	छत्रपति संभाजी नगर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नंदनवन कॉलोनी, छत्रपति संभाजी, नगर-431203	0240-2370313 zswo_chsambhajinagar@maharashtra.gov.in
(द)	जलना	जलना (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बीड बाईपास रोड, जालना- 431 203	02482-225201 zswo_jalna@maharashtra.gov.in
(ध)	लातूर	लातूर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक संकुल, अंबाजोगाई रोड, लातूर- 413 512	02382-228544 zswo_latur@maharashtra.gov.in
(न)	नांदेड़ - परभणी	नांदेड़ और परभणी (02)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, तहसील कार्यालय नांदेड़ कंपाउंड, नांदेड़- 431601	02462-245510 zswonanded@gmail.com
			जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, परभणी- 431 401	02452- 220340 zswo_parbhani@maharashtra.gov.in
(प)	जेडएसबी, धाराशिव	धाराशिव (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, धाराशिव 413501	02472-222557 zswo_dharashiv@maharashtra.gov.in
(फ)	जेडएसबी, बीड	बीड (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, प्रशासनिक भवन, नगर रोड, बीड- 431 122	02442-222105 zswo_beed@maharashtra.gov.in
(ब)	जेडएसबी, हिंगोली	हिंगोली (01)	जिला सैनिक कल्याण कक्ष, कलेक्टर कार्यालय परिसर, हिंगोली - 431 513	zswo_hingoli@maharashtra.gov.in
(भ)	जेडएसबी, अमरावती	अमरावती (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय के पास, कैप अमरावती- 444602	0721-2662621 zswo_amramati@maharashtra.gov.in
(म)	जेडएसबी, अकोला	अकोला (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, अकोला- 444 001	0724-2433377 zswo_akola@maharashtra.gov.in
(य)	जेडएसबी, वाशिम	वाशिम (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय परिसर, वाशिम- 444 505	07252-231088 zswo_washim@maharashtra.gov.in

(र)	जेडएसबी, बुलढाना	बुलढाना (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के सामने बुलढाना- 443 001	07262-242208 zswobuldhana@maharashtra.gov.in
(ल)	जेडएसबी, यवतमाल	यवतमाल (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, तांगा चौक, यवतमाल - 445 001	07232-245273 zswoyawattmal@maharashtra.gov.in
(व)	जेडएसबी, नागपुर	नागपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, प्रशासनिक भवन क्रमांक 1, तृतीय तल, सिविल लाइंस, नागपुर- 440 001	0712-2561133 zswonagpur@maharashtra.gov.in
(श)	जेडएसबी, वर्धा	वर्धा (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवन्त महाविद्यालय के सामने, वर्धा- 442 001	07152-248955 zswowardha@maharashtra.gov.in
(ष)	जेडएसबी, भंडारा - गोंदिया	भंडारा और गोंदिया (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, महासुल कर्मचारी भवन, तहसील कार्यालय परिसर, भंडारा-441 904	07184-250619 zswobhandara@maharashtra.gov.in
			(डिप्टी कलेक्टर गोंदिया), जिला सैनिक कल्याण कक्ष, कलेक्टर कार्यालय परिसर, गोंदिया-444601	मोबाइल: 8605335583 zswobhandara@maharashtra.gov.in
(स)	जेडएसबी, चंद्रपुर	चंद्रपुर (01)	उप महाविद्यालय (आरएचवाई) चंद्रपुर, प्रशासनिक भवन, प्रथम तल, बस स्टैंड के पास, चंद्रपुर 442401	07172-248955 zswochandrapur@maharashtra.gov.in
(ह)	जेडएसबी, ग डचिरोली	गडचिरोली (01)	उप कलेक्टर गडचिरोली, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर भवन, गडचिरोली- 442 605	zswogadchirolimahasainik33@gmail.com

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

मणिपुर**परिचय**

1. मणिपुर राज्य में कुल 13,183 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
आरएसबी मणिपुर	कर्नल गोपेन्द्र सिंह पुयम (सेवानिवृत्त), सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक विश्राम गृह, लैम्फेल पुलिस स्टेशन के सामने पीओ लाम्फेल - 795004 (मणिपुर)	0385-3653017(ओ) मोबाइल: 70428 45300 ईमेल: rsbmanipur@gmail.com
वेबसाइट: शून्य		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्र.सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	25 लाख	15 लाख	10 लाख	20 लाख	15 लाख	10 लाख	7 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	यूवाईए एम	वाईएस एम	एसएम/एन एम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	6 लाख	5 लाख	4 लाख	1 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
मणिपुर	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	2 लाख
	अनुग्रह राशि (चोट)	10,000/-

4. राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र.सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	मात्रा	टिप्पणी
(क)	एनडीए और अन्य अकादमियों में शामिल होने पर	1 लाख	प्रशिक्षण के सफल समापन पर
(ख)	वेतन	250/- प्रति माह	ईएसएम प्रशिक्षुओं के लिए।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र.सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	-
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबी एस/बीडीएस
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		2 सीटें
(घ)	कानूनी सहायता और चिकित्सा सुविधाएं	ईएसएम के लिए निःशुल्क.
(ङ)	उत्पाद शुल्क में छूट	कैंटीन की वस्तुओं पर छूट दी गई।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. सैनिक विश्राम गृह राज्य में कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं है।

7. जिला सैनिक बोर्ड मणिपुर राज्य में दो जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 16 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	नाम, पदनाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	ZSWO इम्फाल	बिष्णुपुर, थोबल, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, सेनापति, उखरुल चंदेल, तामेंगलांग, जिरिबाम, कांगपोकपी, काकचिंग, तेंगनौपाल कामजोंग, और नोनी (14)	सचिव, पी.ओ.- लैम्फेल, जिला – इम्फाल पश्चिम मणिपुर - 795004	0385-2416228 (ओ) 7042845300 (एम) rsbmanipur@gmail.com
(ख)	जेडएसडब्ल्यूओ चुराचांदपुर	चुराचांदपुर और फेरज़वाल (02)	सचिव चुराचांदपुर	09856666350

मेघालय**परिचय**

1. मेघालय राज्य में कुल 4,611 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
निदेशालय सैनिक कल्याण, मेघालय	कर्नल डैरिल हॉपकिंस (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, प्रशासनिक भवन, ब्लॉक- राइट विंग, ग्राउंड फ्लोर, लोअर लाचुमियर, शिलांग- 793 001	0364- 2225613 मौ :8017925569 Rsb- megha@meghalaya.gov.in
वेबसाइट:sainikwelfare.meghalaya.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	30 लाख	25 लाख	20 लाख	25 लाख	20 लाख	15 लाख	5 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एन एम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	3 लाख	2 लाख	5 लाख	3 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
मेघालय	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	20 लाख
	विकलांग सैनिक	5 लाख

4. राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	मात्रा	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	10,000/- प्रति माह	-
(ख)	अंतिम संस्कार अनुदान	5,000/-	ईएसएम के NoK को.
(ग)	वृद्धावस्था पेंशन	500/-	मेघालय राज्य में 60 वर्ष और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला नागरिक, अशक्त, विधवा और विकलांग।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	पूर्व सैनिक/अनुसूचित जनजाति की विधवाओं को छूट दी गई है।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	नहीं
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा: - शून्य	
(घ)	टैक्सी सेवा	टैक्सी सेवा चलाने के लिए परमिट जारी करना।
(ङ)	उचित मूल्य की दुकान	परमिट जारी करना प्राथमिकता पर।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. सैनिक विश्राम गृह। निर्माणाधीन।

7. जिला सैनिक बोर्ड. मेघालय राज्य में 12 जिलों को कवर करने वाले 02 जिला सैनिक बोर्ड हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, तुरा	वेस्ट गारो हिल्स, (तुरा), साउथ वेस्ट गारो हिल्स, (अंपति), नॉर्थ गारो हिल्स, (रेसुबेलपारा), ईस्ट गारो हिल्स, (विलियमनगर), साउथ गारो हिल्स, (बाघमारा)(05)	सी/ओ डिप्टी कमिश्नर, पश्चिम गारो हिल्स, जिला- तुरा- 794 001	03651-295360 मोबाइल :9862236449 zswow- tura@meghalaya.gov.in

(ख)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शिलांग	पूर्वी खासी हिल्स (शिलांग), पश्चिम खासी हिल्स (नॉंगस्टोइन), दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स (मावकिरवाट), पूर्व पश्चिम खासी हिल्स (मैरांग), री- भोई (नॉंगपोह), पश्चिम जैन्तिया हिल्स (जोवाई) और पूर्वी जयन्तिया हिल्स (खलीहरियाट)(07)	पुराना कराधान भवन, कमरा नं. 44, शिलांग- 793 001	0364- 2500459 मोबाइल: 9863170565 zsw- shillong@meghalaya.gov.in
-----	--	---	--	--



मिजोरमपरिचय

1. मिजोरम राज्य में कुल **8,905** ईएसएम / युद्ध विधवाएँ / विधवाएँ (जैसा कि 30 जून 2025) निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग/सचिव, आरएसबी का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। &ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, मिजोरम सरकार	सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर लालनुंलुआंगा (सेवानिवृत्त), निदेशक, तुइकुअल 'ए', पोस्ट बॉक्स नंबर 119 कांग्रेस भवन के नीचे, आइजोल- 796001	0389-2322732 मोबाइल: 9862789780 rsb_mzr@yahoo.in
वेबसाइट: sainikwr.mizoram.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	15 लाख	10 लाख	5 लाख	15 लाख	10 लाख	5 लाख	17,000

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	10,000	4,000	3 लाख	1.50 लाख	15,000	7,000	3,000

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
मिजोरम	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	6 लाख	
	अनुग्रह राशि (कार्रवाई में विकलांग हुए सैनिक)	75% से ऊपर	3 लाख
		50% से 75%	2 लाख
		25% से 50%	1 लाख

4. राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	मात्रा	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	3,400/- प्रति माह	दिग्गजों
		3,000/- प्रति माह	दिग्गजों की विधवाएँ

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर/अन्य ऐसी रियायतों के भुगतान से छूट	भूतपूर्व सैनिकों को आवास गृह तथा कृषि भूमि के लिए एक-एक भूखंड के लिए भू-राजस्व भुगतान से छूट दी जाती है।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: - शून्य	
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-बी' (अराजपत्रित), ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों की प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. सैनिक विश्राम गृह विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान और पता	आवास उपलब्ध		सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ और ओआरएस	
(क)	वेंगलाई, लुंगलेई	01	04	0372-2324737

7. **जिला सैनिक बोर्ड** मिज़ोरम राज्य में 4 जिला सैनिक बोर्ड हैं और ये 11 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, आइजोल।	आइजोल, सेरछिप, ममित, सैतुअल (04)	डीएसडब्ल्यू और आरओ, सैनिक विश्राम गृह भवन खटला, आइजोल- 796001	03892333131(कार्यालय) मोबाइल: 8413036816 zsbaizawl@gmail.com
(ख)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, लुंगलेई।	लुंगलेई, सियाहा, हनाथियाल और लॉंगत्लाई (04)	डीएसडब्ल्यू एवं आरओ, वेंगलाई डीसी कॉम्प्लेक्स 796701	0372-2324737 (कार्यालय) मोबाइल: 9485140868 zswllimiz@yahoo.in
(ग)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, चम्फाई।	चम्फाई और ख्वाज़ावी (02)	डीएसडब्ल्यू एवं आरओ, के. लालसाविवेला बिल्डिंग, सेलुआइया टैफिक प्वाइंट के पास, वेंगलाई 796321	03831-235517 (कार्यालय) मोबाइल: 7627912547 zsbc717@gmail.com
(घ)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कोलासिब	कोलासिब (01)	डीएसडब्ल्यू और आरओ, प्रोजेक्ट वेंग कोलासिब- 796 081	03837-222265 (कार्यालय) मोबाइल: 8974064771 zsbkolasib11@gmail.com

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

नागालैंड

परिचय

1. नागालैंड राज्य में कुल **4,443** ईएसएम/ युद्ध विधवाएं/ विधवाएं (वर्तमान स्थिति के अनुसार) 30 जून 2025) निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग/सचिव, आरएसबी का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
आरएसबी कोहिमा	कैप्टन (आईएन) लालसुओंग्लिएन टोनसिंग (सेवानिवृत्त) निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, सैनिक भवन एल्डर कॉलेज के ऊपर, सेफुज़ो कॉलोनी, हाई स्कूल रोड, कोहिमा- 797001	0370-2950134 +91-9969858994 +91-9326817566 swr.directorngl@yahoo.com
	लेफ्टिनेंट कर्नल। चुबासाशी (सेवानिवृत्त) संयुक्त निदेशक	0370-2950134 +91-9774835606 swr.directorngl@yahoo.com
वेबसाइट: शून्य		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	50,000	30,000	15,000	40,000	25,000	10,000	30,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	2 लाख	1.25 लाख	80,000	1.50 लाख	1 लाख	70,000	1.25 लाख
(घ)	3,000	1,500	1,000	2,500	1,000	1,000	2,000
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-इन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	20,000	10,000	6,000	5,000	30,000	15,000	6,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	85,000	70,000	50,000	25,000	1.25 लाख	80,000	50,000
(घ)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाली अनुग्रह राशि राहत.**

वर्ग	अनुग्रह राशि राहत
घातक दुर्घटना	6 लाख रुपये
स्थायी विकलांगता का कारण बनने वाली गैर-घातक दुर्घटना	4 लाख रुपये
गंभीर चोट पहुँचाने वाली गैर-घातक दुर्घटना	1 लाख रुपये

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज	6,000/-	-
(ख)	पुत्री विवाह अनुदान	20,000/-	-
(ग)	अंतिम संस्कार अनुदान (ईएसएम और विधवाओं)	5,000/-	-
(घ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (शारीरिक क्षति)	6,00,000/-	-
(च)	शिक्षा अनुदान	10 - 20,000/-	-
(छ)	एनडीए में शामिल होने पर	30,000/-	-
(ज)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास	50,000/-	-
(झ)	संकट निवारण अनुदान	15,000/-	-
(ञ)	सरकार से प्राप्त	12 लाख	-

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	कोई छूट नहीं
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा: - शून्य	
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	केवल पुलिस विभाग में ईएसएम के लिए 5%।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह.** विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंकों	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, सरकारी सर्किट हाउस के पास वॉलफोर्ड, कछारी स्मारक के सामने, दीमापुर -797112	03	02	01 छात्रावास	9402015956

(ख)	सैनिक विश्राम गृह, माजाकौंग वार्ड, मोकोकचुंग - 798601	03	02	01 छात्रावास	8974352348
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, डीसी कार्यालय के पास, वोखा - 797111	01	01	01 छात्रावास	8054828553
(घ)	सैनिक रेस्ट हाउस, मेन टाउन, जुन्हेबोटो - 798620	-	-	01 छात्रावास	9089509320

7.
है:-

जिला सैनिक बोर्ड: नागालैंड राज्य में 05 जिला सैनिक बोर्ड हैं और **17** जिलों का विवरण नीचे संलग्न

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम, और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी कोहिमा	कोहिमा, फेक, त्सेमिन्यु, किफिरे औरमेलुरी (05)	उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कोहिमा 797001	+91-8638806981 zilasainikkohima@gmail.com
(ख)	जेडएसबी मोकोकचुंग	मोकोकचुंग, तुएनसांग, लोंगलेंग, शामतोर और नोक्लाक (05)	उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नं.007, माजाकौंग वार्ड मोकोकचुंग - 798 601	+91-9774835606 zswok.mkg@gmail.com
(ग)	ZSB जुन्हेबोटो	जुन्हेबोटो (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जुन्हेबोटो - 798 620	zswobto@gmail.com
(घ)	जेडएसबी वोखा	वोखा (01)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीसी कॉम्प्लेक्स वोखा - 797 111	+91-8638806981 wokhazsbwelfare@gmail.com
(ङ)	जेडएसबी दीमापुर	दीमापुर, पेरेन, चुमौकेदिमा, न्यूलैंड और सोम (05)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वालफोर्ड क्षेत्र राजबाड़ी सर्किट हाउस के पास दीमापुर- 797112	+91-9774835606 zswodmp2021@gmail.com

ओडिशा**परिचय**

1. ओडिशा राज्य में 30 जून 2025 तक कुल **60,586** ईएसएम / युद्ध विधवाएँ / विधवाएँ है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। और ईमेल आईडी
राज्य सैनिक बोर्ड, ओडिशा	कमोडोर घनश्याम ओझा (सेवानिवृत्त), सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, ओडिशा सैनिक भवन, वीआईपी कॉलोनी, आईआरसी गांव, नयापल्ली भुवनेश्वर, ओडिशा-751015	0674-7965585/ 0674-4049017/ मोबाइल: 9953953198 secyrsbbbsr@gmail.com
वेबसाइट: rsb.odisha.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	9 लाख	7.50 लाख	3 लाख	7.5 लाख	4.5 लाख	2.25 लाख	1,97,500
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	1.45 लाख	1.15 लाख	75,000	31,000	65,000	32,000	13,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
ओडिशा	युद्ध और सीआई ऑपरेशनों में मारे गए लोगों के लिए अनुग्रह राशि (NoK)	10 लाख
	(क) ईसा पूर्व विवाहित और माता-पिता जीवित थे।	विधवा को 6 लाख और माता-पिता को 4 लाख रुपये दिये जायेंगे।
	(ख) ईसा पूर्व विवाहित और माता-पिता मृत।	विधवा को 10 लाख रुपये।
	(ग) बीसी अविवाहित और माता-पिता जीवित।	माता-पिता को 10 लाख रुपये।
	(घ) बीसी अविवाहित और माता-पिता मृत।	10 लाख रुपये NOK को। यदि वे NOK हैं तो भाई-बहनों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	6,000/- प्रति माह	जीवन के लिए
(ख)	विकलांगता अनुदान	3,000/- प्रति माह	पूर्णतया अंधे/पैराप्लेजिक ईएसएम (पीबीओआर)। समान विकलांगता से पीड़ित पूर्व-सैनिकों के पति/पत्नी और बच्चों के लिए।
(ग)	पुत्री विवाह अनुदान	1 लाख (ओटीजी)	जेसीओ की विधवाओं की अधिकतम 02 पुत्रियाँ।
(घ)	अनाथ अनुदान	3,000/- प्रति माह	जब तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी, केवल पीबीओआर।
(ङ)	शिक्षा अनुदान	12,000/- प्रति वर्ष	पूर्व सैनिक/विधवाओं के विकलांग बच्चे (पीबीओआर) कक्षा-1 से स्नातकोत्तर तक।
(च)	एनडीए/कमीशनिंग में शामिल होने पर	50,000/- (ओटीजी)	ईएसएम के वार्ड
(छ)	छात्रवृत्ति	12,000/- प्रति वर्ष 18,000/- प्रति वर्ष	10+2 और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम। एमसीए/एमबीए सहित डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम। पीएमएसएस के लिए चुने गए छात्र पात्र नहीं हैं।
(ज)	गैर-पेंशनभोगियों की वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए अनुदान	2,000/- प्रति माह	60 वर्ष से अधिक आयु के ईएसएम और विधवाओं के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं।
(झ)	मासिक पेंशन	2,000/- प्रति माह	युद्ध और सैन्य अभियानों के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले रक्षा कर्मियों के नं. 1. आजीवन

(च)	भूमि के बदले मौद्रिक अनुदान	50,000/- (ओटीजी)	भूमिहीन ईएसएम को हवलदार एवं समकक्ष पद तक।
(ट)	घर की मरम्मत	20,000/- (ओटीजी)	आग और अन्य आपदाओं में क्षतिग्रस्त घर।
(ठ)	मानसिक रूप से मंद बच्चों	3,000/- प्रति माह	ऐसे बच्चों के भरण-पोषण के लिए ईएसएम (पीबीओआर) के पति/पत्नी को।

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी																											
(क)	हाउस/होलिंग टैक्स के भुगतान से छूट	नगर निगम/एनएसी और शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व सैनिकों और दिवंगत सैनिकों के परिवारों के लिए। हालाँकि, पूर्व सैनिकों/विधवाओं को शौचालय और प्रकाश कर का भुगतान करना पड़ता है।																											
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-																											
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -																												
	<table> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>पाठ्यक्रम</th><th>आरक्षित सीटों की संख्या/ %</th></tr> <tr> <td>(i)</td><td>एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस (यूजी)</td><td>3%</td></tr> <tr> <td></td><td>एमबीबीएस और बीडीएस (पीजी)</td><td>3% (पूर्व सैनिक तथा पूर्व सैनिक के बच्चों और विधवाओं के लिए।)</td></tr> <tr> <td>(ii)</td><td>इंजीनियरिंग कॉलेज</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>(iii)</td><td>कृषि महाविद्यालय</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>(iv)</td><td>पॉलिटेक्निक कॉलेज</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>(v)</td><td>नर्सिंग प्रशिक्षण</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>(vi)</td><td>कोई अन्य पाठ्यक्रम</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>(ए) 10+2, +3 और पीजी पाठ्यक्रम</td><td>1%</td></tr> </table>	क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटों की संख्या/ %	(i)	एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस (यूजी)	3%		एमबीबीएस और बीडीएस (पीजी)	3% (पूर्व सैनिक तथा पूर्व सैनिक के बच्चों और विधवाओं के लिए।)	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	3%	(iii)	कृषि महाविद्यालय	3%	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	2%	(v)	नर्सिंग प्रशिक्षण	3%	(vi)	कोई अन्य पाठ्यक्रम			(ए) 10+2, +3 और पीजी पाठ्यक्रम	1%	
क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटों की संख्या/ %																											
(i)	एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस (यूजी)	3%																											
	एमबीबीएस और बीडीएस (पीजी)	3% (पूर्व सैनिक तथा पूर्व सैनिक के बच्चों और विधवाओं के लिए।)																											
(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	3%																											
(iii)	कृषि महाविद्यालय	3%																											
(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	2%																											
(v)	नर्सिंग प्रशिक्षण	3%																											
(vi)	कोई अन्य पाठ्यक्रम																												
	(ए) 10+2, +3 और पीजी पाठ्यक्रम	1%																											
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	- राज्य सरकार के विभागों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' में ईएसएम के लिए 3%। - ग्रुप 'सी' और 'डी' नौकरियों में ईएसएम के लिए शैक्षिक योग्यता में छूट। - ओडिशा सरकार के ग्रुप 'ए' से 'डी' पद में किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए ईएसएम के लिए आयु में छूट।																											
(ङ)	मकान/फ्लैट आवंटन में आरक्षण	ओडिशा हाउसिंग बोर्ड योजनाओं और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण में रक्षा/ईएसएम के लिए क्रमशः 8% और 2%।																											

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	जगह & पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारियों	जेसीओ	अन्य रैंकों	
(क)	सैनिक भवन वीआईपी कॉलोनी आईआरसी गांव, नयापल्ली भुवनेश्वर पिन -751015	02 x पारिवारिक कमरे 01x सिंगल रूम	01 x पारिवारिक कक्ष 02 शयनगृह, प्रत्येक में 06 बिस्तर।	01 x पारिवारिक कक्ष 03 शयनगृह, प्रत्येक में 06 बिस्तर।	8144148104 sainikbhawan5@gmail. com

7 **जिला सैनिक बोर्ड** ओडिशा राज्य में **08** जिला सैनिक बोर्ड, जो 30 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। और ईमेल आईडी
(क)	जिला सैनिक बोर्ड, कटक	कटक, जगतसिंहपुर, जयपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़ और पुरी(07)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कटक, मिशन रोड, बक्सी बाजार, कटक, ओडिशा- 753 001	0671-2420159/ मोबाइल:8895287057 zsbcuttack2016@g mail.com
(ख)	जिला सैनिक बोर्ड, ढेंकनाल	अंगुल और ढेंकनाल (02)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, ढेंकनाल, रेवेन्यू कॉलोनी, कुंजाकांता, ढेंकनाल टाउन, ढेंकनाल, ओडिशा- 759 001	06762-226484/ मोबाइल: 7978629172 zsbdhenkanal2016 @gmail.com
(ग)	जिला सैनिक बोर्ड, बालासोर	बालासोर, भद्रक और मयूरभंज (03)	सचिव प्रभारी जिला सैनिक बोर्ड, बालासोर, पुलिस लाइन स्कायर, ओटी रोड, बालासोर, ओडिशा- 756 001	0678-2261668/ मोबाइल:9938796270 zsbbalasore2016@g mail.com
(घ)	जिला सैनिक बोर्ड, गंजम	गंजम और गजपति (02)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, गंजाम, निदान रोड, आरडीसी बंगले के पास, फॉरेस्ट कॉलोनी, बेरहामपुर, ओडिशा-750 004	0680-2292485/ मोबाइल:7381068216 zsbganjam2016@g mail.com
(ङ)	जिला सैनिक बोर्ड, संबलपुर	संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, देवगढ़, बलांगीर, सोनपुर &सुंदरगढ़(07)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, संबलपुर, कचेरी रोड, बिनखंडी, संबलपुर, ओडिशा- 768001	0663-2410154/ मोबाइल: 9778895474 zsbsambalpur2016 @gmail.com

(च)	जिला सैनिक बोर्ड, कालाहांडी (भवानीपटना)	कालाहांडी, बौध, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और कंधमाल (05)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कालाहांडी (भवानीपटना), रामसागरपाड़ा, बहादुर बगीचा पाड़ा, भवानीपटना, ओडिशा- 766 001	06670-230110/ मोबाइल:8851510099 zsbkalahandi2016@ gmail.com
(छ)	जिला सैनिक बोर्ड, कोरापुट	कोरापुट, रायगढ़ और मलकानगिरी (03)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, कोरापुट, शहीद लक्ष्मण नायक भवन, कोरापुट, ओडिशा- 764 020	06852-250144/ मोबाइल: 7008484785 zsbkoraput2016@g mail.com
(ज)	जिला सैनिक बोर्ड, क्योंझर	क्योंझर (01)	प्रभारी सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, क्योंझर, निज़ारत कार्यालय के पास, कलेक्टरेट बिल्डिंग, क्योंझर, ओडिशा- 758 001	06766-254652/ मोबाइल:7385087831 zsbkeonjhar2016@g mail.com



पंजाबपरिचय

1. पंजाब राज्य में कुल 4,29,838 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी पंजाब		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
राज्य सैनिक बोर्ड, पंजाब	ब्रिगेडियर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त), निदेशक सह सचिव, पंजाब सैनिक भवन, सेक्टर 21-डी, चंडीगढ़- 160 022	)2701845-0172ओ) मोबाइल: 9872046353 dswpb@rediffmail.com
वेबसाइट:www.dsw.punjab.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	22,500	15,000	7,000	20,000	12,000	5,000	35,000 (डी)
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1.50 लाख	1 लाख	50,000	1.25 लाख	75,000	40,000	2.80 लाख (डी)
(घ)	41,580	31,601	18,295	33,264	24,948	11,664	1386 (डी)
(ङ)	2 करोड़	1 करोड़	50 लाख	2 करोड़	1 करोड़	50 लाख	6.50 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाई एसएम	एसएम/एनएम /वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	21,000	14,000	3,000 (जी) 11,200 (डी)	2,000 (जी) 9,800 (डी)	28,000	14,000	7,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1.40 लाख	70,000	20,000 (जी) 42,000 (डी)	10,000 (जी) 21,000 (डी)	2.80 लाख	1.05 लाख	42,000
(घ)	1116	846	5,580 (जी) 720 (डी)	2,790 (जी) 558 (डी)	1260	972	720
(ङ)	4.50 लाख	3 लाख	14 लाख (जी) 2.50 लाख (डी)	10 लाख (जी) 1.75 लाख (डी)	6 लाख	3.50 लाख	2 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
पंजाब	अनुग्रह राशि (युद्ध हताहतों के लिए राशि)	1 करोड़	
	विकलांग सैनिक	76% से 100%	40 लाख
		51% से 75%	20 लाख
		25% से 50%	10 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ (ओएपी)	10,000/- प्रति माह	गैर-पेंशनभोगियों के लिए
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	क्रमशः 10 लाख और 4 लाख	-
(ग)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान	800/- प्रति माह	40% से 50% विकलांग
		1200/- प्रति माह	51% से 75% विकलांग
		1600/- प्रति माह	76% और उससे अधिक
(घ)	पुत्री विवाह अनुदान	25,000/- (ओटीजी)	-
(ङ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (पीसी)	प्रति केस 1 लाख	युद्ध हताहतों के अलावा
(च)	गरीबी अनुदान	रु.4000/- (जीवनपर्यन्त)	गैर पेंशनभोगी (हवलदार के पद तक)
(छ)	ट्युशन शुल्क	रु.450/- प्रति महीने	ईएसएम के बच्चे जो निम्नलिखित स्कूल में पढ़ रहे हैं:- (i) गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, दाखा। (ii) जनरल गुरनाम सिंह, पब्लिक स्कूल, संगरूर।
(ज)	सशस्त्र बलों में कमीशन पर	1 लाख (ओटीजी)	-
(झ)	छात्रवृत्ति	10,000/-	डिग्री कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों के लिए।
		8,000/-	
(ञ)	जीविका भत्ता	15,000/- प्रति माह (प्रति केस)	विधवाओं को 02 से 06 महीने तक या उनकी पेंशन शुरू होने तक, जो भी पहले हो।
(ट)	युद्ध जागीर	10,000/- प्रति वर्ष	राष्ट्रीय आपातकाल में सेवा देने वाले सैनिकों के माता-पिता को।

(ठ)	टूल किट के लिए अनुदान	20,000/- प्रति केस	उन ईएसएम/विधवाओं के स्वरोजगार के लिए जिन्होंने किट का उपयोग करने के लिए अपेक्षित कौशल हासिल कर लिया है।
(ड)	विकलांग ईएसएम और विधवाएँ	2,000/- प्रति माह प्रति केस	पूर्णतः अंधे पूर्व-सैनिकों एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता।
(ढ)	चिकित्सा उपचार	50,000/- प्रति केस	गैर-पेंशनभोगियों/गैर-ईसीएचएस सदस्यों के लिए।
(ण)	मासिक रखरखाव अनुदान	12,000/-	खुद
		15,000/-	विधवा
(त)	युद्ध विधवा को टीए	500/- मासिक	1962, 1965, 1971, ओपी पवन और मेघदूत की युद्ध विधवाओं के लिए।
(थ)	चिकित्सकीय संसाधन	1 लाख	60% या उससे अधिक विकलांगता वाले ईएसएम/विधवाओं/आश्रितों के लिए।
(द)	शौचालय/स्नानघर का निर्माण	20,000/-	100% विकलांग सैनिकों के लिए जो पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र मोहाली में नहीं रह सकते।
(ध)	प्री कोचिंग योजना	3,000/-	एनडीए/आईएमए/ओटीए/सीधे प्रवेश एनसीसी में एसएसबी साक्षात्कार।
		4,000/-	पीएमटी/सीईटी का परीक्षा व्यय।
(न)	1947 से पहले के पुरस्कार	10,000/- (वार्षिकी)	विक्टोरिया क्रॉस (वीसी) के लिए।
		20,790/- (वार्षिकी)	मिलिट्री क्रॉस (एमसी) के लिए।
		9,720/- (वार्षिकी)	सैन्य पदक (एमएम) के लिए।
		2,000/- (वार्षिकी)	इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट (आईओएम-I)।
		1,500/- (वार्षिकी)	इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट (आईओएम-II)।
		2,000/- (वार्षिकी)	विशिष्ट वीरता पुरस्कार.
		2,790/- (वार्षिकी)	भारतीय विशिष्ट सेवा पदक (आईडीएसएम)।
(प)	नकद पुरस्कार	2,500/- (ओटीजी)	टीए के प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता (अधिकारी)
		1,500/- (ओटीजी)	टीए (ओआर) के प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	कोई छूट नहीं.
(ख)	सम्मान और कृतज्ञता योजना	युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों/निकाहनामों को वर्ष 2024 में पंजाब सरकार में नौकरी प्रदान की गई है।

(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा		
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटों की संख्या/ %
	(i)	एमबीबीएस	1%
	(ii)	स्नातकोत्तर	2%
	(iii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	2%
	(iv)	कृषि महाविद्यालय	2%
	(v)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	2%
	(vi)	आईटीआई	2%
	(vii)	एलएलबी	2%
	(viii)	एमएससी, एमए, एम.कॉम, एमबीए, एलएलएम	2%
	(ix)	बाएड	2%
	(x)	नर्सिंग प्रशिक्षण	1%
	(xi)	आरआईएमसी, देहरादून	01 सीट
	(xii)	जीएनडी विश्वविद्यालय	विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2%
	(xiii)	जीएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज	2%
	(xiv)	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	सभी शिक्षण विभागों में 5 सीटें।
(घ)	नौकरियों में आरक्षण	राज्य सरकार की नौकरियों में ईएसएम/विधवाओं/आश्रितों के लिए 13%। ईएसएम की आयु और शैक्षिक योग्यता के संबंध में भर्ती नियमों में छूट।	
(ङ)	चिकित्सा उपचार	सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार, टीबी केंद्र, पटियाला में दस बिस्तर पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं और प्रत्येक जिला अस्पताल में 5 बिस्तर जहां बिस्तरों की उपलब्धता 100 या उससे अधिक है।	

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	सैनिक विश्राम गृह का नाम स्थान का पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			संपर्क विवरण
		एसी	गैर एसी	छात्रावास के बिस्तर	
(क)	महाराजा रणजीत सिंह सैनिक विश्राम गृह, 52, कोर्ट रोड, जीपीओ के सामने, अमृतसर	8	3	2	0183-2563102
(ख)	गुरु नानक सैनिक विश्राम गृह, सिविल लाइंस, बठिंडा	4	4	4	0164-2212612
(ग)	सारागढ़ी सैनिक विश्राम गृह, सारागढ़ी गुरुद्वारा के पास, फ़िरोज़पुर	1	2	-	01632-246211
(घ)	जोगिंदर सिंह सैनिक विश्राम गृह, मुदकी रोड, फरीदकोट	6	3	6	01639-250788
(ङ)	शक्ति सदन, सैनिक विश्राम गृह, बचत भवन के पीछे, फतेहगढ़ साहिब	1	1	5	01763-232287

(च)	गुरबचन सिंह सलारिया सैनिक रेस्ट हाउस, डीसी कोर्ट के पास, गुरदासपुर	3	-	-	01874-247205
(छ)	ईशर सिंह सैनिक विश्राम गृह, ग्रीन व्यू पार्क कोर्ट रोड, होशियारपुर	4	-	-	01882-295255
(ज)	वार हीरोज सैनिक रेस्ट हाउस, लाडोवाली रोड शास्त्री मार्केट, जालंधर	6	3	-	0181-2455423
(झ)	करमजीत सिंह जज सैनिक विश्राम गृह, बीडीपीओ कार्यालय के सामने, कपूरथला	4	1	3	01822-232872
(ञ)	निर्मलजीत सिंह सेखों सैनिक रेस्ट हाउस, क्लॉक टॉवर के पास, लुधियाना	5	6	-	0161-2741066
(ट)	सैनिक विश्राम गृह, बठिंडा-मुक्तसर रोड, मुक्तसर	2	3	-	01633-240701
(ठ)	यादवेंद्र सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन के पास, पटियाला	6	-	-	0175-2361188
(ड)	जनरल आत्मा सिंह सैनिक विश्राम गृह, पुराने बस स्टैंड के पास, रोपड़	2	2	-	01881-220324
(ढ)	सैनिक विश्राम गृह संगरूर रणबीर क्लब के सामने, संगरूर	2	3	5	01671-234021
(ण)	सैनिक सदन, मोहाली सेक्टर 64, सिल्वी पार्क के सामने, एसएस नगर	13	-	6	0172-2231065
(त)	सैनिक विश्राम गृह चंडीगढ़ सेक्टर 21-डी, चंडीगढ़	13	-	5	0172-5071129

7. **जिला सैनिक बोर्ड.** पंजाब राज्य में 22 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 23 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
(क)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, अमृतसर	अमृतसर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, 52, कोर्ट रोड, जीपीओ के सामने, अमृतसर 143001	0183-2563102 dswo_asr@rediffmail.com
(ख)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, बठिंडा	बठिंडा (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, गुरु नानक विश्राम गृह, सिविल लाइंस, बठिंडा- 151001	0164-2212612 sainikwelfarebti@rediffmail.com
(ग)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, फरीदकोट	फरीदकोट (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, तलवंडी रोड, फरीदकोट- 151203	01639-250788 dswofdk@rediffmail.com
(घ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, फिरोजपुर	फिरोजपुर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, सारागढ़ी गुरुद्वारा के पास, फिरोजपुर कैंट, फिरोजपुर- 152001	01632-246211 dswo_fzr@rediffmail.com

(ड)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, फतेहगढ़ साहिब	फतेहगढ़ साहिब (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, बैकसाइड बचत भवन, सिविल अस्पताल के सामने, फतेहगढ़ साहिब 140407	01763-232287 fgsdsw010@rediffmail.com
(च)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, गुरदासपुर	गुरदासपुर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, जिला न्यायालय रोड के पास, गुरदासपुर 143521	01874-247205 dswogsp.2011@rediffmail.com
(छ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, होशियारपुर	होशियारपुर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, ग्रीन व्यू पार्क, कोर्ट रोड, होशियारपुर 146001	01882-222013 dswohpr@rediffmail.com
(ज)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, जालंधर	जालंधर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, शास्त्री मार्केट, लाडोवाली रोड, मन्नी ढाबा के सामने, जालंधर 144001	0181-2455423 dsw0_jal@rediffmail.com
(झ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, कपूरथला	कपूरथला (01)	बीडीपीओ कार्यालय के सामने, कपूरथला- 144 601	01822-232872 kapurthala.dsw0@rediffmail.com
(ञ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, लुधियाना	लुधियाना (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, क्लॉक टॉवर के पास, फैशन किंग होटल के सामने, लुधियाना- 141008	0161-2741066 dsw0.ludhiana@rediffmail.com
(ट)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, मुक्तसर साहिब	मुक्तसर साहिब (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, हरियाली पंप के पास, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब 152026	01633-240701 dsw0_mkts@rediffmail.com
(ठ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, रूपनगर	रूपनगर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, सैनिक विश्राम गृह, पुराने बस स्टैंड के पास, रोपड़ 140001	01881-220324 dsw0_rpr@rediffmail.com
(ड)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, पटियाला	पटियाला (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, रेलवे स्टेशन के पास पटियाला, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब रोड, पटियाला 147001	0175-236118 dsw0.patiala@rediffmail.com
(ढ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, संगरूर	संगरूर और मलेरकोटला (02)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, (कैप्टन करम सिंह सैनिक विश्राम गृह), रणवीर क्लब के सामने, संगरूर 148001	01672-234021 dswosangrur@rediffmail.com
(ण)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, एसएस नगर	एसएस नगर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, फेज 10, सेक्टर 64, सिल्वी पार्क के पास, एसएस नगर 160062	0172-4650016 ddsw0_sas@rediffmail.com

(त)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, बरनाला	बरनाला (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, कमरा नंबर 87 से 89, द्वितीय तल, डीसी कॉम्प्लेक्स, बरनाला 148101	0169-230104 dswobarnala@ rediffmail.com
(थ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, फाजिल्का	फाजिल्का (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, कमरा नंबर 205, प्रथम तल, तहसील परिसर, फाजिल्का 152123	01638-511205 ddswf_zk@rediff mail.com
(द)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, मोगा	मोगा (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, कमरा नंबर सी 217-18, दूसरी मंजिल, झेलम- चिनाब ब्लॉक, जिला प्रशासनिक परिसर, मोगा 142001	01636-237488 dswomoga@ rediffmail.com
(ध)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, पठानकोट	पठानकोट (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, डीएसी कॉम्प्लेक्स मलिकपुर, द्वितीय तल, कमरा नंबर 345, पठानकोट-145025	0186-2990420 ddswoptk@rediff mail.com
(न)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, एसबीएस नगर	एसबीएस नगर (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, मकान संख्या 331, फ्रेंड्स कॉलोनी, नवांशहर, जिला एसबीएस नगर- 144 514	01823-225075 dswonsr@rediffma il.com
(प)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, तरनतारन	तरनतारन (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, पुलिस लाइन के पास, अमृतसर रोड, तरनतारन- 143 401	01852-292565 ddswott@rediff mail.com
(फ)	जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय, मानसा	मानसा (01)	जिला रक्षा सेवा कल्याण अधिकारी, कमरा नंबर 37-38, प्रथम तल, डीसी कॉम्प्लेक्स, कोर्ट रोड मानसा - 151505	01652-229181 dswomansa@ rediffmail.com

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

राजस्थान**परिचय**

1. राजस्थान राज्य में कुल 2,76,718 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
आरएसबी राजस्थान	ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)	0141 – 2227650 rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
वेबसाइट: https://sainikkalyan.rajasthan.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	20 लाख	15 लाख	8 लाख	18 लाख	10 लाख	8.50 लाख	16 लाख
(ख)	25 बीघा या 25 लाख						
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	9.50 लाख	6.50 लाख	6.25 लाख (जी) 50,000 (डी)	25,000	2 लाख	1 लाख	75,000
(ख)	25 बीघा या 25 लाख				-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
राजस्थान	एक्स-ग्रेसिया (शहीद के नाम)	25 लाख एवं 25 बीघा भूमि (इग्नू फेज II) अथवा 25 लाख एवं एमआईजी हाउसिंग बोर्ड श्रेणी का मकान अथवा 50 लाख नकद।	
	विकलांग सैनिक	40% या अधिक	5 लाख और 25 बीघा जमीन (आईजीएनपी, फेज-एए) या 30 लाख नकद। रोजगार (एल-10)

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	15,000/-	किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।
(ख)	विकलांग ईएसएम और आश्रितों	1,000/- प्रति माह	3 वर्षों के लिए विकलांगता 40 से 60%।
		2,000/- प्रति माह	विकलांगता 60 से 80%.
		3,000/- प्रति माह	विकलांगता 80 वर्ष या उससे अधिक।
(ग)	पुत्री विवाह अनुदान	25,000/- प्रति लड़की	अधिकतम 02 पुत्रियां हवलदार रैंक तक।
(घ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास/तकनीकी शिक्षा	15,000/-	-
(ङ)	कोचिंग अनुदान	15,000/-	एनडीए/सीडीएस/वायु सेना/नौसेना अकादमी आदि की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग।
(च)	सामान भता	5,000/- प्रति माह	01 अप्रैल 1999 से पहले विभिन्न युद्धों/सीआई ऑप्स/आतंकवादी ऑपरेशनों में शहीद हुए विवाहित और अविवाहित सैनिकों के माता-पिता को।
(छ)	सामाजिक सुरक्षा के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे पूर्व-सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता	75,000/-	अध्यक्ष, समामेलित निधि द्वारा।
		40,000/-	समामेलित निधि की उप समिति के अध्यक्ष द्वारा।
		10,000/-	निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा।
(ज)	माता-पिता के लिए एफए	5 लाख	लघु बचत योजनाओं के एमआईएस में शहीदों के माता-पिता के नाम पर एफडी।

(झ)	एफए से नोक	25 लाख रुपये और 25 बीघा जमीन (इग्नू फेज II) या 25 लाख रुपये और आवास बोर्ड द्वारा एमआईजी श्रेणी का मकान या 50 लाख रुपये नकद (दिनांक 01 अप्रैल 1999 और उसके बाद शहीदों के लिए)।
-----	------------	---

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर/शहरी विकास कर के भुगतान से छूट	ईएसएम/ईएसएम की पत्नियों के साथ-साथ पूर्व सैनिक (महिला)/शहीद महिला सैनिक, उनके पति को भी शहरी विकास कर से छूट दी गई है।
(ख)	शहीदों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति।	परिवार के किसी सदस्य/आश्रित को रोजगार (एल-10)।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
	(i)	एमबीबीएस / बीडीएस 1%
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज 3% (आरआईपी यूनिवर्सिटी कोटा) और 5% (आरआईपी यूनिवर्सिटी जयपुर)।
	(iii)	कृषि महाविद्यालय / विश्वविद्यालय 5%
	कोई अन्य पाठ्यक्रम	
		कॉलेज शिक्षा पास अंक
	(iv)	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। 2 रक्षा/ 2 पीएमएफ सीटें
		जोधपुर-3, सीएमडी-2, एमएचआरडी एआईएम
		तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर 5%
(घ)	स्टाम्प शुल्क में छूट	राज्य के शहीद सैनिकों की पत्नियों, अविवाहित शहीदों के माता/पिता तथा अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए यदि पत्नी जीवित न हो।
(ङ)	नौकरियों में आरक्षण (ईएसएम/विधवा/आश्रित)	5% राज्य सेवा 12.5% अधीनस्थ और तृतीय श्रेणी सेवाएं 15% श्रेणी IV सेवाएँ आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में ले जाने का प्रावधान। सभी ईएसएम जो नियुक्ति के समय 10वीं पास थे और 15 वर्ष सेवा दे चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार में नौकरी के लिए स्नातक के समकक्ष माना जाता है।
(च)	मुफ्त बस पास	शहीद की विधवा, उसके आश्रित बच्चों और शहीदों के माता-पिता को।
(छ)	बिजली कनेक्शन	शहीदों के परिजनों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता।
(ज)	शहीदों का सम्मान	शहीदों के नाम पर स्कूल/अन्य सरकारी संस्थानों का नामकरण।
(झ)	शिक्षा	सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग में मुफ्त शिक्षा।

(ज)	भूमि का आवंटन	15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1999 के बीच शहीद हुए शहीदों के परिजनों को आईजीसी के साथ 25 बीघा संचित कृषि भूमि।
-----	---------------	--

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	पता	आवास			एसटीडी कोड/टेलीफोन नंबर
			अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंकों	
(क)	अजमेर	सैनिक विश्राम गृह, राजस्व मंडल के सामने, टोडरमल मार्ग, अजमेर (ZSKK कार्यालय एवं वायु गुणवत्ता निगरानी)	05	04	04 और छात्रावास-01	0145&2627972
(ख)	ब्यावर	सैनिक विश्राम गृह, छावनी रोड, ब्यावर (ZSKK कार्यालय)	01	01	01 और छात्रावास-01	0145&2627972
(ग)	अलवर	सैनिक विश्राम गृह, कंपनी गार्डन के सामने, अलवर (ZSKK कार्यालय और CSD कैंटीन)	03	02	02 और छात्रावास-01	0144&2338527
(घ)	बहरोड़ जिला. कोटपूतली-बहरोड़	सैनिक विश्राम गृह, दयानंद मार्ग, विद्युत पावर हाउस के पीछे, बहरोड़ जिला कोटपुतली - बहरोड़ (ZSKK कार्यालय)	04	01	01 और छात्रावास-01	1494&222084
(ङ)	बानसूर जिला अलवर	सैनिक विश्राम गृह, रामपुरा रोड बानसूर, अलवर (ईसीएचएस)	01	02	01 और छात्रावास-01	1494&222084
(च)	भीलवाड़ा	सैनिक विश्राम गृह, मानसरोवर झील के सामने, पटेल नगर जिला भीलवाड़ा (ZSKK कार्यालय)	02	01	01 और छात्रावास-01	1482&265133
(छ)	बाड़मेर	सैनिक विश्राम गृह, इंद्रा कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, बाड़मेर (ZSKK कार्यालय)	02	01	छात्रावास-01	2982&221185
(ज)	भरतपुर	सैनिक विश्राम गृह, गोरधन गेट के पास, भरतपुर (ZSKK कार्यालय)	02	02	02 और छात्रावास-01	5644&223707
(झ)	धौलपुर	सैनिक विश्राम गृह, एलडी बैंक के पास, जीटी रोड, धौलपुर	01	03	छात्रावास-01	5644&223707
(ञ)	बीकानेर	सैनिक विश्राम गृह, सर्किट	04	02 और	01 और	0151&2226671

		हाउस/गांधी सर्किल के सामने, बीकानेर (जेडएसकेके कार्यालय)		02	छात्रावास-02	
(ट)	चुरू	सैनिक विश्राम गृह, भालेरी रोड, पुलिस लाइन, रोडवेज बस स्टैंड के पास, चुरू (ZSKK कार्यालय एवं CSD कैंटीन)	02	01	छात्रावास-01	1562&250948
(ठ)	चिड़ावा जिला झुंझुनू	सैनिक विश्राम गृह, कोर्ट रोड, भारद्वाज अस्पताल के पास, चिड़ावा	01	01	03 && छात्रावास-02	1596-222880
(ड)	डीडवाना जिला डीडवाना - कुछमन	सैनिक विश्राम गृह, एलआईसी बिल्डिंग के पीछे डीडवाना जिला डीडवाना - कुछमन	02	01	02 और छात्रावास-01	1580- 223729
(ढ)	जयपुर	सैनिक विश्राम गृह, सवाई जय सिंह हाईवे रोड, बनीपार्क, जयपुर	17	-	06 और छात्रावास-01	0141- 2201487 0141- 2206971
(ण)	जैसलमेर	सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन के पास, जैसलमेर	02	01	01 और छात्रावास-01	2992- 250029
(त)	पोखरण जिला जैसलमेर	सैनिक विश्राम गृह, एफसीआई रोड, भवानी पुरा, पोखरण जैसलमेर	02	01	02 और छात्रावास-01	2992- 250029
(थ)	झुंझुनू	सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन के पास, झुंझुनू	04	01	01 और छात्रावास-01	1592- 232653
(द)	जोधपुर	सैनिक विश्राम गृह, राय का बाग रेलवे स्टेशन के पास, जोधपुर	03	02	03	0291- 2650372
(ध)	ओसियां जिला- जोधपुर	सैनिक विश्राम गृह, एसडीओ कार्यालय के सामने, बस स्टैंड ओसियां के पास (सीएसडी कैंटीन चल रही है)	-	-	-	0291-2650372
(न)	शेरगढ़	सैनिक विश्राम गृह, तहसील मुख्यालय के पास, जिला शेरगढ़	-	-	छात्रावास-01	2929- 243694
(प)	फलोदी फांटा, जिला जोधपुर	श्री वीर धोकल सिंह मेमोरियल बिल्डिंग, तह-बालेसर, जिला। जोधपुर (सीएसडी कैंटीन चलाना)				2929- 243694

(फ)	कोटा	सैनिक विश्राम गृह, जेके लोन हॉस्पिटल, नयापुरा, कोटा	02	02	02& छात्रावास-02	0744-2323712
(ब)	झालरापाटन जिला झालावाड़	सैनिक विश्राम गृह, नई कोतवाली के पीछे, पाटन रोड, झालावाड़	02	03	01 और छात्रावास-01	0744- 2323712
(भ)	नागौर	सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन के पास, संजय कॉलोनी, नागौर	03	01	01 और छात्रावास-01	1582- 240776
(म)	पाली	सैनिक विश्राम गृह, होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र, सोजत रोड, पाली	01	01	छात्रावास-01	2932- 225230
(य)	करौली	सैनिक विश्राम गृह, गड़का की चौकी, गंगापुर रोड, जिला। करौली	01	01	03	7464- 250734
(र)	सवाई माधोपुर	सैनिक विश्राम गृह, बजरिया चौक, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला, आरएलवाई के पास। स्टेशन, सवाई माधोपुर	02	01	02 और छात्रावास-01	7464- 250734
(ल)	सीकर	सैनिक रेस्ट हाउस, कोर्ट बिल्डिंग के पीछे, सामने। लोक निर्माण विभाग डाक बंगला, सीकर	04	02	02 और छात्रावास-01	1572- 254437
(श)	फतेहपुर जिला-सीकर	सैनिक विश्राम गृह, बीएसएनएल कार्यालय के पीछे, फतेहपुर जिला-सीकर (सीएसडी कैटीन संचालित)				1572- 254437
(ष)	नीम का थाना जिला सीकर	सैनिक विश्राम गृह, पीडब्ल्यूडी परिसर, छावनी रोड नीम का थाना जिला। सीकर	01	-	01	1574- 231920
(स)	श्रीगंगानगर	सैनिक विश्राम गृह, कलेक्टर कार्यालय के पास, रेलवे स्टेशन के पीछे, गंगानगर	02	02	02 और डॉर्म-02	0154-2442547
(ह)	उदयपुर	सैनिक विश्राम गृह, 30/70 मधुवन कॉलोनी, चेतक सर्कल के पीछे, उदयपुर	04	02	01 और छात्रावास-01	0294-2411724
(क्ष)	भीम जिला राजसमंद	सैनिक विश्राम गृह, बदनौर रोड, भीम, जिला राजसमंद	-	01	02 और छात्रावास-01	0294-2411724 2951- 250151
(त्र)	राजसमंद	सैनिक विश्राम गृह, पुलिस लाइन के पास, मेन रोड राजसमंद	01	01	04	0294-2411724 2952- 220496

(श)	हनुमानगढ़	सैनिक विश्राम गृह, खेल मैदान के पास, हनुमानगढ़	02	03	02 और छात्रावास-01	154- 2442547
(कक)	राजगढ़ जिला- चूरू	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक कॉलोनी, राजगढ़, जिला- चूरू	02	02	02 और छात्रावास-01	1562- 250948

7. **जिला सैनिक बोर्ड** राजस्थान राज्य में 25 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 41 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम & आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	अजमेर	अजमेर (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, टोडर मल मार्ग, राजस्व मंडल, अजमेर के सामने	145-2627972 zsk.aajmer@rajasthan.gov.in
(ख)	अलवर	अलवर एवं खैरथल-तिजारा (2)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, कंपनी बाग के सामने, अलवर	144-2338527 zsk.a.alwar@rajasthan.gov.in
(ग)	बाड़मेर	बाड़मेर, बालोतरा एवं जालौर (3)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, इंद्रा कॉलोनी, बाड़मेर	2982-221185 zsk.a.barmer@rajasthan.gov.in
(घ)	बीकानेर	बीकानेर (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, सिविल लाइंस, गांधी पार्क, बीकानेर	151-2226671 zsk.a.bik@rajasthan.gov.in
(ङ)	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ (2)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, रीको रोड, पटेल नगर, भीलवाड़ा	8619439038 zsk.a.bhilwara@rajasthan.gov.in
(च)	भीम	राजसमंद (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, तहसील रोड, भीम	02951-294608 zsk.a.bhim@rajasthan.gov.in
(छ)	भरतपुर	भरतपुर, डीग और धौलपुर(3)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, गोवर्धन गेट, भरतपुर	5644-223707 zsk.a.btp@rajasthan.gov.in
(ज)	बहरोड़	कोटपूतली – बहरोड़ (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, दयानंद मार्ग, पावर हाउस, बहरोड़	1494-294584 zsk.a.behror@rajasthan.gov.in
(झ)	चिड़ावा	झुंझुनू जिलों की तहसीलें:- चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोर्ट रोड, चिरावा	1596-222880 zsk.a.chirawa@rajasthan.gov.in
(ञ)	चुरू	चुरू (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ZSKK, भालेरी रोड, चुरू	1562-250948 zsk.a.churu@rajasthan.gov.in

(ट)	डीडवाना	डीडवाना- कुचामन (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, आरटीओ कार्यालय के पास, डीडवाना	1580-223729 zska.nag.did- rj@rajasthan.gov.in
(ठ)	जयपुर	जयपुर, दौसा(2)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, सवाई जय सिंह हाईवे, जयपुर	141-2201487 zska.jaipur@rajasthan.g ov.in
(ड)	जैसलमेर	जैसलमेर (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, रेलवे स्टेशन के पास, जैसलमेर	2992-294720 zska.jai- rj@rajasthan.gov.in
(ढ)	जोधपुर	जोधपुर (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, राय का बाग, रेलवे स्टेशन, जोधपुर	291-2650372 Zska-jod- rj@rajasthan.gov.in
(ण)	झुंझुनू	झुंझुनू जिलों की तहसीलें: - झुंझुनू, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, गुढ़ा, गौड़जी, मलसीसर, मंडावा (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, रेलवे स्टेशन के पास, झुंझुनू	1592-232653 zska.jjn@rajasthan.gov.i n
(त)	करौली	करौली सवाईमाधोपुर(2)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, गडका की चौकी, करौली	7464-250734 zska.kaural@rajasthan.g ov.in
(थ)	कोटा	कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़(4)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, केजे लोन अस्पताल के पास, नयापुरा, कोटा	744-2323712 zska.kota@rajasthan. gov.in
(द)	नीम का थाना	सीकर जिले की तहसील:- नीम का थाना, कंडेला, श्रीमाधोपुर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, PWD गेस्ट हाउस के पास, नीम का थाना	1574-231920 zska.nkt@rajasthan.gov. in
(ध)	नागौर	नागौर (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जेडएसकेके, रेलवे क्रॉसिंग के पास, संजय कॉलोनी, नागौर	1582-240776 saink.nagaur@rajasthan .gov.in
(न)	पाली	पाली, ब्यावर और सोही (3)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, नया गाँव, पाली	2932-225230 zska.pali@rajasthan.gov .in
(प)	शेरगढ़	फलौदी (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, तहसील मुख्यालय के पास, शेरगढ़	2929-243694 zska.shergarh@ rajasthan.gov.in
(फ)	सीकर	सीकर जिले की तहसील:- सीकर, धोद, रामगढ़, शेकावाटी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दांतारामगढ़ (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, कलक्ट्रेट के पास, कोर्ट रोड, सीकर	1572-254437 zska.sikar@rajasthan. gov.in

(ब)	श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ (2)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, सिविल लाइन्स, श्री गंगानगर	154-2442547 zska.sggnr@rajasthan.gov.in
(भ)	टोंक	टोंक (1)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, ZSKK, 1/17 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टोंक	1432-245862 zska.tonk@rajasthan.gov.in
(म)	उदयपुर	उदयपुर, सलूमबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ (5)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जेडएसकेके, सी-76, मधुबन कॉलोनी, उदयपुर	294-2940052 zska.rjko20132701478@rajasthan.gov.in



सिक्किमपरिचय

1. सिक्किम राज्य में कुल 1,545 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी सिक्किम		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम एवं आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी
आरएसबी सिक्किम	कर्नल विजय बस्नेत (सेवानिवृत्त), सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, सिक्किम सरकार, पीएस रोड, गंगटोक- 737 101	03592-796704 मोबाइल: 63668 47766 rsbgangtok@gmail.com
वेबसाइट: https://desw.sikkim.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	1 करोड़	50 लाख	20 लाख	50 लाख	15 लाख	10 लाख	2 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एन एम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	1.50 लाख	1 लाख	5 लाख	1 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(क)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
सिक्किम	एक्स-ग्रेसिया (शहीद के नाम)	25 लाख (ओटीजी)
	विकलांग सैनिक (बीसी गैर-घातक)	5 लाख (ओटीजी)
	"वीर नारियाँ" (दिवंगत सैनिकों की पत्नियाँ)	2 लाख (ओटीजी)

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	10,000/- प्रति माह	पूर्व सैनिक (गैर-पेंशनभोगी)
		10,000/- प्रति माह	विधवाएँ (गैर-पेंशनभोगी)
(ख)	शिक्षा अनुदान/वजीफा	1,500/- प्रति वर्ष	घर से स्कूल जाने वाले छात्र।
		3,000/- प्रति वर्ष	पीजी में रहने वाले छात्रों के लिए।
(ग)	छात्रावास शुल्क	3,000/- प्रति वर्ष	छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए
(घ)	कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा में शामिल होने पर	1.5 लाख	ओटीजी
(ङ)	वृद्धावस्था पेंशन	1,500/- प्रति माह	70 वर्ष से अधिक आयु की पूर्व सैनिक एवं विधवाएं
		1,000/- प्रति माह	60 वर्ष से अधिक आयु की पूर्व सैनिक एवं विधवाएं
(च)	चश्मा भत्ता	02 वर्षों में एक बार 1,500/-	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम और विधवाएँ
(छ)	चिकित्सा रेफरल अनुदान	10,000/ (ओटीजी)	सिक्किम के बाहर

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	-
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	सिक्किम स्काउट्स बटालियन के युद्ध-काल में शहीद हुए सैनिकों की विधवा/पुत्र/पुत्री को राज्य सरकार द्वारा 17.02.2024 से अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी एवं डी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार, भारतीय सेना की अन्य रेजिमेंटों के युद्ध-काल में शहीद हुए सैनिकों की विधवा/पुत्र/पुत्री को भी अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी एवं डी पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा - शून्य	
(घ)	नौकरी में आरक्षण	3% समूह "सी" और "डी" पदों में ईएसएम के लिए
(ङ)	निःशुल्क एसएनटी बस यात्रा पास	50 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिक एवं विधवाओं के लिए
(च)	मुफ्त बिजली	ईएसएम और विधवाओं को 100 यूनिट

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास			सम्पर्क करने का विवरण
		आधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	सिंगताम, पूर्वी सिक्किम	02	01	02	WO (N/E) - 96477 37387 स्टाफ - 87689 46740
(ख)	नामची, दक्षिण सिक्किम	01	01	01	WO (दक्षिण) - 96049 87053 स्टाफ - 9775311320
(ग)	ग्यालशिंग, पश्चिम सिक्किम	01	01	01	WO (पश्चिम) - 81063 83984 स्टाफ - 7432935598
(घ)	हीगांव, पश्चिम सिक्किम	01	02	02	डब्ल्यूओ पश्चिम) - 81063 83984 स्टाफ - 87591 37591
(ङ)	गंगटोक, पूर्वी सिक्किम	नए एसआरएच भवन का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है। 12.11.2024 को एच/टी ओवर किया गया और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा।			
(च)	जोरेथांग, दक्षिण सिक्किम	मौजूदा एसआरएच भवन संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। एसआरएच के लिए एक वैकल्पिक भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।			

7. **जिला सैनिक बोर्ड** सिक्किम राज्य में 03 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 06 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
(ए)	जेडएसबी, उत्तर/पूर्वी सिक्किम	गंगटोक, मंगन & पाक्योंग (03)	कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक बोर्ड उत्तर/पूर्व, सिक्किम सरकार, पीएस रोड, गंगटोक- 737 101	मोबाइल: 9647737387 zsbgtk@gmail.com
(बी)	जेडएसबी, दक्षिण सिक्किम	नामची (01)	कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक बोर्ड, सिक्किम सरकार, दक्षिण सिक्किम, नामची- 737 126	मोबाइल: 9604987053 zsbnamchi12@gmail.com

(सी)	जेडएसबी, पश्चिम सिक्किम	गेजिंग और सोरेंग (02)	कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक बोर्ड, सिक्किम सरकार, पश्चिम सिक्किम, ग्यालशिंग- 737 111	मोबाइल: 8106383984 zsbgyzw@gmail.com
------	-------------------------------	-----------------------------	---	---



तमिलनाडु

परिचय

1. तमिलनाडु राज्य में कुल 1,83,379 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (31 दिसंबर 2024 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
निदेशालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण, चेन्नई-3	श्री सज्जनसिंह आर चव्हाण, आईएस निदेशक, 22, राजा मुथैया सलाई, चेन्नई- 600 003	044-25670101 exweldte@tn.gov.in
	संयुक्त निदेशक (प्रभारी)	044-26691342 044-26691747
वेबसाइट: exwel.tn.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

5. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	1 करोड़	60 लाख	40 लाख	80 लाख	48 लाख	32 लाख	3 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एनएम /वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	1.60 लाख	1 लाख	4 लाख (जी) 1 लाख (डी)	60,000	3 लाख	1.60 लाख	1 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह

अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
तमिलनाडु	एक्स-ग्रेसिया (शहीद के नाम)	कार्रवाई में मारे गए	40 लाख
		युद्ध/युद्ध जैसे ऑपरेशन में मारे गए	एकीकृत निधि से 2 लाख
	विकलांग सैनिक	दो अंग-विच्छेदित / पूर्णतः विकलांग, पूर्णतः अंधा	30 लाख
		एकल अंग-विच्छेदित/ एक आँख से अंधा	20 लाख
		25% से 50%	10 लाख
		युद्ध/युद्ध जैसे ऑपरेशन में अक्षम	एकीकृत निधि से 1 लाख

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	10,000/- प्रति माह	ईएसएम
		4,000/- प्रति माह	विधवा
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	7,000/- प्रति माह	पीआरसी किरकी, पुणे के कैदियों के लिए।
(ग)	विवाह अनुदान	25,000/- (ओटीजी)	-
		1 लाख और 8 ग्राम सोने का सिक्का	युद्ध विधवाओं की बेटियों और युद्ध में विकलांगों के लिए तिरुमंगलयम, जिनकी विकलांगता 50% या उससे अधिक हो।
		50,000 और 8 ग्राम सोने का सिक्का	थिरुमंगलयम में युद्ध विधवाओं और युद्ध में विकलांगों की बेटियों के लिए विकलांगता 50% से कम है।
(घ)	अंतिम संस्कार अनुदान	10,000/-	ईएसएम
		7,000/-	विधवा
		-	-
(ङ)	नेत्रहीन राहत अनुदान	7,000/- प्रति माह	ईएसएम और आश्रितों के लिए।
(च)	कैंसर राहत अनुदान	10,000/- प्रति माह	ईएसएम और आश्रितों के लिए।
(छ)	पैराप्लेजिक अनुदान	7,000/- प्रति माह	ईएसएम, आश्रितों के लिए।
(ज)	मानसिक रूप से विकलांग अनुदान	7,000/- प्रति माह	बच्चों, पत्नी/विधवाओं के लिए।
(झ)	कुष्ठ रोग राहत अनुदान	5,000/- प्रति माह	-
(ञ)	तपेदिक अनुदान	5,000/- प्रति माह	-
(ट)	दिव्यांगजन अनुदान	5,000/- प्रति माह	आश्रितों को।
(ठ)	बौना राहत अनुदान	5,000/- प्रति माह	-

(ड)	चश्मा अनुदान	4,000/-	पहली बार.
		1,500/-	दूसरी बार.
(ढ)	निम्नलिखित इलम के आवासियों को अनुदान	4,000/- प्रति माह	-
(ण)	मासिक अनुदान	4,000/- प्रति माह	ईएसएम और विधवाओं के लिए।
(त)	वार्षिक रखरखाव अनुदान (एएमजी)	25,000/- प्रति वर्ष	-
(थ)	गृह ऋण सब्सिडी	1 लाख (ओटीजी)	हवलदार रैंक और उसके समान रैंक तक.
(द)	आवास अनुदान	50,000/- (ओटीजी)	युद्ध/युद्ध जैसे ऑपरेशन में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं और विकलांग।
(ध)	तकनीकी अनुदान	3,000/- से 10,000/- (ओटीजी)	टाइपराइटिंग, शॉर्टहैंड.
(न)	युद्ध जागीर भत्ता	20,000/- और 1,000/- का रजत पदक (ओटीजी)	उन माता-पिता के लिए जिनका एकमात्र पुत्र/पुत्री सशस्त्र सेना में शामिल होता है।
		25,000/- और 1,000/- का रजत पदक (ओटीजी)	उन माता-पिता के लिए जिनके एक से अधिक पुत्र/पुत्री सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं।
(प)	सशस्त्र बलों में शामिल होने पर	25,000/- से 1 लाख तक	ईएसएम के बच्चों को एकमुश्त अनुदान।
(फ)	ईएसएम बाल साक्षरता सुधार अनुदान	2,000/- से 6,000/- प्रति वर्ष	कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत ईएसएम/जेसीओ रैंक तक की विधवाओं के बच्चों के लिए।
		10,000/- से 25,000/- (ओटीजी)	आईटीआई/यूजी और पीजी पाठ्यक्रम/डिप्लोमा/तकनीकी शिक्षा, पीएचडी में अध्ययनरत जेसीओ रैंक तक के ईएसएम/विधवाओं के बच्चों के लिए।
(ब)	प्रोत्साहन	25,000/- प्रति वर्ष	सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे पूर्व सैनिक/विधवाओं के बच्चों के लिए।
		50,000/- प्रति वर्ष	आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्व सैनिक/विधवाओं के बच्चों के लिए।
(भ)	मौद्रिक भत्ता	6,000/-	प्रादेशिक सेना सजावट (अधिकारी)।
		4,000/-	प्रादेशिक सेना पदक (अनग्र रैंक)।
(म)	कौशल विकास प्रशिक्षण	7,000/- प्रति ईएसएम	तमिलनाडु कौशल विकास निगम के माध्यम से विभिन्न अनुशासनों पर ईएसएम को प्रशिक्षण देना।

(घ)	मुधलवारिन कक्कम करंगल योजना	30% पूंजी सब्सिडी, अधिकतम एक करोड़ रुपये और 3% ब्याज सब्सिडी।	ईएसएम / विधवाओं के लिए
-----	-----------------------------	---	------------------------

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी																																																				
(क)	प्रतिपूर्ति योजनागृह कर	तमिलनाडु के मूल निवासी ईएसएम के लिए गृह कर प्रतिपूर्ति योजना का विस्तार।																																																				
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।																																																					
(ग)	निःशुल्क रेट्रोफिटेट पेट्रोल स्कूटर	ईएसएम और आश्रितों को जो विभाग से विकलांगता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।																																																				
(घ)	विशेष व्हील चेयर	ईएसएम और आश्रितों को जो विभाग से विकलांगता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।																																																				
(ङ)	मुफ्त सिलाई मशीन	पूर्व सैनिक की पत्नी/विधवा/अविवाहित पुत्रियों को जिन्होंने सरकारी संस्थान से सिलाई का कोर्स पूरा किया हो।																																																				
(च)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा																																																					
	<table><tr><th>क्र. सं.</th><th>पाठ्यक्रम</th><th>आरक्षित सीटें</th></tr><tr><td>(i)</td><td>बीई (सामान्य) अन्ना विश्वविद्यालय</td><td>150</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>बीई (लेटरल एंट्री) अन्ना विश्वविद्यालय</td><td>15</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>एमबीबीएस</td><td>10</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>बीडीएस</td><td>1</td></tr><tr><td>(v)</td><td>बी.एससी., (नर्सिंग)</td><td>4</td></tr><tr><td>(vi)</td><td>बी.फार्म.</td><td>1</td></tr><tr><td>(vii)</td><td>बीपीटी</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">(viii)</td><td>डी. फार्ममदुरै</td><td>4</td></tr><tr><td>कोयंबटूर</td><td>2</td></tr><tr><td>तंजावुर</td><td>2</td></tr><tr><td>(ix)</td><td>नर्सिंग में डिप्लोमा</td><td>57</td></tr><tr><td rowspan="7">(x)</td><td>भारतीय चिकित्सा</td><td></td></tr><tr><td>बीएसएमएस</td><td>1</td></tr><tr><td>करने के लिए bUMs</td><td>1</td></tr><tr><td>बीएमएस</td><td>1</td></tr><tr><td>बी.एच.एम. एस</td><td>1</td></tr><tr><td>बीवाईएनएस</td><td>2</td></tr><tr><td>एकीकृत फार्मसी में डिप्लोमा (डीआईपी)</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>नर्सिंग थेरेपी में डिप्लोमा (DNT)</td><td>2</td></tr></table>	क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटें	(i)	बीई (सामान्य) अन्ना विश्वविद्यालय	150	(ii)	बीई (लेटरल एंट्री) अन्ना विश्वविद्यालय	15	(iii)	एमबीबीएस	10	(iv)	बीडीएस	1	(v)	बी.एससी., (नर्सिंग)	4	(vi)	बी.फार्म.	1	(vii)	बीपीटी	1	(viii)	डी. फार्ममदुरै	4	कोयंबटूर	2	तंजावुर	2	(ix)	नर्सिंग में डिप्लोमा	57	(x)	भारतीय चिकित्सा		बीएसएमएस	1	करने के लिए bUMs	1	बीएमएस	1	बी.एच.एम. एस	1	बीवाईएनएस	2	एकीकृत फार्मसी में डिप्लोमा (डीआईपी)	1		नर्सिंग थेरेपी में डिप्लोमा (DNT)	2	
क्र. सं.	पाठ्यक्रम	आरक्षित सीटें																																																				
(i)	बीई (सामान्य) अन्ना विश्वविद्यालय	150																																																				
(ii)	बीई (लेटरल एंट्री) अन्ना विश्वविद्यालय	15																																																				
(iii)	एमबीबीएस	10																																																				
(iv)	बीडीएस	1																																																				
(v)	बी.एससी., (नर्सिंग)	4																																																				
(vi)	बी.फार्म.	1																																																				
(vii)	बीपीटी	1																																																				
(viii)	डी. फार्ममदुरै	4																																																				
	कोयंबटूर	2																																																				
	तंजावुर	2																																																				
(ix)	नर्सिंग में डिप्लोमा	57																																																				
(x)	भारतीय चिकित्सा																																																					
	बीएसएमएस	1																																																				
	करने के लिए bUMs	1																																																				
	बीएमएस	1																																																				
	बी.एच.एम. एस	1																																																				
	बीवाईएनएस	2																																																				
	एकीकृत फार्मसी में डिप्लोमा (डीआईपी)	1																																																				
	नर्सिंग थेरेपी में डिप्लोमा (DNT)	2																																																				

	(xi)	बी.एड., (शिक्षा स्नातक)	
		प्रत्येक सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थान में	1
		अन्नामलाई विश्वविद्यालय	2
		अलगप्पा विश्वविद्यालय	1
		अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय	1
	(xii)	डीटी एड., (शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा)	प्रत्येक संस्थान में 3 सीटें
	(xiii)	यूजी कोर्स	प्रत्येक कॉलेज में 6 सीटें
	(xiv)	पीजी कोर्स	यदि कॉलेज में दो या इससे कम पीजी पाठ्यक्रम हैं तो प्रत्येक कॉलेज में 2 सीटें होंगी।
			यदि कॉलेज में दो से अधिक पीजी पाठ्यक्रम हैं तो प्रत्येक कॉलेज में 3 सीटें होंगी।
	(xv)	बी.एससी., (कृषि)	6
	(xvi)	बी.एससी., (बागवानी)	1
	(xvii)	बीई (कृषि)	1
	(xviii)	आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)	प्रत्येक आईटीआई में 5 सीटें
	(xix)	नानायंत्र	80
	(xx)	अंशकालिक पॉलिटेक्निक (प्रत्येक अंशकालिक कॉलेज में)	1
	(xxi)	कला और शिल्प महाविद्यालय	4
	(xxii)	बीएफएससी.,	1
	(xxiii)	तनुवास	
		बीवीएससी., और एएच	2
		बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी)	1
		बी.टेक. (पोल्ट्री टेक्नोलॉजी)	1
		बी.टेक. (डेयरी टेक्नोलॉजी)	1
	(xxiv)	बीएल(3/5)	1%
	(xxv)	डॉ. अम्बेडकर सरकार में बीएबीएल (ऑनर्स)। लॉ कॉलेज, चेन्नई	1%
	(xxvi)	सहकारी प्रबंधन में डिप्लोमा	2%
(छ)	सिलाई प्रशिक्षण	मुफ्त सिलाई मशीन	कौशल विकास निगम के माध्यम से।
(ज)	बैंक ऋण ब्याज सब्सिडी	100%	स्वयं सहायता समूह (12 या अधिक ईएसएम/विधवाओं का समूह) को 15 लाख तक का ऋण।
		75%	व्यक्तिगत (अधिकतम 10 लाख तक का ऋण)।
(झ)	औद्योगिक शेड सब्सिडी	लागत का 25% अधिकतम 50,000/- तक	ईएसएम/विधवाएं.

(ज)	नौकरियों में आरक्षण (ईएसएम के लिए)	5% जीपी'सी'	राज्य सरकार के विभाग
		10% जीपी'डी'	
		5%	पुलिस कांस्टेबल ग्रेड II. तमिलनाडु यूनिफ़ॉर्मड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड.
		10%	वन रक्षक (वन विभाग)
		5%	वन निरीक्षक.(-करते-).
		5%	पशुधन निरीक्षक (-do-).
		10%	बुनियादी सेवा. एसपीएसयू और बोर्ड.
		10%	बुनियादी सेवा. नगर निगम.
		10%	बुनियादी सेवा. सहकारी संस्थाएँ.
		25%	एनसीसी विभाग में लस्कर, ड्राइवर और चौकीदार।
(ट)	सिलाई इकाइयाँ	वेल्लोर, कृष्णागिरी जिलों के ईएसएम/सेवारत कार्मिकों की महिला आश्रितों को टीएनएसडीसी लिमिटेड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।	
(ठ)	आवास	टीएन हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित मकानों/भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन के लिए 7% सेवारत/ईएसएम के लिए आरक्षित।	
(ड)	कौशल विकास प्रशिक्षण	निजी क्षेत्र/स्वरोजगार में ईएसएम के रोजगार के अवसर के लिए टीएनएसडीसी के माध्यम से ईएसएम को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	सैनिक विश्राम गृह का नाम स्थान का पता	आवास			संपर्क
		आधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय, 22, राजा मुथैया सलाई, चेन्नई 600003	02	01	01	044-26691342 044-26691747
(ख)	जवान भवन, अन्ना ओवर ब्रिज के पास, कुड्डलोर - 607 002	-	-	-	04142-220732
(ग)	पूर्व सेवा केंद्र, प्रथम तल, मास्टरप्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट, डिंडीगुल 624305	01	-	01	0451-2460086
(घ)	रेस्ट हाउस मूनजीकल, कोडाइकनाल	01	-	01	0451-2460086
(ङ)	पूर्व-सेवा केंद्र और खरीदारी कॉम्प्लेक्स, रेलवे फीडर रोड, कोट्टार, नागरकोइल (कन्नियाकुमारी) - 629 002	01	01	01	04652-243515
(च)	जवान भवन 106/3, गांधीजी रोड, इरोड-638001	02	02	02	0424-2263227

(छ)	जवान भवन, मुथुकुमारा मूपनार रोड, (प्रधान डाकघर के सामने), तंजावुर - 613 001	01	01	01	04362-230104
(ज)	पूर्व सेवा केंद्र, गुड्स शेड रोड, उदगमंडलम-643 006	01	01	01	0423-2444078
(झ)	जवान भवन, पोलूर मेन रोड, मंथोपु, तिरुवन्नामलाई 606604	02	03	04	04175-23307

7. **जिला सैनिक बोर्ड:** तमिलनाडु राज्य में 30 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 38 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम & आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, अरियालुर	अरियालुर, पेरम्बलुर (02)	सहायक निदेशक (एफएसी), नंबर 17, पुराना कलेक्टर, अरियालुर -621704	04329-221011 exwelalr@tn.gov.in
(ख)	जेडएसबी, चेन्नई	चेन्नई (01)	सहायक निदेशक, "मेजर परमेश्वरन मेमोरियल बिल्डिंग" वेस्ट माडा स्ट्रीट, श्रीनगर कॉलोनी, सैदापेट, चेन्नई 600015	044-22350780 exwelchn@tn.gov.in
(ग)	जेडएसबी, कोयंबटूर	कोयंबटूर (01)	सहायक निदेशक, भूतपूर्व सेवा केंद्र, हुज़ूर रोड, कोयंबटूर-641018	0422-2974107 exwelcbe@tn.gov.in
(घ)	जेडएसबी, कुड्डालोर	कुड्डालोर (01)	सहायक निदेशक, भूतपूर्व सेवा केंद्र, उप जेल रोड, कुड्डालोर 607001	04142-220732 exwelcud@tn.gov.in
(ङ)	जेडएसबी, धर्मपुरी	धर्मपुरी (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), नंबर एच-49, कल्लियप्पा निवास, टीएनएचबी, अववई नगर, ओड्डापट्टी, धर्मपुरी 636705	04342-297844 exweldpi@tn.gov.in
(च)	जेडएसबी, डिंडीगुल	डिंडीगुल (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), भूतपूर्व सेवा केंद्र, प्रथम तल, मास्टरप्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट, डिंडीगुल 624305	0451-2460086 exweldgl@tn.gov.in
(छ)	जेडएसबी, इरोड	इरोड (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), जवान भवन, गांधीजी रोड, (मणिकम थिएटर के पास), इरोड-638001	0424-2263227 exwelerd@tn.gov.in
(ज)	जेडएसबी, कांचीपुरम	कांचीपुरम और चेंगलपट्टूर (02)	सहायक निदेशक, नंबर 2, जीएसटीरोड, जीवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तांबरम, चेन्नई 600045	044-22262023 exwelkpm@tn.gov.in
(झ)	जेडएसबी, कन्याकुमारी	कन्याकुमारी (01)	उप निदेशक, भूतपूर्व सेवा केंद्र, रेलवे फीडर रोड, कोटर, नागरकोइल 629002	04652-243515 exwelkkm@tn.gov.in

(ज)	जेडएसबी, कृष्णागिरि	कृष्णागिरि (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), पूर्व सेवा केंद्र, 433, बैंगलोर रोड, कृष्णागिरि-635001	04343-236134 exwelkgi@tn.gov.in
(ट)	जेडएसबी, मदुरै	मदुरै (01)	उप निदेशक, भूतपूर्व सेवा केंद्र, मदुरै जंक्शन के पास, रेलवे कॉलोनी, मदुरै-625016	0452-2308216 exwelmdu@tn.gov.in
(ठ)	जेडएसबी, नमक्कल	नमक्कल (01)	कल्याण आयोजक एवं सहायक निदेशक (एफएसी), आरडीओ कार्यालय परिसर, मोहनूर रोड, नमक्कल-637001	04286-233079 exwelnmk@tn.gov.in
(ड)	जेडएसबी, नागपट्टिनम	नागपट्टिनम और मयिलाडुथुरल (02)	सहायक निदेशक (एफएसी), भूतल, कलेक्ट्रेट परिसर, नागपट्टिनम-611002	04365-299765 exwelngp@tn.gov.in
(ढ)	जेडएसबी, पुदुकोट्टई	पुदुकोट्टई (01)	सहायक निदेशक, पूर्व सेवा केंद्र, कल्याणरामपुरम, 1स्ट्रीट, थिरुकोकण्णम पीओ, पुदुकोट्टई- 622002	04322-236593 exwelpdk@tn.gov.in
(ण)	जेडएसबी, रामनाथपुरम	रामनाथपुरम (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), भूतपूर्व सेवा केंद्र, मास्टरप्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट, रामनाथपुरम 623503	04567-230045 exwelrmd@tn.gov.in
(त)	जेडएसबी, सेलम	सेलम (01)	सहायक निदेशक, कमरा संख्या 307, तृतीय तल, कलेक्ट्रेट परिसर, सेलम 636001	0427-2902903 exwelslm@tn.gov.in
(थ)	जेडएसबी, शिवगंगा	शिवगंगई (01)	सहायक निदेशक (प्रभारी), भूतपूर्व सेवा केंद्र, मारुथुपांडियार नगर, शिवगंगा-630562	04575-240483 exwelsvg@tn.gov.in
(द)	जेडएसबी, तंजावुर	तंजावुर (01)	सहायक निदेशक, जवान भवन, मुथुकुमारा मूपनार रोड, हेड पीओ के सामने, तंजावुर 613001	04362-230104 exweltnj@tn.gov.in
(ध)	जेडएसबी, नीलगिरी	नीलगिरी (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), पूर्व सेवा केंद्र, गुड्स शेड रोड, उधममंडलम, नीलगिरी 643006	0423-2444078 exwelnlgi@tn.gov.in
(न)	जेडएसबी, थेनी	तब में (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), कक्ष संख्या 1 और 2, भूतल, नया कार्यालय भवन, मास्टर प्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट, थेनी - 625531	04546-252185 exwelthn@tn.gov.in
(प)	जेडएसबी, थूथुकुडी	Thoothukudi (01)	सहायक निदेशक, पूर्व सेवा केंद्र, तुविपुरम, 9वीं स्ट्रीट, थूथुकुडी 628003	0461-2902025 exweltut@tn.gov.in

(फ)	जेडएसबी, तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली, करूर, (02)	उप निदेशक (प्रभारी), भूतपूर्व सेवा केंद्र, 19-ए, वार्नर्स रोड, छावनी, तिरुचिरापल्ली-620001	0431-2960579 exweltry@tn.gov.in
(ब)	जेडएसबी, तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली & तेनकासी (02)	सहायक निदेशक (प्रभारी), भूतपूर्व सेवा केंद्र, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002	0462-2901440 exweltnv@tn.gov.in
(भ)	जेडएसबी, तिरुवरूर	तिरुवरूर (01)	सहायक निदेशक (प्रभारी), कमरा नं. 19-21, भूतल, कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एनेक्सी, तिरुवरूर-610004	04366-290080 exweltvr@tn.gov.in
(म)	जेडएसबी, तिरुप्पुर	तिरुप्पुर (01)	सहायक निदेशक (एफएसी), कक्ष संख्या 523, पांचवीं मंजिल, मास्टर प्लान कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट, तिरुप्पुर-641604	0421-2971127 exweltup@tn.gov.in
(य)	जेडएसबी, तिरुवल्लूर	तिरुवल्लूर (01)	सहायक निदेशक, आरडीओ कार्यालय परिसर, भूतल, जेएन रोड, (प्रधान डाकघर के सामने) तिरुवल्लूर -602001	044-29595311 exweltnr@tn.gov.in
(र)	जेडएसबी, तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई (01)	सहायक निदेशक, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट परिसर, वैगिक्कल, तिरुवन्नामलाई 606604	04175-233047 exweltnm@tn.gov.in
(ल)	जेडएसबी, वेल्लोर	वेल्लोर, रानीपेट और तिरुपत्तूर (03)	उप निदेशक, भूतपूर्व सेवा केंद्र, प्रथम तल, भरथियार सलाई, फोर्ट रिंग रोड, वेल्लोर 632001	0416-2977432 exwelvel@tn.gov.in
(व)	जेडएसबी, विल्लुपुरम	विल्लुपुरम और कल्लाकुरिची (02)	सहायक निदेशक, संख्या 18/13, चेयरमैन चिदंबरम स्ट्रीट, पश्चिम षण्मुघपुरम कॉलोनी, विल्लुपुरम- 605602	04146-220524 exwelvpm@tn.gov.in
(श)	जेडएसबी, विरुधुनगर	विरुधुनगर (01)	सहायक निदेशक एफएसी), 63/7, सरकाराई कुलम स्ट्रीट, नगर पालिका सलाई, श्रीविल्लिपुथुर-626125	04563-296382 exwelvnr@tn.gov.in

तेलंगाना**परिचय**

1. तेलंगाना राज्य में कुल 37,066 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
तेलंगाना	कर्नल पी. रमेश कुमार (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण, सैनिक आरामघर परिसर, द्वितीय तल, सूर्यनगर कॉलोनी सोमाजीगुडा, हैदराबाद -500 082	040-23423211 040-23423288 मोबाइल: 7893550033 directorrsb-ts@nic.in
वेबसाइट:	(क) sainik.telangana.gov.in (ख) telanganasainik.nic.in	

राज्य स्तरीय लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवी सी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	2.25 करोड़	1.25 करोड़	75 लाख	2.25 करोड़	1.25 करोड़	75 लाख	25 लाख
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एनएम /वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	20 लाख	5 लाख	30 लाख (जी)	25 लाख (जी)	1,15,400	57,300	23,250
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
तेलंगाना	NoK को अनुग्रह राशि	5 लाख	
	विकलांग सैनिक	3/2/1 लाख	विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	6,000/- प्रति माह	राज्य बजट
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	1 लाख रुपये प्रति वर्ष	राज्य बजट
(ग)	विकलांग ईएसएम	15,000 रुपये प्रति माह	राज्य AFFDFund
(घ)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान (100% विकलांग)	(15 वर्ष से कम) रु.6,000/-प्रतिमाह (15 वर्ष से अधिक) रु.9,000/- प्रतिमाह	राज्य AFFDFund
(ङ)	पुत्री विवाह अनुदान	रु.50,000/-	राज्य एएफएफडी फंड
(च)	अंतिम संस्कार अनुदान (जेसीओ और उससे नीचे)	रु.20,000/- ईएसएम रु.10,000/- (पत्नी और 2 आश्रित बच्चे)	राज्य एएफएफडी फंड
(छ)	सेवारत सैनिक की मृत्यु (शारीरिक क्षति)	अविवाहित सैनिक के माता-पिता को 3 लाख रुपये विवाहित सैनिकों के माता-पिता को 2.5 लाख रुपये विवाहित सैनिक की पत्नी को 3 लाख रुपये	राज्य एएफएफडी फंड
(ज)	पूर्व सैनिकों की मृत्यु	पत्नी और दो आश्रित बच्चों को 3 लाख रुपये पत्नी और एक आश्रित बच्चे को 2 लाख रुपये	राज्य एएफएफडी फंड
(झ)	गरीबी अनुदान	रु.3,900/- प्रति माह	राज्य एएफएफडी फंड
(ञ)	अनाथ अनुदान	रु. 5,000/- प्रति माह	राज्य एएफएफडी फंड

(ट)	शिक्षा अनुदान	डिप्लोमा, आईटीआई सहित डिग्री तक 10,000 रुपये। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू के लिए 25,000 रुपये। पीएचडी के लिए 30,000 रुपये।	राज्य एएफएफडी फंड
(ठ)	डिग्री प्रथम वर्ष के दौरान कंप्यूटर अनुदान	40,000/- रुपये	राज्य एएफएफडी फंड
(ड)	छात्रावास शुल्क	रु.20,000/-	राज्य एएफएफडी फंड
(ढ)	राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूर्व-मुख्यमंत्री और बच्चों को नकद प्रोत्साहन	1 लाख रुपये : सोना 75,000 रुपये/ चांदी 50,000 रुपये/ कांस्य	राज्य एएफएफडी फंड
(ण)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास	25,000/- रुपये या लागत का 85% जो भी कम हो	-
(त)	प्रवेश परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चे	रु. 5,000/-	-
(थ)	गैर-पेंशनभोगियों की वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए तदर्थ अनुदान	10,000/- रुपये	-
(द)	स्पोर्ट सहायता	200/- रुपये	-
(ध)	सूचीबद्ध अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के लिए ईसीएचएस से अवैतनिक राशि की प्रतिपूर्ति	2 लाख रुपये तक	-

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	संपत्ति कर के भुगतान से छूट	ईएसएम/सेवारत कार्मिक या उसकी पत्नी के नाम पर किसी एक मकान के लिए संपत्ति कर में छूट, चाहे आश्रित परिवार द्वारा अधिगृहित मंजिलों की संख्या कितनी भी हो।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	युद्ध में शहीद/विकलांग हुए सैनिक की पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/अविवाहित भाई/अविवाहित बहन के लिए अनुकंपा नियुक्ति।
(ग)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को 300 वर्ग गज का प्लॉट।	
(घ)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र	आरक्षित सीटों की संख्या/ %
	(i)	एमबीबीएस और बीडीएस 1%
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज 2%
	(iii)	कृषि महाविद्यालय 2%
	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज 2%
	(v)	एलएलबी 2%

(vi)	एम.एससी., एम.ए., एम.कॉम., एम.एड. एमईएमटी	30 सीटों के ब्लॉक में 1 सीट
(vii)	एम बीए, एमसीए	2%
(viii)	बी एड	3%
(ix)	नर्सिंग प्रशिक्षण	1%
(x)	कोई अन्य पाठ्यक्रम	
	(कक) स्वच्छता निरीक्षक	2%
	(कख) बी. लिब एससी	3%
	(कग) बी. फिजी एड/ एमपी एड/ यूजी डीपी एड	3%
	(कघ) आहार (टीटीसी)	2%
(xi)	BAMS, BHMS, BNYS, BUMS आदि	1%
(xii)	PHARM-D (डॉक्टर ऑफ फार्मेसी)	2%
(xiii)	एमटेक/एम फार्मा/वास्तुकला और योजना पाठ्यक्रम	2%
(xiv)	एमपी होमवर्क कोर्स	2%
(xv)	फार्मेसी	2%
(xvi)	(एमपीसी स्ट्रीम) (बीपीसी स्ट्रीम)	1%
(ड)	नौकरियों में आरक्षण	2% समूह 'III' और 'IV' पदों में ईएसएम के लिए।
(च)	घर का स्थान	ऑप विजय के अलावा अन्य युद्ध में शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/आश्रितों तथा युद्ध में विकलांग हुए पूर्व सैनिकों को 300 वर्ग गज का आवास स्थल आवंटित किया जाएगा।
(छ)	वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क	राज्य के बाहर खरीदे गए और तेलंगाना राज्य में बसने के समय राज्य में लाए गए वाहनों के संबंध में पुनः पंजीकरण शुल्क में छूट।
(ज)	पावला वड्डी	5,00,000/- तक के ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध सक्षम (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		आधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(ए)	सैनिक आरामघर परिसर, रत्नदीप सुपर मार्केट और यामाहा शो रूम के बीच की लेन, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-82	एसी-07 कमरा	गैर-एसी - 04कमरे		09133300238 040-23423211 040-23403288 directorrsb- ts@nic.in sfundrsbts@nic.in
(बी)	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान संख्या 6-2-424, भूतल सुभाष नगर, निज़ामाबाद-503002	-	02		08462-238509(ओ) 09133300240(एम) zswonzb-ts@nic.in

(सी)	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन बंडामीडिपल्ली महबूबनगर- 509 001	-	02	08542-223468(ओ) 09908056298 zswombnr-ts@nic.in
(डी)	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, नलगोंडा- 508001	-	02	08682-224820(ओ) 09133355861(एम) zswonlg-ts@nic.in
(ई)	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, द्वारकानगर खम्मम-507002	-	02	08742-234888 (ओ) 09133355071 (एम) zswokmm-ts@nic.in

7. **जिला सैनिक बोर्ड** तेलंगाना राज्य में 10 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 33 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पदनाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, आदिलाबाद	आदिलाबाद, कुमारंभीम, मनचेरियाल और निर्मल (04)	क्षेत्रीय सैनिक कल्याण अधिकारी (आरएसडब्ल्यूओ), क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, एलआईसी कार्यालय के पास, पुलिस मुख्यालय के सामने, आदिलाबाद 504001	08732-227063 मोबाइल: 9490112212 zswoadb-ts@nic.in
(ख)	जेडएसबी, हैदराबाद	हैदराबाद (01)	आरएसडब्ल्यूओ (एफएसी), कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक आरामघर कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082	040-23423213 मोबाइल: 9440039383 zswohyd-ts@nic.in
(ग)	जेडएसबी, करीमनगर	करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगित्याल और राजन्ना (सिरिसिला) (04)	आरएसडब्ल्यूओ, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, राजस्व क्लब के सामने, करीमनगर 505001	0878-2240622 मोबाइल: 9133355851 zswokrnrt-ts@nic.in
(घ)	जेडएसबी, खम्मम	खम्मम, भंडाराद्री और कोठागुडेम (02)	आरएसडब्ल्यूओ, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, नए नगर निगम कार्यालय के निकट, किड्स स्कूल के पीछे, द्वारकानगर, खम्मम- 507 002	08742-234888 9133355071 zswokmm-ts@nic.in

(ड)	जेडएसबी, महबूबनगर	महबूबनगर, जोगुलाम्बा, नागाकुर्नूल, नारायणपेट और वानापर्थी (05)	आरएसडब्ल्यूओ, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, बंडामीडिपल्ली, महबूबनगर- 509 001	08542-223468 9908056298 zswombnr-ts@nic.in
(च)	ZSB, मेडक - संगारेड्डी	संगारेड्डी, मेडक और सिद्दीपेट (03)	आरएसडब्ल्यूओ, क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, एकीकृत कलेक्ट्रेट परिसर, द्वितीय तल, उत्तर पश्चिम ब्लॉक, संगारेड्डी 502001	08455-276734 9948327999 zswomdk-ts@nic.in
(छ)	जेडएसबी, नलगोंडा	नलगोंडा, सूर्यपेट और यादाद्री (03)	आरएसडब्ल्यूओ, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नंबर:6-4-165 (नया), सामने। नागार्जुन डिग्री कॉलेज, रामगिरि 'एक्स' रोड, नलगोंडा- 508 001	08682-224820 9966985923 zswonlg-ts@nic.in
(ज)	जेडएसबी, निजामाबाद	निजामाबाद &कामारेड्डी (02)	आरएसडब्ल्यूओ, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, मकान नंबर 6-2-424, ग्राउंड फ्लोर, सुभाष नगर, निजामाबाद 503002	08462-238509 9133300240 zswonzb-ts@nic.in
(झ)	जेडएसबी, रंगारेड्डी	रंगारेड्डी, मेडचल (मलकजगिरी) और विकाराबाद (03)	आरएसडब्ल्यूओ, ओ/ओ क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक आरामघर कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082	040-23392232 9440039383 zsworr-ts@nic.in
(ञ)	जेडएसबी, वारंगल	हनुमाकोंडा वारंगल (ग्रामीण), महबुबाबाद, जयशंकर (भूपालपल्ली), जनगांव और मुलुगु (06)	आरएसडब्ल्यूओ, कार्यालय क्षेत्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक भवन, कनक दुर्गा कॉलोनी, वाडेपल्ली, वारंगल 506370	0870-2456018 9133355848 zswowgl-ts@nic.in

त्रिपुरापरिचय

1. त्रिपुरा राज्य में कुल 3,414 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

डीएसडब्ल्यू : त्रिपुरा		
कार्यालय/जिला	नाम, पदनाम और पता	टेलीफ़ोन नंबर।
सैनिक कल्याण निदेशालय, त्रिपुरा	कैप्टन (IN) प्रमजीत सिंह (सेवानिवृत्त) निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय नेहरू कार्यालय परिसर गोरखाबस्ती, डाकघर कुंजाबन अगरतला - 799006 पश्चिम त्रिपुरा	0381-2326507 (ओ) 09402140066 rsb.tripura@gmail.com

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	24,700	16,500	7,700	22,000	13,200	5,500	18,700
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1,50,000	1,00,000	50,000	1,25,000	75,00	40,000	1,25,000
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	सेना/नाओ सेना/वायु सेना पदक	मैसन- ईन- डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	11,000	4,400	3,300	2,200	16,500	7,700	3,300
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	85,000	70,000	25,000	-	1,25,000	80,000	50,000
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान**

क्र. सं.	अनुग्रह राशि	राशि (रु. में)
(क)	त्रिपुरा राज्य के रक्षा बल कार्मिकों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान	हत्या - 5 लाख रुपये 50% से अधिक विकलांग - 3 लाख रुपये 50% से कम विकलांगता - 2 लाख रुपये

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	रु. 12,000/-	एमएमए
(ख)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान (100% विकलांग)	रु.60,000/-	5,000 पीएम
(ग)	पुत्री विवाह अनुदान	रु. 50,000/-	दो बेटियाँ
(घ)	अंतिम संस्कार अनुदान (जेसीओ और उससे नीचे)	रु. 12,000/-	
(ङ)	डिग्री कोर्स / व्यावसायिक / तकनीकी के लिए कक्षा- छात्रवृत्ति	रु. 3,000/- से 6,000/-	देहात
(च)	सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) साक्षात्कार की तैयारी के लिए ईएसएम के बच्चों को एकमुश्त अनुदान।	रु. 10,000/-	-
(छ)	मृत्यु राहत अनुदान	रु.12,000/-	वन टाइम
(ज)	पूर्व सैनिक विधवाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराना	मोटर चालित	वन टाइम
(झ)	मेधावी छात्रवृत्ति	रु.9,000/-	देहात
(ञ)	12वीं की अंतिम परीक्षा में 80% अंक लाने वाली पूर्व सैनिकों की विधवा की एक लड़की को लैपटॉप	लैपटॉप	वन टाइम

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

क्र.सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	भुगतान से छूट गृह कर	त्रिपुरा राज्य में कोई छूट नहीं
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-

(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा		
	क्र.सं.	विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम	पाठ्यक्रम
	(i)	त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान	डिग्री
	(ii)	त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान	डिप्लोमा
	(iii)	महिला पॉलिटेक्निक	डिप्लोमा
	(iv)	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, अगरतला	डिग्री
	(v)	सरकारी संगीत महाविद्यालय अगरतला	डिग्री
	(vi)	सरकारी लॉ कॉलेज	डिग्री
	(vii)	शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (IASE)	बिस्तर और चिकित्सा
	(viii)	अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज	डिग्री
	(ix)	त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज (टीएमसी)	डिग्री
	(x)	शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज अगरतला, त्रिपुरा	डिग्री
	(xi)	अगरतला सरकारी बीडीएस कॉलेज	डिग्री
	(xii)	राजकीय पशुपालन महाविद्यालय	डिग्री
	(xiii)	सरकारी कृषि महाविद्यालय	डिग्री
	(xiv)	पैरामेडिकल विज्ञान	डिग्री
	(xv)	पैरामेडिकल विज्ञान	डिप्लोमा
	(xvi)	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज	डिप्लोमा
	(xvii)	आईटीआई कॉलेज, त्रिपुरा सरकार	डिप्लोमा
(घ)	राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण		
	2% केवल ईएसएम के लिए		

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

स्थान का पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
	आधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
सैनिक विश्राम गृह श्यामली बाजार, POKunjaban अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा- 799006	01 (एक)	02 (दो)	04 (चार)	0381- 2356032 0381- 2326507

7 **जिला सैनिक बोर्ड** राज्य में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। त्रिपुरा के सभी 08 जिले राज्य सैनिक बोर्ड में शामिल हैं।

आरएसबी का नाम	का नाम जिलों ढका हुआ	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण निदेशालय त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा उत्तरी त्रिपुरा दक्षिण त्रिपुरा धलाई, उनाकोटी खोवाई सिपाहीजाला गोमती (08)	निदेशक सैनिक कल्याण निदेशालय, त्रिपुरा पीएन कॉम्प्लेक्स, गोरखाबस्ती पी.ओ.- कुंजाबन, अगरतला - 799006	0381-2326507 मोबाइल:9878122455 rsb.tripura@gmail.com

उत्तराखंडपरिचय

1. उत्तराखंड राज्य में कुल 1,91,866 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

<u>आरएसबी उत्तराखंड</u>		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास उत्तराखंड	ब्रिगेडियर अमृत लाल (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास उत्तराखंड, 15सी, कालिदास मार्ग, पी.ओ.- हाथीबड़कला- 248 001	0135-2744208 0135-2741481 dir-soldierwel-uk@nic.in
वेबसाइट-www.sainikkalyan.org		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार

क्र.सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	3 लाख	2.25 लाख	1.5 लाख	2.5 लाख	2 लाख	1 लाख	60,000
(ङ)	50 लाख	35 लाख	25 लाख	50 लाख	35 लाख	25 लाख	7 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एनएम/ वीएम	डिस्पैच में उल्लेख	पीवीएस एम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	50,000	40,000	50,000 (जी)	25,000	-	-	-
(ङ)	5 लाख	4 लाख	15 लाख (जी) 1 लाख (डी)	10 लाख	2 लाख	1.5 लाख	75,000

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NoK	अनुदान की दर	
उत्तराखंड	अनुग्रह राशि (कारगिल शहीद का NoK)	10 लाख	
		पेंशन	7,500/- प्रति माह विधवा
			5,000/- प्रति माह माता-पिता
	विकलांग सैनिक (कारगिल युद्ध)	50% से अधिक विकलांगता	2 लाख
		50% से कम विकलांगता	1 लाख
	से अनुग्रह राशि उत्तराखंड शहीद कोष अनुदान	50 लाख (ओटीजी)	शहीदों के नं.
	उत्तराखंड सैनिक पुर्नवास संस्था से अनुग्रह राशि (जेसीओ रैंक तक)	10 लाख(ओटीजी)	शहीदों के नं.
	शारीरिक दुर्घटना (घातक) उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था	01 लाख (ओटीजी)	NoK तक

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशि	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया	10,000/- प्रति माह	गैर-पेंशनभोगी ईएसएम और विधवाएँ।
उत्तराखंड सैनिक पुर्नवास संस्था द्वारा प्रदान किया गया			
(ख)	पीआरसी, किरकी और मोहाली को संस्थागत अनुदान	प्रति कैदी 2 लाख रुपये प्रति वर्ष	-
(ग)	दृष्टिबाधित पूर्व-सैनिकों को वित्तीय सहायता	2 लाख पा	-
(घ)	युद्ध विकलांग ईएसएम (जेसीओ रैंक तक)	20,000/- (ओटीजी)	पुनर्वास प्रशिक्षण के लिए
(ङ)	पुत्री विवाह अनुदान (जेसीओ रैंक तक)	1 लाख(ओटीजी)	शहीदों/विधवाओं/अनाथों की अधिकतम 02 पुत्रियां, जेसीओ के पद तक।
(च)	अंत्येष्टि अनुदान (जेसीओ एवं नीचे) उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था	10,000/- (ओटीजी)	विधवाओं और आश्रितों को।

(छ)	शिक्षा अनुदान (जेसीओ रैंक तक)	6,000/- लड़के 8,000/- लड़कियों के लिए	कक्षा 10वीं से 12वीं
		8,000/- लड़के 10,000/- लड़कियां देहात	स्नातक
		10,000/- लड़के 12,000/- लड़कियां देहात	पोस्ट ग्रेजुएशन
		25,000/- लड़के 30,000/- लड़कियां देहात	पीएचडी, एम.फिल 60% अंक अनिवार्य)
		8,000/- लड़के 10,000/- लड़कियां देहात	आईटीआई/व्यावसायिक शिक्षा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (60% अंक अनिवार्य)
		10,000/- लड़के 12,000/- लड़कियां देहात	डिप्लोमा पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक (65% अंक अनिवार्य)
		30,000/- प्रति वर्ष	डिग्री पाठ्यक्रम (70% अंक अनिवार्य)
		30,000/- प्रति वर्ष	एलएलबी और एलएलएम के लिए (70% अंक अनिवार्य)
		50,000/- देहात	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए (70% अंक अनिवार्य)
		50,000/- देहात	मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए (70% अंक अनिवार्य)।
		12,000/- लड़के 15,000/- लड़कियां देहात	अनाथ (33% अंक) और विधवाओं के बच्चों (50% अंक) के लिए कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति
		20,000/- लड़के 25,000/- लड़कियां देहात	अनाथ (33% अंक) और विधवाओं के बच्चों (50% अंक) के लिए कक्षा 9वीं से पीजी तक छात्रवृत्ति
(ज)	एनडीए / आईएमए / ओटीए / नौसेना अकादमी / वायु सेना अकादमी और सिविल सेवाओं में शामिल होने पर प्रोत्साहन	50,000/- (ओटीजी)	(जेसीओ रैंक तक)
(झ)	ईएसएम के बच्चों के लिए खेल उत्कृष्टता अनुदान (जेसीओ रैंक तक)	1 लाख (ओटीजी)	राज्य स्तरीय खेल टीम में चयन।
		2 लाख (ओटीजी)	राष्ट्रीय स्तर की खेल टीम में चयन।
		4 लाख (ओटीजी)	अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल टीम में चयन।

(च)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास (जेसीओ रैंक तक)	500/- प्रति माह	प्री कम पोस्ट रिलीज प्रशिक्षण के लिए।
(ट)	प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष शिक्षा अनुदान (जेसीओ रैंक तक के बच्चे)	30,000/- लड़के 50,000/- लड़कियां देहात	इंटरमीडिएट (कक्षा 10 में 80% अंक)।
		40,000/- लड़के 60,000/- लड़कियां देहात	स्नातक (12वीं में 80% अंक)।
		50,000/- लड़के 70,000/- लड़कियां देहात	स्नातकोत्तर (स्नातक में 70% अंक)
(ठ)	छात्रवृत्ति	15,000/-	चिकित्सा शिक्षा के लिए (यूके सीएम कारगिल शहीद कोष अनुदान से)।
		12,000/-	इंजीनियरिंग के लिए (यूके सीएम कारगिल शहीद कोष अनुदान से)।
		10,000/-	पीएचडी के लिए (यूके सीएम कारगिल शहीद कोष अनुदान से)
		100/- प्रति माह	शहीदों के आश्रितों को कक्षा 8 तक (कारगिल शहीदों/युद्ध विकलांग सैनिकों के आश्रित)
		200/- प्रति माह	शहीदों के आश्रितों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा। (कारगिल शहीदों/युद्ध में विकलांग सैनिकों के आश्रित)
		300/- प्रति माह	शहीदों के आश्रितों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा। (कारगिल शहीदों/युद्ध विकलांग सैनिकों के आश्रित)
(ड)	गैर-पेंशनभोगियों की वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए तदर्थ अनुदान (जेसीओ रैंक तक)	25,000/- प्रति वर्ष	गैर पेंशनभोगी ईएसएम / विधवाएं (65 वर्ष से कम)। उत्तराखंड सैनिक पुर्नवास संस्था द्वारा प्रदान किया गया।
(ढ)	आवास अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया	2 लाख	युद्ध हताहतों की संख्या (घातक)/ विकलांग ईएसएम को बोर्ड से बाहर कर दिया गया (सशस्त्र बल)।
उत्तराखंड पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान द्वारा प्रदान किया गया			
(ण)	उत्तरजीविता अनुदान	11,000/- (ओटीजी)	उत्तराखंड पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान द्वारा हवलदार रैंक तक के जरूरतमंद ईएसएम को

(त)	उत्तराखंड पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान	1.60 लाख	युद्ध हताहत अधिकारियों के आश्रित (घातक)।
		1 लाख	जेसीओ/ओआर के आश्रितों की युद्ध हताहत (घातक)।
		75,000/-	ईएसएम अधिकारी युद्ध हताहत (गैर-घातक) और मेडिकल बोर्ड आउट।
		55,000/-	ईएसएम जेसीओ/ओआरएस युद्ध हताहत (गैर-घातक) और मेडिकल बोर्ड आउट।
		30,000/-	शहीदों/युद्ध विकलांगों/विधवाओं/हवलदार रैंक तक के अनाथों की बेटियों का विवाह।
		उत्तराखंड सैनिक पुर्नवास संस्था द्वारा प्रदान किया गया	
(थ)	प्रोत्साहन	1 लाख (ओटीजी)	विधवाओं के लिए पुनर्विवाह हेतु 5 वर्षीय सावधि जमा योजना (जेसीओ रैंक तक)
		3,000/- (ओटीजी)	विधवाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए (जे.सी.ओ. रैंक तक)
		3,500/- (ओटीजी)	विधवाओं को बुनाई मशीन खरीदने के लिए (जेसीओ रैंक तक)
		30,000/- (ओटीजी)	सैनिक स्कूल/सैन्य स्कूल/आरआईएमसी में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिक सैनिकों के बच्चों के लिए (जेसीओ रैंक तक)
		50,000/- (ओटीजी)	आईआईटी, आईएमए, एनआईटी, एनडीए मेडिकल, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायु सेना और प्रतिष्ठित तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। (उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार से)
		40,000/- लड़के 50,000/- लड़कियां (ओटीजी)	सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए/ राज्य पुलिस(जेसीओ रैंक तक)
(द)	चिकित्सा सहायता (जेसीओ रैंक तक)	10,000/-	सामान्य उपचार के लिए गैर-ईसीएचएस ईएसएम सदस्यों के लिए।
		1 लाख (ओटीजी)	गैर-ईसीएचएस ईएसएम सदस्यों को विशेष उपचार हेतु (वास्तविक व्यय का 75%, जो भी कम हो) (कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के लिए)
(ध)	ब्याज सब्सिडी	5 लाख तक	स्वरोजगार के लिए लिए गए ऋण पर 10% की दर से ब्याज मिलेगा।
		5 लाख से 10 लाख	स्वरोजगार के लिए लिए गए ऋण पर 5% की दर से ब्याज मिलेगा।
(न)	घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण (जेसीओ)	50,000/-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण 50%

	तक)	(ओटीजी)	से अधिक क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए पूर्व-सैनिकों/विधवाओं को सहायता।
(प)	यूपीएससी/पीसीएस/यूकेएसएसएससी परीक्षा के लिए कोचिंग	20,000/- (ओटीजी)	ईएसएम के लिए
(फ)	विशेष बच्चों के लिए भरण-पोषण अनुदान	25,000/- (प्रति वर्ष)	ईएसएम के विकलांग बच्चे (75% से 99%)
(ब)	स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक उपकरण खरीदने हेतु विधवाओं को अनुदान	50,000/- (ओटीजी)	पूर्व-सैनिकों की विधवाओं के लिए
उत्तराखंड पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान द्वारा प्रदान किया गया			
(भ)	उत्तराखंड पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान द्वारा वार्षिक शिक्षा अनुदान (शहीदों एवं युद्ध में विकलांग सैनिकों के आश्रितों को हवलदार रैंक तक)	1,000/- से 1,800/-	कक्षा IX से PG तक के लिए।
		12,000/-	अनुसंधान के लिए.
		2,500/-	मेरिट में 02 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु कोचिंग हेतु।
		1,800/-	आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए.
		2,200/-	सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए।
		3,200/-	यूजी पाठ्यक्रमों के लिए.
		5,200/-	पीजी पाठ्यक्रमों के लिए।
		12,000/-	केन्द्रीय सरकार एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	अपने घर के लिए सेवारत और ईएसएम के लिए। (हवलदार रैंक तक)
(ख)	युद्ध में मारे गए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	शहीद के परिवार के एक सदस्य को ग्रुप 'सी' और 'डी' में रोजगार।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबीएस
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	कृषि महाविद्यालय
	(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज
	(v)	आईटीआई
	(vi)	एलएलबी
	(vii)	एम बीए, एमसीए
	(viii)	बी एड
	(ix)	नर्सिंग प्रशिक्षण
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		5 %
		2%
		5%
		3%
		8%
		प्रवेश परीक्षा में 05 बोनस अंक
		2% प्रत्येक
		प्रवेश परीक्षा में 5% और 15 बोनस अंक (केवल ईएसएम)
		5%

	(x)	कोई अन्य पाठ्यक्रम	
		(कक) डीएलएड	5% (केवल ईएसएम)
		(कख) जीबी पंत विश्वविद्यालय में यूजी पाठ्यक्रम	5 %
(घ)	परिवहन सुविधा	मुफ्त टी० भारतीय सशस्त्र बलों के लिए राज्य परिवहन बसों में चक्र श्रृंखला (वीरता पुरस्कार विजेता)।	
(ङ)	नौकरियों में आरक्षण	ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों में ईएसएम को 5%। युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों को 2% (कारगिल शहीदों को)	
(च)	स्टाम्प शुल्क में छूट	25 लाख तक की अचल संपत्ति की खरीद पर सेवारत और ईएसएम को 25%।	
(छ)	ग्रीन कार्ड	विधवाओं और युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों के लिए। (कारगिल शहीद)	
(ज)	भर्ती पूर्व प्रशिक्षण	सेना/अर्धसैनिक बल/पुलिस बल आदि में भर्ती के लिए पूर्व सैनिक के आश्रितों को देहरादून में निःशुल्क भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।	
(झ)	ईएसएम के लिए पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण	नागरिक प्रशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एक पुनर्अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों के अधिकारी, पूर्व-सैनिकों को अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करते हैं।	
(ञ)	कंप्यूटर प्रशिक्षण	आईटीडीए द्वारा पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों को। (i) कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा (ii) व्यावसायिक लेखांकन में डिप्लोमा 01 वर्ष (iii) वेब डिजाइनिंग और विकास (iv) डिजिटल मार्केटिंग	
(ट)	विशेष चिकित्सा उपचारउत्तराखंड पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान द्वारा	सरकारी अस्पतालों/सेना अस्पताल/एसजीपीजीआई/सेना कमान अस्पतालों में (कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी) गैर ईसीएचएस सदस्यों को 75% प्रतिपूर्ति।	
(ठ)	मुफ्त शिक्षा	शहीदों के बच्चों को स्नातक स्तर तक (कारगिल शहीद)	

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान और पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, चौघानपाटा, डाकघर-अल्मोड़ा, जिला-अल्मोड़ा	02	02	छात्रावास - 04 (20 बिस्तर)	05962-232210

(ख)	सैनिक विश्राम गृह, चौखुटिया, पेट्रोल पंप के पास, महारानी होटल, डाकघर - गनाई जिला - अल्मोडा	01	01	छात्रावास - 02 (10 बिस्तर)	05962-232210
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, बागेश्वर, डाकघर- बागेश्वर, जिला- बागेश्वर	-	02	कमरा - 01 छात्रावास - (05 बिस्तर)	05963-297027 05963-220961
(घ)	सैनिक विश्राम गृह, चंपावत गौरचौर मैदान के पास, डाकघर- चंपावत, जिला - चंपावत	01	02	पारिवारिक कक्ष - 01 छात्रावास - 01 (07 बिस्तर)	9456704303 9411707764 05963-230893
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, ककराली गेट, टनकपुर, जिला - चंपावत(पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है)	02	03	फैमिली रूम- 05 डॉरमेटी - 01 (10 बेड)	7819038149
(च)	सैनिक विश्राम गृह, हलद्वानी, बद्रीपुरा स्टेडियम के पास, जिला-नैनीताल	01	कमरा 02 छात्रावा स 01(04 बिस्तर)	कमरा - 03 छात्रावास - 01 (07 बिस्तर)	05946-221614
(छ)	सैनिक विश्राम गृह, रामनगर, लखनपुर, डाकघर - रामनगर जिला - नैनीताल	01	कमरा 01 छात्रावास 01 (04 बिस्तर)	फैमिली रूम -01 डॉरमेटी - 01 (09 बिस्तर)	7579403099
(ज)	सैनिक विश्राम गृह, रुद्रपुर, आरटीओ कार्यालय के पास, जिला-यूएस नगर-263153	01	01	छात्रावास-01 (07 बिस्तर)	05944-250331
(झ)	सैनिक विश्राम गृह, खटीमा पुरानी तहसील खटीमा, जिला-यूएस नगर-262308	01	01	छात्रावास - 01 (07 बिस्तर)	05944-250331
(ञ)	सैनिक विश्राम गृह पिथौरागढ़ (विध्वंस के अधीन)	05	06	पारिवारिक कक्ष - 08 छात्रावास - 01 (12 बिस्तर)	05964-226771
(ट)	सैनिक विश्राम गृह, दीदीहाट, तहसील के पास जिला - पिथौरागढ़	01	01	छात्रावास-01 (04 बिस्तर)	05964-226771
(ठ)	सैनिक विश्राम गृह देवलथल, रामलीला मैदान के पास जिला - पिथौरागढ़	01	01	छात्रावास - 01 (04 बिस्तर)	05964-226771

(ड)	सैनिक विश्राम गृह मुनस्यारी बाला पैराडाइज होटल के पास जिला – पिथौरागढ़	01	04	छात्रावास - 01 (10 बेड)	05964-226771
(ढ)	सैनिक विश्राम गृह बेरीनाग मुख्य बाजार बेरीनाग जिला – पिथौरागढ़	01	01	छात्रावास-01 (06 बिस्तर)	05964-226771
(ण)	सैनिक विश्राम गृह उत्तरकाशी कलक्ट्रेट परिसर उत्तरकाशी	02	02	02 छात्रावास- 01	01374-222191
(त)	सैनिक विश्राम गृह गौचर जिला – चमोली	01	01	कमरा – 01 डॉर्म 01(10 बेड)	7668712995
(थ)	सैनिक विश्राम गृह चमोली बस स्टैंड के पास चमोली जिला – चमोली	01	01	कमरा – 01 डॉर्म 01(10 बेड)	9411344032
(द)	सैनिक विश्राम गृह गोपेश्वर ज़िला -चमोली (विध्वंस के अधीन)	01	01	कमरा - 01 डॉर्म 01(10 बेड)	प्रयोग योग्य नहीं
(ध)	सैनिक विश्राम गृह रुद्रप्रयाग, बेला खुराड जिला – रुद्रप्रयाग	02	02	छात्रावास-02 (12+12 बिस्तर)	8493866621
(न)	सैनिक विश्राम गृह उखीमठ जिला – रुद्रप्रयाग	01	02	छात्रावास-01 (12 बेड)	7618586934
(प)	सैनिक विश्राम गृह जखोली जिला – रुद्रप्रयाग	01	02	छात्रावास-01 (12 बेड)	9650170323
(फ)	सैनिक विश्राम गृह पौड़ी नगर पालिका के पास जिला – पौड़ी	01	02	पारिवारिक कक्ष - 01 छात्रावास - 01 (06 बिस्तर)	01368-223399 9412051191
(ब)	सैनिक विश्राम गृह श्रीनगर बद्रीनाथ मार्ग श्रीनगर जिला – पौड़ी	02	02	पारिवारिक कक्ष - 01 छात्रावास - 01 (08 बिस्तर)	9412051191 7895613423
(भ)	सैनिक विश्राम गृह थलीसैंण, जीआईसी थलीसैंण के पास जिला – पौड़ी	03	02	पारिवारिक कक्ष- 01 छात्रावास - 01 (08 बिस्तर)	9412051191 9557583701
(म)	सैनिक विश्राम गृह लैंसडाउन, जिला – पौड़ी	03	03	पारिवारिक कक्ष- 01 डॉर्म 01(10 बेड)	01386-262365 8938819160 9411760898
(य)	सैनिक विश्राम गृह कोटद्वार स्टेशन रोड कोटद्वार जिला – पौड़ी	02	04	पारिवारिक कक्ष- 04 छात्रावास - 02 (20 बिस्तर)	9758403648 7895767841
(र)	सैनिक विश्राम गृह धुमाकोट जिला – पौड़ी	01	01	छात्रावास -01 (06 बिस्तर)	9639385498

(ल)	सैनिक विश्राम गृह नई टिहरी, जिला - टिहरी	03	03	कमरा - 02 डॉर्म 01(10 बेड)	01376-234145
(व)	सैनिक विश्राम गृह नरेन्द्र नगर, जिला-टिहरी	01	01	कमरा - 01 छात्रावास - 01 (08 बिस्तर)	01376-234145
(श)	सैनिक विश्राम गृह जामनीखाल, जिला- टिहरी	01	01	कमरा - 01 छात्रावास - 01 (बिस्तर)	01376-234145
(ष)	सैनिक विश्राम गृह घनसाली, जिला - टिहरी	01	01	कमरा - 01 डॉर्म -01 (बिस्तर)	01376-234145
(स)	सैनिक विश्राम गृह देहरादून न्यायालय परिसर देहरादून जिला - देहरादून	02	02	कमरा - 03 छात्रावास - 01 (14 बेड)	0135-2743773
(ह)	राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, 15सी कालिदास मार्ग, जिला-देहरादून	09	10	छात्रावास - 04 (36 बिस्तर)	0135-2626091
(क्ष)	सैनिक विश्राम गृह ऋषिकेश, जिला - देहरादून	01	02	छात्रावास - 01 (16 बेड)	0135-2626091
(त्र)	सैनिक विश्राम गृह हरिद्वार, तहसील परिसर ज्वालापुर, जिला हरिद्वार	05	06	छात्रावास - 02 (09+08=17 बिस्तर)	01334-250916
(ज्ञ)	सैनिक विश्राम गृह रुड़की, जिला - हरिद्वार	02	05	छात्रावास - 02 (08+07=15 बिस्तर)	01334-250916 01334-250082

7. **जिला सैनिक बोर्ड** उत्तराखंड राज्य में **16** जिला सैनिक बोर्ड हैं, जो 13 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफ़ोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय अल्मोड़ा	अल्मोड़ा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी अल्मोड़ा, चौघानपाटा, जिला-अल्मोड़ा- 263 601	05962-230246 (ओ) 05962-232210 (एफ) Zsk_____almora-uk@gov.in
(ख)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय बागेश्वर	बागेश्वर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी बागेश्वर, कांडा रोड, जिला - बागेश्वर - 263 642	05963-220961 (ओ) 05963-221751 (एफ) zskbageshwar-uk@gov.in
(ग)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय, चमोली	चमोली (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी चमोली, गोपेश्वर, जिला-चमोली- 246 401	01372-252195 (ओ) 01372-251481 (एफ) Zskchamoli-uk@gov.in

(घ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय चम्पावत	चम्पावत (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी चम्पावत, जिला मुख्यालय चंपावत- 262 523	05965-297680 (ओ) 05965-230893 (एफ) zskchampawat-uk@gov.in
(ङ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय देहरादून	देहरादून (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी देहरादून, कोर्ट परिसर, जिला- देहरादून- 248 001	0135-2626091 (ओ) 0135-2720179 (एफ) zskdehradun-uk@gov.in
(च)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय हरबर्टपुर (देहरादून)		जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी हरबर्टपुर, एनफील्ड टी स्टेट, हनुमंत धाम रोड हरबर्टपुर विकासनगर जिला – देहरादून – 248 142	0136-0297510 Zskharbatpur-uk@uk.gov.in
(छ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय हलद्वानी, नैनीताल	नैनीताल (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी हलद्वानी, जिला- नैनीताल- 263 139	05946-297345(ओ) 05946-221614 (एफ) zsknaital-uk@gov.in
(ज)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय हरिद्वार	हरिद्वार (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी हरिद्वार, रोशनाबाद, जिला- हरिद्वार- 249407	01334-250916 (ओ) 01334-250082 (एफ) zskharidwar-uk@gov.in
(झ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय लैंसडाउन (पौड़ी गढ़वाल)	पौड़ी गढ़वाल (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी लैंसडाउन, डाकघर- लैंसडाउन, जिला-पौड़ी गढ़वाल - 246 155	01386-262365 (ओ) 01386-263149 (एफ) zsklansdowne-uk@gov.in
(ञ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय पौड़ी (पौड़ी गढ़वाल)		जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी पौड़ी, जिला मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल-246001	01368-222335 (ओ) 01368-223399 (एफ) zskpauri-uk@gov.in
(ट)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी पिथौरागढ़, जिला मुख्यालय, पिथौरागढ़ - 262501	05964-230893(o) 226771 (एफ) zskpithoragarh-uk@gov.in
(ठ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय डीडीहाट (पिथौरागढ़)		जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी डीडीहाट, जिला, पिथौरागढ़ – 262551	05964-297870 Zskdidihat-uk@uk.gov.in
(ड)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी रुद्रप्रयाग, सच्चिदानंद नगर, बद्रीनाथ मार्ग, रुद्रप्रयाग - 246 171	01364-233584 (ओ) 01364-233931 (एफ) zskrudraprayag-uk@gov.in

(ढ)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय टेहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी टेहरी, नई टिहरी, जिला- टिहरी गढ़वाल- 249 001	01376-234145 (ओ) 01376-232320 (एफ) zsktehri-uk@gov.in
(ण)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)	उधम सिंह नगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी उधम सिंह नगर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रुद्रपुर, जिला- उधमसिंह नगर-263153	05944-250375 (ओ) 05944-250331 (एफ) zskusnagar-uk@gov.in
(त)	सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय उत्तरकाशी	उत्तरकाशी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी उत्तरकाशी, जिला मुख्यालय उत्तरकाशी- 249193	01374-222191 (ओ+एफ) zskuttarkashi-uk@gov.in



उत्तर प्रदेशपरिचय

1. उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 5,09,459 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

<u>आरएसबी उत्तर प्रदेश</u>		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफ़ोननहीं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
उत्तर प्रदेश	ब्रिगेडियर अतुल कुमार, एसएम (सेवानिवृत्त), निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उग्र, करियप्पा भवन, कैसरबाग, लखनऊ- 226 001	0522-2623909 मोबाइल: 7839553200 dirskpnlu-up@nic.in
वेबसाइट: http://skpn.up.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	52 लाख	31 लाख	20.8 लाख	32.5 लाख	19.50 लाख	13 लाख	3.12 लाख
(घ)	3.12 लाख	2.37 लाख	1.37 लाख	1.56 लाख	1.30 लाख	65,000	12,000

क्र. सं.	यूवाईएसएम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	2.60 लाख	83,200	1 लाख (जी) 90,000 (डी)	52,000 32,500	2.39 लाख	1.18 लाख	47,000
(घ)	11,000	10,000	15,000 (जी) 9,000 (डी)	13,000 3,900	11,000	10,000	9,000

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
उत्तर प्रदेश।	NoK को अनुग्रह राशि	50 लाख (पत्नी- 35 लाख, माता-पिता- 15 लाख)
	उत्तर प्रदेश पुलिस सशस्त्र बल सहायता संस्थान (UPPAFSS) की ओर से अनुग्रह राशि 04.10.18 से 05.02.23	₹10.00 लाख - ₹4 लाख से आश्रित (पत्नी) - ₹3 लाख की कटौती एनटीएस - आश्रित पत्नी के नाम पर सावधि जमा के रूप में ₹3 लाख तीन वर्ष की अवधि के लिए।
	UPPAFSS से अनुग्रह राशि 06.02.23 से प्रभावी	₹11.00 लाख - ₹4.5 लाख से आश्रित (पत्नी) - ₹3.5 लाख की कटौती एनटीएस - आश्रित पत्नी के नाम पर सावधि जमा के रूप में ₹3 लाख तीन वर्ष की अवधि के लिए।
	बेटी की शादी के लिए	2.5 लाख
	विकलांग सैनिक	7 लाख

4. राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार		राशि	टिप्पणी
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का बजट				
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ		6000/- प्रति माह	-
(ख)	पीआरसी, किरकी और मोहाली को संस्थागत अनुदान		प्रति आवासीय 1.5 लाख	-
(ग)	युद्ध विधवाएँ		50,000/- ओटीजी	1962, 1965 और 1971 के युद्ध विधवाओं के लिए।
यूपी सैनिक पुर्नवास निधि (यूपीएसपीएन)				
(घ)	विकलांग बच्चों के लिए अनुदान	50% तक विकलांगता	20,000/-	हवलदार रैंक तक (मृत्यु की स्थिति में जेसीओ)/ पूर्व सैनिक की विधवाएं और विकलांग पत्नी (प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाभार्थी)।
		> 50% विकलांगता	25,000/-	
(ङ)	पुत्री विवाह अनुदान		1 लाख ओटीजी	ईएसएम की विधवाओं की दो पुत्रियाँ तक (जेसीओ रैंक तक)
(च)	अनाथ अनुदान		25,000/- ओटीजी	जेसीओ रैंक तक के ईएसएम के अनाथ बच्चे को पेंशन तक।
(छ)	शिक्षा अनुदान		9,000/- से 40,000/- प्रति वर्ष	कक्षा 9 से पीजी स्तर तक के तकनीकी पाठ्यक्रम।
(ज)	एनडीए/आईएमए/ओटीए/एएफ अकादमी/नौसेना अकादमी/महिला प्रवेश में शामिल होने पर		25,000/- ओटीजी	जेसीओ रैंक तक के दो पुत्रों तक।
			75,000/- ओटीजी	अधिकतम दो बेटियाँ।
उत्तर प्रदेश सरकार जिला कल्याण निधि				

(झ)	गैर-पेंशनभोगियों की वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए तदर्थ अनुदान	2000/- प्रति वर्ष	जेडएसडब्ल्यूओ.
		3500/- प्रति वर्ष	जिला अधिकारी।
		4000/- प्रति वर्ष	निदेशक, सैनिक कल्याण।
		6000/- प्रति वर्ष	प्रधान सचिव, सैनिक कल्याण विभाग
		8500/- प्रति वर्ष	समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार।
		11,000/- प्रति वर्ष	माननीय मंत्री, सामाजिक एवं सैनिक कल्याण।
उत्तर प्रदेश सरकार विजय कोष			
(ञ)	स्पोर्ट सहायता	₹25000/-	प्राकृतिक आपदा के कारण मकान को पूर्ण क्षति पहुंचने की स्थिति में।
		₹25000/-	दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति में

5.

अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	केवल स्वयं के स्वामित्व वाले मकान में रहने वाली युद्ध विधवाओं को ही गृह कर से छूट दी गई है।
(ख)	युद्ध में मारे गए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति (युद्ध हताहत)।	ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों में।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
	(i)	एमबीबी एस/बीडीएस
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज
	(iii)	आईटीआई
	(iv)	बीटीसी
		आरक्षित सीटों की संख्या/ %
		2%
		5%
		5%
		3%

(घ)	नौकरियों में आरक्षण	समूह 'बी' में 5% आरक्षण प्रदान किया गया	जीओ संख्या 450 (2)/LXX IX-V-1-21-1-ka-12-21 दिनांक 10 मार्च 2021 देखें।
		समूह 'सी' और 'डी' में 5% आरक्षण प्रदान किया गया	वीडियो जीओ नंबर 18/1/95-ka-2/tc-1999 दिनांक 09 सितंबर 1999।
		समूह 'सी' और 'डी' में बीसी (घातक) के नो-के को नौकरी प्रदान की जा रही है (अब तक 76 नो-के को रोजगार)	GO No. 1/2018/155/48-2018-14(vividh)/2017 दिनांक 19 मार्च 2018 देखें।
(ङ)	किरायों की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता	युद्ध विधवाओं, युद्ध में विकलांग हुए कार्मिकों तथा अन्य पूर्व सैनिक कर्मियों को शहरी क्षेत्रों में आबंटन में 8% आरक्षण।	
(च)	ग्राम सभा भूमि के आवंटन में प्राथमिकता	भूमि प्रबंधन समिति द्वारा शहीद हुए सैन्य कर्मियों (प्रथम प्राथमिकता), युद्ध में विकलांग हुए (द्वितीय प्राथमिकता) तथा भूमिहीन ईएसएम (छठी प्राथमिकता) को।	
(छ)	स्टाम्प शुल्क में छूट	उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में हस्तांतरण और पट्टा दस्तावेजों पर लगाने वाले स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की है। यह छूट संपत्तियों के मूल्यांकन के पहले 20 लाख रुपये तक उपलब्ध होगी। यदि मूल्यांकन 20 लाख रुपये से अधिक है, तो स्टाम्प शुल्क पहले 20 लाख रुपये के बाद के मूल्यांकन पर देय होगा।	

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह**. विवरण नीचे संलग्न है: -

क्र. सं.	ज़िला	पता	उपलब्ध आवास (कमरे)			सम्पर्क करने का विवरण
			अफसर	जूनियर कमीशन न अफसर	अन्य	
(क)	आगरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलक्ट्रेट कोर्ट परिसर, आगरा	1	2	5 बिस्तर, शयनगृह	0562-2260549 7839553205
(ख)	अलीगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलक्ट्रेट कोर्ट परिसर, अलीगढ़	04 कमरे जिनमें फर्नीचर का अभाव है, भवन का नवीनीकरण किया गया है और भवन विभाग के स्वामित्व में है			0571-2401763 7839553206
(ग)	अमेठी	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, रामपुर कुड़वा, रायबरेली रोड, गौरीगंज, अमेठी	04 कमरे			05368-244337 8765610974

(घ)	आजमगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, रेडोपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा के सामने, आजमगढ़	1	1	1	05462-220820 7839553209
(ङ)	बहराइच	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, पुलिस स्टेशन के पास, बहराइच	1	2	1 (हॉल) में 06 बिस्तर शामिल हैं	05252-234775 7839553215
(च)	बलिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, एनसीसी चौराहा जेल रोड के पास, बलिया	1	1	हॉल एनसीसी कैटीन उद्देश्य 2001 से	05498-240202 7839553216
(छ)	बांदा *	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड के पास बांदा	बांदा कार्यालय में 02 कमरे शामिल हैं, इसके अलावा एसआरएच में सूचना निदेशक कार्यालय द्वारा 04 कमरे, 02-03 कमरे + हॉल किशोर नं. बोर्ड द्वारा अधिगृहित हैं।			05192-297500 7839553218
(ज)	बलरामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास कार्यालय, विकास भवन के पीछे, बलरामपुर।	2	2	(हॉल) 1 04 बेड	05263-235086 7839553217
(झ)	बाराबंकी	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, बस स्टैंड के पास, बाराबंकी	1	1	1	05248-222565 7839553219
(ञ)	बरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड के पास, बरेली	2	1	1	0581-3502987 7839553220
(ट)	बस्ती **	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड के पास, डीएम कार्यालय के सामने, बस्ती	5	2	2	05542-246670 7839553221
(ठ)	बिजनौर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर	1	1	2	05192-285392 7839553218
(ड)	बुलंदशहर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड के पास, बुलन्दशहर	2	1	1	05732-282562 7839553223

(ढ)	चित्रकूट	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, सोनपुर रोड। गनीवा.चित्रकूट	2	2	1 हॉल	05198-236475 7839553225
(ण)	देवरिया ###	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, एसपी कार्यालय के पास, बस स्टैंड के पास सिविल लाइन्स देवरिया	1	1	1	05568-222450 7839553226
(त)	एटा	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, समाहरणालय न्यायालय परिसर, एसएसपी कार्यालय के पास। एटा	2	2	1 हॉल	05742-297091 7839553227
(थ)	इटावा	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, रेलवे स्टेशन के पास, इटावा	2	2	1	05688-254167 7839553228
(द)	अयोध्या (फैजाबाद)	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कोर्ट कंपाउंड के पास, अयोध्या (फैजाबाद)	1	1	2	05278-222184 7839553229
(ध)	फर्रुखाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, बस स्टैंड और स्टेडियम के पास, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	1	1	1	05692-234890 7839553230
(न)	फतेहपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, एसपी कार्यालय के पास, फ़तेहपुर	1	1	1	05180-224232 7839553231
(प)	गाजियाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कंपाउंड, राज नगर, गाजियाबाद	1	1	1	0548-2822643 7839553236
(फ)	गाजीपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, प्रधान डाकघर के पास, गाज़ीपुर	0	1	1	0548-2226671 7839553236
(ब)	गोंडा	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, अम्बेडकर चौराहा, जज बंगले के सामने, गोंडा	1	0	0	05282-230038 7839553239
(भ)	हमीरपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, पुलिस कार्यालय बस स्टैंड के पास, हमीरपुर	1	0	0	05262-222319 7839553237
(म)	हरदोई	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, सिनेमा चौराहा के पास, हरदोई	3		1	05852-234733 7839553240
(स)	जालौन	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, निकट जिला परिषद जालौन	1	1	*	05162-252798 7839553242

(र)	जौनपुर ***	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड के पास, सिविल लाइन्स, जौनपुर	2	2	1 हॉल	05452-261110 7839553243
(ल)	झांसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, न्यायाधीश कॉलोनी के पास, सिविल लाइन्स, झांसी	1	1	1	0517-2980791 7839553244
(व)	कानपुर देहात	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, एसपी कार्यालय के पीछे, मुख्यालय माती, कानपुर देहात	0	3	1 हॉल	05111-270465 7839553248
(श)	कानपुर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कोर्ट कंपाउंड के पास, एसोसिएशन के पास, कानपुर नगर	1	1	3	0512-2306648 7839553247
(ष)	कासगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, समाहरणालय न्यायालय परिसर के पास, बीएसओ कार्यालय के सामने। सोरो रोड, कासगंज	1	2	1 हॉल	05744-272002 7839553249
(स)	लखीमपुर खीरी \$	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कोर्ट कंपाउंड के पास, खीरी	1	1	1	05872-252757 7839553251
(ह)	कौशाम्बी	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, ओसा मंझनपुर, कौशाम्बी।	1	2	1 हॉल	05331-232642 7839553250
(क्ष)	कुशीनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, रवीन्द्र नगर, धूस, कुशीनगर	2	2	1 हॉल	05564-297193 7839553262
(त्र)	लखनऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, चुनाव कार्यालय के पास, केसरबाग, लखनऊ	8	4	4 शयनगृह, 30 बिस्तर	0522-2622367 7839553254
(ज्ञ)	महाराजगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, मुख्यालय समाहरणालय, महाराजगंज	2	2	1 हॉल	05523-223863 7839553255
(कक)	मैनपुरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलक्ट्रेट कोर्ट कंपाउंड के पास, मैनपुरी	1	0	0	05672-234890 7839553257
(कख)	महोबा	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, पट्टाहा रोड, पावर स्टेशन के पास, महोबा।	2	2	1 हॉल	05281-298073 7839553256

(कग)	मथुरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलक्ट्रेट कोर्ट परिसर और जिला जेल के पास, मथुरा	1	1	2	0565-2471749 7839553258
(कघ)	मऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, एआरटीओ कार्यालय के पीछे, मऊ। पिन 275101	2	2	1 हॉल	0547-2970022 7839553259
(कड)	मेरठ	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलक्ट्रेट परिसर, मेरठ।	2	2	4 शयनगृह	0121-2973551 7839553260
(कच)	मिर्जापुर ****	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कमिश्नर कार्यालय के पास, सिविल लाइन्स, पताहा, मिर्जापुर	1	1	1+1 हॉल	05442-256372 7839553261
(कछ)	मुरादाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कोर्ट कैम्पस, मुरादाबाद	कार्यालय संचालन के लिए 1 हॉल, 2 कमरे			0591-2971988 7839553253
(कज)	मुजफ्फरनगर #	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, मालवीय चौक, मुजफ्फरनगर	1	2	1 हॉल	0131-2437623 7839553263
(कझ)	प्रतापगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने, जिलाधिकारी आवास रोड, प्रतापगढ़।	1	1	1	05342-220891 7839553265
(कञ)	प्रयागराज	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, थॉर्नहिल रोड, यूपीपीएससी ओपी के पास। गेट नंबर -5, प्रयागराज पिन 211002	2	2	10 शयनगृह	0532-2548434 7839553207
(कट)	रायबरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, सैनिक भवन, कलक्ट्रेट भवन, रायबरेली	2	2	3 छात्रावास	0535-2975208 7839553267
(कठ)	रामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कोर्ट कंपाउंड के पास, रामपुर	1	1	1	0595-2350022 7839553266
(कड)	सहारनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, रोडवेज बस स्टैंड के पास, सहारनपुर	2	1	1	0132-2643629 7839553269
(कढ)	शामली	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, भैसवाल रोड, शामली। पिन कोड 247776	1	1	4	01398-251003 8765610973

(कण)	संत रविदासनगर (भदोई)	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, संतरविदासनगर(भदोही)	1	1	2	05414- 251229 7839553212
(कत)	शाहजहांपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कोर्ट कंपाउंड के पास, शाहजहांपुर	1	1	1	05842- 223005 7839553270
(कथ)	सीतापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कलेक्टोरेट कोर्ट परिसर के पास, लाल बाग चौराहा के पास, सीतापुर	1	1	1 हॉल	05862- 242055 7839553272
(कद)	सुल्तानपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, सिविल लाइंस, तिकुनिया पार्क, बस स्टैंड के पास, सुल्तानपुर	1	1	1	05362- 240216 7839553275
(कध)	उन्नाव	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, रेलवे स्टैंड के पास, उन्नाव	1	1	1	0515- 2820544 7839553276
(कन)	वाराणसी ##	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, कोर्ट कंपाउंड के पास, वाराणसी	2	1	1	0542- 2508254 7839553277

निर्माणाधीन				
(क)	अंबेडकरनगर		निर्माणाधीन	
(ख)	अमरोहा		निर्माणाधीन	
(ग)	गोरखपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास, सिविल लाइंस, बस स्टैंड के पास, गोरखपुर	निर्माणाधीन	0551- 2337643 7839553238
(घ)	बदायूं	जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णवास सैनिक परिषद, जिला पंचायत गेट के पास, बदायूं।	निर्माणाधीन	05832- 267122 7839553211
(ङ)	औरिया		निर्माणाधीन	
(च)	श्रावस्ती		निर्माणाधीन	
(छ)	सिद्धार्थनगर		निर्माणाधीन	
(ज)	सोनभद्र		निर्माणाधीन	
(झ)	चंदौली		निर्माणाधीन	

अन्य विवरण :-

* बांदा- बांदा कार्यालय में 02 कमरे शामिल हैं, इसके अलावा एसआरएच में ऐसे निदेशक कार्यालय के 04 कमरे, 02-03 कमरे + हॉल किशोर न्याय बोर्ड के कब्जे में हैं।
** बस्ती- ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा अधिगृहित
\$ गाजीपुर-ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा अधिगृहित
***जौनपुर- 03 कमरे + हॉल, 2012 से साशन के आदेश पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा अधिगृहित
**** मिर्जापुर-ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा 03 कमरों का उपयोग किया गया
#मुज़फ्फरनगर-बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी और सीएसडी कैटीन पर कब्ज़ा
##वाराणसी - 01कक्ष+हॉल निर्वचन कार्यालय द्वारा अधिगृहीत।
देवरिया - ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा अधिगृहित।
\$लखीमपुर खीरी- ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा कब्ज़ा।`

7. **जिला सैनिक बोर्ड** उत्तर प्रदेश राज्य में 75 ज़िला सैनिक बोर्ड हैं जो 75 ज़िलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफ़ोननहीं, मोब नं. & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, आगरा	आगरा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, आगरा-282001	0562-2260549 7839553205 zsaag-up@nic.in
(ख)	जेडएसबी, अलीगढ़	अलीगढ़ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय, कलक्ट्रेट परिसर, अलीगढ़-202001	0571-2401763 7839553206 zsaal-up@nic.in
(ग)	जेडएसबी, प्रयागराज	प्रयागराज (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, ओल्ड बुचरी कॉम्प्लेक्स, न्यू रोड, न्यू कैंट, प्रयागराज-211001	0532-2548434 7839553207 zsaah-up@nic.in
(घ)	जेडएसबी, अंबेडकर नगर	अम्बेडकरनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, पुराना समाहरणालय, अंबेडकर नगर-224122	05271-246818 7839553208 zsaan-up@nic.in
(ङ)	जेडएसबी, अमेठी	अमेठी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, लोईबाबा मंदिर के पास, रायबरेली रोड, गोरीगंज, अमेठी-227409	05368-244337 8765610974 zsaam-up@nic.in
(च)	जेडएसबी, अमरोहा	अमरोहा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, समाहरणालय परिसर, अमरोहा-244221	05922-252109 7839553245 zsajp-up@nic.in
(छ)	जेडएसबी, औरैया	औरैया (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, ककौर मुख्यालय, औरैया-206246	7839553210 9445233833 zsaau-up@nic.in
(ज)	जेडएसबी, आजमगढ़	आजमगढ़ (01)	जिला सैनी के कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, रेदौपुर, एसबीआई मुख्य शाखा के सामने, आजमगढ़-276001	05462-220820 7839553209 zsaaz-up@nic.in

(झ)	जेडएसबी, बदायूं	बदायूं (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, सैनिक परिषद, जिला पंचायत गेट के पास, बदायूं-243601	05832-267122 7839553211 zsabd-up@nic.in
(ञ)	जेडएसबी, बडोही	बडोही (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, डीएम कलक्ट्रेट, ग्राम-सरपतहा, भदोही-221304	05414-299229 7839553212 zsasr-up@nic.in
(ट)	जेडएसबी, बागपत	बागपत (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कोर्ट रोड, तहसील के पास, बागपत-262501	0121-2222843 7839553213 zsabg-up@nic.in
(ठ)	जेडएसबी, बहराइच	बहराइच (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, माल कचहरी रोड, बहराइच-271 801	05252-234775 7839553215 zsabh-up@nic.in
(ड)	जेडएसबी, बिजनौर	बिजनौर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, बिजनौर-246 701	01342-359058 7839553214 zsabi-up@nic.in
(ढ)	जेडएसबी, बलिया	बलिया (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, एनसीसी तिराहा, बलिया-277001	05498-240202 7839553216 zsabl-up@nic.in
(ण)	जेडएसबी, बलरामपुर	बलरामपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, तहसील सदर, जिला एवं सत्र न्यायालय के पास, धुसाहा, बलरामपुर-271 201	05263-235086 7839553217 zsabp-up@nic.in
(त)	जेडएसबी, बाँदा	बाँदा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, बाँदा-210001	05192-297500 7839553218 zsabn-up@nic.in
(थ)	जेडएसबी, बाराबंकी	बाराबंकी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, जज निवास के सामने, बाराबंकी-225001	05248-222565 7839553219 zsabb-up@nic.in
(द)	जेडएसबी, बरेली	बरेली (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कचेहरी परिसर, बरेली-243001	05812-3502987 7839553220 zsabr-up@nic.in
(ध)	जेडएसबी, बस्ती	बस्ती (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, विपक्ष। जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती-272001	05542-246670 7839553221 zsabs-up@nic.in
(न)	जेडएसबी, बुलंदशहर	बुलंदशहर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कचेहर आईरोड, बुलंदशहर-203001	05732-282562 7839553223 zsabu-up@nic.in
(प)	जेडएसबी, चंदौली	चंदौली (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय, कलक्ट्रेट परिसर, चंदौली-232104	05412-260700 7839553224 zsacd-up@nic.in
(फ)	जेडएसबी, चित्रकूट	चित्रकूट (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, दिवांगना रोड, ग्राम-गढ़ीवा, चित्रकूट-210205	05198-236475 7839553225 zsact-up@nic.in
(ब)	जेडएसबी, देवरिया	देवरिया (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, सिविल लाइन, एसपी कार्यालय के पास, देवरिया-274001	05568-222450 7839553226 zsade-up@nic.in

(भ)	जेडएसबी, एटा	एटा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, एटा-207001	05742-297091 7839553227 zsaet-up@nic.in
(म)	जेडएसबी, इटावा	इटावा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, रेलवे स्टेशन रोड, इटावा-206001	05688-254167 7839553228 zsaew-up@nic.in
(य)	जेडएसबी, अयोध्या	अयोध्या (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, सिविल लाइन, अयोध्या-224001	05278-222184 7839553229 zsafz-up@nic.in
(र)	जेडएसबी, फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, स्टेडियम के सामने, फतेहगढ़- 209601	05692-234890 7839553230 zsafr-up@nic.in
(ल)	जेडएसबी, फतेहपुर	फतेहपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, एसपी कार्यालय के पास, फतेहपुर-212601	05180-224232 7839553231 zsafu-up@nic.in
(व)	जेडएसबी, फिरोजाबाद	फिरोजाबाद (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, क्वार्टर नंबर 489, सुहाग नगर, खंड-1, फिरोजाबाद- 283203	05612-230944 7839553233 zsafi-up@nic.in
(श)	जेडएसबी, गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, पुराना राजकीय डिग्री कॉलेज, सेक्टर-19, 'सी' ब्लॉक, गौतमबुद्ध नगर-201301	0120-2544814 7839553234 zsagb-up@nic.in
(ष)	जेडएसबी, गाजियाबाद	गाजियाबाद (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, कलक्ट्रेट कंपाउंड, राज नगर, गाजियाबाद-201002	0120-2822643 7839553235 zsagz-up@nic.in
(स)	जेडएसबी, गाजीपुर	गाजीपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, प्रधान डाकघर, गाजीपुर-233001	0548-2226671 7839553236 zsagp-up@nic.in
(ह)	जेडएसबी, गोंडा	गोंडा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, अम्बेडकर नगर चौराहा, जज बंगले के सामने, गोंडा-271001	05262-230038 7839553237 zsagn-up@nic.in
(क्ष)	जेडएसबी, गोरखपुर	गोरखपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, सिविल लाइंस, गोरखपुर-273001	0551-2337643 7839553238 zsagr-up@nic.in
(त्र)	जेडएसबी, हमीरपुर	हमीरपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, पुलिस कार्यालय के सामने, हमीरपुर-210301	05282-222319 7839553239 zsahm-up@nic.in
(ज्ञ)	जेडएसबी, हापुड़	हापुड़ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, जिलाधिकारी, हापुड़-245101	8765610970 zsahp-up@gov.in
(कक)	जेडएसबी, हरदोई	हरदोई (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, हरदोई, सिनेमा चौराहा के पास, हरदोई- 241001	05852-234733 7839553240 zsahr-up@nic.in
(कख)	जेडएसबी, हाथरस	हाथरस (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि अधिकारी, समाहरणालय परिसर, हाथरस-204121	05722-226245 7839553241 zsaht-up@nic.in

(कग)	जेडएसबी, जालौन	जालौन (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, चुर्खी रोड, बघौरा, जालौन- 285001	05162-252798 7839553242 zsajl-up@nic.in
(कघ)	जेडएसबी, जौनपुर	जौनपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सिविल लाइन, जौनपुर- 222002	05452-261110 7839553243 zsaju-up@nic.in
(कङ)	जेडएसबी, झांसी	झांसी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सिविल लाइंस, जज कंपाउंड के पास, झांसी -284001	0510-2980791 7839553244 zsajh-up@nic.in
(कच)	जेडएसबी, कन्नौज	कन्नौज (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, ब्लॉक कार्यालय के पास सराय मीरा रोड, कन्नौज-209721	05694-234071 7839553246 zsa.kj-up@nic.in
(कछ)	जेडएसबी, कानपुर नगर	कानपुर नगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, समाहरणालय परिसर, कानपुर नगर- 208001	0512-2306648 7839553247 zsakn-up@nic.in
(कज)	जेडएसबी, कानपुर देहात	कानपुर देहात (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, विकास भवन के पीछे, समाहरणालय परिसर, कानपुर देहात 208001	05111-270465 7839553248 zsakd-up@nic.in
(कझ)	जेडएसबी, कासगंज	कासगंज (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कलक्ट्रेट कंपाउंड, बीएसए कार्यालय के सामने, सोरों रोड (प्रह्लादपुर के पास) कासगंज-207403	05744-272002 7839553249 zsakr-up@nic.in
(कञ)	जेडएसबी, कौशाम्बी	कौशाम्बी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय, अधिकारी आवास रोड, कौशांबी- 212 207	05331-232642 7839553250 zsaks-up@nic.in
(कट)	जेडएसबी, खेरी	खेरी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, लखीमपुर, कलक्ट्रेट परिसर, खीरी-262701	05872-252757 7839553251 zsalk-up@nic.in
(कठ)	जेडएसबी, कुशीनगर	कुशीनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, रवीन्द्र नगर, कुशीनगर- 274 304	05564-297193 7839553262 zsaku-up@nic.in
(कड)	जेडएसबी, ललितपुर	Lalitpur (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, पुरानी तहसील, ललितपुर- 284403	05176-297801 7839553252 zsala-up@nic.in
(कढ)	जेडएसबी, लखनऊ	लखनऊ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सैनिक भवन, कैसरबाग, लखनऊ-226001	0522-2622367 7839553254 zsalu-up@nic.in
(कण)	जेडएसबी, महाराजगंज	महाराजगंज (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, मुख्यालय समाहरणालय, महाराजगंज - 273303	05523-223863 7839553255 zsamg-up@nic.in
(कत)	जेडएसबी, महोबा	महोबा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पट्टा रोड, पावर हाउस के पास, महोबा- 210427	05281-298073 7839553256 zsamh-up@nic.in
(कथ)	जेडएसबी, मैनपुरी	मैनपुरी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी- 205001	05672-234890 7839553257 zsamp-up@nic.in

(कद)	जेडएसबी, मथुरा	मथुरा (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सिविल लाइंस के पास, तहसील के पास, मथुरा- 281001	0565-2471749 7839553258 zsamt-up@nic.in
(कध)	जेडएसबी, मऊ	मऊ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कलक्ट्रेट भवन, कक्ष संख्या 7, मऊ-275101	0547-2970022 7839553259 zsamb-up@nic.in
(कन)	जेडएसबी, मेरठ	मेरठ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, समाहरणालय परिसर, मेरठ - 250001	0121-2973551 7839553260 zsame-up@nic.in
(कप)	जेडएसबी, मिर्जापुर	मिर्जापुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सिविल लाइन्स, फतहा, मोर्चाघर, मिर्जापुर -231001	05442-256372 7839553261 zsami-up@nic.in
(कफ)	जेडएसबी, मुरादाबाद	मुरादाबाद (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कचहरी रोड, कोर्ट कैपस, मुरादाबाद - 244001	0591-2971988 7839553253 zsamo-up@nic.in
(कब)	जेडएसबी, मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मालवीय चौक, मुजफ्फरनगर-251001	0131-2437623 7839553263 zsamu-up@nic.in
(कभ)	जेडएसबी, पीलीभीत	पीलीभीत (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, नई तहसील, कक्ष संख्या 6, पीलीभीत-262001	05882-258882 7839553294 zsapi-up@nic.in
(कम)	जेडएसबी, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, प्रतापगढ़-230001	05342-220891 7839553265 zsapr-up@nic.in
(कय)	जेडएसबी, रामपुर	रामपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, रामपुर- 244901	0595-2350022 7839553266 zsara-up@nic.in
(कर)	जेडएसबी, रायबरेली	रायबरेली (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, एस सैनिक भवन, कलेक्ट्रेट भवन के पास, रायबरेली - 229001	0535-2975208 7839553267 zsarb-up@nic.in
(कल)	जेडएसबी, संत कबीर नगर	संत कबीरनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, संत कबीर नगर - 272175	05547-226778 7839553268 zsask-up@nic.in
(कव)	जेडएसबी, सहारनपुर	सहारनपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, रेलवे रोड, सहारनपुर - 247001	0132-2643629 7839553269 zsasa-up@nic.in
(कश)	जेडएसबी, संभल	संभल (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सम्भल	8765610972 zsasb-up@nic.in
(कष)	जेडएसबी, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, समाहरणालय परिसर, शाहजहाँपुर - 242001	05842-223005 7839553270 8452806288 zsasj-up@nic.in
(कस)	जेडएसबी, शामली	शामली (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज, करनाल रोड, शामली - 247776	01398-251003 8765610973 zsasm- up@gov.in

(कह)	जेडएसबी, सिद्धार्थ नगर	सिद्धार्थनगर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, तहसील परिसर, सिद्धार्थ नगर-272207	05544-220345 7839553271 zsasn-up@nic.in
(कक्ष)	जेडएसबी, सीतापुर	सीतापुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, लालबाग, सीतापुर - 261001	05862-242055 7839553272 8400357429 zsasi-up@nic.in
(कत्र)	जेडएसबी, सोनभद्र	सोनभद्र (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, विकास भवन, कक्ष संख्या 52, रॉबर्टगंज, सोनभद्र - 231216	05444-223885 7839553273 zsaso-up@nic.in
(कज्ञ)	जेडएसबी, श्रावस्ती	श्रावस्ती (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, जूनियर हाई स्कूल, लक्ष्मणपुर रोड, पोस्ट भिनगा, श्रावस्ती - 271831	05250-222654 7839553274 zsasv-up@nic.in
(ककक)	जेडएसबी, सुल्तानपुर	सुल्तानपुर (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, सिविल लाइंस, तिकुनिया पार्क, सुल्तानपुर - 228001	0536-240416 7839553275 zsasu-up@nic.in
(ककख)	जेडएसबी, उन्नाव	उन्नाव (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, रेलवे स्टेशन के सामने, उन्नाव - 209801	0515-2820544 7839553276 8933910001 zsaun-up@nic.in
(ककग)	जेडएसबी, वाराणसी	वाराणसी (01)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, कलक्ट्रेट परिसर, वाराणसी - 221002	0542-2508254 7839553277 zsava-up@nic.in



पश्चिम बंगालपरिचय

1. पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 1,27,413 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
राज्य सैनिक बोर्ड, पश्चिम बंगाल	कर्नल पीपी बारिक (सेवानिवृत्त), सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, ब्लॉक-IV, प्रथम तल, राइटर्स बिल्डिंग्स, कोलकाता- 700 001	033-22141347 मोबाइल: 6290033950 rsb-wb@gov.in
वेबसाइट: www.rajyasainikboard.wb.gov.in		

राज्य स्तरीय लाभ

2. वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	10 लाख	8 लाख	6 लाख	8 लाख	6 लाख	4 लाख	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	15 लाख	12 लाख	8 लाख	12 लाख	8 लाख	5 लाख	-
(घ)	75,000	60,000	40,000	60,000	40,000	30,000	-
(ङ)	-	-	-	-	-	-	2 लाख
कुल	25 लाख 75 हजार	20 लाख 60 हजार	14 लाख 40 हजार	20 लाख 60 हजार	14 लाख 40 हजार	9 लाख 30 हजार	2 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएस एम	एसएम/एन एम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	3,000 (जी)	-	15,000	7,000	3,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	20,000(जी)	-	1 लाख	50,000	20,000
(घ)	-	-	2,375 (जी)	-	3,800/-	2,850/-	2,375/-
(ङ)	1.25 लाख	1 लाख	-	25,000	-	-	-
कुल	1,25,000/-	1,00,000/-	25,375/-	25,000/-	1,18,800/-	59,850/-	25,375/-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी के बदले एकमुश्त अनुदान (ङ) एकमुश्त अनुदान.

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान.**

राज्य	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर	
पश्चिम बंगाल	60% या उससे अधिक अंक वाले शहीद एवं विकलांगों के लिए अनुग्रह राशि।	अधिकारी	3 लाख
		जेसीओ	2 लाख
		अन्य रैंक	1.50 लाख
	विकलांग सैनिक (40% से 59%)	अधिकारी	1.50 लाख
		जेसीओ	1 लाख
		अन्य रैंक	75,000
	सैन्य अभियानों के दौरान मृत्यु	अधिकारी	60,000
		जेसीओ	40,000
		अन्य रैंक	30,000

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	3,000/- प्रति माह	-
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	1,50,000/-	प्रति पैराप्लेजिक
(ग)	पुत्री विवाह अनुदान	20,000/-	पुराने मामले के लिए
(घ)	अंतिम संस्कार अनुदान (जेसीओ और उससे नीचे)	10,000/-	केवल बी.सी. मामलों के लिए मृत्यु अनुदान के रूप में
(ङ)	विशेष शिक्षा अनुदान	4000/-	कक्षा 11वीं और 12वीं
		5000/-(2 बार)	स्नातक
		10,000/-(2 बार)	पोस्ट ग्रेजुएशन
		18,000/-(2 बार)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीएमएसएस अस्वीकृत/गैर-योग्यता मामले)

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	सेवारत और ईएसएम में 25%।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-

(ग) राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा			
क्रम.	विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम	पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या/प्रतिशत
(i)	जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक	1
		सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक	1
(ii)	सरकारी इंजीनियरिंग एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी कॉलेज, सेरामपुर	सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक.	1
(iii)	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्स्टाइल टेक्नोलॉजी, बेरहामपुर	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बी.टेक.	1
(iv)	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी, कोलकाता	चमड़ा प्रौद्योगिकी में बी.टेक.	1
(v)	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक टेक्नोलॉजी, कोलकाता	सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक.	1
(vi)	कल्याणी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक.	1
(vii)	पुरुलिया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बी.टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग	1
			1
(viii)	कूचबिहार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बी.टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग	1
			1
(ix)	जादवपुर विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित इंजीनियरिंग में बी.टेक पाठ्यक्रम	2
(x)	सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज	डिप्लोमा / पॉलिटेक्निक	50
(घ) नौकरियों में आरक्षण		5% ईएसएम के लिए ग्रुप "सी" पदों में।	
		10% ईएसएम के लिए ग्रुप 'डी' पद में।	

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	जगह	आवास			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, 1/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-20	01	01	01 छात्रावास 01	डीएसडब्ल्यू कोलकाता 033-22233893 zsb-kolkata@bangla.gov.in zsbkolkata@gmail.com
(ख)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, बरोनीलपुर रोड, श्रीपल्ली बर्दवान	01	-	03	डीएसडब्ल्यू बर्दवान, 034-22644782 secy.zsb-burdwan@bangla.gov.in

(ग)	सैनिक विश्राम गृह रवींद्रनगर, मिदनापुर,	01	-	01	डीएसडब्ल्यू मिदनापुर 03222-275874 secy.zsb- midnapore@bangla.gov.in
(घ)	सैनिक विश्राम गृह बालुरघाट, जिला- दक्षिण दिनाजपुर,	-	-	03	डीएसडब्ल्यू दक्षिण दिनाजपुर 03522-258175 secy.zsbdd-wb@gov.in
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, सैनिक भवन, कचेरी कंपाउंड, दार्जिलिंग	01	01	01 छात्रावा स 03	डीएसडब्ल्यू दार्जिलिंग 0354-2254056 zsbd-wb@gov.in
(च)	सैनिक विश्राम गृह कलिम्पोंग, जिला- कलिम्पोंग,	01	01	01 छात्रावा स	डीएसडब्ल्यू कलिम्पोंग 0355-2256791 zsb-kpg@bangla.gov.in
(छ)	सैनिक विश्राम गृह कुर्सियांग, जिला- दार्जिलिंग,	01	-	01 छात्रावा स 01	डीएसडब्ल्यू दार्जिलिंग 0354-2254056 zsbd-wb@gov.in
(ज)	सैनिक विश्राम गृह बागडोगरा,	02	04	05 छात्रावा स 01	डीएसडब्ल्यू दार्जिलिंग 9046006684 zsbd-wb@gov.in

7. **जिला सैनिक बोर्ड.** पश्चिम बंगाल राज्य में 14 जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 23 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	नाम, पदनाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जेडएसबी, दार्जिलिंग	दार्जिलिंग (01)	सचिव, "सैनिक भवन", कचेरी कंपाउंड, पीओ और जिला: दार्जिलिंग- 734 101	0354-2254056 zsbd-wb@gov.in
(ख)	जेडएसबी, जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी (01)	कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, डाकघर: एवं जिला: जलपाईगुड़ी- 735 101	03561-230848 zsb- jalpaiguri@bangla.gov.in
(ग)	जेडएसबी, कूच बिहार	कूचबिहार और अलीपुर द्वार (02)	सचिव, सागर दिघी स्कायर (पुराना चुनाव कार्यालय), एसबीआई के पास, कूचबिहार- 736 101	03582-291806 secyzsb- wb.cbr@coochbehar.gov.in
(घ)	जेडएसबी, दक्षिण दिनाजपुर	डी/दिनाजपुर और यू/दिनाजपुर (02)	सचिव, रघुनाथपुर, डाकघर: बेलताला पार्क, जिला: दक्षिण दिनाजपुर-733 103	03522-258175 secy.zsbdd-wb@gov.in
(ङ)	जेडएसबी, मालदा	मालदा (01)	सचिव, कलेक्ट्रेट भवन, आईसीडीएस कार्यालय, सॉफ्टवेयर विभाग, जिला मालदा 732101	03512-223546 secy.zsb- malda@bangla.gov.in

(च)	जेडएसबी, मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद (01)	सचिव, 7/ए, बैरक स्क्वायर, डाकघर: बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद - 742 101	03582-277459 zsb- murshidabad@bangla.gov.in
(छ)	जेडएसबी, नादिया	नादिया (01)	सचिव, प्रशासनिक भवन, पीओ कृष्णानगर, जिला: नादिया - 741 101	03472-252287 zsb-nadiawb@bangla.gov.in
(ज)	जेडएसबी, बर्दवान	पश्चिम बर्दवान, पूर्व बर्दवान और बीरभूम (03)	सचिव, 'सैनिक भवन' बरोनिलपुर, डाकघर: श्रीपल्ली, जिला: बर्दवान - 713 103	6291910595 secy.zsb- burdwan@bangla.gov.in
(झ)	जेडएसबी, मिदनापुर	मिदनापुर (पूर्व) मिदनापुर (पश्चिम), बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम (05)	सचिव, सैनिक भवन, डाकघर: रवीन्द्रनगर, जिला पश्चिम मिदनापुर 721101	03222-275874 secy.zsb- midnapore@bangla.gov.in
(ञ)	जेडएसबी, हावड़ा	हावड़ा और हुगली (02)	सचिव, 5वीं मंजिल, न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, डाकघर एवं जिला: हावड़ा 711101	033-26414694 secy.zsb- howrah@bangla.gov.in
(ट)	जेडएसबी, कोलकाता	कोलकाता (01)	सचिव, सैनिक भवन", 1/4 एजेसी बोस रोड, कोलकाता 700020	033-22233893 zsb-kolkata@bangla.gov.in zsbkolkata@gmail.com
(ठ)	जेडएसबी, उत्तर 24 परगना	उत्तर 24 परगना (01)	सचिव, अल्पसंख्यक कार्य भवन कार्यालय, पश्चिम बनमालीपुर, डाकघर: बारासात, जिला: उत्तर 24 परगना पिन - 743201	033-25628538 zsb-barasat@nic.in
(ड)	जेडएसबी, दक्षिण 24 परगना	दक्षिण 24 परगना (01)	सचिव, नया प्रशासनिक भवन, पश्चिम लॉबी (तीसरी मंजिल), डाकघर अलीपुर, कोलकाता 700027	033-24790542 secy.zsb-wb@s24pgs.gov.in
(ढ)	जेडएसबी, कलिम्पोंग	कलिम्पोंग (01)	सचिव, डीएम कार्यालय परिसर, डाकघर एवं जिला: कलिम्पोंग- 734 301	0355-2256791 zsb-kpg@bangla.gov.in

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT)**परिचय**

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 1,424 पूर्व सैनिक/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी
राज्य सैनिक बोर्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	दक्षिण अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान, निकोबार	कर्नल डी. एस गोदारा (सेवानिवृत्त), मानद सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, वीर सेनानी भवन, जेएन रोड, हैड्रो, श्री विजय पुरम - 744102. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03192-235621 secretaryrsbandnic@gmail.com
वेबसाइट-	शून्य		

यूटी स्तर के लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**
(रुपये में)

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	25000	15000	8000	20000	12000	5000	17000
(ख)	160000	110000	60000	130000	100000	45000	115000
(ग)	1500	500	-	1000	400	-	600
(घ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाई एसएम	वाईएस एम	एसएम/एनएम/ वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएस एम
(क)	10000	4000	3000	2500	15000	10000	3000
(ख)	70000	35000	22000	15000	100000	50000	22000
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती (क) नकद अनुदान (ख) भूमि के बदले नकद (ग) वार्षिकी (घ) ओटी एकमुश्त अनुदान

3. केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	6000/-प्रति माह	सभी दिग्गजों और उनकी विधवाओं के लिए
(ख)	पुत्री विवाह अनुदान	5001/-	-
(ग)	शिक्षा अनुदान	500/- प्रति वर्ष	जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें खरीदने हेतु
(घ)	स्पोर्ट सहायता	1000/-	-

4. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ.

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	-
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा: -पांडिचेरी विश्वविद्यालय/अंडमान एवं निकोबार प्रशासन/भारत सरकार के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में कुल प्रवेश का 1% (एक सीट से अधिक नहीं) आरक्षित है। इन द्वीपों के निवासी पूर्व सैनिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के संबंध में सभी उद्देश्यों के लिए द्वीपवासी माना जाएगा।	
(घ)	मुख्य भूमि पर जाने वाले जहाजों में आरक्षण	ईएसएम और उनके आश्रितों के लिए 10 (दस) सीटें।
(ङ)	नौकरियों में आरक्षण	ए एंड एन एडमिन में ग्रुप सी और डी पदों में 1%
(च)	चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संदर्भित मुख्यभूमि अस्पतालों में उपचार के लिए यात्रा व्यय	ड्यूटी के दौरान पात्रता के अनुसार टिकट की लागत यदि नागरिक प्राधिकरण से ऐसी सुविधा नहीं ली गई है और ईसीएचएस का सदस्य नहीं है
(छ)	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक श्रीविजयपुरम में उपचार के लिए यात्रा व्यय, जिसे आरएमओ सीजी/सिविल अस्पताल, कैंपबेल बे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा संदर्भित किया जा रहा है	ड्यूटी के दौरान पात्रता के अनुसार टिकट की लागत अब ईसीएचएस नीति के अनुसार इसका पालन किया जा रहा है।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

5. सैनिक विश्राम गृह. शून्य.

6. जिला सैनिक बोर्ड. केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में **शून्य** जिला सैनिक बोर्ड हैं। हालाँकि, आरएसबी अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के तीन जिलों अर्थात् दक्षिण अंडमान, उत्तर एवं मध्य अंडमान एवं निकोबार को कवर करता है।

चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)**परिचय**

1. चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में कुल 10,974 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सचिव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, चंडीगढ़ का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी/जेडएसबी का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। और ई-मेल आईडी
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चंडीगढ़	चंडीगढ़	कर्नल हरजीत सिंह घुमन (सेवानिवृत्त) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सेक्टर 21-डी, (अरोमा लाइट पॉइंट के पास), चंडीगढ़- 160 022	0172-2721947 0172- 2701947 zswochd@gmail.com
वेबसाइट:www.chandigarhsainikwelfare.org			

यूटी स्तर के लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार (एक बार).**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	2 करोड़	1 करोड़	50 लाख	2 करोड़	1 करोड़	50 लाख	5 लाख

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एनएम /वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	4 लाख	3 लाख	14 लाख (जी) 2 लाख (डी)	10 लाख (जी) 2.5 लाख (डी)	3 लाख	2.5 लाख	2 लाख

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह राशि राहत

केन्द्र शासित प्रदेशों	वर्ग	अनुग्रह राशि राहत
चंडीगढ़	युद्ध विधवाएँ	
	अनुग्रह राशि	45 लाख रुपये
	मकान/प्लॉट के बदले में	5 लाख रुपये
	विकलांग सैनिक (कार्रवाई में)	
	विकलांगता 76 से 100%	20 लाख रुपये
	विकलांगता 51 से 75%	10 लाख रुपये
	विकलांगता 25 से 50%	5 लाख रुपये

4. केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	7500/- प्रति माह	
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	1200/- प्रति माह	ईएसएम का इलाज चल रहा है।
(ग)	विकलांग ईएसएम	1200/- प्रति माह	ईएसएम को 100% विकलांग के साथ जारी किया गया।
		1200/- प्रति माह	ईएसएम जो सेवानिवृत्ति के बाद 100% विकलांग हो जाते हैं।
		1200/- प्रति माह	दृष्टिबाधित ईएसएम या उनके वार्ड
(घ)	गरीबी अनुदान	15000/- (ओटीजी)	डीसी-सह-अध्यक्ष द्वारा ईएसएम/विधवाओं को।
		10000/- (ओटीजी)	ईएसएम/विधवाओं को जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा।
(ङ)	एनडीए/सशस्त्र बलों में शामिल होने पर	1,00,000/- (ओटीजी)	चंडीगढ़ के अधिकारी सशस्त्र बलों में शामिल
(च)	छात्रवृत्ति	10000/- (ओटीजी)	चंडीगढ़ के ईएसएम निवासी के बच्चों को 50 छात्रवृत्तियां, जो कक्षा XI और XII में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं।
(छ)	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए एफए	1200/- प्रति माह	ईएसएम के वार्ड
(ज)	पुनर्वास के लिए एफए	5000/- प्रति माह	65 वर्ष से अधिक आयु के ईएसएम जेसीओ/ओआर बिना पेंशन के।
		1000/- प्रति माह	पति की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई हो, तो उप-मेजर और समकक्ष पद तक की विधवाओं को सेवा प्रदान की जाएगी।

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	भारत संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा कर चुके या कर रहे व्यक्तियों के स्वामित्व वाली और स्वयं अधिभोग वाली आवासीय भूमि और भवनों (कोई भी भाग किराये पर नहीं दिया गया है) पर लगाया जाने वाला कर। - 300 वर्ग गज के लिए कोई कर नहीं और पूरी तरह से छूट। - 300 गज से अधिक के लिए केवल 50% शुल्क लिया जाएगा।
(ख)	कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति।	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक के बच्चों के लिए कोटा: - सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थानों में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 5%।	
(घ)	राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण	10% जीपी 'सी' पद। केवल ईएसएम के लिए 20% जीपी 'डी' पद। केवल ईएसएम के लिए

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह.**

क्र. सं.	स्थान का पता	उपलब्ध आवास (कमरे)				सम्पर्क करने का विवरण
		प्रकार	एसी	गैर एसी	कुल	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, अरोमा होटल के पास, सेक्टर- 21 डी, चंडीगढ़	वीआईपी सुइट	01	-	01	9646879861
		डबल बेड रूम	06	02	08	
		चार बेडरूम वाला कमरा	05	01	06	
		छह बेडरूम वाला कमरा	01	-	01	
		शयनगृह (आठ बिस्तर)	-	01	01	

7. **जिला सैनिक बोर्ड** केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 01 जिला सैनिक बोर्ड है जो 01 जिले को कवर करता है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। और ई-मेल आईडी
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चंडीगढ़	चंडीगढ़ (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सेक्टर 21डी, (अरोमा लाइट पॉइंट के पास), चंडीगढ़- 160 022	0172- 2721947 0172- 2701947 zswochd@gmail.com



जम्मू और कश्मीर (यूटी)**परिचय**

1. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कुल 1,03,537 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है: -

आरएसबी जम्मू और कश्मीर (यूटी)		
आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर। ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय	ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान (सेवानिवृत्त), निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, अम्बफल्ला, जम्मू	0191-2561547 0191-2575362 directorsw-11@jk.gov.in
वेबसाइट - एचटीटीपीएस://sainikwelfarejk.gov.in		

यूटी स्तर के लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	22,500	15,000	7,000	20,000	12,000	5,000	17,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1,50,000	1,00,000	50,000	1,25,000	75,000	40,000	1,10,000
(घ)	1,75,000	1,50,000	75,000	1,50,000	1,50,000	75,000	8,000
(ङ)	25,00,000	15,00,000	10,00,000	25,00,000	15,00,000	10,00,000	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एन एम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएस एम	एवीएस एम	वीएसएम
(क)	10,000	4,000	3,000 (डी) 3,000 (जी)	2,000	15,000	7,000	3,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	65,000	30,000	20,000 (डी) 20,000 (जी)	10,000	1,00,000	50,000	20,000
(घ)	8,000	8,000	8,000 (डी) 10,000 (जी)	8,000	10,000	9,000	8,000
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला**

अनुग्रह राशि राहत

वर्ग	अनुग्रह राहत राशि
जम्मू-कश्मीर के वे सैनिक जो जम्मू-कश्मीर या उसके बाहर शहीद हुए हैं	25.00 लाख रुपये
अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सैनिक, जो जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए	5.00 लाख रुपये
विकलांग सैनिक (स्थायी विकलांगता)	0.75 लाख रुपये
विकलांग सैनिक (आंशिक विकलांगता)	0.10 लाख रुपये

4. **केंद्र शासित प्रदेश में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज/विधवाएँ	5000/-	प्रति महीने
(ख)	पीआरसी, खड़की और मोहाली को संस्थागत अनुदान	120000/-	वार्षिक 60000/- प्रत्येक
(ग)	जेसीओ विधवाओं के लिए पुत्री विवाह अनुदान / जेसीओ विधवा पुनर्विवाह अनुदान	50000/-	-
(घ)	गैर-पेंशनभोगी के लिए दरिद्रता अनुदान	48000/-	वर्ष में एक बार
(ङ)	जेसीओ के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान	5000/- से 9000/-	कक्षा- 8वीं से स्नातक तक पाठ्यक्रम
(च)	एनडीए में शामिल होने/सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	25000/-	
(छ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास	10000/-	-
(ज)	विशेष शिक्षा अनुदान	50000/-	रक्षा सेवाओं/यूपीएससी/जेकेएस में कमीशन प्राप्त ईएसएम की बालिकाओं के लिए
(झ)	ईएसएम के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने पर पीएमएसएस के लिए छात्रवृत्ति	20000/-	वे वार्ड जिनका केएसबी से दावा नहीं किया गया
(ञ)	जेके मिलिशिया	5000/-	प्रति महीने

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ:-**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	मामला गृह विभाग के समक्ष पत्र संख्या 1350-वेल/प्रॉपर्टी टैक्स/डीएसडब्ल्यू/2025/838 दिनांक 02 जून 2025 के तहत उठाया गया।
(ख)	युद्ध में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति।	जम्मू-कश्मीर सरकार के 2022 के एसओ 429 (जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना) के तहत एसओ 623 दिनांक 22 दिसंबर 2023 के तहत संशोधित अब सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति / मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है, जो जम्मू-कश्मीर का निवासी है और कानून और व्यवस्था की स्थिति या उग्रवाद / आतंकवादी कार्रवाई या दुश्मन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मारा जाता है।
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक बच्चों के लिए कोटा: -	
	क्र. सं.	पाठ्यक्रम
		आरक्षित सीटों की संख्या %

(i)	एमबीबी एस	3%
(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज	3%
(iii)	कृषि महाविद्यालय	3%
(iv)	पॉलिटेक्निक कॉलेज	3%
(v)	आईटीआई	3%
(vi)	एलएलबी	3%
(vii)	एम.एससी., एम.ए., एम.कॉम., एलएलएम	2%
(viii)	एमबीए, एमसीए	
(ix)	बी एड	3%
(x)	नर्सिंग प्रशिक्षण	3%
(xi)	कोई अन्य पाठ्यक्रम	3%

6. **सैनिक विश्राम गृह**. विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध			सम्पर्क करने का विवरण
		अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	
(क)	सैनिक विश्राम गृह, अम्बफल्ला, जम्मू	-	02	04 (02 हॉल सहित)	01912561547 9469069287
(ख)	सैनिक विश्राम गृह, बुधवानी मंडी, सांबा	01	-	-	9990120713
(ग)	सैनिक विश्राम गृह, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, कठुआ	-	-	02	01922234785
(घ)	सैनिक विश्राम गृह, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर के पास, बसोहली	01	01	01	9697687312
(ङ)	सैनिक विश्राम गृह, आदर्श कॉलोनी, उधमपुर	02	01	02	01992271338 9797460206
(च)	सैनिक विश्राम गृह, बस स्टैंड के पास रामनगर	01	01	01	9797565175
(छ)	सैनिक विश्राम गृह, विद्युत विभाग कार्यालय के पास, रियासी	01	-	01	9419070145
(ज)	सैनिक विश्राम गृह, डाक बंगला के पास, डोडा	01	01	01	01996233553
(झ)	सैनिक विश्राम गृह, चोगान ग्राउंड के सामने किशतवाड़	-	01	01	9018138312
(ञ)	सैनिक विश्राम गृह, डीआईजी कार्यालय के सामने, शंकर नगर, पुंछ	01	02	02 (बड़ा कमरा)	01965220161 9622070340
(ट)	सैनिक विश्राम गृह, पीसीआर बटमालू के पास, श्रीनगर	03	03	04	01942474728 9419028862
(ठ)	सैनिक विश्राम गृह, पर्यटक स्वागत केंद्र के पास, कुपवाड़ा	02	02	02 (हॉल)	01955252116 9419946188

(ड)	सैनिक विश्राम गृह, नागेश ब्रिज के पास, पीर कंजू, राजौरी	03	03	01 (हॉल)	01992263350 9906017342
(ढ)	सैनिक विश्राम गृह, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, अखनूर	-	-	01 (हॉल)	01924295363
(ण)	अधिकारी अतिथि कक्ष, अंबफल्ला, जम्मू	03	-	-	9469069408

7. **जिला सैनिक बोर्ड** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में **13** जिला सैनिक बोर्ड हैं, जो 20 जिलों को कवर करते हैं। विवरण नीचे संलग्न हैं: -

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	पद का नाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर। & ईमेल आईडी
(क)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जम्मू	जम्मू की तहसीलें: जम्मू उत्तर, जम्मू दक्षिण, जम्मू पश्चिम, जम्मू पूर्व, जम्मू खास, बाहु, भलवाल, नगरोटा, डंसल, और मंडल(01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अम्बफल्ला, जम्मू	0191-2546273 zsws-swd@jk.gov.in
(ख)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, आरएसपुरा	जम्मू की तहसीलें: आरएस पुरा, अरनिया और सुचेतगढ़	ZSWO द्वारा देखभाल की जा रही है उधमपुर	0191-2957533 zsworspura-11@jk.gov.in
(ग)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अखनूर	जम्मू की तहसीलें: अखनूर, मैरा मंड्रियान, खरह बल्ली, जौरियन, परगवाल, चौकी चौरा, खौर	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अखनूर, चंद्र बाग स्कूल के पास, सुंगल मार्ग, अखनूर	01924-295363 zswsakhnoor-11@jk.gov.in
(घ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सांबा	सांबा (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सांबा, बुडवानी, सांबा	zswosamba-11@jk.gov.in
(ङ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कठुआ	कठुआ (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, कठुआ	01922-234785 zswokathua-11@jk.gov.in
(च)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, उधमपुर	उधमपुर और रामबन (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उधमपुर, आदर्श कॉलोनी उधमपुर	01992-271338 zswoudhampur-11@jk.gov.in

(छ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रियासी	रियासी (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, रियासी	01992-299021 zsworeasi-11@jk.gov.in
(ज)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डोडा	डोडा और किशतवाड़ (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, डोडा, पीडब्ल्यूबी डाक बंगले के पास, डोडा	01996-233553 zswododa-11@jk.gov.in
(झ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राजौरी	राजौरी (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, राजौरी,	01962-263350 zsworajouri-11@jk.gov.in
(ञ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पुंछ	पुंछ (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पुंछ	01965-220161 zswopoonch-11@jk.gov.in
(ट)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, श्रीनगर	श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतांग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां(07)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, श्रीनगर	0194-2474728 zswosgr.11@jk.gov.in
(ठ)	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बारामूला	बारामूला और बांदीपोरा (02)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, बारामूला, क्यू नंबर 3 पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, बारामूला	01952-238539 zswobla-11@jk.gov.in
(ड)	ZSWO कुपवाड़ा	कुपवाड़ा (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कुपवाड़ा	01955-252116 zswokupwa29-11@jk.gov.in

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

लद्दाख (यूटी)**परिचय**

1. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल 7,660 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है:-

आरएसबी का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी
आरएसबी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	कर्नल लोबजैंग नीमा (सेवानिवृत्त) सचिव आरएसबी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एसएसपी कार्यालय के सामने लेह, पोलो ग्राउंड लेह के पास पिन-194101	7589301375 (एम) 6006689758 (एम) director-rsb@ladakh.gov.in
वेबसाइट : शून्य		

यूटी स्तर के लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआरसी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	50,000	30,000	15,000	40,000	25,000	10,000	35,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	1.75 लाख	1.50 लाख	75,000	1.50 लाख	1.50 लाख	75,000	8,000
(ङ)	3 लाख	2 लाख	1 लाख	2.50 लाख	1.50 लाख	80,000	2.20 लाख

क्र. सं.	यूवाई एसएम	वाई एसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-इन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	20,000	8,000	6,000 (जी) 6,000 (गैर-जी)	5,000	30,000	15,000	6,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	8,000	8,000	10,000 (जी) 8,000 (डी)	8,000	10,000	9,000	8,000
(ङ)	1.30 लाख	50,000	40,000 30,000 (गैर-जी)	20,000	2 लाख	1 लाख	40,000

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया गया अनुग्रह राशि राहत**

केन्द्र शासित प्रदेशों	वर्ग	अनुग्रह राशि राहत
लद्दाख	NOK/ शहीदों के परिवार के सदस्य	5 लाख रुपये
	स्थायी विकलांगता के लिए या यदि विकलांगता 50% से अधिक है	3 लाख रुपये
	आंशिक विकलांगता के लिए या यदि विकलांगता 50% से कम है	1.5 लाख रुपये

4. **राज्य में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।**

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	राशी	टिप्पणी
(क)	पुत्री विवाह अनुदान	20,000/-	जेसीओ/मृत जेसीओ की केवल 02 पुत्रियां।
(ख)	गरीबी अनुदान	60,000/- प्रति वर्ष	65 वर्ष से कम आयु की गैर-पेंशनभोगी विधवाएं।
		24,000/- प्रति वर्ष	65 वर्ष से कम आयु के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम।
(ग)	शिक्षा अनुदान / प्रोत्साहन (एकमुश्त)	4,000/-	ईएसएम जेसीओ के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए 8वीं कक्षा में 60% और उससे अधिक अंक।
		4,000/-	ईएसएम जेसीओ के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए 10वीं कक्षा में 60% और उससे अधिक अंक।
		5,000/-	ईएसएम जेसीओ के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए 12वीं कक्षा में 60% और उससे अधिक अंक।
		6,000/-	ईएसएम जेसीओ के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए बीए, बीएससी, बी कॉम में 70% और उससे अधिक अंक।
		7,000/-	ईएसएम जेसीओ के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए। पीएमएसएस के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
(घ)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल विकास	5,000/- ओटीजी	बेसिक कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में ईएसएम और विधवाओं के बच्चों के लिए प्रशिक्षण। अवधि 3 महीने तक।
		3,000/- ओटीजी	कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग में ईएसएम एवं विधवाओं के बच्चों के लिए 3 महीने तक का प्रशिक्षण।
(ङ)	छात्रवृत्ति	10,000/-	12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र, जेसीओ रैंक तक के बच्चे। जो पहले 20 टॉपर्स (राज्य बोर्ड/सीबीएसई) की मेरिट सूची में शामिल हों।
		4,000/- प्रति माह	युद्ध एवं युद्ध हताहतों में मारे गए रक्षा कार्मिकों का वार्ड। कक्षा 1 से 12वीं तक।
(च)	प्रवेश परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चे	20,000/-	सिविल सेवा परीक्षा। लद्दाख से स्नातक और यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों के लिए।

(छ)	एसएसबी कोचिंग	5,000/-	पूर्व सैनिक एवं विधवाओं के बच्चों के लिए। अवधि 3 माह तक।
(ज)	चिकित्सा अनुदान		ईएसएम/विधवाएं जो ईसीएचएस की सदस्य नहीं हैं और जिनकी मासिक आय 10,000/- प्रति माह से अधिक नहीं है
	(i) कैंसर / हृदय / किडनी उपचार	10,000/- एक बार	
	(ii) विविध / साधारण / चिकित्सा उपचार	5,000/- एक बार	

5. **अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।**

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	लद्दाख में रहने वाले एससी के लोगों के लिए।
(ख)	कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए कार्मिकों के रिश्तेदारों को अनुकंपा नियुक्ति	-
(ग)	राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सैनिक (ईएसएम) के बच्चों के लिए कोटा	
	सेवा संख्या	पाठ्यक्रम आरक्षित सीटों की संख्या / प्रतिशत
	(i)	एमबीबीएस 3%
	(ii)	इंजीनियरिंग कॉलेज 3%
	(iii)	पॉलिटेक्निक कॉलेज 3%
	(iv)	आईटीआई 3%
	(v)	बी एड 3%
	(vi)	नर्सिंग प्रशिक्षण 3%
(घ)	राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती में ईएसएम को 6% क्षैतिज आरक्षण
(ङ)	सिलाई मशीन	कैंटीन दर के अनुसार। 60 वर्ष से कम आयु की गैर-पेंशनभोगी विधवाओं के लिए केवल एक बार।
(च)	व्हील चेयर / बैसाखी	कैंटीन दर के अनुसार। केवल एक बार उन ESM के लिए जो बिना सहारे के नहीं चल सकते (व्हीलचेयर की लागत)।
(छ)	बस यात्रा रियायत	संघ राज्य क्षेत्र की सभी युद्ध विधवाओं के लिए निजी बसों द्वारा 50%।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. **सैनिक विश्राम गृह** विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	अधिकारी	जेसीओ	अन्य रैंक	सम्पर्क करने का विवरण
(क)	सैनिक विश्राम गृह लेह, एसएसपी कार्यालय के सामने, पोलो ग्राउंड के पास लेह	शून्य	03	04	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लेह, संपर्क नंबर: 9949476416

7. **जिला सैनिक बोर्ड** केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 02 (दो) जिला सैनिक बोर्ड हैं जो 02 जिलों को कवर करते हैं। इनका विवरण संलग्न है। नीचे:-

क्र. सं.	ZSB का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	नाम, पदनाम और आधिकारिक पता	टेलीफोन नंबर & ईमेल आईडी
(क)	ZSWO, लेह	लेह (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेह, एसएसपी कार्यालय लेह के सामने, पोलो ग्राउंड लेह के पास, पिन 194101	zswoleh-11@jk.gov.in
(ख)	ZSWO, कारगिल	कारगिल (01)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कारगिल, बस स्टैंड के पास कारगिल, पिन-194103	zswokargil-ii@jk.gov.in



पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)**परिचय**

1. पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कुल 3,395 पूर्व सैनिक/युद्ध विधवाएँ/विधवाएँ हैं (30 जून 2025 तक)। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक/आरएसबी के सचिव का विवरण इस प्रकार है: -

आरएसबी का नाम	कवर किए गए जिलों का नाम	नाम, पदनाम, आधिकारिक पता और वेबसाइट	टेलीफ़ोन नंबर। & ईमेल आईडी
सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी	पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम	वायु अनुभवी एस. सैडिराकुमारन, एमए, एमबीए, बीएल, एम.फिल निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कमुदैयानपेट, पुडुचेरी - 605 008	0413 – 2253107 sainik@py.gov.in
वेबसाइट: sainik.py.gov.in			

यूटी स्तर के लाभ

2. **वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार.**

क्र. सं.	पीवीसी	एमवीसी	वीआर सी	एसी	केसी	एससी	एसवाय एसएम
(क)	22,500	15,000	70,000	20,000	12,000	5,000	17,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	1.50 लाख	1 लाख	50,000	1.25 लाख	75,000	40,000	1.10 लाख
(घ)	1,000	400	300	800	350	250	600
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	यूवाईएस एम	वाईएसएम	एसएम/एनएम/वीएम	मैसन-ईन-डिस्पैच	पीवीएसएम	एवीएसएम	वीएसएम
(क)	10,000	4,000	3,000	2,000	15,000	7,000	3,000
(ख)	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	65,000	30,000	20,000	10,000	1 लाख	50,000	20,000
(घ)	350	225	250	150	400	300	200
(ङ)	-	-	-	-	-	-	-

किंवदंती: (क) नकद अनुदान (ख) भूमि (ग) भूमि के बदले नकद (घ) वार्षिकी (ङ) एक बार अनुदान।

3. **युद्ध विधवाओं/एनओके और विकलांग सैनिकों को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला**

अनुग्रह अनुदान.

केन्द्र शासित प्रदेशों	युद्ध विधवाओं को अनुदान/NOK	अनुदान की दर
पुदुचेरी	अनुग्रह राशि (युद्ध विधवाएँ/ NOKs)	-**
	अनुग्रह राशि (विकलांग सैनिकों के लिए)	-

**सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

4. **राज्य में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता.**

क्र. सं.	अनुदान/सहायता का प्रकार	पात्र व्यक्तियों का विवरण/शर्तें	दर
(क)	निर्वाह भत्ता	द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज (गैर पेंशनभोगी)	14,000/- प्रतिमाह
		द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों/पूर्व सैनिकों/पूर्व सैनिकों की विधवाएँ (गैर-पेंशनभोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु)	12,000/- प्रतिमाह
(ख)	उत्सव अनुदान	द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों की सभी विधवाएँ तथा भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने 31 मार्च की तिथि को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।	5,000/-
(ग)	विवाह अनुदान	सभी पूर्व सैनिकों/विधवाओं की दो बेटियों की शादी	50,000/-
(घ)	मृत्यु अनुदान	भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु पर, उनकी विधवा/निकटतम परिजन हकदार हैं	25,000/-
		पूर्व सैनिक विधवाओं की मृत्यु पर निकटतम संबंधी अर्थात् पुत्र, पुत्री आदि पात्र होंगे।	20,000/-
(ङ)	सिलाई मशीन के बदले नकद अनुदान	पूर्व सैनिकों की मृत्यु पर उनकी विधवाएं तत्काल पुनर्वास के लिए नकद अनुदान की पात्र हैं	20,000/-
(च)	तमाशा अनुदान	ईएसएम/विधवाएं (गैर ईसीएचएस सदस्य)	5,000/-
(छ)	श्रवण - संबंधी उपकरण	ईएसएम/विधवाएं (गैर ईसीएचएस सदस्य)	25,000/-
(ज)	डेन्चर अनुदान	ईएसएम/विधवाएं (गैर ईसीएचएस सदस्य)	40,000/-
(झ)	स्पॉट सहायता	सड़क या अग्नि दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं सहित दुर्घटनाओं में गंभीर चोट के कारण ईएसएम/विधवाओं	25,000/-
(ञ)	प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत	प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति की वास्तविक लागत की सीमा तक या अधिकतम 1,00,000/- रुपये का मुआवजा (वे भूतपूर्व सैनिक/विधवाएं जो निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और फूस के मकान में रह रहे हैं, निदेशक द्वारा स्थल सत्यापन के अधीन)	1,00,000/-

(ट)	ड्राइविंग सीखना (एलएमवी/एचएमवी)	बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक (सेवा से मुक्त होने के तीन वर्ष के भीतर) 10,000/- रुपये या फीस की वास्तविक लागत के पात्र हैं।	10,000/-
(ठ)	बी.एड./बी.पी.एड या टीटीसी प्राप्त करने पर नकद प्रोत्साहन	बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक (सेवा से मुक्त होने के तीन वर्ष के भीतर) 30,000/- रुपये या फीस की वास्तविक लागत के लिए पात्र हैं।	30,000/-
(ड)	अल्पकालिक पाठ्यक्रम के लिए वास्तविक शुल्क की प्रतिपूर्ति	बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक (सेवामुक्ति के तीन वर्ष के भीतर) और भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के आश्रित जो किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से टाइपराइटिंग, अकाउंटेंसी, बुक-कीपिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण का आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, पात्र हैं।	15,000/-
(ढ)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	भूतपूर्व सैनिक / भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएँ (गैर-नियोजित या गैर-आयकर करदाता पात्र हैं) (सूचीबद्ध दर या शुल्क की वास्तविक लागत, जो भी कम हो)	
		स्कूल स्तर	1,500/- प्रति माह
		सैन्य स्कूल/सैनिक स्कूल	2,500/- प्रति माह
		शारीरिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से मंद बच्चे (स्कूल स्तर)	3,000/- प्रति माह
		कोई भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम	1,000/- प्रति माह
		एनडीए/आईएमए में पढ़ रहे बच्चे	2,500/- प्रति माह
		स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम	1,500/- प्रति माह
		मास्टर डिग्री कोर्स	2,000/- प्रति माह
(ण)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को पुस्तक भत्ता	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस, बी.टेक. आदि)	2,500/- प्रति माह
		स्कूल स्तर, शारीरिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से विकलांग, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम	2,500/- प्रति वर्ष
		स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम	3,500/- प्रति वर्ष
		मास्टर डिग्री कोर्स/प्रोफेशनल कोर्स (एमबीबीएस, बी.टेक. आदि)	5,000/- प्रति वर्ष
(त)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को वर्दी भत्ता	स्कूल स्तर	2,500/- प्रति वर्ष
		शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से मंद, पॉलिटेक कोर्स, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	3,000/- प्रति वर्ष
(थ)	भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को नकद प्रोत्साहन (एसएसएलसी और समतुल्य)	सभी पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चे	
		X एसटीडी-सीबीएसई/मैट्रिक/एसएसएलसी	
		I स्थिति – प्रत्येक	20,000/-
		II स्थिति – प्रत्येक	18,000/-
		तृतीय स्थान – प्रत्येक	15,000/-
		बारहवीं कक्षा-सीबीएसई/एचएससी	

		I स्थिति – प्रत्येक	25,000/-
		II स्थिति – प्रत्येक	22,000/-
		तृतीय स्थान – प्रत्येक	20,000/-
		किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (स्नातक/पी.जी. पाठ्यक्रम) में स्वर्ण पदक विजेता को नकद पुरस्कार	30,000/-
(द)	पूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों को खेल अनुदान	राष्ट्रीय स्तर के लिए (पुरस्कार विजेता)	50,000/-
		अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए (पुरस्कार विजेता)	75,000/-

5. अन्य कल्याणकारी योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का प्रकार	टिप्पणी
(क)	गृह कर के भुगतान से छूट	भूतपूर्व सैनिकों या उनके जीवनसाथी/विधवाओं को भूतपूर्व सैनिक या उनके जीवनसाथी/विधवाओं के नाम पर एक मकान के लिए छूट दी जाती है।
(ख)	कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए व्यक्तियों के परिजनों के लिए करुणापूर्ण नियुक्ति।	-
(ग)	संघ शासित प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व-सैनिकों के बच्चों के लिए कोटा।	सभी शैक्षणिक संस्थानों में 3% सीटों का क्षेत्रीय आरक्षण। एमबीबीएस कॉलेजों के लिए 1%।
(घ)	स्पोर्ट सहायता	निराश्रित वृद्ध ईएसएम/विधवा को।
(ङ)	नौकरियों में आरक्षण	समूह 'सी' में 10%
		राज्य/केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति के लिए रक्षा सेवा में की गई सेवा अवधि के अतिरिक्त आयु में 3 वर्ष की छूट। रोजगार कार्यालय के माध्यम से रिक्तियों को भरने में प्राथमिकता-II.
(च)	चिकित्सा उपचार	सरकारी अस्पतालों द्वारा पूर्व-सैनिकों और उनके आश्रितों को निःशुल्क उपचार और बिस्तर आवंटन। किसी भी राज्य/केन्द्रीय लाभ योजना के अंतर्गत कवर न की गई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए पात्र पूर्व-एसएम को वित्तीय सहायता।
(छ)	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	निर्धारित दरों पर स्कूल ट्यूशन फीस/यूनिफॉर्म और पुस्तक की लागत की प्रतिपूर्ति। केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कॉलेजों में इंजीनियरिंग, कृषि, दंत चिकित्सा और चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए।
(ज)	घर की जगह/ प्लैट	पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से आवास स्थलों/प्लैटों के आवंटन में 3% की छूट।

टिप्पणी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट sainik.py.gov.in पर दिए गए संबंधित आरएसबी/राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचनाएं देखें।

6. सैनिक विश्राम गृह विवरण नीचे संलग्न है:-

क्र. सं.	स्थान का पता	आवास उपलब्ध		सम्पर्क करने का विवरण
		सुइट ए/सी	पारिवारिक कमरे ए/सी	
(क)	जवान भवन, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्का मुदयानपेट, पुडुचेरी	02	04	0413-2253107 sainik@py.gov.in

7. **जिला सैनिक बोर्ड** केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोई जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी 04 क्षेत्रों को कवर करता है। (पुडुचेरी, कराईकल, यानम और माहे)।



केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	टेलीफोन न. और ईमेल आईडी
(क)	ब्रिगेडियर डी एस बसेरा, वीएसएम**	सचिव	26192361 secyksb-mod@nic.in
(ख)	कर्नल शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कल्याण)	20862446 jdwelfare-ksb@desw.gov.in
(ग)	कैप्टन (आईएन) सतीश कुमार	निदेशक (शिकायत)	26179109 jdgrievancesksb-mod@gov.in
(घ)	कैप्टन (आईएन) शास्वत पूर्णानंद	निदेशक (नीति)	26188098 jdpolicyksb-mod@gov.in
(ङ)	विंग कमांडर नवीन कुमार ठाकुर	संयुक्त निदेशक (प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना) (पीएमएसएस)	20862447 jdpmsksb-mod@gov.in
(च)	लेफ्टिनेंट कर्नल जगमोहन मेहरा	संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं समन्वयक)	26192360 jd.cksb-mod@gov.in
(छ)	लेफ्टिनेंट कर्नल भरत यादव	संयुक्त निदेशक (स्वचालन)	20862449 jdautomationksb-mod@gov.in
(ज)	श्री ए के धर, आईडीएस	संयुक्त निदेशक (लेखा)	20863130 jdaccounts-ksb@desw.gov.in



www.ksb.gov.in



ksbwebsitehelpline@gmail.com - ksbwebsite से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए.



@KSBSectt



जारीकर्ता

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

पूर्व सैनिक कल्याण विभाग

रक्षा मंत्रालय

पश्चिमी खण्ड-IV, आर के पुरम्, नई दिल्ली-110066